अष्टम माला, खंड 37, अंक 22

गुरुवार, 24 मार्च, 1988
4 चैत्र 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दसवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. B 59
Date 4/10/88

(खंड 37 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 24 मार्च, 1988/4 चैत्र, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय-सूची, पृष्ठ (iii), नीचे से पंक्ति 1, "श्रीमती सुखबन्त कौर" के स्थान पर "श्रीमती सुखबन्स कौर" पढ़िये।

पृष्ठ 24, पंक्ति 21, "(ग)" के स्थान पर "ञ" पढ़िये।

पृष्ठ 32, पंक्ति 16, "श्री एस0 रघुमा रेड्डी" के स्थान पर "श्री एम0 रघुमा रेड्डी" पढ़िये।

पृष्ठ 37, पंक्ति 9, "श्री तुल्लापल्ली रामचन्द्रन" के स्थान पर "श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन" पढ़िये।

पृष्ठ 48, नीचे से पंक्ति 5, "श्री पी0ए0 एंटनी" के स्थान पर "श्री पी0ए0 एन्टनी" पढ़िये।

पृष्ठ 72, पंक्ति 17, "प्रो0 पी0जे0 कुरियल" के स्थान पर "प्रो0 पी0जे0 कुरियन" पढ़िये।

पृष्ठ 82, पंक्ति 19, "श्री वी0एस0 विजराघवन" के स्थान पर "श्री वी0एस0 विजयराघवन" पढ़िये।

पृष्ठ 94, पंक्ति 7, "(क)" के स्थान पर "(ज)" पढ़िये।

पृष्ठ 113, नीचे से पंक्ति 1, "(घ)" के स्थान पर "(च)" पढ़िये।

पृष्ठ 124, पंक्ति 25 के ऊपर प्रश्न का शीर्षक "कालेजों की स्वायत्तता" अंत: स्थापित करिये ।

पृष्ठ 133, पंक्ति 5 के पश्चात्, "(ग)" अंत: स्थापित करिये ।

पृष्ठ 155, पंक्ति 18, "(क)" और (घ)" के स्थान पर "(क) और (ख)" पढ़िये ।

पृष्ठ 183, नीचे से पंक्ति 1, "(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।

पृष्ठ 189, पंक्ति 20, "बुक स्टाक" के स्थान पर "बुक स्टाल" पढ़िये ।

पृष्ठ 200, पंक्ति 9, "(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।

पृष्ठ 230, पंक्ति 22, "पुन: समहैत" के स्थान पर "पुन: समवेत" पढ़िये ।

पृष्ठ 283, पंक्ति 11, "श्री बी0के0गढ़वी" के स्थान पर "श्री बी0के0गढ़वी" पढ़िये ।

पृष्ठ 288, पंक्ति 17, "श्री वी0के0गढ़ीवी" के स्थान पर "श्री बी0के0गढ़वी" पढ़िये ।

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 37, बसवां सत्र 1988/1909 (शक)

अंक 22 गुरुवार, 24 मार्च 1988/4 चैत्र, 1910 (शक)

विषय		पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 427 से 432	...	1-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 426, 433 से 450	...	18-32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4488 से 4720	...	33-204
दिनांक 7 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1715 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	...	205
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	209-213
राज्य सभा से संदेश	...	214
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	...	214-229
दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल		
श्री सुरेश कुरूप	...	214, 216-218
श्री राजेश पायलट	...	214-216 223-230
श्री अजीत कुमार साहा	...	218-219
श्री चिन्तामणि जैना	...	219-221
डा. सुधीर राय	...	221-222
श्री आनन्द पाठक	...	222-223
नियम 377 के अधीन मामले	...	230-234
(एक) दूर संचार की अपर्याप्त सुविधाओं को देखते हुए इदुक्की जिले के लिए सेकंडरी स्वीचिंग एरिया बनाना		
प्रो. पी. जे. कुरियन	...	230-231

किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

(दो) डा. बी. आर. अम्बेडकर के जन्म दिन, 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश का दिन घोषित करना

श्री वी. श्री निवास प्रसाद ... 231

(तीन) दिल्ली परिवहन निगम की बसों में "धूम्रपान निषेध" संबंधी अनुदेश लागू करना

प्रो. चन्द्रभानु देवी ... 231-232

(चार) फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में चीनी मिल तथा अन्य उद्योग स्थापित करना

श्री रामप्यारे सुमन ... 232

(पांच) शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयन्त्र स्थापित करना

श्री जितेन्द्र प्रसाद ... 232-233

(छः) गाजीपुर शहर में वाराणसी-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेल फाटक पर उपरि पुल का निर्माण

श्री जैनुल बशर ... 233

(सात) निकारागुआ में अमरीकी कार्यवाही

श्री बसुदेव आचार्य ... 233

(आठ) देश की एकता और अखंडता सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाना

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ... 233-234

पंजाब बजट, 1988-89 सामान्य चर्चा ... 234

लेखानुदानों की मांगें (पंजाब), 1988-89 और ... 234-235

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1987-88 ... 238-284

श्री वी. तुलसीराम ... 238-241

डा. जी. एस. ढिल्लों ... 241-246

श्री सत्यगोपाल मिश्र ... 246-247

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया ... 248-251

श्री राम बहादुर सिंह ... 251-253

श्रीमती सुखवन्त कौर ... 254-256

श्री विजय कुमार यादव ... 257-258

प्रो. नारायण चन्द पराशर ... 260-262

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया ... 262-265

श्री शमिन्दर सिंह ... 265-267

चौ. सुन्दर सिंह ... 267-270

श्री मोहम्मद महफूज अली खां ... 270-271

श्री अब्दुल रशीद काबुली ... 271-275

श्री मेवा सिंह गिल ... 275-277

श्री बी. के. गढ़वी ... 277-284

सैन्ट्रल आर्डनेन्स डिपो, जबलपुर के अम्युनिशन उप डिपो में 23 मार्च, 1988 को लगी आग के बारे में वक्तव्य

श्री शिवराज वी. पाटिल ... 237-238

पंजाब विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1988

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव

श्री वी. के गढ़वी ... 285

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री वी. के. गढ़वी ... 285

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री बी. के. गढ़वी ... 286

पंजाब विनियोग विधेयक, 1988

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव

श्री बी. के. गढ़वी ... 286

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री बी. के. गढ़वी ... 287

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री बी. के. गढ़वी ... 287

तमिलनाडु बजट आदि के बारे में ... 288

लोक सभा

गुरुवार, 24 मार्च, 1988/4 चैत्र, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तशरीफ रखिए।

क्या हाल हैं आचार्य जी।

आचार्य जी का क्या हाल है।

श्री बसुदेव आचार्य : सर, कल आप इमर्जेन्सी के वक्त नहीं थे।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, इमर्जेन्सी के दौरान कल आप नहीं थे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपकी इमर्जेन्सी मैंने लगा कर रखी क्या ?

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना

[अनुवाद]

*427. **श्री एच. एन. नन्जे गोडा** :

श्री एस. एम. गुरड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग का अपनी प्रौद्योगिकी विकास योजना के लिए उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों का व्यापक सहयोग प्राप्त करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है और कहां-कहां सुधार किये जायेंगे ?

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) से (ग) रेलवे प्रौद्योगिकी के विकास में उद्योगों तथा प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों से सहयोग प्राप्त करने की शुरूआत हो गई है। आठ प्रौद्योगिकी विकास ग्रुपों का गठन किया जा रहा है और चुने गये प्रत्येक प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक-एक ग्रुप होगा जिनमें अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन, उद्योग तथा प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन प्रौद्योगिकी विकास योजना के अन्तर्गत निश्चित समय सीमा के भीतर रेल इन्जनों, सवारी डिब्बों, माल डिब्बों, रेलपथ और पुल संरचनाओं, बिजली कर्षण प्रणालियों तथा सिगनल और दूर-संचार प्रणाली में सुधार किये जायेंगे।

[अनुवाद]

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : महोदय, वास्तव में, यह एक बड़ा महत्वकांक्षी कार्यक्रम है। उप-मंत्री महोदय ने बताया है। कि आठ रेलवे प्रौद्योगिकी विकास ग्रुपों का गठन किया जा रहा है। मैं इन ग्रुपों के स्वरुप और उनके गठन के बारे में जानना चाहता हूँ तथा उनके कार्य क्षेत्र के बारे में भी जानना चाहता हूं कि क्या वे सिर्फ परामर्शी ग्रुपों के रुप में कार्य करेंगे या अनुसंधान कार्य भी करेंगे। यदि हां, तो ऐसे अनुसंधान कार्य के लिए इन ग्रुपों को क्या सुविधायें दी जा रही हैं ? इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : महोदय, मैं यह नहीं समझ पाया कि माननीय सदस्य ने इस कार्यक्रम को संदिग्ध या महत्वकांक्षी बताया हैं। (व्यवधान)

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : मैंने इसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बताया है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव आचार्य : यह संदिग्ध और महत्वकांक्षी कार्यक्रम है। (व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : यह महत्वकांक्षी कार्यक्रम है। महत्वकांक्षी होने में कोई हानि नहीं है क्योंकि जब आप कुछ हासिल करने की सोचते हैं तो प्राय: आप इस लिए करते हैं क्योंकि आप महत्वाकांक्षी हैं। (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : यह दो मुहा भी हो सकता है। (व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : वर्तमान आयात की नीति के बजाय हमारा यह प्रयास है कि आगामी दशक के अन्त में हम भारतीय रेलवे प्रणाली से सम्बद्ध कुछ चुने हुए क्षेत्रों में कुछ वर्षों के बाद प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने के साथ साथ प्रौद्योगिकी मे अग्रणी हो जाए तथा और तत्पश्चात इसे अपनी उत्पादन इकाई में अपनायें तथा प्रौद्योगिकी को अपना कर अपनी इकाईयों में और उपकरणों का अथवा इकाई का उत्पादन करें। अत: यहां एक नया दबाव है और यह सुनिश्चत करने के लिए कि हम कुछ चुने हुए क्षेत्रों में अग्रणी हो जाएं इसलिए इसे नई दिशा दी जा रही है। इसके लिए हम अनुभव करते हैं कि इसे सुगम बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण हैं कि साथ मिलने वाली प्रक्रिया को अपनाया

जाए जिसका वास्तविक अर्थ है कि तकनीकी संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों कड़की विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों, उद्योग जिसका अर्थ है हमारी उत्पादन इकाईयों हमारी प्रणाली से बाहर रेलवे उन्मुख उत्पादन इकाईयों और रेलवे अनुसंधान संगठन अर्थात आर. डी. एस. ओ. को मिलाया जाए मिशन अतः इन तीनों को एक साथ मिलाने और कुछ चुने हुए मिशन क्षेत्रों में कार्यकारी ग्रुपों के गठन से जो, जिनके बारे में हमें आशा है, यह निश्चय करने के लिए कि सहकारिता और सहयोग के कार्य मे हमे परामर्श देगें और उसे सहकारी कार्यों में और सहयोग के कार्योमे कार्यान्वित करेंगे जिससे यह सुनिश्चत हो सके कि एक निश्चित अवधि में हम प्रौद्योगिकी मे अग्रणी हो सके। और इस लिए इन ग्रुपो का गठन किया जा रहा है। एक ग्रुप का गठन कर दिया गया है दो ग्रुपो का सिविल इन्जीनियरिंग और सिगनल दूर संचार के लिए लगभग गठन किया जा रहा है एक और विशेष ग्रुप भी है। इन सभी ग्रुपों की में वास्तव में इस बात का विचार किया जा रहा है कि इनमें कौन सी प्रक्रिया अपनायी जाए हम इनका गठन किस प्रकार करे। लेकिन अन्ततोगत्वा इन ग्रुपों के माध्यम से ही क्रियान्वन किया जायेगा।

श्री एस. एन. नन्जे गौडा : जापान जैसे कुछ देश हैं जिन्होंने रेलवे प्रौद्योगिकी के विकास में प्रगति की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार प्रौद्योगिकी के आयात या तकनीकी जानकारी के सम्बन्ध में कोई विदेशी सहयोग प्राप्त कर रही है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री माधवराव सिंधिया : जैसा कि मैंने बताया है कि इस समय प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए लिए अपने अनुभव के द्वारा हमारी उत्पादन इकाईयों मे कुछ उन्नत पहले ही की जा चुकी है। लेकिन अधिक प्रगति करने के लिए एक प्रणाली है-एक निश्चित अवधि के बाद जब जरूरत है-कुछ प्रौद्योगिकी का आयात करे और जैसा कि मैंने बताया उसे अपने देश में खपाकर उसका उत्पादन किया जाए। जैसी कि अभी प्रक्रिया है कि कुछ समय बाद प्रौद्योगिकी के आयात पर विचार किया जाता है। कुछ वर्षों बाद हम कम से कम चुनींदा क्षेत्रों में ऐसे आयात की निर्भरता से मुक्त होना चाहते हैं। और इसलिए हमने इस विशेष प्रक्रिया को शुरू किया है।

श्री रामसिंह यादव : क्या आपके जरिए मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार का विचार रेलवे में अनुसंधान केन्द्र तथा अपने प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित करने का है जिससे कि देश में नये प्रतिभाशाली व्यक्तियों और नये उद्यमियों को नये आयाम प्राप्त हो सकें ?

श्री माधवराव सिंधिया : हमारे पास पहले से ही लखनऊ में रिसर्च डिजायन्स स्टैंडर्स आरगेनाइजेशन हैं जो कि हमारी अनुसंधान संस्था है। लेकिन इस समय आर. डी. एस. ओ., तकनीकी संस्थानों और उत्पादन इकाईयों के बीच बहुत ही कम तालमेल है। हम इन तीनों के बीच तालमेल में कुछ और वृद्धि करना चाहते हैं। और इसलिए इस सहक्रिया के अन्तर्गत हमें यह प्राप्त होने की उम्मीद है।

श्री बसुदेव आचार्य : प्रभावी रेल संचालन के लिए सिगनल प्रणाली एक महत्वपूर्ण कारण है। इस समय भारतीय रेलवे में विभिन्न प्रकार की सिगनल प्रणालियां हैं। क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूँ कि क्या एक प्रकार की सिगनल प्रणाली अपनाने के लिए कोई प्रस्ताव है क्योंकि अधिकांश दुर्घटनायें देश में दोषपूर्ण सिगनल प्रणालियों के कारण होती हैं जोकि अभी भी हमारे देश में व्याप्त हैं ? हम 6,000 अश्व शक्ति वाले बिजली के रेल इन्जनों का आयात कर रहे हैं। चितरंजन में हमारी उत्पादन इकाई में इस प्रकार के रेल इन्जनों का उत्पादन करने की क्षमता है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी उत्पादन इकाई में ऐसे रेल इन्जनों का उत्पादन शुरू करने के लिए क्या कोई प्रस्ताव है। यदि हां, इसके लिए कौनसी तारीख का लक्ष्य रखा गया है ?

श्री माधवराव सिंधिया : माननीय, सदस्य को मालूम है कि हम 6 000 अश्व शक्ति के 18 थाइरेस्टर टाइप बिजली के रेल इन्जनों का आयात कर रहे हैं। वे देश में पहले से ही पहुँचने शुरू हो गये हैं। ये 6000 अश्व शक्ति के इन्जिन प्रौद्योगिकी अन्तरण की शर्त के साथ आ रहे हैं और अन्ततः उनका उत्पादन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में किया जायेगा। यही हमारी निश्चित धारणा है।

जहां तक सिगनल प्रणाली का सम्बन्ध है पांच मिशन क्षेत्रों के अन्तर्गत पता लगाये गये क्षेत्रों में से यह एक मुख्य विकास क्षेत्र है और हमारा तथा सिगनल और दूर संचार के लिए गठित किये जा रहे ग्रुप का यह प्रयास रहेगा कि हम ट्रेन कन्ट्रोल और सिगनल प्रणालियों तथा माइक्रो प्रोसिस द्वारा नियंत्रित ठीस प्रकार के यन्त्रों और ट्रेन के लिए लगातार कंट्रोल और संरक्षण हेतु प्रदान की गई कम्पयूटर युक्त प्रणाली की जांच करेंगे। अतः सिगनल और दूर संचार प्रणाली की पहले से ही उन्नति हो रही है लेकिन हमें उम्मीद है कि इस ग्रुप द्वारा इसको विस्तार में जाने के बाद हम इसे और आगे बढ़ायेंगे। मुझे उम्मीद है कि तत्पश्चात हमारी देश में ही प्रौद्योगिकी हो जाएगी और इस क्षेत्र में भी हम विश्व में अग्रणी हो जाएंगे। सिगनल और दूर सचार प्रणाली एक उन्नत सरल चालू प्रक्रिया है और उन्नत प्रणाली का कार्यान्वयन कई चरणों में किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रमलाबाई चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या वे इंडिजेनस टेक्नालाजी को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका मंत्री जी ने पहले जवाब दे दिया है।

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में ही इसका जवाब दे दिया है।

[अनुवाद]

"कोयला खनन परियोजनाओं के कारण पर्यावरण को भारी क्षति"

*428. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रख्यात खनन इंजीनियरों का यह मत है कि कोयला खनन परियोजनाएं पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं; और

(ग) इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) विशेषज्ञों के मतानुसार, कोयला खनन परियोजनाओं से गम्भीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है।

(ख) कोयला और अन्य खनन परियोजनाओं से उत्पन्न मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं निम्नलिखित हैं:—

— भूमि अवक्रमण;

— अम्ल अपवाह (एसिड ड्रेनेज) सहित जल प्रदूषण;

— वायुमण्डलीय प्रदूषण;

— कामगारों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव; और

— प्रभावित लोगों के सामाजिक जीवन में व्यवधान।

भारत में ऊनन पट्टों के अंतर्गत कुल 7854 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। तथापि, खनन कार्यों द्वारा अवक्रमण हुआ क्षेत्र खनन पट्टों के अंतगर्त आने वाले क्षेत्र से कम है क्योंकि पट्टे पर दिये गये पूरे क्षेत्र पर अभी तक खुदाई कार्य नहीं किया गया है।

(ग) जो उपचारात्मक उपाय किए गए उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

— नई खनन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाना चाहिए अथवा नहीं, इस पर निर्णय लेने से पूर्व परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन;

— मंजूर परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रबन्ध योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन; और

— पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए निर्धारित शर्तों पर रजर रखना।

श्री संफुद्दीन चौधरी :मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि कोयला खाने संबंधित क्षेत्रों में पर्यावरण को अत्यधिक क्षति पहुँचा रही हैं। मैं समझता हूं कि लखनऊ में हुई कार्यशाला के बारे में सरकार को पता लग चुका है। वहां पर प्रसिद्ध खान इंजीनियरों ने कहा था कि एजेंसियों द्वारा जो उपचारात्मक उपाय किये जाने चाहिए वे बिल्कुल पर्याप्त नहीं हैं।

उदाहरण के लिए, भूमि सुधार परियोजना ठीक तरह से तैयार नहीं की गई है तथा न ही ठीक तरह से लागू की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कोयला क्षेत्रों में खनन करने वाले अधिकारियों ने क्या वहां के पर्यावरण के बचाव और उन क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा के प्रश्न पर विचार किया है ? क्या केन्द्र सरकार के अन्तर्गत कोई ऐसी केन्द्रीय एजेंसी है जो इन सभी बातों पर निगरानी रख रही है और जो यह देख सके कि इन बातों का ठीक तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : कोयला क्षेतों की निगरानी नियमित रूप से की जा रही है। पर्यावरण और वन मंत्रालय भी इसकी निगरानी रखता है और खनन संस्थाओं को मार्ग निर्देश जारी करता है। जहां तक खनन वाले क्षेत्रों की भूमि के अवक्रमण और इस अवक्रमण के कारण प्रभावित लोगों के पुर्नवास का प्रश्न है तो इस मामले पर राज्य सरकारों और कोयला विभाग के अधिकारियों के साथ बात की जा रही है। सर्वोच्च स्तर पर एक बैठक बुलाई जा रही है ताकि इन समस्याओं का पता लगाया जा सके और सुनिश्चित हो सके कि प्रभावित लोगों का पुर्नवास हो।

श्री लेकुद्दीन चौधरी : कोयला खानों के क्षेत्र में भूमि का धसाव एक बहुत बड़ी समस्या है और सरकार इस तथ्य के प्रति सजग है कि झरिया नगर के लोगों के बचाव के लिए करने और इन लोगों के लिए नया आश्रय बनाने के लिए इस नगर को अन्य स्थान पर ले जाने की एक योजना बनानी होगी। इसी प्रकार रानीगंज क्षेत्र भी भूमि के धंसाव से प्रभावित हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इसी प्रकार प्र उपाय करेंगे ताकि इस नगर को धसाव से बचाया जा सके अथवा कुछ अन्य उपाय करेंगे जिनके अन्तर्गत वहां के लोगों का बचाव करके उनका अन्य क्षेत्रों में पुर्नवास किया जाए ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : जहां तक झरिया खनन क्षेत्र का संबंध है तो यह बिहार राज्य क्षेत्र में स्थित है। झरिया खनन क्षेत्र से प्रभावित लोगों का स्थानान्तरण करने के लिए बिहार राज्य सरकार ने कोई परियोजना पेश की है और इस उद्देश्य हेतु एक बैठक बुलाई जा रही है जिसके पर्यावरण मंत्रालय कोयला मंत्रालय और बिहार सरकार विचार करेंगे। मैं इस बात पर ध्यान रखूंगा कि ऐसी ही एक बैठक रानीगंज के लिए भी बुलाई जानी चाहिए और पश्चिम बंगाल सरकार को इस क्षेत्र के लोगों के पुर्नवास के लिए एक परियोजना इस बैठक में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही एक प्रस्ताव भेज रखा है।

श्री सी. माधव रेड्डी : हमने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 पारित किया है। इस अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत निर्धारित स्तरों से अधिक मात्रा में प्रदूषित पदार्थ छोड़ने वाले किसी भी उद्योग अथवा खान को सजा देने की व्यवस्था है। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई स्तर निर्धारित किया गया है और इसके लिए नियम बनाये गए हैं और क्या इसका कार्यान्वयन भी हो रहा है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : अधिकतर उद्योगों के लिए स्तर निर्धारित कर दिये गए हैं। अन्य उद्योगों के लिए हम प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही कर रहे हैं। इन स्तरों के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रदूषण को रोकने व कम करने तथा इसका उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने जैसी बहुत सी कार्यवाही की गई है।

[हिंदी]

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि कोल माइंस की वजह से प्रदूशण बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। सारे हिन्दुस्तान में जो कोल फील्ड हैं मुझे सभी में जाने का अवसर मिला है, सिंगरौली कोल माइंस मेरे इलाके में है। मैं नेवेली में गया था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर इन्वायरमेंण्ट कण्ट्रोल के लिए इतनी अच्छी प्लानिंग हुई है और प्लाण्टेशन हुई है कि वहां का सारा एरियर ग्रीनरी से कवर हो गया है, नेवेली कारपोरेशन में और इसी तरह का इन्तजाम सिंगरौली में भी फारेस्ट विभाग के आफिसरों ने किया है तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आप फौरेस्ट विभाग के अन्तर्गत कोई ऐसा कार्यक्रम चलायेंगे ? इसके साथ ही जो स्कीम सिंगरौली और नवेली में लागू है, क्या उसको दूसरी जगहों में भी लागू करेंगे ? कोल बेयरिंग ऐक्ट के माध्यम से आप जमीनों को एक्वायर तो कर लेते, लेकिन रिहैबिलटेशन की कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। आप तो आदिवासियों और दूसरे अन्य लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। इस कारण मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि

आदिवासी या दूसरे कोई जो इससे इफेक्टिड होते हैं, क्या उनके रिहैबिलटेशन की आप कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : जनाबेआला, हम जिस भी कोल माइन को इजाजत देते हैं, उसके लिये यह जरूरी होता है कि उस कोल माइन्स का एक इनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान पहले से तैयार हो। अतः उस प्लान से जो भी कोई इफेक्टिड होते हैं, उनके रिहैबिलटेशन की स्कीम उस इनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान में सम्मिलित होती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वी. श्री निवास प्रसाद।

'जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन'

+

***429. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विद्यमान जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का प्रदूषण पर नियंत्रण रखने तथा दोषी व्यक्तियों को कठोर दंड देने के लिए राज्य सरकारों को और अधिक अधिकार देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इसमें क्या संशोधन करने का विचार है और क्या राज्य सरकारों को सलाह दी जाएगी कि प्रदूषण नियंत्रण उपायों का प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वियन किया जाये ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) (ख) जी हां ..... मुझे खेद है।

अध्यक्ष महोदय जंगलों में खो गये।

[हिन्दी]

जंगल का फायदा भी होता है और कभी-कभी जंगल में गुम हो जाते हैं।

[अनुवाद]

(क) से (ग) जल (प्रदूषण निवारण एव नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : महोदय, मैं माननीय मंत्री को याद दिलाना चाहूंगा। कुछ समय पहले जयपुर में औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण तथा प्रबन्ध सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यशाला में अपने उद्घाटन भाषण में मंत्री महोदय ने कहा था कि औद्योगिक प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए बहुत सी कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है।

महोदय, इसे कठोरतापूर्वक लागू नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नानजनगुड नामक एक स्थान है। यह तीर्थ यात्रा का केन्द्र है। इसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। यहां कपिला नामक एक नदी है। इस स्थान पर बड़े तथा छोटे काफी तादाद में उद्योग स्थापित हो गये हैं। वहां लगभग सभी प्रकार के उद्योग इस नदी में बेकार पानी छोड़ रहे हैं। परिणामस्वरूप इससे वह प्रदूषित हो रही नदी के अन्दर तथा बाहर मनुष्यों और पशुओं की गन्दगी से भी यह प्रभावित हुई है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि प्रदूषण रोकने के लिए क्या आप ऐसे उद्योगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : वास्तव में यह प्रश्न जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम में संशोधन से संबंधित है। क्योंकि इसमें कुछ कठिनाईयां पाई गई थी। इसलिए इस अधिनियम में 1978 में संशोधन किया गया था। इस अधिनियम में संशोधन करने के बाद भी कुछ और कठिनाइयां सामने आई हैं। इसलिए हम उपाय कर रहें हैं और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाने पर विचार कर रहे हैं। इन कठिनाईयों के कारण ही कठोर कार्यवाही नहीं की जा सकी। मैं समझता हूं कि इस अधिनियम में संशोधन करने के बाद ही उनके खिलाफ और अधिक कठोर कार्यवाही कर सकेंगे।

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : 1974 के इस जल अधिनियम में संशोधन के बाद मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों को प्रदूषण रोकने के लिए और दोषी व्यक्तियों को सख्त सजा देने के लिए और अधिक अधिकार दिये गए हैं।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : इस अधिनियम में संशोधन के लिए हम बहुत से उपबंध ला रहे हैं जिनके अंतर्गत और अधिक कठोर सजा का प्रावधान है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को और शक्तियां प्रदान की गई हैं और ये बोर्ड इस अधिनियम के अंतर्गत बेहतर कार्यवाही कर सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण की हालत इस तरह से बिगड़ रही रही है कि कुछ वर्षों में शुद्ध हवा और शुद्ध पानी अनुपलब्ध हो जायेगा, मिलेगा ही नहीं। परिस्थिति यह है कि आप कितने भी कानून बनावें साथ ही उनका इम्प्लीमेन्टेशन होना भी आवश्यक होता है। मैं उदाहरण देता हूं कि हमारे नागपुर में पचास वर्षों से शुद्ध पानी देने के लिए, पूरे नागपुर शहर को पानी देने के लिए हमारे यहां एक लेक है अम्बाजरी लेक उसका पानी लिया जाता रहा लेकिन उसका पानी पोल्यूट हो गया, अनफिट फार ह्यूमन कंजम्शन हो गया, परन्तु उसका पानी इण्डस्ट्रियल के नाम पर दिया जाता है और मजदूर लोग उसको पीते हैं तथा बीमार पड़ते हैं। इसलिए जो कायदे आप बनायेंगे उनका इम्पलीमेन्टेशन कैसे होगा ? कहीं पर आप स्टेट गवर्नमेंट को दें, कहीं पर लोकल बाडीज को दें परन्तु यदि वे उसको इंप्लीमेंट न करें तो उन संबंधित अधिकारियों पर आप क्या कार्यवाही करने वाले हैं ? कायदे आप कितने ही यहां से बना दें परन्तु जो लोकल बाडीज हैं वह एक्शन न लें जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वह एक्शन न लें तो क्या आप उन अधिकारियों पर एक्शन लेने के लिए भी इसमें कोई प्राविजन रहेंगे।

इसका एक दूसरा पहलू यह है कि दो करोड़ की लागत से छोटी छोटी मिनी पेपर मिलें लगाई गई हैं और उन्होंने नदियों को खराब कर दिया है, उनसे आप कहते हैं कि बन्द करो तो परिस्थिति यह है कि उनको जो प्लांट लगाना होगा उस पर एक करोड़ रुपए की लागत आती है तो वह पैसा कहां से आयेगा ? उसके लिए मैं समझता हूं कुछ सरकार को भी जवाबदारी हैं कर्जा वगैरह देने के लिए, वरना वह बना नहीं सकते हैं, उनके लिए यह असम्भव है। इसलिए मेरा पहला प्रश्न यह है कि उन लोकल बाडीज और गवर्नमेन्ट के अधिकारियों पर भी क्या आप इस ऐक्ट के माध्यम से जवाबदारी डालने वाले हैं ? दूसरी बात यह है कि फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत भी जब प्लांट एप्रूव करने की बात होती है तो उसी समय इसकी व्यवस्था क्यों नहीं करवाई जाती ? इसके बिना किसी प्लांट को सर्वे ही नहीं करना चाहिए। तो क्या इस सम्बन्ध में भी आप अधिकारियों पर जवाबदारी डालने वाले हैं ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : जनाबेवाला, यही बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर कि हम इस ऐक्ट को अमेन्ड करने जा रहे हैं। इन चीजों में हम जो डिफीकल्टीज फेस कर रहे हैं उनमें एक डिफीकल्टी यह भी है कि हम स्टेट पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड और जो दूसरे अर्गेनाईजेशंस हैं ऐक्शन लेने के, वह पावरलेस हैं, उनके पास कूवत नहीं है। इस बात के लिए हम उनको पूरी तरह से ताकत देना चाहते हैं ताकि वे इन पोल्यूटर्स के खिलाफ एफेक्टिव ऐक्शन ले सकें। हमने यह भी प्राविजन किया है-जैसे कि हमने एअर पोल्यूशन रोकने के लिए अमेंडमेंट किया है कि अगर स्टेट पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड कोई लैप्सेज करता है, उसको इंप्लीमेंट नहीं करता है, और वह हमारी नालेज में आता है, सेन्ट्रल पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड की नालेज में आता है तो सेन्ट्रल पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड उस स्पेसिफिक पर्पज के लिए उस स्टेट पोल्युशन कन्ट्रोल बोर्ड के अख्तियारात को अपने हाथ में ले लेगा और उन प्राविजंस को इंप्लीमेंट करेगा।

[अनुवाद]

श्री सी. अय्यपू रेड्डी : जहां तक इसके कार्यान्वयन पहलू का संबन्ध है तो यह अधिनियम अप्रचलित पत्र की तरह है। कार्यान्वयन के क्षेत्र में यह असफल रहा है। पीने के पानी का प्रदूषण करने या इसमें सलग्न होने के कारण किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाए जाने का एक भी मामला हमारे सम्मुख नहीं आया है। इस अधिनियम को कठोरतापूर्वक लागू करने के लिए प्रस्तावित संशोधन के अन्तर्गत सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जाएंगे ? क्या सरकार प्रस्तावित संशोधन विधान के अन्तर्गत एक स्वतंत्र कार्यान्वयन एजेन्सी का गठन करेगी ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : यह सच नहीं है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे बहुत सी औद्योगिक इकाईयों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। जो पानी को दूषित कर रही है लेकिन दुर्भाग्य से कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी कमियों और कुछ बचाव के रास्तों की वजह से कारगर कार्यवाही नहीं की जा सकी और इसी उद्देश्य हेतु हम यह संशोधन ला रहे हैं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं अभी तक चलाए गए मुकदमों के कुछ विवरण दे सकता हूं। वायु अधिनियम के तहत 223 इकाईयों पर मुकदमा चलाया गया है और जल अधिनियम के तहत 1751 इकाईयों पर मुकदमे चलाए गए हैं। यह स्थिति है। लेकिन यह सच हैं कि उपबंधों के गैर-कारगर होने की वजह से कारगर कदम नहीं उठाए जा सके। इसके लिए दण्ड अपर्याप्त थे और इसमें कुछ प्रक्रिया संबंधी कमियां थी।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : जैसा कि एक माननीय सदस्य ने पहले भी कहा था कि जहां तक पानी का सम्बन्ध है तो कानून वास्तव में उसके दुरुपयोग अथवा उसके प्रदूषण को नहीं रोक सकते हैं। मन्त्री महोदय यह भली प्रकार जानते हैं कि जल प्रदूषण करने वाले कुछ उद्योग हैं जैसे रसायन उद्योग, लघु कुटीर उद्योग जैसे रंगने का उद्योग और इन सबसे ऊपर चीनी उद्योग है। होता यह है कि चीनी उद्योग में उप-उत्पाद जैसे शीरे को खुले खड्डों में जमा किया जाता है। फैक्ट्री की धुलाई करते समय जल को बाहर निकालने दिया जाता है और यह नदियों और नालों में बह जाता है और यह अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न करता है। स्थिति तब और भी खराब हो जाती है जब निथारने की प्रक्रिया होती है जैसा कि जोधपुर और आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति ज्यादातर चीनी की मिलों, कागज के उद्योगों में हो रहा है। क्या मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित कानून में केन्द्र सरकार इस बात की जांच कर सकेगी अथवा उन दोषी उद्योगों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के लिए किसी मशीनरी का गठन करेगी।

मंत्री महोदय ने कहा कि वह राज्य सरकारों को अधिकार दे रहे हैं हालांकि अब में मन्त्री महोदय प्रश्नों का सदा यही जवाब देते कि यह राज्य का विषय है और वे कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के कानूनों के अन्तर्गत केन्द्र के पास इसकी जांच करने का कोई तरीका या रास्ता रहे ? सिर्फ यही नहीं, इसमें गैर-सरकारी एजेंसियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : स्पष्टतया इसी को ध्यान में रखते हुए ये संशोधन किये जा रहे हैं। केन्द्रीय अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हैं। यह एक केन्द्रीय अधिनियम है। राज्य बोर्ड उन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन यदि राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों की ओर से कोई चूक रह जाती हैं तो केन्द्र सरकार तथा पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड इसको अनदेखा नहीं करेंगे और राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड पर इसकी जिम्मेवारी डालने की कोशिश नहीं करेंगे। उन विशेष प्रयोजनों में जब उस क्षेत्र में कुछ चूक रह जाएगी तब राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की शक्तियों को केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड ले लेगा। यह व्यवस्था वायु अधिनियम तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में की गई है (व्यवधान)

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पर कानून बनाने से पहले आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाए ·····(व्यवधान)

[अनुवाद]

संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित न की गई भारतीय भाषाओं का प्रसार

*430 **प्रो. नारायण चन्द्र पराशर :**
श्री शांताराम नायक :
क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान उन भारतीय भाषाओं के प्रसार के लिए कोई कदम उठाये हैं, जो संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं

की गई हैं किन्तु प्रत्येक दस लाख से भी अधिक लोगों द्वारा; विशेष रुप से पर्वतीय राज्य/क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में बोली जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और सातवीं योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और विशेष रुप से यह ध्यान रखते हुए कि इनमें से कुछ भाषाओं की समृद्ध लोक और रचनात्मक/लिखित/साहित्यिक परम्परा है, आकाशवाणी द्वारा उनमें प्रसारण किये जाते हैं तथा विद्यालयों में मौखिक रुप में उनके माध्यम से शिक्षा दी जाती है, इस प्रयोजन के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) जी, हां। आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किये जाने पर ध्यान दिये बिना सभी भाषाओं के सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत का विकास करना सरकार का प्रयास होता है।

(ख) और (ग) भारत के संविधान में उल्लिखित 15 भाषाओं के अतिरिक्त, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी, मैथिली, मणीपुरी, डोगरी, राजस्थानी, कोंकणी, नेपाली को ऐसी भाषाओं के रुप में मान्यता प्रदान की है, जिनमें उसके कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने और उसका विकास करने में व्यस्त है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भाषाओं के प्रोत्साहन और उसके विकास के संबंध में आयोजित कार्यक्रमों तथा आयोजित होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

साहित्य अकादमी, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा पिछले वर्षों के दौरान आयोजित किये गए विभिन्न कार्यक्रम और आयोजित किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :

साहित्य अकादमी, नई दिल्ली : भारत के संविधान में उल्लिखित 15 भाषाओं के अलावा, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी, मैथिली, मणीपुरी, डोगरी, राजस्थानी कोंकणी और नेपाली को ऐसी भाषाओं के रुप में मान्यता प्रदान की है जिनमें इसके कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है। अंग्रेजी त्रिभाषा सूत्र में शामिल भाषाओं में से एक है, जिसका कार्यान्वयन मूल रुप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, अकादमी ने इन भाषाओं में भी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किये हैं। इनमें साहित्यिक पुरस्कार प्रदान करना, प्रकाशन पत्रिकाएं, सेमिनार और साहित्यक कार्यशालाएं, भारतीय साहित्य का विश्वकोष आदि शामिल है।

अकादमी ने उन भाषाओं के विकास में सहायता करने के लिए हाल ही में एक भाषा विकास बोर्ड की स्थापना की है, जिनके लिए अकादमी से मान्यता मांगी गई है परन्तु वे इस प्रयोजनार्थ निर्धारित सभी शर्तें पूरी नहीं करते हैं। शब्दकोषों, व्याकरणों आदि जैसी मूल पुस्तकों के प्रकाशन को इस प्रकार की भाषाओं में बराबर अनुदानों से प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, जनजातीय भाषाओं के प्रोत्साहन और उनके विकास में व्यस्त है। पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थान से ऐसी सात भाषाओं से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किये हैं जो एक मिलियन अथवा इससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं। ये भाषाएं- भिली, गोंडी, सन्थाली, हो, मुंदसी, कुरुख/ओरावों और त्रिपुरी हैं इन भाषाओं के विकास के लिए जो कार्य किया जा रहा उसमें स्कूल प्राइमर को तैयार करना, प्रौढ़ साक्षरता सामग्री, व्याकरणों और शब्दकोषों को लिखना, अनुवाद में कार्यशालाएं आयोजित करना, द्विभाषी शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन और अध्यापकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना शामिल है। सातवीं योजना के दौरान यह कार्य तैयारी/पूरे होने के विभिन्न चरणों पर है। इस कार्य के लिए किए गए खर्चे के वर्षवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

1985-86	...	4.50 लाख रुपये
1986-87	...	5.50 लाख रुपये
1987-88	...	7.00 लाख रुपये

इसमें परियोजनाओं पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और अन्य ऊपरी शीर्ष प्रभार भी शामिल हैं।

प्रो. नारायण चन्द्र पराशर : महोदय, मन्त्री ने बताया है कि केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने 7 भाषाओं को विशेष विकास के लिए चुना है यद्यपि वे आठवी अनुसूची में नहीं हैं और न ही उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी भाषाओं की संख्या कितनी है जिन्हें न तो साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्रदान को गई है और न ही उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है लेकिन जो दस लाख से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं। ताकि हमें समस्या की वास्तविकता का पता लग सके।

श्री एल. पी शाही : केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान ने मिली, गोडी, संथाली, हो, मुन्दरी, त्रिपुरी और ओराणों जैसी भाषाओं का पता लगाया है जो दस लाख से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं। जिन भाषाओं का अब तक पता लगाया गया है। उनकी कुल संख्या 68 है लेकिन मैं सभी 78 भाषाएं दस लाख से अधिक लोगों द्वारा नहीं बोली जाती है इन 68 भाषाओं में से 34 भाषाओं का विकास कार्य के लिए फिर से पता लगाया गया है।

प्रो. नारायण चन्द्र पराशर : इन 34 भाषाओं में हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी भाषा उनमें से एक भाषा है जिसके बारे में राज्य विधान सभा ने 1970 में एक संकल्प पारित किया था तथा एक अकादमी की भी स्थापना की थी और उस भाषा के विषय के लिए कार्य शुरू किया जा रहा है। महोदय, क्या मैं यह जान सकता हूं कि साहित्य अकादमी के भाषा विकास बोर्ड द्वारा ऐसी भाषाओं के विकास के लिए जिन्हें अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की गई हैं विशेषकर पहाड़ी भाषा के संदर्भ में क्या निश्चित कार्यक्रम शुरू किया गया है।

दूसरा, महोदय, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा इन भाषाओं के लिए आवंटित धनराशि जो मन्त्री महोदय ने दी वह निम्न प्रकार है :

1985-86	4.50 लाख रुपए
1987-88	7.00 लाख रुपए

और इसमें एक अन्य मजेदार बात यह है कि इसमें परियोजनाओं पर कार्यरत कर्मचारियों को वेतन और अन्य ऊपरी शीर्ष प्रभार शामिल हैं। अत: इनका कार्य है कि इन भाषाओं के विकास के लिए आवंटित वास्तविक धनराशि बहुत ही कम है। अत: क्या मन्त्री जी यह बताएंगे कि क्या सरकार का इस धनराशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ताकि देश में इन उप भाषाओं का आकर्षक भी उज्जवल हो सके ?

श्री एल. पी. शाही : महोदय, इस प्रश्न को थोड़ा एक दूसरे में मिला दिया गया है। मुझे इसके रूप में थोड़ा विस्तार में बोलने की अनुमति दी जाए। साहित्य अकादमी ने विकास के लिए 7 भाषाओं का पता लगाया है। ये सात भाषाएं है : अंग्रेजी, मैथिली, मणिपुरी, डोमरी, राजस्थानी, कोंकणी और नेपाली। राज्य इन भाषाओं के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, वे इनके लिए पुरस्कार दे रहे हैं, वे इनके लिए पाठ्य प्रस्तावों का विकास कर रहे हैं और इनके लिए व्याकरण, शब्दकोष आदि उपलब्ध कराने जैसे अन्य कदम भी उठा रहे हैं। ऐसा साहित्य अकादमी द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार भारतीय भाषा संस्थान मैसूर द्वारा जनजाति भाषाओं के लिए भी कार्य शुरू किया गया है, वे स्कूली बच्चों के लिए 'प्राइमरी' और प्रौढ़ों के लिए प्रौढ़ शिक्षा साहित्य उपलब्ध कराने का भी प्रयास कर रहे हैं। मैं इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहा हूं कि इन में से कितनी भाषाओं के लिए उनकी व्याकरण तैयार की जा सकती है और क्या इसे सुव्यवस्थित रूप दिया जा सकता है और क्या इनके लिए व्याकरण पुस्तकें अथवा शब्दकोष तैयार किये जा सकते हैं। इस तरह के कार्य चल रहे हैं। वास्तव में, इस प्रश्न के विशेष संदर्भ में पहाड़ी भाषा के लिए, हिमाचल प्रदेश में अधिकतर पहाड़ी हैं लेकिन जहां तक हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी का सम्बन्ध है, इसी प्रकार के उपाए किए जाएंगे।

श्री शांताराम नायक महोदय, जहां जहां तक मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर का सम्बन्ध है, आठवीं अनुसूची में मान्यता प्रदान भाषाओं और साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्रदान की गई भाषाओं के बीच कोई अन्तर नहीं है। यह बताया गया है कि कोई भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल है अथवा नहीं इस पर ध्यान दिये बिना सभी भाषाओं के सांस्कृतिक और साहित्यक विरासत का विकास करना सरकार का प्रयास होता है। तब प्रश्न उठता है कि विभिन्न योजनाओं के लिए अधिसूचना में, इसका उल्लेख करने की बजाए कि यह योजना आठवीं अनुसूची में मान्यता प्रदान सभी भाषाओं के लिए लागू होगी, आप उसमें साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्रदान भाषाओं को क्यों नहीं जोड़ते ताकि इन भाषाओं को भी स्वत: ही उसमें सम्मिलित किया जा सके।

श्री एल. पी. शाही : आठवीं अनुसूची में रखी जाने वाली भाषाओं के बारे में निर्णय बहुत पहले ले लिया गया था। यह विषय गृह मन्त्रालय से संबन्धित है। जहां तक आठवीं अनुसूची में दी गई भाषाओं के अलावा अन्य भाषाओं का सम्बन्ध है हम उनके विकास के लिए उपाय करते हैं। अत: इन दोनों के बीच अन्तर है। यदि कोई भाषा प्रचलित है तो उसका विकास करके कम से कम प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा के लिए उनका विकास किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी अपनी प्रारम्भिक स्कूली पढ़ाई अपनी घर की भाषा में कर सके।

[हिन्दी]

श्री शिवप्रसाद साहू : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी भी बिहार से आते हैं और मैं भी बिहार से आता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां पर घर वाली बाली बात नहीं चलेगी।

श्री शिवप्रसाद साहू : अध्यक्ष महोदय मैं आदिवासी इलाके से आया हूं जिसमें 10 लाख से अधिक उरांव लोग रहते हैं जो कि उरांव भाषा बोलते हैं। वहां पर मुंडारी भाषा भी बोली जाती है, 'हो' भाषा भी बोली जाती है। इसके अलावा चंपारण इलाके में थारू लोग रहते हैं, उनकी थारू भाषा है। जैसा कि मन्त्री महोदय द्वारा स्वीकार किया किया गया है कि अष्टम सूची में पुरानी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उरांव, मुंडारी भाषा जो दस लाख से अधिक लोग बोलते हैं, इन भाषाओं के विकास के लिए कितना रुपया अभी तक आवंटित किया गया है, अगर नहीं तो आगे इन भाषाओं के विकास के लिए क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री एस. पी. शाही : भाषाओं के विकास के लिए अलग अलग भाषा के लिए पैसा आवंटित नहीं किया जाता, बल्कि पैसा संस्था को दिया जाता है और संस्था ही विकास कार्य करती है। जिन भाषाओं का आपने नाम लिया है, किसी भी भाषा के विकास के लिए पहले उसके सांस्कृतिक गीत छापे जाते हैं जो उन लोगों के जीवन से जुड़े हुए हों। इसी तरह से कहीं पर आदिवासियों के लिए ऋतु गीत छापते हैं, फिर प्रोफेशनल गीत हैं, धान काटने के, धान रोपने के या दूसरे कामों के गीत हैं, वे छापे जाते हैं। इस तरह से धीरे-धीरे हम लोग विकास की ओर बढ़ रहे हैं। किसी भाषा के लिए यह नहीं देखा जाता है कि वह कितने लोगों द्वारा बोली जाती है, बल्कि यह देखा जाता है कि इससे लोगों को कितनी सुविधा होती है। संख्या के आधार पर किसी भाषा को आठवीं सूची में नहीं लाया जाता।

"वन रोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत औषधों में प्रयोग किये जाने वाले पौधे लगाना"

[अनुवाद]

*431. डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन रोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता के आधार पर औषधों में प्रयोग किये जाने वाले पौधे पर्याप्त संख्या में लगाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ख) जनताधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनीकरण कार्यक्रम में इमारती लकड़ी, ईंधन लकड़ी एवं चारा उत्पादन करने वाली प्रजातियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। तथापि सामान्य रुप से उगाई जाने वाली प्रजातियों में से अनेक प्रजातियां औषधि निर्माण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती हैं। उगाए गये औषधि-वृक्षों के बारे में पृथक से कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी : महोदय, माननीय मंत्री ने बहुत ही स्पष्ट रूप में बताया है कि इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी और चारा उत्पादन करने वाले पौधों को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। माननीय मंत्री को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी होगी कि गैर सरकारी एजेंसियों अथवा सरकारी स्तर पर विभिन्न प्रयासों द्वारा इनके स्थान पर अन्य सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इमारती लकड़ी के प्लान पर लोहा, सीमेंट और दूसरी चीजों का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार ईंधन की लकड़ी के स्थान पर खाना पकाने की गैस का उपयोग किया जा सकता है।

दूसरा, उच्च प्राथमिकता के आधार पर इन पौधों को लगाने से विशेषकर सिंचाई सुविधाओं के क्षेत्र में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके इन वृक्षों से स्वस्थ्य संबंधी कुछ खतरे भी पैदा हो गए है। मैं माननीय मंत्री की सूचना के लिए यूकेलिपक पेड़ों का उदाहरण दे सकता हूं। इन पौधों को लगाने से न केवल पानी का स्तर कम हो रहा है परन्तु इसके एक मात्र उपक्षेत्र में रहने वाले लोगों में दमा जैसी कुछ समस्या भी पैदा हो रही है।

इस समय सारी स्थिति की सन्तुलन बनाए रखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सम्पूर्ण विश्व प्रदूषण की बहुत ही गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। प्रदूषण पर काबू पाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, क्या माननीय मंत्री यह देखेंगे कि वे वृक्ष जो प्रदूषण-रोधी उपायों में लाभप्रद हैं जैसे पीपल, नीम आदि अधिक से अधिक संख्या में लगाए जाएगे ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : माननीय मंत्री ने यह ठीक ही कहा है कि इन वृक्षों को लगाते समय हमें स्थानीय कृषि-जलवायु स्थितियों को भी देखना चाहिए। यह नीति संबंधी निर्णय लिया गया है कि केवल एक ही किस्म के वृक्ष न लगाए, जाएं और यह निर्णय दिया गया कि जो वृक्ष लगाए जाएं वे बहुत सी किस्मों के होने चाहिएं, वास्तव में इसके लिए स्थानीय कृषि-जलवायु स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। वृक्ष लगाने की नीति में इस बात पर भी बल दिया गया है कि इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी और चारे के लिए लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर वन रोपण द्वारा पर्याप्त रूप में वनस्पति क्षेत्र में वृद्धि करके परिस्थिति की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों का संरक्षण किया जाए। इस तथ्य के बावजूद कि ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में काफी विकास कार्य किये जा रहे हैं, यहां तक कि स्थानीय लोगों के लिए इन तीनों चीजों की बहुत अधिक कमी है। इसी वजह से वन क्षेत्रों पर अधिक दबाव है। अपने वन क्षेत्रों पर इस दबाव को कम करने के लिए, इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने वन रोपण की योजना बनाई है। यही हमारी वर्तमान नीति है।

डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी : यह कहने कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि सरकार देश में लाखों किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत ही उत्सुक है और इसके साथ साथ हमारे लाखों गरीब लोगों को सस्ती, प्रभावकारी और सुरक्षित औषधियां उपलब्ध कराना चाहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय, औषधियों में प्रयोग किये जाने वाले पौधे लगाने और देश में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, क्या कदम उठा रहा है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं बहुत से पौधे जो लगाए जाते हैं वे औषधि निर्माण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। वास्तव में जो कुछ भी हमें प्रकृति ने दिया है वह किसी न किसी रूप में हमारी जीवन प्रणाली के लिए लाभदायक है। लेकिन पौधों की जात किस्मों के लिए, जो औषधि निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इन महत्वपूर्ण पौधों को लगाने के

लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, इसके लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 500 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है और इसे वर्ष 1988-89 से शुरू किया जाएगा।

श्री अताउर्रहमान : औषधों में प्रयोग किये जाने वालेपौधों के बारे में प्रश्न आया है। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से, जो यहां उपस्थित है, तथा अन्य मंत्री-पर्यावरण मंत्रीसे यह जानना चाहता हूं कि क्या वे जानते हैं कि पूर्वोत्तर में मिजोरम राज्य में लोगों में ब्लड-प्रेशर की घटना व्यावहारिक रूपमें शून्य है और हृदयगति रुकने की घटनाएं भी लगभग शून्य है ?

प्रो. मधु दंडवते : चुनावों के समय इन घटनाओं में वृद्धि हो गई थी।

श्री अताउर्रहमान : इस प्रकार की स्थिति की वजह मैं डा. नेगी की अध्यक्षता में असम मेडिकल कालेज के फर्माकोलोजीकल विभाग ने इसके लिए अध्ययन किया था और उसमें यह पाया गया कि मिजो लोग सूद के रूप में मिजोरम में **पुइनम** के नाम से जाने वाले एक विशेष प्रकार की बेल (क्रीपर) का उपयोग करते हैं। क्योंकि सूप के रूप में इस बेल को बार बार लेने से, मिजो लोगों को न ले हाई ब्लैड प्रेशर होता है और न ही उनमें हृदय गति रूकने की कोई घटना होती है। अतः मैं माननीय मंत्रियों से यह जानना चाहता हूं दोनों में से कोई भी उत्तर दे सकता है—कि क्या वह इस विशेष मामले की छानबीन करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो क्या इस **पुइनम** बेल के संबंध में इस विशेष अनुसंधान में फिर से एक और जांच करायेंगे ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह प्रश्न विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्री से संबंधित है। मैं नहीं जानता कि क्या स्वास्थ्य मंत्री इसका उत्तर देना चाहेंगे। लेकिन महोदय, इस प्रश्न को स्वास्थ्य मंत्री को भेजा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप कहिए कि यह सुझाव उनको भेज दिया जाएगा।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जहां तक इस औषधि निर्माण में काम आने वाले पौधे को लगाने का सम्बन्ध है, हमारी एक योजना है और इस औषधि निर्माण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण पौधों को उगाने के लिए हमने गुजरात, मणिपुर पूर्वोत्तर परिषद के राज्यों और उत्तर प्रदेश को कुछ धनराशि प्रदान की है।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष जी, जिन इलाकों में मैडिसनल पौधे पैदा किए जाते हैं, जब वे मार्केट में आते हैं, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। परन्तु जंगलों में जिन इलाकों में लगते हैं, उसकी कीमत के बारे में लोग नहीं जानते हैं। बेरहमी से एक्सप्लायटेशन हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैडिसनल प्लान्ट कामर्शियल वेल्यू के साथ एक्सप्लायंट करेंगे तो खत्म हो जायेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या सरकार के पास इस के लिए अलग से कोई योजना बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो सिस्टम ', वह यह है कि फारैस्ट एरियाज में जो ट्राइबल्स रहते हैं उनको मैडिसनल प्लान्ट्स के बारे में नालेज दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा है। अभी तक माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस के तौर पर मोस्टली ट्राइबल्स जंगल से निकाल कर लाते हैं और मिडिल-मैन के जरिए से बेचते हैं। मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं कि जहां पर मिडिल मैन के बीच में आ जायेंगे, वहां एक्सप्लायटेशन होगा और यह हो सकता है कि एक्सप्लायटेशन हो।

यकीनन इस पर नजर जानी चाहिए। जहां तक मैडिसनल प्लान्ट्स को ग्रो करने का प्रश्न है, उसका मैंने जवाब दे दिया है।

बम्बई कलकत्ता से खजुराहो के लिए विमान सेवा

*432. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने खजुराहो को सीधा बम्बई और कलकत्ता से जोड़ने के लिये बम्बई औरंगाबाद-भोपाल-खजुराहो-कलकत्ता के बीच नई विमान सेवा शुरू करने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो यह महत्वपूर्ण विमान सेवा कब तक शुरू की जायेगी, और

(ग) क्या वाणिज्यक दृष्टि से इस रूट का सर्वेक्षण कर लिया गया है ?

अनुवाद

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी, हां।

(ख) खजुराहो को कलकत्ता से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है किन्तु बम्बई औरंगाबाद और भोपाल को खजुराहो के साथ जोड़ने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है जो यातायात और अतिरिक्त विमानक्षमता की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) जी, नहीं। तथापि, इन्डियन एयरलाइन्स प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित मार्ग का सर्वेक्षण कर रही है।

हिन्दी

श्री प्रताप भानु शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, नागर विमानन मन्त्री जी ने जवाब तो सकारात्मक दिया है, परन्तु यह जवाब पिछले दो तीन सालों से इसी परिपाटी से चला आ रहा है। खजुराहो को बम्बई औरंगाबाद दिल्ली और कलकत्ता से जोड़ने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश के शासन की ओर से लगातार तीन सालों से भेजा जा रहा है···

अध्यक्ष महोदय : भानुजी कितना पुख्ता सकारात्मक है यह देखें।

श्री प्रताप भानु शर्मा : वर्तमान विमानों की संख्या देखते हुए क्या सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी और व्यवस्था करेगी कि खजुराहो को बम्बई औरंगाबाद और कलकत्ता से जोड़ा जाये और उसमें समयबद्ध कार्यक्रम सरकार का क्या है ?

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार का जो प्रस्ताव यहां प्राप्त हुआ है उस प्रस्ताव के आधार पर बम्बई औरंगाबाद भोपाल और खजुराहो में एयर सर्विस प्रारम्भ करने की बात कही गई है। परिपाटी से न हटते हुए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा जिनकी यह मांग काफी समय से लम्बित रही है बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर आने वाले तीन चार महीनों में बम्बई औरंगाबाद और भोपाल खजुराहो को वायु सेवा से जोड़ दिया जायेगा।

श्री प्रताप भानु शर्मा : इसी तरह से एक महत्वपूर्ण वायु सेवा दिल्ली भोपाल नागपुर होकर चलती है। कई संसद सदस्यों ने इस बात के सुझाव दिये हैं कि सप्ताह में चार दिन चलने के बजाय इसे डेली कर दिया जाये उस पर सरकार का विचार है ?

श्री मोतीलाल वोरा : दिल्ली भोपाल नागपुर जो सप्ताह में चार दिन चलती है, मैंने माननीय सदस्य से चर्चा की है और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में मैंने जैसा कहा है हमारे पास जून में पांच एयर क्राफ्ट आने की संभावना है हम निश्चित रूप से इस सेवा को नियमित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आज तो प्रताप जी आपके वारे-न्यारे हो गए।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या चतुर्वेदी : मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित है मुझे नहीं पूछने देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपकी कांस्टीट्यूएन्सी में तो पहुंच गया।

अनुवाद

विजय एन. पाटिल : महोदय, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

(व्यवधान)

श्री विजय एन. पाटिल : पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने दिल्ली-खजुराहो-औरंगाबाद के बीच पहले विमान सेवा शुरू की थी। अतः इसे फिर में शुरू करने से देरी क्यों, इसे पन्द्रह दिनो में शुरू क्यों नहीं किया जा सकता ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कुष्ठ रोग उन्मूलन

[अनुवाद]

*426. **श्री पी. आर. कुमार मंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001 तक कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और प्रतिवर्ष किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी और क्या वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) क्या औषधों/टीकों की सप्लाई की वर्तमान गति और किए जा रहे अन्य उपाय इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2000 ई. तक देश में कुष्ठ के सभी रोगियों की रोग संबधी गतिविधियों पर काबू पाना है।

2. इस प्रयोजन के लिए कार्य योजना में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) कुष्ठ के रोगियों का शुरू में पता लगाने और उनका नियमित उपचार करने के लिए

आधारभूत ढांचा तैयार करना । देश भर में मार्च, 1987 तक तैयार किया गया आधार-भूत ढांचा इस प्रकार है :—

(क) कुष्ठ नियंत्रण एकक/संशोधित नियंत्रण एकक	—	601
(ख) शहरी कुष्ठ केन्द्र	—	919
(ग) सर्वेक्षण शिक्षा और उपचार केन्द्र	—	6937
(घ) अस्थायी हॉस्पिटेलाइजेशन वार्ड	—	294
(ङ) कुष्ठ पुनर्वास संवर्धन एकक	—	11
(च) नमूना सर्वेक्षण मूल्यांकन एकक	—	22
(छ) जिला कुष्ठ एकक	—	215

(ii) सभी 196 स्थानिकमारी वाले जिलों में जहां व्याप्तता दर प्रति हजार जनसंख्या के पीछे 5 और इससे ऊपर है, 1995 तक कुष्ठ रोगियों के लिए बहु-औषध उपचार का क्रमिक रूप से विस्तार करना (अब तक स्थानीकमारी वाले 73 जिलों में 20 लाख कुष्ठ रोगियों को बहु-औषध उपचार की सुविधाएं प्रदान की हैं) ।

(iii) अन्य जिलों के जिन रोगियों पर डेपसोन उपचार का अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता है उनका मौजूदा कुष्ठ/स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के द्वारा बहु-औषध उपचार किया जा रहा है । कम स्थानिकमारी वाले सभी जिलों में 1998 तक बहु-औषध उपचार शुरू करने का विचार है । इस समय 5 ऐसे जिलों में बहु-औषध उपचार किया जा रहा है ।

(v) स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यकलापों को तेज कर दिया गया है । जन प्रचार के माध्यमों आंकाशवाणी और दूरदर्शन को अक्रिय रूप से शामिल कर लिया गया है ।

(vi) कुष्ठ रोगियों को सेवाएं प्रदान कर रहे विभिन्न श्रेणियों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए स्वयंसेवी सेक्टर के 14 कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्रों सहित 45 कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं ।

(vii) उन क्षेत्रों में जो सरकारी आधारभूत ढांचे के अन्तर्गत नहीं आते हैं, स्वयंसेवी संगठन सर्वेक्षण शिक्षा उपचार और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान करने के कार्य में सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं । ऐसे 150 स्वयंसेवी संगठन इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं

(viii) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को नए रोगियों का पता लगाने, उनका उपचार करने और उन्हें छुट्टी देने के वार्षिक लक्ष्य सौंपे जा रहे हैं । हर वर्ष 4 से 5 लाख नए कुष्ठ रोगियों का पता लगाया जा रहा है । वर्ष 1987-88 में पहली बार ऐसा हुआ कि जिन रोगियो की छुट्टी दी गई उनकी संख्या पता चले नए रोगियों से अधिक है । इसमें आने वाले वर्षों में और वृद्धि होने की आशा है । पिछले तीन वर्षों में रोगियों का पता लगाने उनका उपचार करने और उन्हें छुट्टी देने के वार्षिक लक्ष्यों के साथ-साथ उनकी उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

लक्ष्य			उपलब्धियां (आकड़े लाखों में)		
रोगी का पता लगाना	उपचार करना	छुट्टी किए गए	पता लगाए गए रोगी	उपचार किए गए	छुट्टी किए गए रोगी
1985-86 3.81	3.81	3.74	4.77 (125./')	4.75 (119.5./')	4.46 (119.1./')
1986-87 4.2	4.2	4.3	5.1 (121.4./')	4.9 (116.6./')	5.07 (117.9./')
1987-88 4.2 (जनवरी,88 तक)	4.2	5.03	3.95	3.80	4.40

(ix) सातवीं योजना के लिए 65 करोड़ रुपये अस्थायी रूप से रखे गए हैं। पहले दो वर्षों के दौरान 29.18 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

(x) सूचित किए गए आंकड़ों की वैधता और कमियों का पता लगाने के लिए 1986 से कार्यक्रम का वार्षिक स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है।

कुष्ठ रोग औषधें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराई जा रही है। तथापि, कुष्ठ रोग के लिए अभी तक कोई प्रभावकारी टीका उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा में नौगम्य जलमार्ग द्वारा यातायात

*433. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा में नौगम्य जलमार्ग से यातायात के संबंध में कोई सुझाव दिए हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ख) क्या तालचेर से पारादीप पत्तन को जलमार्ग द्वारा कोयले की ढुलाई के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा तट केनाल के सुधार और महानदी में धौलपुर से कटक तक नौचालन के लिए आधारभूत सुविधाओं की दो स्कीम के लिए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को सुझाव दिया है संस्वीकृति के लिए स्कीमों पर पहल नहीं की गई है क्योंकि वे सातवां योजना में शामिल नहीं हैं।

(ख) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने रेलमार्गों से कोयले की ढुलाई के बारे में संभाव्यता अध्ययन शुरू किया है।

दूषित शिशु आहार की बिक्री

*434. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :**
श्री जायनल अबेदिन।

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में दूषित शिशु आहार बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) : फ्री प्रेस जनरल में प्रकाशित तारीख 13 फरवरी, 1988 के समाचार को सरकार ने देखा है जिसमें बम्बई में डिब्बों में दूषित शिशु आहार की बिक्री का आरोप लगाया गया है। नमूने का विश्लेषण करने पर कोई दूषण नहीं पाया गया।

पश्चिम रेलवे के मुख्यालय का अहमदाबाद में स्थानान्तरण

*435. **श्री जी. आई. पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को बम्बई से अहमदाबाद ले जाने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री माधव राव सिंधिया : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खनन परियोजनाओं का पर्यावरण पर प्रभाव

*436. **डा. सुधीर राय** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में भारत में खनन परियोजनाओं के पर्यावरण पर प्रभाव के बारे में एक परिचर्या तथा कार्यशाला आयोजित की थी; और

(ख) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्योरा क्या है जिन पर चर्चा की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एशियन विकास बैंक के सहयोग से जनवरी, 1988 में लखनऊ में प्रभाव मूल्यांकन पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में कवर किए गए विषयों में निम्नलिखित शामिल थे:

—पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की क्रिया प्रणालियां; और

—जल संसाधन विकास, खनन, ताप विद्युत और औद्योगिक परियोजनाओं के क्षेत्र से संबंधित मामलों का अध्ययन।

इंडियन एयरलाइन्स एयर इंडिया के कर्मचारियों को निशुल्क पास जारी करना

437. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अपने कर्मचारियों को निःशुल्क टिकट/पास जारी किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पास जारी करने के नियम क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1987-88 में ऐसे कितने टिकट पास जारी किये गये ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स कर्मचारी सेवा विनियमों और एयर इंडिया कर्मचारी यात्रा विनियमों के अधीन क्रमशः इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के कर्मचारी तथा उनके परिवार

के सदस्य, जब ड्यूटी पर नहीं होते हैं, उस समय कुछ मुफ्त रियायती पासों के लिये हकदार होते हैं। इन पासों का फायदा वे तब उठा सकते हैं जब विमान में स्थान उपलब्ध हो तथा किराया अदा करने वाले सभी यात्रियों को विमान में सीटें मिल गई हों।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

डिब्रूगढ़ असम के निकट बोगी बिल में ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल

*438. **श्री पराग बालिहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्रूगढ़ (असम) के निकट बोगीबिल में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बनाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था और यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई योजना है,

(ख) क्या सरकार को असम में मजूली को ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी और उत्तरी किनारों के साथ जोड़ने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग की जानकारी है, और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) डिब्रूगढ़ के निकट बोगीबिल में रेल एवं सड़क पुल के लिए तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है। निकट भविष्य में इस परियोजना को शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) मजूली तक रेल सम्पर्क के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा नए रेल इंजन का निर्माण

*439. **श्री वी. तुलसीराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा हाल ही में नये किस्म के बिजली के रेल इंजन का विकास किया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसकी शक्ति, क्षमता और निर्माण लागत से संबंधित ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या वर्तमान डीजल रेल इंजनों के स्थान पर भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित बिजली के इंजनों का उपयोग करने का प्रस्ताव है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नया इंजन कितना बेहतर है, और

(ङ) आगामी तीन वर्षों में ऐसे कितने रेल इंजनों का निर्माण करने का अनुमान है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठते।

जगदलपुर-भोपाल वायुदूत सेवा को रायपुर तक बढ़ाना

हिन्दी

*440. **श्री मानकूराम सोढी :**

क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जगदलपुर-बिलासपुर-भोपाल वायुदूत सेवा को रायपुर नगर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि इससे वायुदूत लाभ अर्जित कर सके और यात्रियों को सुविधा प्रदान की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो क्या रायपुर से दिल्ली, बम्बई, नागपुर भुवनेश्वर, कलकत्ता की यात्रा के लिये जगदलपुर में टिकट खरीदा जा सकता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां । इंडियन एयरलाइन्स के आगे वाले सैक्टरों के लिये टिकट वायुदूत के अपने कार्यालयों द्वारा उनके हैंडलिंग एजेंटों और इन्डियन एयरलाइन्स एवं वायुदूत दोनों द्वारा अनुमोदित एजेंटों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाएंगे ।

"राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान'

[अनुवाद]

*441. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान हाल में स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) सरकार ने राजस्थान के जोधपुर में एक शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है । इसके ब्यौरे संलग्न विवरण गए हैं ।

विवरण

शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान के लिए जोधपुर में जिन स्थानों का अनन्तिम रुप से पता लगाया गया है, वे इस प्रकार है :

मौलिक अनुसंधान:

—एनोजीसस टेकोमा, एजाडिरक्टा, प्रोसोपिस, एकासिया, जिसिप्स तथा शुष्क क्षेत्र की अन्य प्रजातियों की वन-वर्धन विशेषताओं के अध्ययन,

—बहुउद्देश्यीय वृक्षों की बीज विशेषताएं,

बीजाकुरण और वर्धन विशेषताएं

—कृषि सम्बन्धी परम्पराएं और फसलों पर वृक्षों का प्रभाव,

—शुष्क क्षेत्रों में भूमि विशेषताएं

—वृक्ष-पत्तियों का चारे के लिए महत्व

—वाणिज्यक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों में गोंद और तेलयुक्त रेसिनों का रिसाव

प्रौद्योगिकी :

—वनों में प्राकृतिक पुनर्जनन प्रेरित करने और प्रवृत्त करने के लिए वन वर्धन पद्धतियां।

—संरक्षण के अनुकूल प्रबन्ध पद्धतियां

—अरावली पहाड़ियों में पुनः वन लगाने और मरुस्थल नियंत्रण के विशेष संदर्भ में परती भूमि में वनरोपण।

—वन प्रबन्ध पद्धतियों के साथ सामाजिक पद्धतियों का एकीकरण।

उपयोग :

—विभिन्न किस्म के वनों के वन वर्धन और प्रबन्ध पद्धतियों का मानकीकरण।

—उच्चतापक्षम स्थानों में वृक्ष उगाने के लिए व्यापक प्रयास।

— कृषि और चरागाहों की सहायता

— वानिकी में जन सहयोग सुनिश्चित करना।

आवश्यक औषधियों की सूची

*442. **श्री आनन्द पाठक :**

श्री सुरेश कुरूप :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जनवरी, 1988 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "गवर्नमेंट हैज नो लिस्ट आफ असेन्शल ड्रग्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) से (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों आदि में औषधियों का प्रयोग करने जैसे विभिन्न प्रयोजन के लिए अनिवार्य औषधियों की एक सूची तैयार कर ली गई है। हाल ही में उद्योग मंत्रालय के रसायन और पैट्रो रसायन विभाग ने औषध (मूल्य-नियन्त्रण) आदेश, 1987 जारी किया है जिसके अधीन दो सूचियां दी गई हैं। श्रेणी-I सूची का सम्बन्ध कुछेक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की औषधियों से है तथा श्रेणी-II सूची का सम्बन्ध अन्य अनिवार्य औषधियों से है।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा खोयी संपत्ति की नीलामी

हिन्दी

*443. **प्रो. चन्द्र भानु देवी :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा जनवरी, 1987 से फरवरी, 1988 के दौरान खोयी सम्पत्ति की किन डिपुओं में नीलामी की गई तथा उक्त नीलामी किन तारीखों को की गई;

(ख) निगम को इस नीलामी से कुल कितनी आय हुई तथा इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या नीलामी की प्रक्रिया के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रक्रिया में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ताकि सार्वजनिक नीलामी से भविष्य में अधिक आये हो सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) दिल्ली परिवहन निगम के क्षेत्रीय मुख्यालय, सिंधिया हाउस में और शादीपुर डिपो में भी निलामियां हुई थी। नीलामियां 30 जनवरी, 6,7,13 और 20 फरवरी, 1988 को हुई थीं।

(ख) कुल आय 1.93 लाख रु, (कर को शामिल न करते हुए) की हुई और 17,026.76 रु. खर्च हुए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कैंसर के उपचार संबंधी अनुसंधान में उपलब्धि

अनुवाद

*444. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मार्च, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ब्रेक थ्रू इन कैंसर रिचर्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल बोरा) : (क) जी, हां

(ख) और (ग) समाचार पत्र में यथा उल्लिखित डी एन ए बाईडिंग प्रोटीनों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। अनेक डी एन ए बाइंडिंग जीन नियंत्रक प्रोटीनों का पता लगा लिया गया है। कैंसर कोशिकाओं के विभाजन में सहायक होने या न होने संबन्धी ऐसे अध्ययनों के निहितार्थ अभी अत्यधिक अनुमानिक हैं।

"मरुस्थल जीव-मंडल आरक्षित क्षेत्र संबंधी विशेषज्ञ दल"

*445. **श्री एस. बी. सिदनाल** :

श्री जी एस. बसवराजू :

क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने थार रेगिस्तान में "मरुस्थल जीव-मंडल" आरक्षित क्षेत्र की स्थापना के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दल द्वारा क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) क्या विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : (क) जी, हां।

(ख) दल ने राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में करीब 600 वर्ग कि. मी. कोर क्षेत्र सहित लगभग 3,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक जीव मंडल रिजर्व की स्थापना करने की सिफारिश की है।

(ग) दल द्वारा तैयार परियोजना रिपोर्ट राजस्थान राज्य सरकार को उनकी टिप्पणियां जानने के लिए भेजी गयी है।

दिल्ली और पोर्टब्लेयर के बीच बरास्ता भुवनेश्वर विमान सेवा

*446. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** :

क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और पोर्टब्लेयर के बीच बरास्ता भुवनेश्वर सीधी विमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कब कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) इस संबंध में इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंडियन एअरलाइन्स के पास अतिरिक्त बोइंग-737 विमान क्षमता उपलब्ध हो जाने के बाद सीमित आवृत्ति के आधार पर, उसकी दिल्ली-भुवनेश्वर-पोर्टब्लेयर और वापसी मार्ग पर हवाई सेवा का परिचालन करने की योजना है।

बिहार में वायुदूत सेवा

[हिन्दी]

*447. **श्री राम भगत पासवान** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वायुदूत सेवा के संबंध में मूल योजना क्या है;

(ख) इस पर कार्यान्वयन कहां तक हुआ है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसके विस्तार के लिए क्या भावी योजना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) :

(क) वायुदूत सेवाओं द्वारा स्टेशनों को हवाई मार्ग से जोड़ने की प्रारम्भिक योजना में बिहार राज्य के निम्नलिखित स्टेशन शामिल थे :—

1. गया
2. मुजफ्फरपुर

3. जमशेदपुर

4. पूर्णिया

(ख) गया और जमशेदपुर को वायुदूत सेवा द्वारा हवाई मार्ग से जोड़ा जा चुका है। पूर्णिया अभी भी हवाई मार्ग से जोड़ा जाना है। वर्ष 1982 में मुजफ्फरपुर को दी गई वायुदूत की सेवाओं को अपर्याप्त लोड फैक्टर के कारण बाद में बन्द कर दिया गया था।

(ग) विमानक्षमता के उपलब्ध होने, आधारभूत सुविधाओं के विकास और परिचालनों के आर्थिक रूप से सक्षम होने पर वायुदूत को चालू योजना अवधि के दौरान पूर्णिया को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना है।

नवोदय विद्यालय

[अनुवाद]

448. **श्री के. रामचन्द्र रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक राज्य-वार कितने नवोदय विद्यालय खोले गये हैं;

(ख) इन विद्यालयों पर कितनी लागत आई है और इस पर आवर्ती व्यय कितना है; और

(ग) इनमें पढ रहे छात्रों, अध्यापकों तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस. पी. शाही) : (क) वर्ष 1987-88 तक खोले जाने वाले नवोदय विद्यालयों की संख्या 209 है। इनमें से 200 विद्यालय पहले ही कार्य कर रहे हैं। बकाया 9 विद्यालयों में (जो अधिकांशत: बर्फीले क्षेत्रों के लिए हैं) दाखिले सम्बन्धी कार्रवाई की जा रही है। इन विद्यालयों के राज्यवार संवितरण को दर्शाने वाली रूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) नवोदय विद्यालयों की स्थापना सम्बन्धी दोनों आवर्ती तथा अनावर्ती लागत प्रत्येक विद्यालय में विद्यमान कक्षाओं की संख्या पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न है। फिर भी वर्ष 1987-88 के बजट आकलनों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है :—

(I)	वर्ष 1985-86 में खोले गये विद्यालयों के लिए	15.00 लाख रु. प्रत्येक विद्यालय के लिए
(II)	वर्ष 1986-87 के दौरान खोले गए विद्यालयों के लिए	10.70 लाख रु. प्रत्येक विद्यालय के लिए
(III)	वर्ष 1987-78 के दौरान खोले गए विद्यालयों के लिए	7.50 लाख रु. प्रत्येक विद्यालय के लिए

उपरोक्त प्राक्कलनों में उन निर्माण कार्यों की पूंजीगत लागत शामिल नहीं है, जो सी. बी. आर. आई. के प्राक्कलनों के अनुसार प्रथम चरण में प्रत्येक विद्यालय के 1.16 करोड़ रु. और 1.29 करोड़ रु. के बीच भिन्न-भिन्न है)

(ग) शैक्षिक वर्ष 1986-87 तक 83 नवोदय विद्यालयों में दाखिल छात्रों की संख्या 5804 है। शैक्षिक सत्र 1987-87 के लिए 209 नवोदय विद्यालयों में दाखिले के लिए 13.644 छात्रों ने अर्हक परीक्षा पास कर ली है।

अब तक नवोदय विद्यालय के लिए संस्वीकृत शिक्षकों और गैर-शिक्षण स्टाफ की संख्या क्रमशः 2051 और 1254 है।

विवरण

वर्ष 1987-88 तक संस्वीकृत खोले गये नवोदय विद्यालयों की राज्यवार सूची

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष 1987-88 तक संस्वीकृत/खोले गए नवोदय विद्यालयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	16
2.	बिहार	22
3.	गुजरात	6
4.	हरियाणा	6
5.	हिमाचल प्रदेश	8
6.	कर्नाटक	16
7.	केरल	7
8.	मध्य प्रदेश	20
9.	महाराष्ट्र	19
10.	मणिपुर	4
11.	मेघालय	3
12.	नागालैंड	1
13.	उड़ीसा	11
14.	पंजाब	5
15.	राजस्थान	14
16.	सिक्किम	11
17.	उत्तर प्रदेश	19
18.	अरुणाचल प्रदेश	5
19.	मिजोरम	2
20.	जम्मू व कश्मीर	14

1	2	3
21.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	2
22.	चंडीगढ़	1
23.	गोवा	1
24.	दादर और नागर हवेली	1
25.	पांडिचेरि	4
26.	दमन और दीव	1
		209

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्वास्थ्य योजना औषधालयों का वार्षिक परिव्यय

*449. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या स्वास्थ्य औरपरिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्वास्थ्य योजना औषधालयों का वर्ष 1988-89 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय कितना है;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के और औषधालय खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली में, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की संख्या का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) 1988-89 के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का वार्षिक योजना परिव्यय 250.00 लाख रुपए है।

(ख) से (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गई है।

विवरण 1

1988-89 में खोले जाने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अतिरिक्त औषधालय इस प्रकार हैं :—

	शहर	औषधालयों की संख्या
(1)	हैदराबाद	3
(2)	रांची	1

1	2	3
(3)	बंगलौर	1
(4)	बम्बई	2
(5)	पुणे	1
(6)	नागपुर	1
(7)	भुवनेश्वर	1
(8)	मद्रास	2
(9)	लखनऊ	1
(10)	कलकत्ता	3
(11)	दिल्ली	8

विवरण 2

1. गोल मार्किट-I
2. पंडारा रोड
3. दिल्ली गेट
4. मिंटो रोड
5. पहाड़गंज
6. सब्जी मंडी
7. तिमार पुर
8. चांदनी चौक
9. लोदी रोड-I
10. लोदी रोड-II
11. लाजपत नगर
12. किदवई नगर
13. सरोजिनी नगर-I
14. सरोजिनी नगर-II
15. लक्ष्मीबाई नगर
16. मोती बाग
17. करोल बाग
18. पूसा रोड
19. देव नगर
20. पटेल-नगर-I
21. नेताजी नगर
22. पुल बंगश
23. चाणक्य पुरी
24. कस्तूरबा नगर-I
25. केन्द्रीय सचिवालय
26. तिलक नगर
27. प्रेसीडेंट एस्टेट
28. दरिया गंज
29. नानक पुरा
30. नारोजी नगर
31. नार्थ एवेन्यू
32. साउथ एवेन्यू

33. कांस्टीट्यूशन हाउस
34. टेलीग्राफ लेन
35. सरोजिनी नगर मार्किट
36. मोती नगर
37. श्री निवास पुरी
38. पटेल नगर-II
39. एडवर्ड गंज
40. जंग पुरा
41. मालवीय नगर
42. कालकाजी-I
43. आर. के. पुरम-I
44. वैलजली रोड़
45. न्यू राजेन्द्र नगर
56. आर. के. पुरम-II
47. हौज खास
48. हरी नगर
49. शाहदरा
50. आर. के. पुरम-III
51. विक्रमगुप्त रोड़
52. आर के. पुरम-Iv
53. राजौरी गार्डन
54. शकूरबस्ती
55. इन्द्रपुरी
56. जी. के. जी.
57. आर. के. पुरम-v
58. नांगल रायन
59. राजपुर रोड़
60: किंग्सवे कैम्प
61. जनक पुरी-I
62. अशोक विहार
63. सादिक नगर
64. त्रिनगर
65. एस. बी. रोड़
66. पालम कालोनी
67. लक्ष्मी नगर
68. गाजियाबाद
69. आर के पुरम-vI
70. फरीदाबाद
71. मुनीरका
72. कस्तूरबा नगर-2
72. गुडगांव
74. छतरपुरी-II
75. कालकाजी-II
76. ग्रेन मार्किट-II
77. मयूर विहार
78. दक्षिण पुरी
79. विवेक विहार
80. पश्चिम विहार

होम्योपैथिक औषधालय/यूनिट

1. देव नगर
2. ग्रेन मार्किट
3. आर. के. पुरम

4. दरियागंज

5. राजौरी गार्डन

6. शाहदरा

7. आर. के. पुरम-VI

8. कस्तूरबा नगर

9. हरी नगर

10. कालकाजी

11. दक्षिणपुरी

12. तिमार पुर

13. साउथ एवेन्यू

यूनानी औषधालय/यूनिटें

1. सरोजिनी नगर औषधालय

2. दरिया गंज यूनिट

3. नारायणा यूनिट

आयुर्वेदिक औषधालय अस्पताल/यूनिट

1. गोल मार्किट

2. किदवाई नगर

3. लोदी रोड़

4. आर. के. पुरम

5. नार्थ एवेन्यू

6. देव नगर

7. हरी नगर

8. दिल्ली कैंट

9. जंगपुरा

10. किग्सवे कैंप

11. गुडगाव

12. लक्ष्मी नगर

13. ए. बी. रोड़

14. पश्चिम विहार

अन्तर्देशीय उड़ानों वाले हवाई अड्डों से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

*450. **श्री एस. रघुमा रेड्डी :**

श्री सुभाष यादव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अंतर्देशीय उड़ानों वाले कुछ हवाई अड्डों पर अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के उतरने की अनुमति देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उन हवाई अड्डों के नाम क्या है, जहां वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का उतरना आरम्भ हो जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोती लाल वोरा) . (क) और (ख) अंतर्देशीय हवाई अड्डों से सीमित अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों पर कोई रोक नहीं है। हमारी राष्ट्रीय विमान कंपनियां तथा भारत के पड़ौस में कुछ विदेशी विमान कंपनियां पहले से ही त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, गोआ, बंगलौर, अमृतसर, वाराणसी, पटना और त्रिची से सीधी और संयोजी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन कर रह रही है। यातायात और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर और अंतर्देशीय हवाई अड्डों को इस प्रलोजन के लिए नामित किया जा सकता है।

प्रादेशिक सांस्कृतिक केन्द्रों के कार्य क्षेत्र

4488. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सात प्रादेशिक सांस्कृतिक केन्द्रों के कार्य क्षेत्र कुछ अंश तक एक दूसरे से मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या असम, बिहार और मध्य प्रदेश के मामले में सरकार प्रत्येक सांस्कृतिक केन्द्र को निश्चित जिले आबंटित करने पर विचार करेगी;

(ग) चालू वित्त वर्ष में मण्डलीय सांस्कृतिक केन्द्रों को केन्द्र-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) प्रत्येक केन्द्र द्वारा 31 दिसम्बर, 1987 तक कितनी धनराशि व्यय की गई थी; और

(ङ) प्रत्येक केन्द्र द्वारा चालू वर्ष में कार्यक्रम-वार कितने सांस्कृतिक मेलों, कार्यशालाओं, विचार गोष्ठियों, प्रदर्शनियों और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) इन सातों क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक संबंधों पर बल देना है, जिनका विस्तार प्रादेशिक और भाषाई सीमाओं के बाहर भी है और जिनमें न केवल विभिन्न राज्यों की अद्वितीयता तथा शैलियां ही प्रतिबिम्ब हो बल्कि मिश्रित भारतीय संस्कृति का चित्रण भी हो। अलग-अलग राज्य सीमावर्ती राज्यों के साथ अपने सांस्कृतिक सम्बन्धों को देखते हुए एक से अधिक सांस्कृतिक केन्द्रों में शामिल हुए हैं। ये राज्य इन केन्द्रों में जिलों की सीमाओं के आधार पर सम्मिलित नहीं हुए हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चालू वर्ष में विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित आबंटन इस प्रकार है :—

केन्द्र	आबंटन
1 2	3
	(करोड़ रुपयों में)
1. उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला	2.35
2. पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, शान्तिनिकेतन	2.10
3. दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर	2.10
4. पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	2.10

1	2	3
	5. उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	2.00
	6. उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	2.18
	7. दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	1.18

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) केलेण्डर वर्ष 1987 के दौरान हुए कार्यक्रम दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है :—

केन्द्र का नाम	महोत्सव	कार्यशालाएं	सेमिनार	प्रदर्शनियां	अन्य गति-विधियां
1 2	3	4	5	6	7
1. उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र पटियाला	12	2	4	6	18
2. पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र शान्ति निकेतन	4	—	—	2	2
3. दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर	24	5	—	2	38
4. पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	32	22	2	4	47
5. उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र इलाहाबाद	11	7	1	7	63
6. उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर	—	—	—	—	9
7. दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	16	5	—	15	9

राजगीर और गया के लिए वायुयान सेवा

[हिन्दी]

4489. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजगीर और गया को जोड़ने के लिये वायुयान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन स्थानों के लिए कब तक वायुदूत सेवा आरम्भ कर दी जायेगी; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का वायुदूत विमानों के उतरने के लिये राजगीर में हवाई पट्टी के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) से (ग) गया के लिए वायुदूत सेवाएं 23 मार्च, 1988 से पहले ही शुरू कर दी गई है। प्रचालनात्मक हवाई पट्टी उपलब्ध न होने के कारण राजगीर को चालू योजना अवधि में वायुदूत द्वारा विमान सेवा से जोड़े जाने वाले निर्धारित स्टेशनों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रक्त चाप और हृदय शूल रोग के उपचार के लिए भावातीत ध्यान और योग

[अनुवाद]

4490. **श्री आर. एम. भोये** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान अध्ययनों से यह पता चला है कि हल्के और मध्यम रक्तचाप तथा हृदय शूल रोग, जो धीरे-धीरे जीवन शक्ति नष्ट करते हैं, के उपचार के लिए समस्त विश्व में भावातीत ध्यान और योग बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं,

(ख) क्या प्रिवेंटिव कार्डियोलोजी तथा कलर डापलर एकोकार्डियोग्राफी पर हुए त्रि-दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सांख्यिकीय आंकड़ों से यह स्पष्ट किया गया है कि रक्तचाप के उपचार में ध्यान के अलावा व्यायाम, कम नमक युक्त तथा कम चरबी वाला आहार बहुत ही उपयोगी है; और

(ग) यदि हां, तो सम्मेलन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) योग अनुसंधान परिषद द्वारा किये गये अनुसंधान अध्ययनों से पता चलता है कि योग का नियमित अभ्यास मामूली और मध्यम उच्च रक्त चाप तथा अन्य हृदवाहिका रोगों और हृदय शूल रोग के उपचार में उपयोगी सिद्ध हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य कर रहे केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान तथा केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान संस्थान तथा केन्द्रीय आयुर्वेद एवं अनुसंधान परिषद द्वारा इन रोगों पर भावातीत ध्यान के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

"सा स्केलड वाइपरो" का लुप्त होना

4491. **प्रो. मधु दंडवते** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में पाये जाने वाले "सा स्केलड वाइपरों" की संख्या शीघ्रता से घटती जा रही है और इसके शीघ्र ही लुप्त होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोंकण क्षेत्र में देवगाद में एक "संरक्षण केन्द्र" का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस केन्द्र को कब तक स्वीकृति दी जायेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में इंजनों की मरम्मत करने की सुविधा

4492. **डा. कृपा सिंधु भोई** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग 737 विमानों के इंजनों के रख-रखाव, उनकी पूरी तरह से मरम्मत करने की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसी सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोती लाल वोरा) : (क) जी, हां।

(ख) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थापित की जा रही नयी सुविधा 1988 की दूसरी तिमाही मे शुरू की जानी है।

(ग) सुविधा के संस्थापन तथा शुरू करने के लिए एक टर्न की प्रोजक्ट का कार्य मैसर्स गेटस्को, यू. एस. ए. को 1988 की दूसरी तिमाही तक एक पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ दिया गया है।

पलामू एक्सप्रेस रेलगाड़ी को बरकाकाना तक बढ़ाया जाना

[हिन्दी]

4493. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लिए यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए पलामू एक्सप्रेस रेलगाड़ी को बरकाकाना तक बढ़ाने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि नहीं तो इस रेल गाड़ी को बरकाकाना तक बढ़ाने में क्या कठिनाइयां है, और

(ग) इन कठिनाइयों को कब तक दूर कर लिया जायेगा ताकि इस रेलगाड़ी का बरकाकाना तक बढ़ाया जा सके।

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) से (ग) जी नहीं। बरकाडीह-बरकाकाना-गोमो के बीच मेल लेने वाली सेवा और पटना के लिए बरास्ता गोमो एक कम दूरी का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के कारण, इस प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

केरल में हैलिपेड

[अनुवाद]

4494. श्री तुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में किन-किन स्थानों पर और कितने हैलिपेड हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का केरल राज्य में किसी और हैलिपेड की स्थापना करने अथवा स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोती लाल बोरा) : (क) से (ग) केरल में राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रण के अधीन कोई हैलिपेड नहीं है। केरल में किसी हैलिपेड का निर्माण या विकास करने के बारे में इस समय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

असम और उत्तरी बंगाल के बीच जनता एक्सप्रेस का पन: चलाया जाना

4495. श्री आनन्द पाठक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम और उत्तरी बंगाल के बीच जनता एक्सप्रेस पुन: चलाने को कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) जनता एक्सप्रेस को 57/58 कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ युक्तियुक्त बनाने/मिलाने और 57/58 कंचनजंगा एक्सप्रेस को हवड़ा और गुवाहाटी के बीच एक दैनिक सुपरफास्ट गाड़ी के रूप में चलाने का प्रस्ताव है।

औषधों में कृत्रिम रंगों और स्वादों का प्रयोग

4496. डा. वी. एल. शैलेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय औषध फार्मूलेशनों, मिश्रणों, शर्बतों और अनेक किस्मों की गोलियों में, कृत्रिम रंग और स्वाद प्रयोग किये जा रहे हैं;

(ख) क्या चिकित्सा की दृष्टि से इन रंगों का कोई महत्व है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो औषधों में रंग और स्वास्थ्य प्रयोग करने की क्या उपयोगिता है;

(घ) क्या इन रंगों के अवयव की कीमत भी औषध मूल्य में जोड़ी जाती है;

(ङ.) क्या सरकार का ऐसे रंगों और स्वादों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है, जिनका औषधों और फार्मूलेशनों में कोई चिकित्सकीय लाभ नहीं है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) औषधों में प्रयोग करने के लिए अनुसत्य रंग औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 127 में सूचीबद्ध हैं। औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अधीन युक्तियों का प्रयोग निषिद्ध नहीं है।

(ख) और (ग) रंगों का कोई चिकित्सीय महत्व नहीं है, तथापि, रंगों का प्रयोग आलेपित गोलियों, कैप्सूलों और अन्य स्वामित्व वाली औषधियों में सुन्दर दिखाई देने के लिए किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ.) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

जगदलपुर, बिलासपुर के लिए वायु दूत सेवा

4497. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल को विन्ध्या और महाकौशल से तथा जगदलपुर को रायपुर-बिलासपुर से वायुदूत सेवा द्वारा जोड़ने संबंधी कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी, हां। निम्नलिखित सेक्टरों पर वायुदूत सेवाओं के परिचालन के लिए अनुरोध किया गया था;

(1) भोपाल-नागपुर-जगदलपुर-रायपुर-बिलासपुर-भोपाल

(2) भोपाल-सागर-खुजराही-सतना-जबलपुर-भोपाल

(ख) वायुदूत ने भोपाल से गुना, बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, खुजराही और ग्वालियर के लिए अनुसूचित सेवाओं के परिचालन के लिये पहले ही एक विमान 23 मार्च, 1988 को भोपाल में रख दिया है। जब भी सागर और सतना में विमान-क्षेत्र परिचालन योग्य बना दिये जाएंगे, उन्हें हवाई सेवा से जोड़ दिया जाएगा।

डानकुनी-सियालदह सेक्सन पर ई. एम. यू. गाड़ी चलाना

4498. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा स्टेशन पर भीड़ भाड़ को कम करने के लिए डानकुनी-सियालदह सेक्सन पर कुछ और ई. एम. यू. स्थानीय गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सेक्सन पर इस समय प्रतिदिन कितनी गाड़ियां चल रही हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) सियालदह और डानकुनी के बीच 16 जोड़ी ई. एम. यू. लोकल गाड़ियों और 3 ओडी परम्परागत गाड़ियां उपलब्ध हैं। माल यातायात के भारी संचालन और अन्य परिचालनिक कारणों से और गाड़ियां चलाना व्यावहारिक नहीं है।

गोवा में रेलवे का विकास

4499. **श्री शांताराम नायक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गोवा राज्य में रेलवे के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई,

(ख) यह धनराशि किन-किन परियोजनाओं, कार्यों और योजनाओं पर खर्च की गई, और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) 1985-86 से 1987-88 तक की तीन वर्ष की अवधि के दौरान भिन्न-भिन्न योजना शीर्षों के अन्तर्गत गोवा में निर्माण कार्यों पर किए गए खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	योजना शीर्ष	वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के दौरान किया गया खर्च (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	यातायात सुविधाएं	38.20
2.	सिगनल	2.23
3.	कर्मचारी क्वार्टर	11.53

1 2	3
4. यात्री सुविधाएं	2.71
5. अन्य विनिर्दिष्ट कार्य	3.59
	58.26

दिल्ली में कपूरी तम्बाकू की बिक्री

[हिन्दी]

4500. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जनवरी, 1988 के "नव भारत टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में बेचे जाने वाला कपूरी तम्बाकू जिसका आम जनता पर घातक प्रभाव हुआ है अब दिल्ली में पान की दुकानों में भी बिकने लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनता को इस तम्बाकू के प्रति चेतावनी देने और इसकी बिक्री रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज आपटे) : (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 31.1.1988 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार को देखा है। दिल्ली में चबाने और धूम्रपान के प्रयोजनों के लिये तम्बाकू की काफी किस्में उपलब्ध हैं। इन सभी से स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है और इनसे गंभीर रोग हो सकते हैं, चाहे तम्बाकू की किस्म कोई भी हो।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद परियोजनाओं का आयोजन/मानीटरिंग कर रही है जिनका उद्देश्य शिक्षा देना और तम्बाकू के व्यसनियों को तम्बाकू छोड़ने के लिए समझाना/बुझाना है।

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के योग्य विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति

[अनुवाद]

4501. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद में रिक्त पदों के बारे में 3 दिसम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3975 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली के कुछ कर्मचारी अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए परिषद के भर्ती नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हैं,

(ख) यदि हां, तो परिषद के खाली पदों में उनकी नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं विशेषकर जबकि इनके लिए प्रतिवर्ष धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है,

(ग) क्या ऐसी धनराशि व्यपगत होने दी जाती है अथवा मंत्रालय की पूर्व अनुमति लिये बिना उसका अन्यत्र अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है, और

(घ) परिषद में खाली पड़े पदों पर योग्य विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों का काम बन्द आन्दोलन

4502. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों ने 22 फरवरी, 1988 को सम्पूर्ण देश में 5 मिनट के लिए "काम बन्द आन्दोलन" किया था;

(ख) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत की गई एक मुश्त सुविधाएं उन्हें नहीं दी गई हैं;

(ग) क्या सरकार का चालू वित्तीय वर्ष में उन्हें एक मुश्त सुविधाएं देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) दिए गए एक मुश्त लाभों तथा उन्हें लागू करने के लिए की गई कारंवाई का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क. सं.	घोषित नाम	की गई कारंवाई
1.	2	3
	डाक्टरों को निम्नलिखित दरों पर प्रैक्टिस बन्दी भत्ता दिया जाना है:— वेतनमान	संशोधित दरों पर प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देने संबंधी आवश्यक आदेश जारी किए

1	2	3
	प्रैक्टिस बन्दीभत्ते कर दर	
	3000 हजार रुपये से कम 600/-रुपये प्रतिमाह	जा चुके हैं। नौकरी के सभी मामलों के लिए इस प्रैक्टिस बन्दी भत्ते को नौकरी के सभी मामलों के लिए मूल वेतन के रूप में मान लिया गया है।
	3000 रुपये तथा इससे अधिक लेकिन 3700/-रुपये से कम 800/-रुपये प्रतिमाह	
	3700/-रुपये या उससे अधिक 900/-रुपये प्रतिमाह	
	इस प्रैक्टिस बन्दी भत्ते को नौकरी के सभी मामलों के लिए वेतन माना जाएगा	
(ii)	पांच वर्ष की सेवा वाले चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया जाना है।	पात्र चिकित्सा अधिकारियो को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किए जाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं।
(iii)	समूह "क" में 12 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (3700-5000) रुपये के रूप में पदोन्नत कर दिया जाए बशर्ते कि उन्होने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	500 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदोन्नत करने की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। 389 अधिकारियों को पदोन्नत करने संबंधी आदेश अब तक जारी किए जा चुके हैं।
(iV)	जनरल ड्यूटी उपसंवर्ग में सीनियर ड्यूटी उपसंवर्ग में सीनियर ड्यूटी पदों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत पदों को नान फंक्शनल सलेक्शन ग्रेड में परिवर्तित करना और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को नान-फंक्शनल सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत करना।	इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली 1982 को संशोधित करने के मसौदे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया गया है। अधिकारियों को पदोन्नत करने संबंधी अगली कार्रवाई की जा रही है।
(v)	अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग में तीन वर्ष की सेवा वाले सहायक प्रोफेसरों को एसोसिएट प्रोफेसरों के पदों पर प्रोन्नत करना और छह वर्ष की सेवा वाले एसोसिएट प्रोफेसरों को 4500-5700 रुपये	विभागीय प्रोन्नति समिति ने समिति के पात्र उम्मीदवारों पर विचार किया है। ये पदोन्नतियां करने के लिए नियमों के मौजूदा उपबंधों में संशोधन करने/उन्हें शिथिल करने के प्रस्ताव

1	2	3
	के वेतनमान में नियुक्त करना। अध्यापनेत्तर और जन स्वास्थ्य पक्ष में अपने ग्रेड में पाँच की सेवा वाले विशेषज्ञ ग्रेड-2 के अधिकारियों की 3700-5000 रुपये के वेतनमान में नियुक्त करना और अपने ग्रेड में 9 वर्ष की सेवा वाले विशेषज्ञ ग्रेड-ii अधिकारियों की 4500-5700 रुपये के वेतनमान में नियुक्त करना है। ये सभी पदोन्नतियों/नियुक्तियां वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर करना।	को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। 4500-5700 रुपये के ग्रेड में पदोन्नत करने के लिए अनेक प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करना होता है जिस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 5 वर्ष की सेवा वाले विशेषज्ञ ग्रेड-ii अधिकारियों को 3700-5000 रुपये के लागू किए गए नए वेतनमान में नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
(vi)	शैक्षिक अनुसंधान और अन्य व्यावसायिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए अध्यापन/अध्यापनेत्तर और जन स्वास्थ्य उपसंवर्गों में विशेषज्ञों को 3000 रुपये का और सामान्य ड्यूटी उपसंवर्ग के लिए 1200 रुपये का भत्ता मंजूर करना।	आदेश जारी कर दिए गए हैं।
(vii)	सुपर टाइम स्तर पर अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ उपसंवर्ग के लिए 10 और पदों तथा अध्यापन उप-संवर्ग के लिए 15 और पदों का तदर्थ आधार पर सृजन किया जाए।	पदों को बनाने संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं।
(viii)	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों को बढ़ी हुई दरों पर वाहन भत्ता दिया जाए तथा अस्पतालों में कार्यरत विशेषज्ञों/सामान्य ड्यूटी चिकित्सकों को कुछ शर्तों पर ऐसी ही दरों पर वाहन भत्ता दिया जाए।	वाहन भत्ता देने के संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
(ix)	चिकित्सा अधिकारी (1200-4000 रु.) और विशेषज्ञ (13000-5000 रुपये) से अधिक वेतन और तीन संबंधित पदोन्नतियों के लिए डाक्टरों की मांग को मंत्रियों के ग्रुप को भेजा जाए।	वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि इन मांगों को मंत्रियों के ग्रुप के सामने रखा जाए। उन्होंने 28 1 88 को सूचित किया कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय से परामर्श लेते

1	2	3
		हुए इन मांगों को मंत्रियों के ग्रुप के सामने रखा जाए। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से 19 फरवरी, से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले में अपने विचार प्रस्तुत करें। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के विचार उपलब्ध होने हो जाने के पश्चात इन मांगों को मंत्रियों के ग्रुप के सामने रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है।
(X)	58 से 60 वर्ष तक सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करना।	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सेवानिवृत्ति आयु के संबंध में सरकार की सामान्य नीति के संदर्भ में इस पर विचार किया जाता था। बहरहाल इस समय निवृत्ति आयु को बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।
(ix)	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के उप-संवर्गों की पुनः संरचना की समस्याओं की जांच-पड़ताल करने के लिए संवर्ग समीक्षा समिति।	अब तक इस समिति ने 10 बैठकों का आयोजन किया है और विभिन्न सेवा संघों के प्रतिनिधियों को चुना है और इसकी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

घातक रोगों पर विशेषज्ञ दल

4503. **श्री अजीत कुमार साहा**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घातक रोगों के बारे में एक विशेषज्ञ दल नियुक्त किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है,

(ग) क्या उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है,

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं,

(ङ) सरकार की इनके बारे में क्या प्रक्रिया है, और

(च) सरकार ने इन सिफारिशों के बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से

(च) जी नहीं। तथापि, कैंसर, एड्स आदि जैसे विनिर्दिष्ट रोगों के लिए नीति संबंधी मामलों तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन के संबंध में परामर्श देने के लिए सरकार ने समितियां गठित की हैं।

प्रसव-पूर्व मरने वाले बच्चों की संख्या

4504. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रीनेटोलाजिस्ट ने बहुत अधिक बच्चों की प्रसव-व पूर्व ही मृत्यु हो जाने पर चिन्ता व्यक्त की है, जैसा कि गर्भस्थ शिशुओं की काफी विकसित अवस्था में तथा जन्म से कुछ ही पहले मृत्यु हो जाने के आंकड़ों से पता चलता है;

(ख) क्या इस संबंध अन्य देशों के चिकित्सा विशेषज्ञों की सहायता से कोई अध्ययन और अनुसंधान किया गया और;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बहुत अधिक बच्चों की प्रसव-पूर्व ही मृत्यु हो जाती है। 1981-85 के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किऐ गये सहयोगी अध्ययन से जिसमें विदेशी विशेषज्ञ भी थे, निम्नलिखित का पता चला:—

यह अध्ययन 3 ग्रामीण क्षेत्रों और 3 शहरी गंदी बस्तियों में किया गया। कुल मिलाकर बच्चों की प्रसव-पूर्व मृत्यु दर 57.7 प्रति 1000 जीवित जन्म थी।

केन्द्रवार दर इस प्रकार थी :—

ग्रामीण क्षेत्र	प्रसव-पूर्व बच्चों की मृत्यु दर
चण्डीगढ़	62.9
हैदराबाद	41.7
वाराणसी	85.6
	योग : 61.8
शहरी गंदी बस्तियां	
कलकत्ता	63.2
दिल्ली	53.5
मद्रास	39.3
	योग : 52.0

49 अप/50 डाउन रेल गाड़ी को रद्द करना

4505. श्रीमती बिभाघोष गोस्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्राधिकारियों द्वारा 49 अप/50 डाउन रेल गाड़ी रद्द कर दी गई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेल गाड़ी को पुनः प्रारंभ करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारारण हैं।

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी हां। परिचालनिक कारणों से गाड़ियाँ आंशिक रूप से रद्द की गई हैं।

(ग) और (घ) 10.4.88 से सामान्य चालन पुनः शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

जोधपुर-जैसलमेर के बीच गाड़ियों में दूसरे दर्जे के अतिरिक्त साधारण सवारी डिब्बे लगाना

[हिन्दी]

4506. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोधपुर और जैसलमेर के बीच चलने वाली रात्रि डीजल गाड़ी में श्रेणीवार सवारी डिब्बों की संख्या क्या है, द्वितीय श्रेणी के शयनयान डिब्बों की संख्या कितनी है तथा इनमें से दूसरे दर्जे के साधारण सवारी डिब्बों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूसरे दर्जे के साधारण सवारी डिब्बों में सेना के जवान सीटों पर बैठ जाते हैं और इसके परिणामस्वरुप आम लोगों को इन डिब्बों में बहुत ही कम सीटें प्राप्त होती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का आम लोगों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए दूसरे दर्जे के साधारण सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त आवश्यकता को कब तक पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 4 दूसरा दर्जा शयनयान, । दूसरा दर्जा आंशिक शयनयान, 5 साधारण दूसरा दर्जा, 2 पहला दर्जा, । पहला-एवं-दूसरा दर्जा और 2 दूसरा-एवं-सामान/गार्ड यान सवारी डिब्बे अर्थात् कुल 15 को मिलाकर गाड़ी बनती है।

(ख) जी नहीं। दूसरे दर्जे का एक साधारण सवारी डिब्बा गाड़ी में रक्षा कार्मिकों के लिए आरक्षित होता है।

(ग) और (घ) इस समय, भारतीय रेलों पर मोटर लाइन सवारी डिब्बों की बहुत कमी है। उत्पादन यूनिटों से अधिक सवारी डिब्बे उपलब्ध होने पर गाड़ी में डिब्बों की संख्या बढ़ाने पर पर विचार किया जायेगा।

डानकुनी-शियाखाला रेलवे लाइन

[अनुवाद]

4507. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की डानकुनी-शियाखाला रेल लाइन बिछाने की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो कार्य के कब तक आरम्भ होने की संभावना है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) संसाधनों की कमी को देखते हुए इस लाइन का निर्माण शुरू करना सभव नहीं हो पाया है। इसी कारण से निकट भविष्य में इसे शुरू किए जाने की संभावना नहीं है।

बिना चौकीदार के रेल फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाएं

4508. श्री मोहनभाई पटेल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान बिना चौकीदार के रेल फाटकों पर वर्षवार और क्षेत्रवार होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

रेल राज्यमन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) . (क) 1985-86 से बिना चौकीदार वाले समपारों पर गाड़ी दुर्घटनाओं का वर्ष और जोन-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

जोन	दुर्घटनाओं की संख्या		
	1985-86	1986-87	1987-88 (अप्रैल-फरवरी)
मध्य	3	2	4
पूर्व	—	2	—
उत्तर	8	11	13
पूर्वोत्तर	9	8	2
पूर्वोत्तर सीमा	2	2	—
दक्षिण	5	4	2
दक्षिण-मध्य	4	8	3
दक्षिण-पूर्व	4	1	-
पश्चिम	5	8	7

(ख) इन दुर्घटनाओं में 197 व्यक्ति मारे गये और 422 को चोटें आयीं।

भारतीय सड़क निर्माण निगम में की गई नियुक्तियां

4509. **श्री अनादि चरण दास** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सड़क निर्माण निगम में नियमित आधार पर वर्गवार तथा पदवार कुल कितनी नियुक्तियाँ की गई और उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति है,

(ख) क्या वर्ष 1984 से पदों के लिए आवश्यक मानदण्ड/अनुभव में छूट देकर कोई पदोन्नति की गई थी और यदि हाँ, तो सामान्य तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) विभागीय पदोन्नतियों तथा खुली भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पिछले बकाया पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब में अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास

4510. **श्री कमल चौधरी** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 और वर्ष 1987-88 के दौरान पंजाब में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए कोई आबंटन किया गया, धनराशि में दी गई और खर्च दिया गया; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं। पंजाब की राज्य सरकार ने इन वर्षों के लिए अन्तर्देशीय जल परिवहन के संबंध में किसी स्कीम की पेशकश नही की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में कलादी में संस्कृत विश्व विद्यालय के लिए धनराशि

4511. **श्री पी. ए. एंटनी** : मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कलादी में संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए कोई धनराशि आबंटित की है;

(ख) क्या इस विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) जी, हाँ। भारत सरकार ने केरल सरकार को एक करोड़ रुपए की राशि मन्जूर की है ताकि वह केरल में कलादी में एक नया संस्कृत विश्वविद्यालय खोल सके।

(ख) और (ग) केरल राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक का प्रारुप तैयार किया है और इसकी मंजूरी के लिए इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इसे राज्य विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा।

सोनीपत में अधिकृत चिकित्सा परिचारकों की नियुक्ति

4512. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 3 दिसम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3984 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोनीपत में अधिकृत चिकित्सा परिचारकों की नियुक्ति के बारे में कोई निर्णय लिया गया है, और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) सोनीपत में अधिकृत चिकित्सा परिचारकों की नियुक्ति के मामले पर सरकार विचार कर रही है।

रेलवे स्टेशनों के स्तर में सुधार

4513. **श्री दोलत सिंह जी जदेजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों के स्तर में सुधार करने की कोई विशेष योजना तैयार की जा रही है,

(ख) रेलवे स्टेशनों पर सफाई में सुधार करने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं,

(ग) क्या अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध पानी में हानिकारक जीवाणु बड़ी संख्या में होते हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां। आदर्श स्टेशनों के रुप में चुने गये 67 स्टेशनों के मामले में।

(ख) समुचित सफाई को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किये गये उपायों में सफाई वालों का पर्याप्त संख्या में नियोजन, पर्यवेक्षकों और अधिकारियों द्वारा बार-बार जांच करना और समय-समय पर विशेष अभियान चलाना शामिल हैं। प्रति वर्ष सफाई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं और सर्वोत्तम रुप से रखे गए स्टेशन के कर्मचारियों को पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

(ग) जी नहीं।

(च) उपर्युक्त गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए पानी में क्लोरीन नियमित रुप से मिलायी जाती है।

उड़ीसा में "गैस्ट्रो एनटराइटिस" से मृत्यु

4514. **श्री हरिहर सोरन :**

श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान उड़ीसा में गैस्ट्रो एनटराइटिस से कितनी मौतें हुईं;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश मौतें आदिवासी क्षेत्रों में हुईं;

(ग) क्या आवश्यक उपचार के लिए डाक्टरों का केन्द्रीय दल भेजा गया है;

(घ) इस बीमारी के फैलने के क्या कारण है; और

(ङ) इस बीमारी का उन्मूलन करने तथा आदिवासियों को असामयिक मृत्यु से बचाने के लिए राज्य सरकार को कितनी सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार 1986 और 1987 के दौरान उठरान्त्रशोथ के रोगियों और इससे हुई मौतों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	रोगी	मौतें
1986	53392	326
1987	33577	184

(ख) आदिवासी क्षेत्र के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) राज्य सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) यह रोग पीने के असुरक्षित पानी, खराब पर्यावरणिक सफाई और खराब निजी स्वास्थ्य आदि के कारण फैलता है।

(ङ) भारत सरकार ने गम्भीर अतिसारीय रोगों के कारण डिहाइड्रेशन से होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक ओ. आर. टी. कार्यक्रम शुरु किया है जिसका गम्भीर अतिसारीय रोगों से होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर में कमी करने के लिए सातवीं योजना के दौरान क्रमिक रुप से विस्तार किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों और अस्पतालों में विशिष्ट उपचार उपलब्ध है जो रोग को जन्म देने वाले जीवाणुओं पर निर्भर करता है। कहीं से भी औषधों की कमी होने की सूचना नहीं मिली है। सातवीं योजनावधि के अन्त तक इस समस्या से ग्रस्त गांवों में पीने के साफ पानी की सप्लाई करने पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सहयोग से साफ शौचालयों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा

स्वास्थ्य शिक्षा प्रयासों में वृद्धि की जा रही है और सप्लाई किए जाने वाले असुरक्षित पानी को क्लोरीन से साफ किया जा रहा है।

सागर को वायुदूत सेवा से जोड़ना

[हिन्दी]

4515. **श्री नन्द लाल चौधरी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धाना हवाई अड्डा, सागर हवाई जहाजों के उतरने के लिए पूरी तरह विकसीत किया जा चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें अभी क्या कमियां रह गई हैं; और

(ग) सागर को कब तक वायुदूत सेवा से जोड़ दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) धाना (सागर) में डोर्नियर परिचालनों के लिए राज्य सरकार ने हवाई पट्टी को सुदृढ़ और चौड़ा कर दिया है। टर्मिनल भवन के लिए अर्ध स्थाई इमारत, सुरक्षा बाड़ और रुकावटों को हटाने से संबंधित कार्य अभी चल रहे हैं।

(ग) धाना विमान क्षेत्र के परिचालन के लिए तैयार होते ही सागर को हवाई मार्ग से जोड़ने की वायुदूत की योजना है।

क्षय और कुष्ठ रोगों को विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल करना

[अनुवाद]

4516. **डा. जी. विजय रामा राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में क्षय और कुष्ठ रोग शामिल किये गये हैं और यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम निकले हैं और कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या दोनों रोगों के रोगियों की संख्या में कमी नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) क्षय रोग और कुष्ठ रोग दोनों को 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के रूप में कार्यान्वित किये जाते हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान इन पर किए गए व्यय, निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त परिणाम नीचे दिए गए हैं :—

(लाख रुपए)

व्यय	क्षय रोग	कुष्ठ रोग
1985-86	1112.00	1390.00
1986-87	1125.00	1528.00

लक्ष्य और प्राप्त परिणाम

कुष्ठ रोग	(लाख रुपये)			
	1985-86		1986-87	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
रोगियों का पता लगाना	3.81	4.77	4.2	5.1
रोगियों का इलाज	3.81	4.75	4.2	4.9
डिस्चार्ज किए गए रोगी	3.74	4.46	4.3	5.07
क्षय रोग				
क्षय रोग के नए रोगी	14.00	13.58	14.50	14.37
थूक की जांच	34.00	20.23	34.00	22.67

इसके अलावा, राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बंगलौर द्वारा हाल ही में आयोजित क्षेत्रीय अध्ययनों के अनुसार, क्षयरोग की वजह से होने वाली मृत्यु दर जो दशक पहले एक लाख जनसंख्या पर 80 थी अब कम होकर एक लाख जनसंख्या पर 53 हो गई है।

(ख) और (ग) जहां तक क्षयरोग का संबंध है, इसकी व्यापकता, जो कि समुदाय में 1.5 प्रतिशत के लगभग है, में कोई खास कमी नहीं हुई है। अनुमान है कि भारत में 40 प्रतिशत आबादी क्षयरोग रोगाणुओं से संक्रमित है लेकिन, क्षयरोग का विकास व्यक्ति-व्यक्ति पर अलग है और संक्रमित होने के पश्चात् 22 से 25 वर्षों तक वह क्षयरोग से ग्रस्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति विशेष में सक्रिय क्षयरोग का पैदा होना कई कारणों पर निर्भर करता है जैसे किसी में वंशानुगत रोग-प्रतिरोध शक्ति तथा साथ ही पोषण स्तर, आवास और सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों इत्यादि जैसे बाह्य कारण।

जहां तक कुष्ठ रोग का संबंध है, 5 स्थानिकमारी ग्रस्त जिलों में, जहां पर बहु औषध उपचार प्रचलित है, व्यापकता दर में 80 प्रतिशत से भी अधिक तक की कमी तेजी से आई है। आशा है और अधिक जिलों में बहु-औषध उपचार शुरू करने से व्यापकता दर मे आगे और कमी आएगी।

यूनानी कालेज और बेरोजगार यूनानी डाक्टर

4517. श्री अमरसिंह राठवा :
श्री चिन्तामणि जेना :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने यूनानी कालेज हैं, उनके नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) प्रत्येक वर्ष कितने छात्र डिग्री पाठ्यक्रम पास करते हैं;

(ग) क्या यूनानी डाक्टर बड़ी संख्या में बेरोजगार है;

(घ) यदि हां, तो कितने तथा उन्हें खपाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार की देश के शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यूनानी उपचार को प्रचलित करने के लिए क्या योजना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) 31 दिसम्बर, 1986 की स्थिति के अनुसार देश के रोजगार कार्यालयों में में पंजीकृत यूनानी चिकित्सकों की सख्या 436 होने का अनुमान है। रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टर में दर्ज सभी नौकरी चाहने वाले वास्तव में बेरोजगार नहीं होते और सभी बेरोजगार रोजगार कार्यालय में दर्ज नहीं होते। यही नहीं व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित स्नातकों को कई अवसर मिलते है जिनमें प्राइवेट प्रैक्टिस, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में सेवा शामिल है।

(ङ) सरकार स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध करने की प्रणाली के अंग के रूप में यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने और इसकी विशिष्टता के अनुसार इसका पूरा विकास सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है।

भारत सरकार यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 671.54 लाख रुपये के आवंटन की तुलना में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 1003.00 लाख रुपयों का आवंटन किया गया है :

यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान निष्कर्षों को जन प्रचार द्वारा लोगों तक पहुँचाने और राज्य सरकारों के सहयोग से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार कार्य करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

विवरण

भारत में यूनानी कालेजों से पास होने वाले स्नातकों की संख्या

कालेज का नाम	स्नातक छात्रों की संख्या		
	1984	1985	1986
1.	2.	3.	4.
आंध्र प्रदेश			
1. गवर्नमेंट निजामियां तिब्बी कालेज चारमीनार, हैदराबाद	14	28	23

1	2	3	4
2. डा. अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कुरनूल	15	23	16
बिहार			
3. गवर्नमेंट तिब्बिया कालेज, पटना	24	—	—
कर्नाटक			
4. गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कालेज, बंगलौर	9	13	3
मध्य प्रदेश			
5. सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कालेज, बुरहानपुर	22	1	16
महाराष्ट्र			
6. अंजुमन खरीरुल इस्लाम तिब्बिया कालेज एवं अस्पताल, बम्बई	29	42	31
7. मोहमेदिया तिब्बिया कालेज, मालेगांव, जिला नासिक	@	@	@
8. यूनानी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, पुणे	@	@	@
राजस्थान			
9. राजपुताना यूनानी तिब्बिया कालेज, जयपुर	—	1	कोई परीक्षा नहीं हुई
10. राजास्थान तिब्बिया कालेज, जयपुर	11	26	कोई परीक्षा नहीं हुई
11. जवेदिया यूनानी कालेज, जोधपुर	—	26	—तदेव—
तमिलनाडु			
12. गवर्नमेंट यूनानी चिकित्सा पद्धति कालेज, मद्रास	@	@	@
उत्तर प्रदेश			
13. तकमील-उत-तिब-कालेज, लखनऊ	37	36	कोई परीक्षा नहीं हुई
14. यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	9	29	21

1	2	3	4
15. अजमलखां तिब्बिया कालेज, अलीगढ़	49	47	41
*16. यूनानी कालेज जामिया तिब्बिया दारुलउलूम, देववन्द, सहारनपुर	26	17	23
दिल्ली			
**17. आयुर्वेद और यूनानी तिब्बिया कालेज,	17	33	26
18. हमदर्द तिब्बिया कालेज, नई दिल्ली	19	17	15
	281	339	215

टिप्पणी :—@बी. यू. एम. एस. का प्रथम बैच अभी फाइनल परीक्षा के लिए ड्यू नहीं।

£ छात्रों का प्रथम बैंच फाइनल परीक्षा में दिसम्बर, 1986 में बैठा और परिणाम की प्रतीक्षा है।

—शून्य सूचना

×डिप्लोमा (फाइनल उत्तीर्ण)

@@आंकड़े अनन्तिम

आई. सी. 295 उड़ान को लखनऊ की ओर मोड़ना

4518. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर से होकर जाने वाली इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान सं. आई. सी. 295 को कलकत्ता से विलम्ब से रवाना होने के कारण कई दिनों लखनऊ हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया जाता है;

(ख) क्या उड़ानों को इस प्रकार मोड़े जाने में तेजी से वृद्धि होती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन उड़ान को समय-सारणी के अनुसार कानपुर के लिए नियमित रूप से चलाये जाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गत छः महीनों की अवधि के दौरान (अगस्त, 1987 से जनवरी, 1988 तक) आई. सी.-295 की कानपुर के रास्ते 78 अनुसूचित उड़ानों में से 33 अवसरों पर कानपुर में सूर्यास्त के बाद विमानों को अवतरण पर प्रतिबंध होने के कारण इन उड़ानों को लखनऊ की ओर मोड़ दिया गया था।

(घ) चूंकि सरदी का मौसम बीत रहा है। अतः यह आशा की जाती है कि आई सी.-295 में कम से कम विलंब होगा। लेकिन अतिरिक्त बोइंग 737 विमान के इस प्रणाली में शामिल हो जाने के बाद इंडियन एयरलाइंस सेवा के समय में संशोधन करने के लिए विचार करेगी।

राष्ट्रीय नर्सिंग नीति

4519. **प्रो. सैफुद्दीन सोज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी राष्ट्रीय नर्सिंग नीति तैयार और घोषित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वैगन तथा कंटेनर

4520. **श्री के. राममूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने कभी चार पहिए वाले वैगनों की तुलना में बोगी-वैगनों की उपयोगिता का विश्लेषण किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ख) सपाट तल वाले वैगनों तथा कंटेनरों के बेड़े में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और इससे वैगनों के अधिक फेरे पूरे करने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) कंटेनरों के परिवहन के लिए सपाट सतह वाले बी. एफ. के. आई, माल डिब्बों के उत्तरोत्तर उत्पादन की योजना बनायी गयी है। इस किस्म के माल डिब्बे बेहतर फेरों के लिए ब्लाक रेकों में चल रहे हैं।

निर्माणाधीन रेल परियोजनाएं

4521. **श्री वाई. एस. महाजन** :

श्री सैयद मसूदल हुसैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी परियोजनायें निर्माणाधीन हैं, इन्हें कब शुरू किया गया था, इनको पूरा करने करने की निर्धारित समय सूची क्या थी तथा इस समय पूरा करने की समय-सूची क्या है,

(ख) प्रत्येक परियोजना की मूल लागत कितनी थी और प्रत्येक परियोजना के पूरा होने तक कितनी लागत आने का अनुमान है,

(ग) प्रत्येक परियोजना के मामले में विलम्ब के स्पष्ट कारण क्या है, और

(घ) इन समय तथा लागत वृद्धियों से क्या प्रभाव पड़ेगा।

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न हैं जिसमें चालू नयी रेल लाइन परियोजनाओं का अनुमोदन वर्ष, अनुमोदित लागत तथा नवीनतम लागत और उन पर हुई कार्य की प्रगति दर्शायी गयी है। रेल परियोजनाओं की समापन अनुसूची मुख्यतः संसाधनों के आवंटन पर निर्भर करती है। नयी लाइनों के लिए जिन संसाधनों का आवंटन किया जा सकता है, वे सीमित हैं जिसके परिणामस्वरूप इस तरह की परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब हो जाता है तथा जिससे लागत बढ़ जाती है।

विवरण

सं.	परियोजना	अनुमोदन का वर्ष	अनुमोदित लागत	नवीनतम लागत	दिसम्बर/87 तक प्रतिशत प्रगति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	एर्णाकुलम-अलेप्पी	79-80	15.07	49.13	42	—
2.	अलेप्पी-कायनकुलम	82-83	11.10	33.91	8	—
3.	करूर-डिंडीगुल-मनियचि-तूतीकोरिन/तिरुनेलवेली	81-82	42.96	120.00	39	64 कि. मी. की यातायात के लिए खोल दिया गया। करूर-डिंडीगुल (73 कि. मी.) के लिए लक्ष्य 88-89
4.	आदिलाबाद-पिम्पलकुट्टी	83-34	4.50	17.19	23	
5.	कोरापुट-रायगड़ा	81-32	112-10	322.00	18	20 कि. मी. को दिसम्बर, 85 में खोल दिया गया था।
6.	कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच	80-81	53.51	120.00	46	कोटा-चित्तौड़गढ़ (166 कि. मी.) के लिए लक्ष्य 88-89
7.	मटिंडा बाई पास लाइन	82-83	2.96	5.49	52	6 कि. मी. मार्च, 88 तक, 2 कि. मी. 88-89 में
8.	भुज-नलिया	81.82	22.00	35.92	90	लक्ष्य मार्च" 88

1	2	3	4	5	6	7
9.	धर्म-नगर-कुमारघाट	78-79	29.59	37.10	77	22 कि. मी. को मार्च, 86 में खोल दिया गया
10.	बालोपाड़ा-मालुकयोग	78-79	9.97	14.18	52	बालोपारा-गम्रनी (14 कि. मी.) 88-89 में
11.	सिलचर-जिरीबाय	78-79	12.13	34.48	59	
12.	लालबाजार-भैराबी	78-79	18.76	32.85	60	लालबाजार-जम्मीरा (30 कि. मी.) के लिए लक्ष्य मार्च, 88
13.	मथुरा-अलवर	83-84	34.75	44.23	85	—
14.	सतना-रीवा	85-85	30.00	38.00	5	—
15.	गुना-इटावा	85-86	158.77	176.00	4	7 कि. मी. लाइन खोल दी गयी
16.	नगल डैम-तलवाड़ा और मुकेरिया-तलवाड़ा साइडिंग का अधिग्रहण	81-82	33.49	90.00	9	7 कि. मी. लाइन खोल दी गयी
17.	जम्मूतवी-ऊधमपुर	81-82	50.00	110.00	8	—
18.	रामपुर-न्यू हल्दवानी	74-75	12.98	38.52	23	—
19.	ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल एवं सड़क पुल सहित जोगीघोपा गुवाहाटी	83-84	87-73	171.80	1	—
20.	तेंलापुर-पाटनचेरु	81-82	2.22	7.80	48	—

21. तालचेर-सम्बलपुर	84-85	57.97	100 00	8	—
22. चित्रदुर्ग-रायदुर्ग	81.82	16.92	35.00	12	—
23. तामलुक-दीघा	84-85	43.72	77.13	3	—
24. लक्ष्मीकांतपुर-नामखाना	87-88	40.90	48.90	5	—
25. त्रिचूर-गुरुवायूर	87-88	16.67	17.17	2	—
26. एकलाखी-बालूरघाट	83-84	42.85	60.00	3	—
27. ग्राम गुड़ी-तुली	78-79	4.83	8.78	20	भूमि के न सौंपे जाने तथा असम-नागालैंड सीमा पर विवाद के कारण कार्य में रुकावट
28. हवड़ा-आमता/चंपाडांगा	74-75	19.72	60.00	—	24 कि. मी. को 1984 में यातायात के लिए खोल दिया गया
29. कपड़वंज-मोडासा	78-79	5.30	30.00	9	—
30. बगहा छितौनी (पुनर्स्थापित)	74-75	6.74	40.00 रेलवे 60.00 विभागीय	9	बगहा-वाल्मीकि नगर रोड (9 कि. मी.) अक्टूबर, 78 में यातायात के लिए खोल दिया गया ।

इलाहाबाद और पटना के बीच जल मार्ग का विकास

4522. **श्री आनन्द सिंह :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया और भारतीय अन्तर्देशीय जल- मार्ग प्राधिकरण इलाहाबाद और पटना के बीच नौगम्य जल मार्ग का विकास करने के लिए एक परियोजना पर कार्य कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितना वित्तीय व्यय आएगा और कितना समय लगेगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इलाहाबाद और पटना के बीच नौचालन में सुधार लाने के सम्बन्ध सर्वेक्षण यूनिट को सुदृढ़ करने के लिए ड्रेजिंग कारपोरेशन आप इंडिया के कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त की हैं। इस सम्बन्ध में ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के कार्मिकों को लगाने पर अनुमानत: 21.28 लाख रुपए के लगभग खर्च होंगे।

"परती भूमि का सर्वेक्षण"

4523. **श्री सी. माधव रेड्डी :**

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में परती भूमि के कुल क्षेत्र का कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो परती भूमि क्षेत्र के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने देश की कुल 175 मिलियन हैक्टेयर भूमि के मृदा क्षरण और मृदा-निम्नीकरण की समस्या से प्रभावित होने का अनुमान लगाया था राज्यवार सही ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। देश के 147 जिलों में जिनमें परती भूमि बहुत अधिक मात्रा में है वहां परती भूमि का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय परती भूमि अभिज्ञान प्रायोजना कार्यान्वित की जा रही है।

राजस्थान, बिहार तथा अन्य राज्यों में जबरदस्ती नसबन्दी करना

हिन्दी

4524. **श्री कालीप्रसाद पांडेय :**
श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूखे की अवधि के दौरान राजस्थान, बिहार तथा कई अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर जबरदस्ती नसबन्दी कराई गई है,

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 1987 से आज तक इन क्षेत्रों से प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) क्या सरकार ने सूखे की अवधि में जबरदस्ती नसबन्दी को रोकने के लिए संबंधित

राज्यों को कोई अनुदेश जारी किये थे और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) इस मंत्रालय में अभी तक जबरदस्ती नसबन्दी कराये जाने की कोई पक्की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, राज्यों से स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर रेलवे के अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभ

अनुवाद

4525. **श्री पी. पेंचालिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के सिगनल विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को, जो 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवा निवृत्त हो गये हैं, पेंशन सम्बन्धी लाभ नहीं दिए गए हैं,

(ख) यदि हां तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने अस्थायी कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए हैं, और

(ग) उन्हें पेंशन सम्बन्धी लाभ न देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) सम्बन्धित क्षेत्रीय रेलवे से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के लिये पुस्तकें

4526. **प्रो. के. वी. थामस** :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आम शिकायत है कि पाठ्य पुस्तकों का गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के लिये अच्छे स्तर की पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) और (ख) विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रमों के लिए, विभिन्न विषयों की उच्च स्तरीय पुस्तकें पाठ्य पुस्तकों तथा अध्ययन सामग्री के रूप में निर्धारित की जाती है। आमतौर पर पाठ्यपुस्तकों का निर्माण विश्वविद्यालय नहीं करते। हालांकि विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों की कोटि में गिरावट की कोई शिकायत नहीं है, परन्तु यह रिपोर्ट मिली है कि भारतीय भाषाओं में उच्च कोटि का कार्य उपलब्ध नहीं है, ताकि उन्हें विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यपुस्तकों और अध्ययन सामग्री के रुप में निर्धारित किया जा सके।

(ग) सरकार में 1968 में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के निर्माण की प्रमुख योजना आरम्भ की थी। अभी तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में 7452 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। तथापि, संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा इन सभी पुस्तकों को पाठ्य-पुस्तकों व अध्ययन सामग्री के रूप में

निर्धारित नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्कृष्ट शिक्षाविदों को उच्च कोटि की पुस्तकें, मोनोग्राम तथा पठन सामग्री तैयार करने हेतु सहायता प्रदान करने की योजना आरम्भ की है। अभी तक 263 विषयों में पांडुलिपियां पूर्ण हो गई हैं। आजकल इन दोनों ही योजनाओं की समीक्षा की जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में एयर इंडिया का हिस्सा

4527. **श्री विजय एन. पाटिल :**

श्री सी. माधव रेड्डी :

क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमानन कम्पनियों की तुलना में गैर-प्रतियोगी विमान कम्पनी बन गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में एयर इंडिया के हिस्से में आ रही गिरावट को रोकने के उपायों के सुझाव देने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लगातार ध्यान देने और सुधार करने की दृष्टि से एयर इंडिया के निदेशक-मंडल ने विशेषता प्राप्त एजेंसियों को विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन करने और उनमें सुधार के लिए सिफारिश कार्य सोंपा है मार्केटिंग,, उपस्कर, संगठनात्मक और वित्तीय योजना के कार्य के लिए, नियमित योजना तैया करने के लिए निगम में ही एक सुनियोजित योजना ग्रुप की स्थापना की गई है।

खिलाड़ियों के मानसिक (साइकोलोजिकल) तनाव को नियंत्रित करने की तकनीक

4528. **श्री मुकुल वासनिक :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खिलाड़ियों के मानसिक तनाव को नियंत्रित करने के लिये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया सिखाने के प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) जी, हां। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान द्वारा प्रयोग की गई तकनीकियां नीचे दी गई हैं :—

I. प्रोग्रेसिव रिलेक्सेशन तकनीक;

II. बायोफीडबेक द्वारा समर्थित आटोजेनिक ट्रेनिंग;

III. फिजियो-मोटर बिहेवियरल रिहर्सल; और

IV. सिस्टामेटिक डिसेनसिटिजेशन।

नवम्बर, 1987 में कलकत्ता में हुए तीसरे दक्षिण एशिया संघ खेलों में भाग लेने वाली भारतीय मुक्केबाजी टीम के साथ औपचारिक तौर पर एक मनोवैज्ञानिक को लगाया गया था। लखनऊ में प्रशिक्षण ले रही भारतीय हाकी टीम के साथ भी एक मनोवैज्ञानिक को लगाया गया है। आटोजेनिक प्रशिक्षण की शिक्षा, तीरंदाजी शिविरार्थियों, एथलेटिक्स, जो-जो और कबड्डी खिलाड़ियों को दी गई थी।

लन्दन, सिडनी, टोकियो और पेरिस के लिये एयर इंडिया की सीधी उड़ाने

4529. श्री के. एल. राव :

क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया की उड़ानों को लन्दन, सिडनी टोकियो और पेरिस जैसे गन्तव्य स्थानों को जाने के लिए अन्य प्रतियोगी एयरलाइनों की तुलना में बीच में अधिक स्थानों पर रुकना पड़ता है;

(ख) क्या लम्बी दूरी की उड़ाने भरने वाले विमानों की अनुपस्थिति के कारण और व्यवसायिक श्रेणी के यात्री एयर इंडिया की उड़ानों से यात्रा करने से कतराते हैं जिसके परिणामस्वरूप एयर इंडिया को काफी घाटा उठाना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रतियोगी विमान कम्पनियों के अनुरूप बनने के लिए, इंडिया ने लन्दन के लिए बिना रुके उड़ानें शुरू कर दी हैं। निकट भविष्य में पेरिस और तोक्यो के लिए भी एयर इंडिया की बिना रुके सेवाएं शुरू करने की योजना है।

इंडियन एयरलाइन्स में दिहाड़ी और तदर्थ आधार पर नियुक्तियां

[हिन्दी]

4530. श्री राजकुमार राय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न हवाई अड्डों पर दिहाड़ी और तदर्थ आधार पर लोगों की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या ऐसे लोगों की नियुक्ति रोजगार केन्द्रों के माध्यम से की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री श्री मोतीलाल वोरा : (क) इंडियन एयरलाइन्स ने लोगों को दिहाड़ी पर रखा है और न कि तदर्थ आधार पर।

(ख) अप्रत्याशित/अनियोजित अनुपस्थिति या आवश्यक प्रकार के कार्य-भार में एकदम वृद्धि हो जाने के कारण इंडियन एयरलाइन्स ने दिहाड़ी पर कामगरों को रखना जारी रखा है और लोडर, सफाई कर्मचारी, ड्राईवर, कैन्टीन बेयरर आदि श्रेणियों में इन्हें केवल "बदलीयों" के रूप में रखा जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चूंकि दिहाड़ी के कामगारों के लिए तैनाती की अवधि अनिश्चित और अधिकतर थोड़े समय के लिए होती है, अतः ऐसी अल्पावधि नियुक्तियों के लिए रोजगार केन्द्रों को व्यक्तियों के नामांकन के लिए कहना व्यावहारिक नहीं है।

दिल्ली परिवहन निगम में कंडक्टरों की नियुक्ति

अनुवाद

4531. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम में कंडक्टर-संवर्ग में कुल कितनी रिक्तियां हैं,

(ख) अप्रैल, 1986 से अब तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने नए कंडक्टरों की नियुक्ति की गई और,

(ग) वर्ष 1985, 1986 तथा 1987 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम में अन्य राज्यों के कुल कितने कंडक्टरों की नियुक्ति की गई और उनमें अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 16-3-1988 की स्थिति के अनुसार इस संवर्ग में कोई रिक्ति नहीं है।

(ख) अनु. जाति 268
अनु. जनजाति शून्य

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तपेदिक रोग संबंधी अनुसंधान

हिन्दी

4532. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तपेदिक रोग से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए नई औषधियों के संबंध में कोई अनुसंधान-कार्य किया गया है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) : इस समय भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र, मद्रास रिफेम्पिसिन, पाइराजिनामाइड और इथामबुटोल जैसी क्षयरोग-रोधी शक्तिशाली औषधों द्वारा अल्पकालिक उपचार की जांच कर रहा है।

इन औषधों के इस्तेमाल से इस चिकित्सा पद्धति की 12 से 16 माह की अवधि से घटकर 6 से 9 माह तक हो जाने की आशा है। फलतः रोगी द्वारा इस चिकित्सा पद्धति का बेहतर पालन होता है और रोगी के रिकार्ड का बेहतर प्रबन्ध होता है तथा रोग के फैलने का खतरा भी कम होता है।

कुछ जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करने के लिए समिति

[अनुवाद]

4533. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** . क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए कुछ जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने की संभावना की जांच करने के लिए गठित समितियों के नाम क्या हैं, उन्हें किन-किन तारीखों से गठित किया गया है तथा उनमें शामिल किए गए सदस्यों के नाम क्या हैं,

(ख) इन समितियों ने किन-किन तारीखों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इस प्रयोजन के लिए कितना धन व्यय किया गया है, और

(ग) जिन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने के लिए सक्षम पाया गया है उनके महत्व का ब्यौरा क्या है और समितियों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित नदी-वार परिव्यय क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) अन्य बातों के साथ-साथ कुछ जलमार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किए जाने की संभावना की जांच करने के लिए निम्नलिखित समितियां नियुक्त की गई थी। ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

क्र.सं.	समिति का नाम	नियुक्ति की तारीख	शामिल किए गए सदस्य
(I)	अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति	18.2.1957	10
(II)	राष्ट्रीय जल मार्ग संबंधी समिति	21.4.1973	7

सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

योजना आयोग द्वारा गठित राष्ट्रीय परिवहन नीति ने अन्तर्देशीय जल परिवहन सेक्टर सहित सभी सेक्टरों की जांच की थी। इस में उन्होंने ऐसी संभव नदी प्रणालियों का पता लगाने के प्रश्न पर विचार किया जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किए जाने पर विचार किया जा सके। इसकी रिपोर्ट मई, 1980 में प्राप्त हुई थी।

(ख) उपर्युक्त (I) में उल्लिखित समिति ने जून. 1959 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उपर्युक्त (II) में उल्लिखित समिति ने जनवरी, 1974 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दोनों मामलों में रिपोर्टें 28/14 वर्ष पहले प्रस्तुत की गई थीं और खर्च के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) तथापि, उपर्युक्त (I) में उल्लिखित समिति ने किसी भी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने की सिफारिश नहीं की। उपर्युक्त (II) में उल्लिखित राष्ट्रीय जल मार्ग संबंधी समिति ने गंगा-भगीरथी-हुगली नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की सिफारिश की। कोई विशिष्ट वित्तीय परिव्यय नहीं सुझाया गया था।

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने निम्नलिखित जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने का सुझाव दिया :—

(I) गंगा-भगीरथी-हुगली नदी प्रणाली

(II) ब्रह्मपुत्र

(III) सुन्दरबन

(IV) पश्चिमी तट कैनाल

(V) गोदावरी

(VI) कृष्णा

(VII) गोवा मांडोवी एवं जुआरी नदी और कुम्बरजुआ कैनाल

(VIII) नर्मदा

(IX) महानदी

(X) तापी

नदीवार कोई विशिष्ट परिव्यय नहीं दर्शाया गया है।

विवरण

सदस्यों के नाम

समिति का नाम	उसमें शामिल सदस्य
1. अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति	1. श्री बी. के गोखले, आई सी. एस (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष तुंगभद्रा बोर्ड
	2. श्री एच. पी. मथरानी, आई.एस.ई. (सेवानिवृत्त), विकास सलाहकार व संयुक्त सचिव, परिवहन और संचार मंत्रालय
	3. श्री यू. एन. महिदा, आई.एस.ई. मुख्य इन्जीनियर, बम्बई सरकार
	4. श्री डी.वी. जोलेकर, निदेशक,केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र
	5. सदस्य योजना या निदेशक डब्ल्यू आई.एन. बारी बारी में केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग। (श्री डी. मेहता, आई. एस. ई. मुख्य इन्जीनियर 4 जून, 1958 तक)

1	2
	6. (श्री के एल राव, सदस्य. 5 जून, 1958 से 15 सितम्बर 1958 तक) (श्री यादव मोहन, आई एस ई सदस्य—16 सितम्बर, 1958 से)
	6 श्री एस. के. मुकर्जी, मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक, उत्तर रेलवे
	7. श्री जे. बी. क्रेम, प्रबंध निदेशक मेकनेल एण्ड बेरी लि.
	8. श्री बी. एल. जालान, प्रतिनिधि फैडरेशन आफ इन्डिया चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री
	9. श्री के. सी. चटर्जी, प्रबंध निदेशक इंडियन शिपिंग कं. लि.
	10. श्री एस. पी. सारथी, कलकत्ता पोर्ट के कमिशनर्स के अधिकारी जिन्हें 15 मई, 1957 से अंशकालिक रूप में नियुक्त किया गया था।
2. राष्ट्रीय जलमार्ग विषयक समिति	1. श्री पी.एच. त्रिवेदी, निदेशक, नौवहन और परिवहन मंत्रालय
	2. श्री एच.एस. बनर्जी, मुख्य इन्जीनियर व प्रशासक (आई डब्ल्यू डी) नौवहन और परिवहन मंत्रालय
	3. श्री एन. गोपाल कृष्णन, उपसचिव (आंतरिक वित्त) नौवहन और परिवहन मंत्रालय
	4. उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि
	5. बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि
	6. असम सरकार का एक प्रतिनिधि
	7. पश्चिम बंगाल सरकार का एक प्रतिनिधि।

सहायक चेतावनी प्रणाली

4534. श्री एस. जी. थोलप : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत चर्चगेट और विरार के बीच सहायक चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था की गई है,

(ख) इसकी अनुमानित लागत कितनी है और इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है,

(ग) क्या मध्य रेलवे के अन्तर्गत बम्बई वी.टी.—कल्याण के बीच भी उक्त सहायक चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था की जायेगी, और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है,

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) इस कार्य की अनुमानित लागत 2.58 करोड़ रुपये है और इसके 31.3.1988 तक पूरा होने की संभावना है।

(ग) जी हां।

(घ) मध्य रेलवे के बम्बई वी. टी. कल्याण खंड और हार्बर ब्रान्च उपनगरीय खंड पर सहायक चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था संबंधी कार्य की अनुमानित लागत 4.80 करोड़ रुपये है। इस कार्य के 1990-91 में पूरा होने की संभावना है।

रांची हवाई अड्डे पर रात में विमान उतारने की सुविधा

हिन्दी

4535. श्री शिव प्रसाद साहू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या रांची हवाई अड्डे पर रात में विमान उतारने की सुविधा संबंधी उपकरणों को स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा तथा रात में विमान उतारने का कार्य कब से आरम्भ हो जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) (क) से (ग) : कुछ स्थानीय समस्याओं के कारण रांची हवाई अड्डे पर रात्रि अवतरण सुविधाओं को लगाने के कार्य में विलंब हो गया लेकिन अब ये समस्यायें निपटा दी गई हैं और कार्य शुरू कर दिया गया है रात्रि अवतरण सुविधाओं के विभिन्न उपकरणों, अर्थात् उच्च तीव्र गति रनवे लाइट, 3-बार विजुअल एप्रोच स्लोप इण्डिकेटर सिस्टम, एप्रन फ्लड लाइट एवं साधारण एप्रोच लाइटिंग सिस्टम के संस्थान का कार्य दिसम्बर, 1988 तक पूरा हो जाने की आशा है।

सन् 2001 तक परिवहन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना

4536. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन नीति संबंधी समिति ने सन् 2001 तक सड़कों की लम्बाई और उन पर यात्रियों और माल के परिवहन की मात्रा के बारे में कोई आंकलन किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने उक्त आंकलन में परिकल्पित परिवहन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार की है,

(घ) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) वर्ष 2000 ई. के लिए राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की रिपोर्ट में दर्शाए गए अनुमान निम्न प्रकार हैं :

	रेल, वायु और सड़कों का योग	सड़क परिवहन का अंश
(I) बिलियन यात्री कि. मी. के. रूप में यात्री ट्रैफिक	1344	800
(II) फ्रेट ट्रैफिक बिलियन टन कि. मी. में	650	182

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा सड़क नेटवर्क की कुल लम्बाई का कोई खास अनुमान नहीं लगाया है, बल्कि वर्ष 2001 ई. को समाप्त होने वाली 20 वर्षीय भावी योजना की आवश्यकता पर बल दिया है। समिति ने राष्ट्रीय राजमार्गों में 13000 कि.मी. वृद्धि करने की सिफारिश की है। सड़क और सड़क परिवहन सेक्टर के लिए पंचवर्षीय योजनाएं/वार्षिक योजनाएं बनाते समय राष्ट्रीय परिवहन नीति समित की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर शिक्षण केन्द्र

4537. **श्री आशाकरण संखवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कालेजों में, जहां कम्प्यूटर अध्ययन का एक विषय है, कम्प्यूटर उपलब्ध न होने के कारण हाल ही में हड़ताल हुई थी;

(ख) क्या सरकार का इन कालेजों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"विकास परियोजनाओं के लिये वन-भूमि"

अनुवाद

4538. **श्री जी. वेंकटराव नायक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक से सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं, अस्पतालों, स्कूलों तथा अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के निर्माण के लिये वन भूमि प्रदान किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से अब तक कितने प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) 25-10-1980 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 77 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों की मांगें पूरा किया जाना

4539. **डा. वी. वेंकटेश** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों की उचित मांगों को पूरा करने में विलम्ब किये जाने के बारे में कुछ शिकायतें की गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्वविद्यालयों की मांगों को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. साही) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुसार, किसी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को किए गए आवंटन पर निर्भर करता है, विश्वविद्यालयों की उस योजना के दौरान सामान्य विकास के लिए उनके पास उपलब्ध संभावी आवंटन के बारे में सूचित किया जाता है। आयोग विश्वविद्यालयों के लिए उनके प्रस्ताव तैयार करने के वास्ते विस्तृत दिशा-निर्देश भी तैयार करता है। इन दिशा-निर्देशों के आधार पर विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दर्शाए गए आवंटनों के अन्दर अपने विकास कार्यक्रम तैयार करें जिनकी बाद में आयोग द्वारा विजिटिंग समितियों की सहायता से जांच की जाती है।

VII योजना के दौरान दिशा-निर्देशों को अन्तिम रूप देने में कुछ बिलम्ब हो गया था। आयोग ने महसूस किया कि इसके दिशा-निर्देशों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और इसकी कार्रवाई योजना के प्रमुख बल तथा विषयों का स्पष्ट पता चलना चाहिए। दिशा-निर्देशों को अक्तूबर, 1986 में अन्तिम रूप दिया गया था और विश्वविद्यालयों में परिचालित किया गया था। आयोग ने निर्णय किया कि प्रत्येक विश्वविद्यालयों में विजिटिन्ग समितियां भेजने के बजाय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को आयोग के साथ अपने प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए आमन्त्रित किया जाना चाहिए। तदनुसार फरवरी, 1987 के दौरान 88 विश्वविद्यालयों और जून, 1987 में 11 विश्वविद्यालयों के मामले में विचार विमर्श किया गया था। उपर्युक्त विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिये जाने तथा आयोग ने प्रत्येक विश्वविद्यालयों के लिए संभावी आवंटन के लगभग 30./' की अधिकतम सीमा के अन्दर योजना के पहले दो वर्षों में विश्वविद्यालयों के शीघ्र विकास कार्यक्रमों को भी संस्वीकृत करने का भी निर्णय किया।

केरल एक्सप्रेस की नियमितता स्वच्छता और उसमें परोसे जाने खाने की किस्म

4540. **श्री आर्य जोसफ मुन्डाकल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले तीन महीनों के दौरान केरल एक्सप्रेस देर से चलती रही है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या इन गाड़ियों के लिये दिये गये दो क्लीनर वापस ले लिये गये हैं और इसके डिब्बे साफ सुथरे नहीं रखे जाते,

(घ) क्या यात्रियों और संसद सदस्यों से खाने का ठण्डा मंहगा और घटिया होने के बारे में शिकायतें मिली हैं, और

(ङ) यदि हां, तो इन गाड़ियों में सफाई अच्छी सेवा अच्छे किस्म का खाना और इन्हें नियमित रूप से चलाया जाना सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) 15 दिसम्बर, 1987 से 14 मार्च, 1988 तक केरल एक्सप्रेस के समय पर अपने गन्तव्य पर पहुँचने का समयपालन प्रतिशत 66 8 था।

(ख) गाड़ी के विलम्ब से चलने के मुख्य कारण खतरे की जंजीर का खींचा जाना, धुंध दुर्घटनाएं और डीजल रेल इन्जन/सिगनल उपस्कर की खराबियां थी।

(ग) कर्मचारी उत्पादकता में सुधार लाने के लिए यौक्तिकीकरण के भाग के रूप में सफाई वालों को हटाया गया था और टर्मिनलों तथा मार्गवर्ती ठहरावों पर कर्मचारियों को पुनः लगाकर सवारी डिब्बों का अनुसरण किया गया था। संशोधित व्यवस्थाएं संतोषजनक ढंग से चल रही हैं।

(घ) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। तथापि, की गयी गहन रायशुमारी से पता चला है कि अधिकांश यात्रियों ने कैसरोल सेवा की सराहना की है।

(ङ) गाड़ी में सफाई और अच्छी सेवा सुनिश्चित करने का हर प्रयास किया जा रहा है। गाड़ी के समयपालन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

पूर्णिया के लिए वायुदूत सेवा

4541. **श्री तारिक अनवर** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में पूर्णिया को वायुदूत सेवा द्वारा जोड़ने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में वायुदूत सेवा शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सेवा को कब तक शुरू किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) हालांकि पूर्णिया को वायुदूत द्वारा हवाई सेवा से जोड़ने वाले अनुमोदित स्टेशनों में शामिल कर लिया गया है परन्तु विमान क्षमता में कमी तथा हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन के न होने के कारण वहां अभी तक हवाई सम्पर्क उपलब्ध नहीं किया गया है;

(ख) और (ग) विमान क्षमता की उपलब्धता परिचालनों की आर्थिक व्यवहार्यता तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास होने पर वायुदूत की चालू योजना अवधि के दौरान पूर्णिया को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना है।

मिश्रित चिकित्सा पद्धति द्वारा चिकित्सा करने वाले चिकित्सक

हिन्दी

4542. **डा. प्रभात कुमार मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने चिकित्सक मिश्रित चिकित्सा पद्धति द्वारा चिकित्सा करते हैं,

(ख) शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति प्रारम्भ किये जाने के पश्चात् मिश्रित चिकित्सा पद्धति द्वारा चिकित्सा करने वालों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया,

(ग) क्या सरकार का विचार मिश्रित पद्धति पुनः प्रारम्भ करने का है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) :(क) मिश्रित पद्धति नामक मान्यता प्राप्त कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

नैमित्तिक श्रमिकों को खपाया जाना

अनुवाद

4543. **प्रो. पी. जे. कुरियल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में प्रतिवर्ष कितने नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया जाता है, और

(ख) उन्हें शीघ्र नियमित किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है;

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) नियमित नियोजन में समाहित किये गये नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या वर्ष प्रतिवर्ष भिन्न-भिन्न होती है । वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान क्षेत्रीय रेलों पर समाहित किये गये नैमित्तिक श्रमिमों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है ।

1985-86	1986-87
15,500	18,500

(ख) वस्तुतः ग्रुप "डी" में सभी रिक्तियां कुछ अपवादों सहित फिलहाल स्क्रीनिंग के बाद नैमित्तिक श्रमिकों एवजियों के समाहन द्वारा भरी जा रही हैं । तथापि, समाहन रिक्तियों की उपलब्धता तथा नियमित नियोजन के लिए अलग-अलग नैमित्तिक श्रमिकों की उपयुक्तता और पात्रता जैसे कारकों पर निर्भर करता है ।

उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालय

[हिन्दी

4544. **श्री हरीश रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 में उत्तर प्रदेश में कितने नवोदय विद्यालय खोलने का विचार है;

(ख) क्या इन विद्यालयों को खोलने के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन विद्यालयों को कौन-कौन से स्थानों पर खोला जाएगा; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में इस वर्ष के दौरान ऐसे विद्यालय खोले जायेंगे ?

मानव संशाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल. पी. साही) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1988-89 के दौरान दस और नवोदय विद्यालय निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित करने की संस्वीकृति प्रदान की गई है :—

1, गांव देवरियां, जिला गोंडा
2. गांव मेजाखास, जिला इलाहाबाद
3. गांव धुनगिर, जिला उत्तरकाशी
4. गांव बहादुरपुर, जिला बस्ती
5. गांव पेगाम, जिला मथुरा
6. गांव खुमरपुर, जिला गाजियाबाद
7. गांव ग्रामसभा अकबरगंज, जिला सीतापुर
8. गांव कोलरा कलां जिला आगरा
9. गांव कलामस्ति, जिला उन्नाव
10. गांव बघरा, जिला मुज्जफरनगर

(घ) पिथोरागढ़ में नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव स्थल का सर्वेक्षण करने के लिए निरीक्षण टीम को भेजा गया है और रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद निर्णय दिया जाएगा।

एक नवोदय विद्यालय गांव उत्तरखंड विद्यापीठ जिला चमोली में पहले से ही संस्वीकृत किया गया हैं जो वर्ष 1987-88 से कार्य कर रहा है।

कैंसर से होने वाली मौतों में वृद्धि

अनुवाद

4545. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 के दौरान कैंसर के रोगियों और कैंसर से हुई मौतों की संख्या में इस से पिछले दो वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस रोग के निदान और उपचार हेतु अतिरिक्त सुविधायें जुटाने के लिए क्या उपाय किये गये ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) भारत में 1985 और 1986 के दौरान विशेषज्ञ कैंसर अस्पतालों में कैंसर के रोगियों और मौतों की संख्या में वृद्धि या कमी के कारण सलंग्न वितरण में दिए गए हैं। वर्ष 1987 की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) रेडियो थिरेपी सहित कैंसर के उपचार की सुविधाएं देश की 91 संस्थाओं में उपलब्ध हैं। केमोथिरेपी की सुविधाएं सामान्यतया सभी बड़े अस्पतालों में उपलब्ध हैं। प्रसवोत्तर कार्यक्रम के अन्तर्गत पैप स्मीयरिंग यूनिटों वाले 58 मेडिकल कालेज हैं और उनमें कैंसर का पता लगाने की सुविधाएं भी हैं। 28 संस्थाओं में कैंसर का आरम्भावस्था में पता लगाने वाले केन्द्र खोले गए हैं। सातवीं योजना के 20 करोड़ रुपये के आवंटन के अन्दर अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता, कटक, दिल्ली गुवाहाटी, ग्वालियर, मद्रास और तरुवनन्तपुरम स्थित 9 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को उनके विकास हेतु आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए सहायता दी जा रही है। कोबाल्ट थिरेपी यूनिटें स्थापित करने के लिए संस्थाओं की 12 लाख रुपये की दर से केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

विवरण

भारत में 1985 और 86 के दौरान विशेषज्ञ कैंसर अस्पतालों में कैंसर के रोगियों और मौतों की संख्या में वृद्धि या कमी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अस्पताल का नाम	1985 के दौरान भर्ती	1985 के दौरान मौतें	1985 के दौरान सूचित अस्पतालों की संख्या	1986 के दौरान भर्ती	1986 के दौरान मौतें	1986 के दौरान सूचित अस्पतालों की संख्या	दाखिले में वृद्धि या कमी	मौतों की वृद्धि या कमी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	1	3632	88	1	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	—	—	—
असम	1	377	8	1	372	4	1	कमी	कमी
बिहार	1	उपलब्ध नहीं	—	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	—	—	—
गुजरात	1	996	39	1	1076	41	1	बढ़ोतरी	बढ़ोतरी
हिमाचल प्रदेश	1	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	—	—	—
कर्नाटक	2	5543	356	2	5587	354	2	बढ़ोतरी	कमी
केरल	1	1332	105	1	1476	154	1	बढ़ोतरी	बढ़ोतरी
मध्य प्रदेश	5	4705	301	5	4778	276	5	बढ़ोतरी	कमी

महाराष्ट्र	2	12159	568	2	9094	396	1	कमी	कमी
उड़ीसा	1	1747	100	1	1810	98	1	बढ़ोतरी	कमी
तमिलनाडु	5	13968	385	4	13098	378	4	कमी	कमी
त्रिपुरा	1	280	1	1	499	9	1	बढ़ोतरी	बढ़ोतरी
उत्तर प्रदेश	1	1360	71	1	1253	56	1	कमी	कमी
पश्चिम बंगाल	3	3773	372	3	2065	274	2	कमी	कमी
कुल	26	49872	2394	23	41118	2040	20	कमी	कमी

आंध्र प्रदेश में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास

4546. **श्री बी. शोभनाद्रीश्वर राव :**

श्री सी. सम्बु :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान आंध्र प्रदेश में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास पर कितना आवंटन किया गया, कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई और कितना व्यय किया गया है, और

(ख) इस अवधि के दौरान क्या-क्या उपलब्धियां हुई हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) केन्द्र द्वारा ऋण सहायता देने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के तहत आन्ध्र प्रदेश सरकार को 20 लाख रुपए आवंटित किए गए है। समेकित आधार पर बकिंघम केनाल, इलुरू केनाल, कोमामुर केनाल और काकीनाडा केनाल में सुधार लाने सम्बन्धी स्कीमें संस्वीकृति के लिए राज्य सरकार से प्राप्त होनी हैं। इसलिए अब तक इस शीर्ष के तहत कोई खर्च नहीं हुआ है।

राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्रीय स्कीम के रूप में गोदावरी और कृष्णा नदियों का जलीय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को 12.00 लाख रुपए रिलीज किए गए हैं।

(ख) गोदावरी नदी पर जलीय सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है और मार्च, 1988 तक रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा है।

विमानों के टिकटों की बिक्री और जांच की नई प्रणाली

[हिन्दी]

4547. **डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डों पर टिकटों की बिक्री और जांच के लिए किसी नई प्रणाली के बारे में विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या इस प्रणाली को किसी स्थान पर शुरू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और क्या यह प्रणाली यात्रियों और कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक प्रारम्भ की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) से (घ) इण्डियन एयरलाइन्स ने पहले ही चुने हुए स्थानों पर कम्प्यूटरीकृत टिकटों की बिक्री के लिए नई प्रणाली आरंभ कर दी है। चुने हुए विमान क्षेत्रों पर जांच की प्रणाली परीक्षणाधीन है।

एयर इण्डिया की 1988 के अन्त तक बम्बई और दिल्ली विमानक्षेत्रों पर टिकट मुद्रण मशीनों के संस्थापन की योजनाएं हैं।

कम्प्यूटरीकृत टिकटों की बिक्री के लिए नई प्रणाली को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है जिससे

इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा सेवित अन्य स्टेशनों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके। इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा जांच के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रणाली को तब लागू किया जाएगा जब चालू परीक्षण पूरा हो जाएगा।

नई प्रणाली अधिक सुविधाजनक पाई गई है।

"टिहरी बांध का भूकम्पीय क्षेत्र में स्थित होना"

[अनुवाद]

4548. **डा. ए. के. पटेल :**
श्री सी. जंगा रेड्डी :

क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अध्ययन दल ने यह पता लगाया है कि टिहरी बांध परियोजना भूकम्पीय क्षेत्र में स्थित है जिसका स्वर्गाश्रम, ऋषिकेष और हरिद्वार क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जान और माल के लिए अनर्थकारी प्रभाव हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या टिप्पणियां की गई हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) टिहरी बांध के एक सक्रिय भू-कम्पीय क्षेत्र में होने के बारे में विशेषज्ञ दल की टिप्पणियां नीचे दी गई हैं :

—टिहरी बांध के लिए 0.15 ग्रेविटी भू-कम्पीय गुणांकों की सिफारिश की गई है, जबकि अनुमानित पीक ग्राउण्ड एक्सेलेरेशन 0.25 ग्रेविटी और 0.56 ग्रेविटी के बीच हो सकती है।

—1905 में कांगड़ा भूकम्प क्षेत्र से 1954 में बिहार में आये भूकम्प क्षेत्र तक 700 किमी. से भी अधिक दूरी है। जिसमें अभी तक बड़ा भूकम्प नहीं आया। इसलिए इस क्षेत्र में बड़े भूकम्प आने की सम्भावना बहुत ज्यादा है।

विशेषज्ञ दल ने निम्नलिखित सिफारिश की :

—आंकड़ों को मौजूदा सीमाओं पर काबू पाने और की गई कल्पनाओं को समझने के लिए एक विस्तृत वास्तु शिल्पीय मांडल का विकास।

—एक भूकम्पीय निगरानी नेटवर्क की स्थापना करना।

(ग) परियोजना राष्ट्रीय तथा अन्य विशेषज्ञों के सम्मिलित निवेश से उपयुक्त ढंग से क्रियान्वित की जाएगी।

रामेश्वरम और तलई मन्नार के बीच नौका सेवा

4549. **श्री पी. एम. सईद** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामेश्वरम् और तलई मन्नार के बीच नौका सेवा अब पुन: प्रारम्भ कर दी गई है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) यह कब से बन्द कर दी गई थी और इसके क्या कारण थे ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) मानसून के कारण हर वर्ष अक्तूबर से जनवरी तक रामेश्वरम और तलई मन्नार के बीच फेरी—सेवा बन्द रहती है। तथापि, श्रीलंका की स्थिति के कारण जो सेवा अक्तूबर, 1984 में बन्द हो गई थी, वह जनवरी 1985 में चालू नहीं हुई।

गुंतकल-रेणिगुंटा रेल लाइन

4550. **डा. डी. एम. रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे में गुंतकल-रेणिगुंटा के बीच दोहरी रेल लाइन का निर्माण कार्य कई वर्ष पूर्व 14 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आरम्भ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कार्य में कितनी प्रगति हुई है और इस समय तक लागत में कितनी वृद्धि हो चुकी है;

(ग) इसमें यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) रेणिगुन्टा और गुन्तकल के बीच कुल 309 कि. मी. लम्बाई में से कुल मिलाकर 69 कि. मी. के कई नाजुक हिस्सों में दोहरी लाइन बिछाने का कार्य 572 लाख रुपए की प्रत्याशित लागत पर चरण-1 के रूप में 1972-73 में अनुमोदित किया गया था। इसे 1979-80 में अन्तिम रूप से प्रारम्भ किया गया था। चरण-II में 47 कि. मी. में दोहरी लाइन बिछाने के कार्य को 5.01 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 1973-74 में अनुमोदित किया गया था। इसमें से 23 कि. मी. रेल मार्ग को पहले ही चालू किया जा चुका है और दोहरी लाइन बिछाने के शेष 24 कि. मी. के कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने की योजना है। बाकी बचे 193 कि. मी. के इकहरी लाइन वाले खंडों में दोहरी लाइन बिछाने के कार्य को अभी इक अनुमोदित नहीं किया गया है।

भटिंडा के लिए वायुदूत सेवा

[हिन्दी]

4551. **श्री तेजा सिंह दर्दी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1987 में दिल्ली से भटिंडा के लिए वायुदूत सेवा आरम्भ की गई थी और बाद में यह बन्द कर दी गई;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा वापस लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का यह विमान सेवा पुन: चालू करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी, हां।

(ख) भटिंडा के लिए वायुदूत सेवाएं विमान क्षमता में कमी के कारण अस्थायी रूप से रोक दी गई है।

(ग) जी, हां।

"गंगा की सफाई"

[अनुवाद]

4552. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा की सफाई रखने संबंधी विभिन्न एजेन्सियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों का अध्ययन करने हेतु उच्च अधिकार प्राप्त वैज्ञानिक कृतिक बल की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कृतिक बल के निष्कर्ष क्या हैं और इसके द्वारा की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक वर्ष इस कार्य के लिए विभिन्न एजेन्सियों को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां। गंगा नदी बेसिन के संबंध में एकीकृत पारि-विकास कार्योन्मुख अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे पर स्थित 14 विश्वविद्यालयों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्य की प्रगति का प्रबोधन (मानीटरिंग) और समन्वय प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का एक कृतिक बल (टास्क फोर्स) कर रहा है।

(ख) यह कृतिक बल विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के प्रमुख अन्वेषकों से प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्टों की समीक्षा कर रहा है। जिन प्रमुख अन्वेषकों के परियोजना अध्ययन 1988 के मध्य तक समाप्त होने वाले हैं उनसे अध्ययनों के निष्कर्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। इस अनुसंधान कार्यक्रम के निष्कर्ष तभी उपलब्ध होंगे जब प्रमुख अन्वेषकों द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न रिपोर्टों की समीक्षा तथा उनका मूल्यांकन कर लिया जाएगा।

(ग) अनुसंधान कार्यक्रम मार्च, 1985 में संस्वीकृत किया गया था और संस्थावार ब्योरा नीचे दिया गया है :—

एजेंसी का नाम	संस्वीकृत धनराशि
	(लाख रुपये)
1. गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	9.37
2. गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल	9.48
3. रूड़की विश्वविद्यालय, रुड़की	11.83
4. कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर	19.24
5. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	63.93
6. पटना विश्वविद्यालय, पटना	24.18
7. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	10.29
8. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर	14.82
9. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	8.68
10. कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	17.32
11. वर्धमान विश्वविद्यालय, वर्धमान	20.49
12. विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	23.10
13. यादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता	14.53
14. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	34.39
योग	281.65

परंतु विभिन्न परियोजनाओं के लिए धनराशि का वास्तविक विमोचन संबंधित परियोजनाओं की प्रगति तथा अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा करने के बाद ही किया जाता है। इस समय तक 212.33 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिल्ली क्षेत्र में स्नातकोत्तर अध्यापक ग्रेड में रिक्त पद

4553. श्री विजय कुमार यादव :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिल्ली क्षेत्र में (चालू शैक्षिक सत्र के दौरान) स्नातकोत्तर अध्यापकों के विषय-वार कितने रिक्त पद भरे गये;

(ख) इन रिक्त पदों को किस प्रकार भरा गया;

(ग) प्रत्येक विषय के लिए कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया; और

(घ) कितने व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र भेजे गए और कितने व्यक्ति अब तक अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एच. पी. शाही) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिल्ली क्षेत्र में स्नातकोत्तर शिक्षकों की रिक्तियों को भरने की संख्या इन रिक्तियों को भरने की पद्धति इत्यादि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विषय	चालू शैक्षिक सत्र के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या	सीधी भर्ती द्वारा तैयार किए गए पैनल में उम्मीदवारों की संख्या	नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या (सीधी भर्ती द्वारा)	रिक्तियां जाने की चुने गए उम्मीदवारों में से (सीधी भर्ती द्वारा)	भरे पद्धति विभागीय पदोन्नति	कुल अन्तर क्षेत्रीय स्थानान्तरण
हिन्दी	07	05	शून्य	शून्य	शून्य 07	07
अंग्रेजी	13	06	06	05	02 06	13
इतिहास	07	08	06	06	शून्य 01	07
अर्थशास्त्र	07	02	02	02	03 82	07
भूगोल	06	08	05	05	01 शून्य	06
भौतिकी	09	04	04	04	02 03	09
रसायन	05	03	01	01	01 03	05
जीवविज्ञान	08	11	03	शून्य	06 02	08
गणित	06	05	शून्य	शून्य	03 03	06
वाणिज्य	04	12	03	02	01 01	04

"ब्रेक बल्क कार्गो पर शुल्क

4554. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांच बड़े पत्तनों को "ब्रेक बल्क कार्गो" पर यथामूल्य शुल्क लगाने का निर्देश दिया है;

(ख) किन आधारों पर इन शुल्कों को निर्धारित किया गया है;

(ग) अभी तक कौन से मानदण्डों का पालन किया जाता है; और

(घ) इस नये निर्णय से राजकोष को कितनी आय होगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) बम्बई, कोचीन कांडला, मद्रास, टूटीकोरिन और मुरगांव पत्तनों को ब्रेक बल्क कार्गो पर मूल्यानुसार प्रभार वसुलने के लिए सरकार की संस्वीकृति जारी कर दी गई है।

(ख) कार्गो के मूल्य की प्रतिशतता के रूप में प्रभार निर्धारित किए गए हैं और ऐसी प्रतिशतता को अर्जित राजस्व के मौजूदा स्तर से जोड़ दिया गया है।

(ग) अब तक भार या वाल्यूम या प्रति यूनिट आधार पर हवार्फ प्रभार वसूलने का मानदण्ड अपनाया जाता रहा है।

(घ) इस निर्णय से पत्तनों को कोई खास अतिरिक्त राजस्व आय होने की संभावना नहीं है क्योंकि दरें राजस्व के मौजूदा स्तर से ली गई हैं। तथापि, यदि कार्गो के मूल्य में परिवर्तन होता है, तो राजस्व के स्तर में कुछ अन्तर हो सकते हैं।

"दिल्ली में वायु प्रदूषण"

हिन्दी

4555. श्री शांति धारीवाल : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यावरण इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने दिल्ली में वायु प्रदूषण तथा पर्यावरण के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले और वायु प्रदूषण नियन्त्रण के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री श्री (जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इन्जीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने दिल्ली में 1978-85 की अवधि के लिए वायु गुणवत्ता का सर्वेक्षण किया। दिल्ली के बारे में सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :—

(प्रति घन मीटर माइक्रोग्राम में परिणाम)

क्रम संख्या	शहर	सल्फर डाईआक्साइड		नाइट्रोजन के आक्साइड		धूल कण	
		78-81	84-85	78-81	84-85	78-81	84-85
1.	नजफगढ़	42.6	55.8	32.3	37.4	438.6	417.9
2.	टाउनहाल	41.3	64.2	38.1	43.9	475.6	421.5
3.	नेताजी नगर	13.4	24.7	25.5	30 5	326.0	275.6

संस्थान ने कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई विशेष सुझाव नहीं दिए हैं।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्न शामिल हैं :

(1) परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए हैं;

(2) प्रदूषण फैलाने वाले बड़े उद्योगों के लिए उत्सर्जन सीमाएं निर्धारित की गई हैं;

(3) पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक तैयार किए गए हैं;

(4) दिल्ली में ताप विद्युत संयंत्रों को उच्च क्षमता के स्थिर विद्युत अवक्षेपक (इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रीसिपिटेटर्स) लगाने के निदेश दिए गए हैं;

(5) दिल्ली में वाहन एकजास्ट से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया; तथा

(6) जल प्रदूषण के निवारण एव नियंक्षण के केन्द्रीय बोर्ड ने दिल्ली में सात वायु निगरानी केन्द्र स्थापित किए हैं।

त्रिवेंद्रम में आरक्षण प्रणाली

[अनुवाद]

4556. **श्री बी. एस. विजराघवन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि त्रिवेन्द्रम बुकिंग आफिस से वास्तविक यात्रियों को आरक्षण प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है, और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने और कदाचारों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रोत्साहन देने/निरुत्साहित करने का जनसंख्या नियन्त्रण पर प्रभाव

4557. **डा. टी. कल्पना देवी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या नियंत्रण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों

और उनका पालन न करने पर निरुत्साहित करने के बारे में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) भारत सरकार आम जनता को परिवार नियोजन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देती है। तथापि नसबन्दी और आई. यू. डी. स्वीकारकर्ताओं को मजदूरी के नुकसान के लिए समान दर पर मुआवजा दिया जाता है राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे नसबन्दी के सभी स्वीकारकर्ताओं को पांच लाटरी टिकट तथा एक दो बच्चों के बाद नसबन्दी कराने वालों को ग्रीन कार्ड प्रदान करें जिससे वे लोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई कुछ सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी जो तीन या इससे कम बच्चों के बाद परिवार नियोजन का कोई स्थायी तरीका अपनाते हैं, एक वेतन वृद्धि तथा भवन निर्माण अग्रिम के ब्याज में $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की छूट पाने के पात्र हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम में सर्वोत्तम कार्य करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष एक विशेष राशि निर्धारित की जाती है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 15 से 17 फरवरी, 1988 तक हुई बैठक के अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिश की गई :-

I. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहनों को अपनाए गए गर्भनिरोधन तरीके के बजाय परिवार के आकार से सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

II. गुजरात सरकार की स्कीम को अखिल भारतीय आधार पर अपनाना जिसके अन्तर्गत एक दो/तीन/चार लड़कियों और बिना लड़के के नसबन्दी कराने वाले मां बाप को क्रमश: 6000/-रुपये, 5000/-रुपये, 4000/रुपये 3000/-रुपये के विशेष सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों को प्रैक्टिस न करने का भत्ता

4558. **श्री सन्तोष कुमार सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता वाले सेवारत चिकित्सकों को उनके वेतन मान के अनुसार 600/-रुपए से 900/-रुपए तक का प्रैक्टिस न करने का भत्ता दिया जा रहा है,

(ख) यदि हां तो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों तथा आयुर्वेदिक और सिद्ध पद्धति अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद के शोध वैज्ञानिकों को अब यह लाभ न दिए जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार का उपर्युक्त श्रेणियों के कर्मचारियों को यह लाभ कब तक देने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को उनके वेतन मान के अनुसार 600/रुपए से 900/-रुपए तक का प्रैक्टिस बन्दी भत्ता दिया गया है।

(ख) और (ग) चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों को संशोधित वेतनमान तथा प्रैक्टिस बंदी भत्ता दिए जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में संयुक्त-आयुक्त के पद

4559. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में 2000-125-2250 रुपए के संशोधन-पूर्व वेतनमान में संयुक्त आयुक्त के दो पद हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों पदों के लिए फीडर पदों में कितने वर्षों का अनुभव आवश्यक है तथा वेतनमान संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में दोनों पदों के बीच कोई अन्तर है; और

(घ) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) और संयुक्त आयुक्त (शिक्षा) के पदों केलिए अपेक्षि तअर्हता, अनुभव आदि के दर्शाने के लिए भर्ती नियमों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। फिलहाल, इन नियमों में संशोधन किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या प्रवरण पद है अथवा गैर-प्रवरण पद है।	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयुसीमा
1	2	3	4	5	6
संयुक्त आयुक्त (प्रशासनिक)	एक	लागू नहीं होता	2000-2250रु.	प्रवरण पद	लागू नहीं होता

क्या केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली, 1972 के नियम-38 व अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है।	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
6 (क)	7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	पदोन्नति द्वारा जिसके उपलब्ध न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा

6 (क) 7 8	9	10
यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा होनी हो तो ग्रेड जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।

11	12	13
पदोन्नति स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालीन ठेके सहित) (1) केन्द्रीय/राज्य सरकार, अर्ध-सरकारी तथा स्वायत्त संगठनों के अधीन काम करने वाले अधिकारी, (i) तमकक्ष पदधारी अथवा, (ii) 1500-2000 रुपये के वेतनमान मेंके पदों में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित। (2) इस ग्रेड में 32 वर्ष को नियमित सेवा वाले विभागीय उपयुक्त (प्रशा./कार्मिक) के मामले में भी विचार किया जायेगा तथा यदि वह इस पद पर नियुक्ति के लिए चुन लिया जाता है तो उसे "पदोन्नति" द्वारा भरा गया समझा जायेगा (उसी संगठन में इस नियुक्ति से तत्काल पहले दूसरे संवर्ग के पदधारी की प्रतिनियुक्तियोंकी अवधि सहित प्रतिनियुक्ति/ठेके की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) के लिए भर्ती नियमावली

पद क नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या प्रवरण पद है अथवा गैर-प्रवरण पद है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा।
1.	2	3	4	5	6
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)	एक	लागू नहीं होता	2000-2250 रु-	प्रवरण पद	लागू नहीं होता
क्या केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन (नियमावली 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ अग्रह्य है।	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारो पर भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
6(क)	7	8	9	10	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके उपलब्ध न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	
यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।		यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है।		परिस्थितियां जिनमें भर्ती केलिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	

11	12	13
पदोन्नति द्वारा के. वि. सं. के उप-आयुक्तों में से जो तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हों और प्रतिनियुक्त पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए निर्धारित और अनुभव रखते हों। **प्रतिनियुक्त द्वारा** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/रक्षा सेवाओं/स्वायत्त निकायों के उन अधिकारियों में से जो निम्नलिखित अर्हताधारी हों (i) कम से कम द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री। (ii) शिक्षा में डिग्री। (iii) 1800-2000 रुपये के वेतनमान वाले पदों में 3 वर्षों की नियामत सेवा। (iV) शैक्षिक प्रशासन में वरिष्ठ "क" पद पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव। प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष होगी और इसे दो वर्षों तक और बढ़ाया जा सकता है।	शिक्षा-सचिव-अध्यक्ष संयुक्त सचिव/ संयुक्त शिक्षा सलाहकार (यू. टी.)—सदस्य आयुक्त, —सदस्य (के. वि. सं.)	लागू नहीं होता।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में निरक्षता दूर करना

4560. **श्री गुरुदास कामत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विशेष रूप से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में निरक्षता दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल. पी. साही) : सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच साक्षरता की प्रोन्नति को प्राथमिकता दी है। इस संबंध में किए गए विशेष उपाय निम्नलिखित है :—

(I) राज्य सरकारों संघशासित प्रशासनों को सलाह दी गई है :

(क) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उन जिलों को प्राथमिकता दी जाए जिनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से नीचे है।

(ख) यह सुनिश्चित किया गया है कि कम से कम 30./· अनुसूचित जाति तथा 16./· अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शामिल किया जाए।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलना।

(II) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उप-योजना के अधीन विशिष्ट धनराशि निर्धारित की जा रही है।

(III) समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक अनुसंधान को लागू करने के विचार से साक्षरता प्रोन्नति को पांच राष्ट्रीय मिशनों में से एक मिशन के रूप में निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर ध्यान देते हुए 1995 तक 15-35 आयु वर्ष के 800 लाख की निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करनी है।

(IV) राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना की इस प्रकार से तैयार किया गया है कि 1990 तक लगभग 11 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी बच्चे 5 वर्ष की स्कूल शिक्षा पूरी कर लेंगे और 1995 तक सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। "आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत खन्डों के चयन में उन खन्डों को वारीयता दी जाएगी जो शैक्षिक रूप से वंचित हैं और जहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों का बाहुल्य है। शिक्षकों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रशिक्षित शिक्षकों को भी वरियता दी जाएगी।

(V) राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों को यह देखने की सलाह दी गई है कि गैर औपचारिक शिक्षा की योजना को कार्यान्वित करते समय अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा की जाएगी।

मातृ मन्दिर महाराष्ट्र को अनुदान सहायता

4561, **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मातृ मंदिर, महाराष्ट्र को दी जाने वाली अनुदान सहायता को पुनः आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) मातृ मंदिर महाराष्ट्र को देय सहायता अनुदान की राशि दिए जाने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से अनुरोध किया गया है।

नई दिल्ली से दक्षिण के किसी भी नगर तक राजधानी एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ी चलाना

4562. **श्री टी. बाल गौड** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से दक्षिण के किसी नगर तक राजधानी एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस द्वारा किए जाने वाले समय को कम करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) फिलहाल नहीं।

शिपयार्डों के विनिमय सुविधाये

4563. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न शिपयार्डों ने सुविधाओं के विभिन्न और कम लागत तथा गुणवत्ता वाली परियोजनाओं का निर्णय किया है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर, विशाखापत्तनम ने इस संबंध मे पहल की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में ढांचे के लिए लगभग 18 सौ मीट्रिक टन इस्पात की आवश्यकता है जिसमें से केवल 4 सौ मीट्रिक टन इस्पात ही उपलब्ध है; और

(ङ.) यदि हां, तो आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) हाल ही में गार्डन रीच शिपबिल्डस एण्ड इंजीनियर्स और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. आपसी सहयोग से ऊद्यम शुरू करने की संभावनाओं की जांच करने पर सहमत हो गए हैं जो दोनों संगठनों के लिए लाभकर हो सकेंगे।

(घ) और (ङ.) इस समय हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. के पास आर्डर वाले जहाजों का

निर्माण करने के लिए पर्याप्त इस्पात का भंडार है जिसमें 27,000 डी डब्ल्यू टी के तीन बल्क कैरियर और 42,750 डी. डब्ल्यू टी के दो बल्कर शामिल हैं। निर्माण शिड्यूल के अनुरूप आर्डर देकर नए निर्माण के लिए अपेक्षित इस्पात प्राप्त किया जाता है।

मलेरिया के संबंध में भारत-सोवियत संघ द्वारा अध्ययन किया जाना

4564. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया की रोकथाम के लिये भारत-सोवियत संघ कार्यक्रम के अन्तर्गत संयुक्त अध्ययन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त अध्ययन के परिणामस्वरूप यदि कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं तो वे क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) भारत-रूस मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित दो अध्ययन किए गए/किए जा रहे हैं:—

1. मलेरिया परजीवियों में दवाई को हजम करने की शक्ति का पता लगाने के लिए एक एक्सप्रैस विधि। (पूरा हो गया)
2. नियंत्रण उपायों के संभावित नियोजन के लिए एक आधार के तौर पर मलेरिया जनक स्तर/(चल रहा है)

(ख) एक्सप्रैस विधि पर अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और आगे सहयोग की आवश्यकता नहीं है। मलेरिया परजीवियों में क्लोरोक्वीन को हजम करने की शक्ति का पता लगाने के लिए एक्सप्रैस विधि जानवर माडलों तथा पी-फाल्सीपेरम इन-विट्रो कल्चर स्ट्रेन में प्रभावकारी थी। फील्ड में परजीवियों की हजम करने की शक्ति का परीक्षण करने के लिए यह उपयुक्त नहीं पाई गई।

मलेरिया जनक स्तरण पर अभी अध्ययन चल रहा है और अभी ठोस निष्कर्ष प्राप्त किए जाने हैं।

दक्षिण-मध्य रेलवे में रेल सुविधाएं

4565. **श्री सी. सम्बु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रेल सुविधाओं में सुधार करने/वृद्धि करने अर्थात दक्षिण मध्य रेलवे में गाड़ियों में आरक्षण कोटा बढ़ाने तथा जिला मुख्यालयों में सुपरफास्ट रेल गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जिला मुख्यालयों के स्टेशनों सहित विभिन्न स्टेशनों पर आरक्षण कोटों का आबंटन स्थान की कुल उपलब्धता और मार्गवर्ती स्टेशनों की मांगों को ध्यान में रखने के बाद किया जाता है। विभिन्न स्टेशनों पर इस्तेमाल

के आधार पर कोटे की आवधिक समीक्षा की जाती है और जहां-कहां आवश्यक होता है समायोजन किये जाते हैं । बहरहाल, आगामी सारणी में होने वाले परिवर्तनों के लागू होने पर विभिन्न स्टेशनों के कोटों में कुछ वृद्धि होने की सम्भावना है ।

सुपरफास्ट गाड़ियों के ठहराव यथा सम्भव कम से कम रखे जाते हैं । बहरहाल, विशिष्ट मामलों की गुणदोष के आधार पर जांच की जा सकती है ।

बम्बई महानगर रेलवे की वित्तीय स्थिति

4566. **डा. वसा सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, महानगर रेलवे घाटे पर चल रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ख) इससे कुल कितना राजस्व प्राप्त होता है और इस पर कितना व्यय किया जाता है ।

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी हां । वर्ष 1986-87 के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

कुल राजस्व :	154.39 करोड़ रुपये
खर्च :	159.67 करोड़ रुपये
घाटा :	5.28 करोड़ रुपये ।

तमिलनाडु में केन्द्रीय विद्यालय

4567. **श्री एन. डेनिस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कितने केन्द्रीय विद्यालय कार्यरत है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने केन्द्रीय विद्यालय केवल लड़कियों के लिए हैं;

(ग) इन विद्यालयों में कितने छात्र पढ़ रहे हैं; और

(घ) मद्रास शहर में कितने विद्यालय हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) तमिलनाडु में 26 केन्द्रीय विद्यालय कार्यरत हैं, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है ।

(ख) सभी केन्द्रीय विद्यालय सह-शिक्षा के हैं । कोई भी विद्यालय विशेष रूप से लड़कियों के लिए नहीं हैं ।

(ग) 30.4.1987 तक की यथा स्थिति के अनुसार इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 21,108 हैं ।

(घ) मद्रास शहर में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या 13 है ।

विवरण

तमिलनाडु में 1987-88 में केन्द्रीय विद्यालयों की सूची ।

1. ओरडेंस एस्टेट, तिरूचरापल्ली ।
2. वायु सेना स्टेशन, सुलुर, जिला-कोयम्बट्टूर
3. रेंड फील्डस, कोयम्बट्टूर ।
4. अरुवनकाडु, नीलगिरी ।
5. वेलिंगठन, जिला नीलगिरी ।
6. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी / इन्दुनगर, ओटाकुमंद ।
7. केन्द्रीय इलैक्ट्रो-रसायन अनुसंधान संस्थान, कारीकाड़ी ।
8. सी. एल. आर. और; अड्यार, मद्रास ।
9. के. रि. पु. ब. अवाड़ी, मद्रास ।
10. वायुसेना स्टेशन, अवाड़ी, मद्रास ।
11. भारी वाहन फैक्ट्री एस्टेट. पोस्ट-अवाड़ी कैम्प, । मद्रास ।
12. गिलनगर, मद्रास ।
13. भा. प्रौ. सं., मद्रास ।
14. कलपक्कम, डी ए ई. टाउनशिप, कलपक्कम. जिला-सिंगेलिपाटट्टू ।
15. मीनाम्बकम, मद्रास ।
16. तम्बारम मडम्बकय सिलयूर, मद्रास ।
17. आइलैंड ग्राउन्डस, मद्रास ।
18. के. के. नगर, मद्रास ।
19. मदुरई ।
20. सदरस, कलपक्कम, (जिला-सिंगेलिपाट्टू)
21. तम्बारम संख्या 2, तम्बारम, मद्रास ।
22. डी. जी. आई. काम्पलेक्स, पोस्ट-नांगनाल्लूर ।
23. आरडिनेंस क्लोथिंग केन्द्र, कलपक्कम, जिला सिंगेलपाट्टू ।
24. रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम, जिला सिंगेलपाट्टू ।
25. आरडिनेंस फैक्ट्री एस्टेट, जिला तिरुचरापल्ली, तिरुचरापल्ली, (तमिलनाडु) 620016
*26. मंडपन कैम्प, जिला रामनाथपुरम,

* 12.11.1987 को स्वीकृत ।

महानगरों में छोटे स्टेशनों पर खानपान स्टाल/बुक स्टाल

4568. **श्री आर. अण्णामलै** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों के क्षेत्र में छोटे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर खानपान स्टाल बुक स्टाल आदि जैसी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने के कोई अनुदेश दिए गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के अन्तर्गत चिकित्सकों का पंजीकरण

4569. **श्री आर. धनुषकोडी अतीतन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वर्ष 1963 में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड द्वारा कुछ लोगों को चिकित्सकों के तौर पर पंजीकृत करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सूचीबद्ध लोगों में से अभी तक कितने लोगों को पंजीकृत किया गया है और सूचीबद्ध लोगों में से यदि अभी तक कोई भी व्यक्ति पंजीकृत नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त उल्लेखित सूचीबद्ध लोगों को निकट भविष्य में पंजीकृत किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड द्वारा 1963 में कुछ व्यक्तियों को केवल चिकित्सा-कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था लेकिन उन्हें पंजीकरण के लिए दर्ज नहीं किया गया था। अधिनियम में कोई ऐसा उपबन्ध न होने के कारण सूचीबद्ध किसी भी व्यक्ति को आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) इस अधिनियम में संशोधन हो जाने पर ही सूचीबद्ध व्यक्तियों को पंजीकृत किया जा सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त वाहनों का आवंटन

4570. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत उपयोग करने के लिये वाहन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इन्हें किन राज्यों को भेजा गया है;

(ग) क्या इनमें से कोई वाहन अप्रयुक्त पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"परमाणु परियोजनाओं को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति देना"

4571. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1999 तक 10,000 मेगावाट परमाणु विद्युत योजना के अन्तर्गत अधिक परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्वीकृति के पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं; और

(ग) क्या सरकार ने परमाणु विद्युत संयंत्रों के कारण पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति से उत्पन्न विश्वव्यापी चिन्ता पर भी विचार किया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) 10,000 मेगावाट परमाणु विद्युत पैदा करने के लिए परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना के बारे में पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया है। जब प्रस्तावों को भेजा जाता है तो उनकी अलग-अलग जांच की जाती है।

(ग) सरकार को परमाणु अपशिष्टों के निपटान और दुर्घटनाओं के मामले में रेडियोधर्मिता जोखिम के बारे में विश्वव्यापी चिन्ता की जानकारी है।। पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन के दौरान सभी पहलुओं की विस्तार से जांच की जाती है।

तिपहिया स्कूटर चालकों द्वारा किराया मीटरों में कथित संशोधन

4572. श्रीमती डी. के. मंडारी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निदेशालय में आटो-रिक्शा के किराओं में हाल ही में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली के सभी आटो-रिक्शा चालकों को संशोधित किराया चार्ट उपलब्ध कराये गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि सभी तिपहिया स्कूटर चालकों ने दिल्ली परिवहन प्राधिकरण की जानकारी के बिना किराया मीटरों में संशोधन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) :(क) और (ख) परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्होंने 14.1.88 से आटो-रिक्शा के भाड़े में संशोधन किया है। यात्रियों की सुविधा के लिए आटो-रिक्शा ड्राइवरों को उनकी यूनियनों के माध्यम से तथा ट्रेफिक पुलिस को भाड़ा चार्ट वितरित किए गए हैं। प्रेस में भी भाड़ा संशोधन का व्यापक प्रचार किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं । भाड़ा संशोधन के बाद मीटरों को अभी फिर से कैलिब्रेटन हीं किया गया है।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता ।

नई लिथोट्रिप्टर प्रणाली से गुर्दे में पथरी का इलाज

4573. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सी. डी. आर. हैल्थ केयर सेंटर ने शल्य चिकित्सा किए बिना गुर्दे में पथरी के इलाज के लिए एक नई लिथोट्रिप्टर प्रणाली आरम्भ की है, जिसमें हृदय रोगों, उच्च रक्तचाप और मधुमेह के रोगियों के लिए कोई जोखिम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में यह प्रणाली प्रयोग करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने लिथोट्रिप्टर को खरीदने के लिए अनुदान स्वीकृत किया है और संस्थान ने उसे खरीदने के लिए कदम उठाए है।

बंगलौर और मंगलौर के बीच विमान सेवा

4574. श्री ओकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और मंगलौर के बीच विमान सेवा अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक के इन दो महत्वपूर्ण स्थानों के लिए पर्याप्त विमान सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चिड़िया घरों में बाघों की संख्या

4575. **श्री श्री वल्लभ पाणिग्रही** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय विभिन्न चिड़िया घरों में बाघों की संख्या कितनी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : उपलब्ध सूचना के अनुसार देश के विभिन्न चिड़ियाघरों में एक सौ उनहत्तर बाघ हैं।

दिल्ली-सहारनपुर-बागपत लाइन पर यात्री रेल गाड़ियों को रद्द किया जाना

4576. **श्रीप्रकाशचन्द्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में दिल्ली-सहारनपुर बरास्ता बागपत रेल लाइन पर फरवरी, 1988 में कुछ यात्री रेल गाड़ियां रद्द कर दी गई थीं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन रेलगाड़ियों की पुनः कब तक चलाये जाने की संभावना है।

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) जी हां। दिल्ली-बागपत-सहारनपुर खण्ड सात जोड़ी गाड़ियों में से दो जोड़ी गाड़ियां परिचालनिक कारणों से अस्थायी तौर से रद्द की गयी हैं। इन्हें शीघ्र ही फिर से चला दिया जायेगा।

शिक्षा का स्तर सुधारने के लिये उठाये गये कदम

4577. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप एक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रतिशतता में वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन का यह अभिमत है कि दिल्ली में स्थित स्कूलों में शिक्षा के मानदंडों में सुधार करने की आवश्यकता है। यह दिल्ली प्रशासन का प्रयास रहा है कि प्रशासन द्वारा चलाए गए स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बनाए रखा जाए, इसके साथ ही शिक्षा के मानकों में सुधार करने के लिए सुझाव देने हेतु दिल्ली प्रशासन ने कार्य-बलों का गठन किया है। उन्होंने

शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम भी तैयार किए हैं। स्कूल-शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा अन्तिम रूप दिए गए विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का दिल्ली प्रशासन प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों से आने वाले वर्षों में स्कूलों में शिक्षा के स्तरों में पर्याप्त रूप से सुधार होने की आशा है।

अन्डमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूहों में परिस्थितिकी संतुलन का बनाये रखना

4578. श्री राधाकांत डिगाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्डमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूहों की सौन्दर्यता और पारिस्थितिकी संतुलन का संरक्षण, विकास और उसे बनाए रखना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में द्वीप समूह प्रशासन को भेजे गए मार्गनिर्देशों का ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने द्वीप समूह (अण्डमान व निकोबार और लक्षद्वीप) के समन्वित पर्यावरणीय पूर्ण विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर निर्णय लेने के लिए एक द्वीप विकास प्राधिकरण स्थापित किया है।

— इन द्वीप समूह की पर्यावरणीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अध्ययन किए गए हैं।

— सभी प्रस्ताव जिनसे प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव पड़ने की सम्भावना होती है, की पर्यावरण की दृष्टि से जांच की जाती है।

(ग) पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन द्वीपसमूह में पर्यटन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए गए हैं।

— उद्योगों, पत्तनों और बन्दरगाहों आदि के स्थान निर्धारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त भेज दिए गए हैं।

रेलवे कुलियों को लाइसेंस जारी करना

4579. श्री छोटूभाई गामित :
श्री उत्तमभाई ह. पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने देश के विभिन्न स्टेशनों पर कुलियों को लाइसेंस दिये हैं,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिये गये लाइसेंसों का ब्योरा क्या है, और

(ग) लाइसेंस धारी कुलियों को दी जा रही सुविधाओं आदि का ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राजस्थान में संस्कृत विद्यालय

[हिन्दी]

4580. श्री प्रभुलाल रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में कितने संस्कृत विद्यालय हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इन विद्यालयों में कितने विद्यार्थी हैं;

(ग) क्या सरकार का राजस्थान के पिछड़े जिलों में विद्यालय खोलने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मद्रास के लिए ब्रिटिश एयरवेज की विमान सेवा

[अनुवाद]

4581. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश एयरवेज को मद्रास के लिए तथा मद्रास से होकर विमान सेवा शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है,

(ख) यदि हां, तो इस अनुमति को प्रदान करने के क्या कारण हैं,

(ग) इस ब्रिटिश एयरवेज मार्ग पर विमान सेवाएं चलाने से एयर इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा है, और

(घ) ब्रिटिश एयरवेज द्वारा कलकत्ता के लिये तथा कलकत्ता होकर विमान सेवाएं न चलाये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल बोरा) : (क) और (ख) जी, हां। बदले में एयर इंडिया को सीधे लन्दन से कनाडा (मांट्रियल अथवा टोरन्टो) के लिए प्रचालन करने के लिए यातायात अधिकार प्राप्त हो गए हैं।

(ग) ब्रिटिश एयरवेज ने अभी तक मद्रास और यू. के. के बीच प्रचालन शुरू नहीं किए हैं। अतः इस मार्ग पर इस स्तर पर, उनके प्रचालनों के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता ।

(घ) ब्रिटिश एयरवेज ने अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर कलकत्ता के लिए/से प्रचालन बन्द कर दिए थे ।

गठिया रोग का उपचार

4582. श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाद-सन्धि में खरोंच की नई तकनीक को जिसमें आर्थरोस्कोप की सहायता से

मृत अस्थि-उतक निकाल दिये जाते है और नये उतकों को फिर से उगने दिया जाता है, विकट गठिया रोग के उपचार में बहुत सफल पाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या उपचार के इस पश्चिमी जर्मनी के तरीके को भारत में भी अभी तक अजमाया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस प्रणाली को आजमाने का विचार है और यदि हां, तो कब,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) "खरोंच सन्धि संधान" के लिए अपेक्षित आर्थोस्कोप सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में केन्द्रीय विकलांग संस्थान द्वारा खरीदा जा रहा है और उपचार की सुविधाएं इस अस्पताल में इस उपकरण के आगमन/स्थापित किए जाने पर उपलब्ध हो जाएंगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

[हिन्दी]

4583. **श्री के. डी. सुल्तानपुरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987 के दौरान देश में राज्य-वार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे थे तथा वर्ष 1988 में कितने स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1986-87 और 1987-88 के दौरान देश में कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1986-87	1987-88 (14 मार्च, 88 तक)
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	1083	1083
2. अरुणाचल प्रदेश	12	20
3. असम	329	383
4. बिहार	1210	1292
5. गोवा	17	17

1	2	3
6. गुजरात	457	582
7. हरियाणा	284	285
8. हिमाचल प्रदेश	148	151
9. जम्मू व कश्मीर	153	203
10. कर्नाटक	465	545
11. केरल	445	445
12. मध्य प्रदेश	809	809
13. महाराष्ट्र	1539	1539
14. मणिपुर	40	41
15. मेघालय	47	47
16. मिजोरम	26	26
17. नागालैंड	24	24
18. उड़ीसा	664	715
19. पंजाब	1786	1786
20. राजस्थान	598	598
21. सिक्किम	20	20
22. तमिलनाडु	698	698
23. त्रिपुरा	37	40
24. उत्तर प्रदेश	5041	2041
25. पश्चिम बंगाल	1309	1309
26. अन्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	12	12
27. चंडीगढ़	शून्य	शून्य
28. दादरा व नागर हवेली	4	4
29. दिल्ली	8	8
30. लक्षद्वीप	7	7
31. पांडिचेरी	18	18
योग	14281	14748

दिल्ली में डिपो तथा टर्मिनलों का निर्माण

4534. श्री कुंवर राम : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विस्तार को देखते हुये वाहनों, डिपो और टर्मिनलों की संख्या में कितनी वृद्धि करने का विचार है,

(ख) डिपो और टर्मिनलों के लिये किन-किन स्थानों को चुना गया है;

(ग) किन-किन स्थानों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है, और

(घ) किन-किन स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है तथा कब ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलेट) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम ने सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90) के दौरान लगभग 2825 बसें अधिग्रहीत करने और 15 डिपो-व-टर्मिनल निर्मित करने का प्रस्ताव किया है। तथापि, दिल्ली परिवहन निगम को सिर्फ निम्नलिखित दस डिपुओं टर्मिनलों के लिए भूमि मिल पाई :—

1. रोहिनी-I
2. रोहिनी-II
3. रोहिनी-III
4. रोहिनी-IV
5. ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-II
6. मसूकपूर
7. पूर्वी विनोद नगर
8. गाजीपुर
9. यमुना बिहार
10. गुमन हेड़ा

(ग) और (घ) रोहिनी-I रोहिनी-II और यमुना बिहार में निर्माण शुरू हो गया है और शेष स्थानों पर कार्य चरणबद्ध रीति से शुरू किया जाएगा जो धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

सर्वाधिक राजस्व अर्जन क्षेत्र

[अनुवाद]

4585. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के बम्बई-अहमदाबाद तथा अन्य क्षेत्र भारतीय रेलवे के सर्वाधिक राजस्व अर्जन क्षेत्र है, और

(ख) यदि नहीं, तो भारतीय रेलवे के वे पांच क्षेत्र कौन से हैं जो सर्वाधिक राजस्व अर्जन करते हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) रेलवे के राजस्व उपार्जन का विभाजन क्षेत्रवार नहीं किया जाता इसलिए सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के अर्जन का अलग-अलग हिसाब रखा जाता है तथा 1987-88 के संशोधित प्राक्कलन के अनुसार क्षेत्र-वार अर्जन अवरोही क्रम में नीचे दिया गया है: —

रेलवे	(करोड़ रुपयों में) 1987-88 के संशोधित प्राक्कलन के अनुसार अर्जन
उत्तर	1474.00
दक्षिण-पूर्व	1455.00
मध्य	1427.50
पश्चिम	1288.25
पूर्व	1042.24
दक्षिण-मध्य	803.50
दक्षिण	558.00
पूर्वोत्तर	252.00
पूर्वोत्तर-सीमा	196.50

जामिया मिलिया इस्लामिया में खेल सुविधायें

4586. श्री खुर्शीद आलम खां : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में कोई खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या एक खेल कम्प्लेक्स बनाने की आवश्यकता पर बार-बार जोर दिया गया है, किन्तु इसके कोई परिणाम नहीं निकले हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रयोजनार्थ पर्याप्त धन की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) व्यायामशाला के निर्माण के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

नेहरू युवा केन्द्र

4587. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू युवा केन्द्रों और उप-केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन केन्द्रों को हाल ही में स्थापित एक स्वायत्त संगठन के अन्तर्गत रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो इस परिवर्तन और शासी निकाय के गठन का औचित्य क्या है;

(घ) इस संगठन का वर्ष 1987-88 का बजट क्या है और तत्संबंधी अनुदान सहायता की राशि कितनी है; और

(ङ.) वर्ष 1987-88 के लिए शासी निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ङ.) गैर छात्रों और ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताएं पूरी करने को ध्यान में रखकर वर्ष 1972 से सरकार द्वारा नेहरू युवा केन्द्रों की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस समय इस योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न जिलों में 290 नेहरू युवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इसके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत उप-केन्द्र स्थापित करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

2. नेहरु युवा केन्द्रों के कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण, प्रशासन, देख-रेख और मूल्यांकन की उपयुक्त प्रणाली तैयार करने के लक्ष्य से वर्ष 1986-87 के अन्त में नेहरु युवा केन्द्र संगठन नामक एक स्वायत्त संगठन स्थापित किया गया था। वर्ष 1987-88 के दौरान (तत्कालीन) सभी विद्यमान 248 केन्द्र युवा केन्द्र संगठन को चरणों में स्थानांतरित किए गए थे।

3. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत संगठन एक पंजीकृत सोसायटी है और संगठन सोसायटी/उसके शासी बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल है :—

(i) युवा कार्यक्रम और खेल के प्रभारी राज्य मंत्री	अध्यक्ष (पदेन)
(ii) और (iii) दो संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
(iv) एक संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
(v) संस्कृति के क्षेत्र में एक विख्यात व्यक्ति	सदस्य
(vi) संगठन के महानिदेशक	सदस्य-सचिव (पदेन)

नेहरु युवा केन्द्र संगठन सहायक अनुदान के जरिए सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। वर्ष 1987-88 के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन को सहायक अनुदान के लिए बजट में 200 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1987-88 में संगठन द्वारा कार्यक्रम का कार्य पहली पद्धति की

भांति शुरु किया गया है। कुछ नये कार्यक्रम शुरु किए गए हैं और वर्तमान कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया गया है।

4. संगठन ने 1986-87 से 42 नये केन्द्र खोले हैं, जिससे जैसा कि पहले बताया गया है, कुल संख्या 290 हो गई है।

विवरण

ने. यु. के. के राज्यवार ब्यौरे

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	नेहरु युवा केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	8
4.	बिहार	23
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	8
7.	हरियाणा	12
8.	हिमाचल प्रदेश	12
9.	जम्मू व काश्मीर	1
10.	कर्नाटक	13
11.	केरल	8
12.	मध्य प्रदेश	24
13.	महाराष्ट्र	9
14.	मणिपुर	5
15.	मिजोरम	2
16.	मेघालय	2
17.	नागालैंड	3
18.	उड़ीसा	12
19.	पंजाब	12
20.	राजस्थान	26
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	12

1	2	3
23.	त्रिपुरा	3
24.	उत्तर प्रदेश	56
25.	पश्चिम बंगाल	9
26.	अंडमान और निकोबार	2
27.	चण्डीगढ़	1
28.	दादर और नागर हवेली	1
29.	दमन और द्वीव	2
30.	दिल्ली	3
31.	लक्षद्वीप	1
32.	पांडिचेरी	2
	कुल :	290

मालगाड़ी मरम्मत कार्यशाला

4588. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी मालगाड़ी मरम्मत कार्यशालाएं स्थापित की गई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा गया है,

(ख) क्या इन सभी कार्यशालाओं में मरम्मत का कार्य प्रारम्भ हो गया है,

(ग) क्या सरकार का उड़ीसा में इस प्रकार का कार्यशाला स्थापित करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए किस स्थान का चयन किया गया है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) देश में बड़ी लाइन और मीटर लाइन के रेल माल डिब्बों और सवारी डिब्बों के आवधिक ओवरहाल और अन्य मरम्मतों का काम 37 रेलवे कारखानों में किया जाता है ।

37 कारखानों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

I. माल डिब्बों का आवधिक ओवरहाल और अन्य मरम्मत करने वाले कारखाने :— कुर्ला, अंडाल, समस्तीपुर, बागडोगरा, पांड, गुंटापल्ली. रायपुर, आद्रा, कोटा, मोरवी, जूनागढ़ और जयपुर ।

II. सवारी डिब्बों का आवधिक ओवरहाल और अन्य मरम्मत करने वाले कारखाने.:— तिरुपति, मंचेश्वर, लोअर परेल, माटुंगा, गोंडल, भावनगर गोरखपुर और लालागुडा ।

III. माल और सवारी डिब्बा दोनों का आवधिक ओवरहाल और अन्य मरम्मत करने वाले कारखाने :—

झांसी, लिलुआ, कंचरापाड़ा, आलमबाग, जगाधरी, जोधपुर, बीकानेर, इज्जतनगर, डिब्रूगढ़, न्यू बोंगाईगांव, पेरम्बूर, गोल्डन राक, मैसूर, हुबली, खड़गपुर, अजमेर और प्रतापनगर।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भोपाल में नया सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना निर्माणाधीन है।

(ख) भोपाल कारखाना को छोड़कर, जो अभी निर्माणाधीन है, सभी कारखानों में मरम्मत कार्य पहले से ही किया जा रहा है।

(ग) उड़ीसा में मचेश्वर में एक सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना पहले से विद्यमान है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

क्यूल और गया जंक्शनों के बीच एक्सप्रेस रेल गाड़ी

[हिन्दी]

4589. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्यूल और गया जंक्शनों के बीच कोई एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार द्वारा इस शाखा लाइन पर कोई एक्सप्रेस अथवा मेल रेल गाड़ी चलाने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) शाखा लाइन पर रेल पथ के मानक और सिगनल व्यवस्था के कारण फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी प्रारम्भ करने की अनुमति नहीं है।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई उपाय विचाराधीन नहीं है।

कंचनजंगा एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाना

[अनुवाद]

4590. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंचनजंगा एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं।

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) जी हां, नयी समय

सारिणी से इसे हवड़ा और गुवाहाटी के बीच दैनिक सुपरफास्ट गाड़ी के रुप में चलाने का प्रस्ताव है।

इलाहाबाद कलकत्ता जल मार्ग पर यातायात संभावनायें

4591. डा. वी. एल. शैलेश : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद कलकत्ता जलमार्ग पर यातायात संभावनाओं का कोई मूल्यांकन किसी स्तर पर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसने दोनों ओर से जहाज द्वारा माल की आवाजाही को कहां तक सुगम बनाया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) तकनीकी आर्थिक संभाव्यता अध्ययन जिसमें हल्दिया-फरक्का और फरक्का-इलाहाबाद के बीच यातायात की भविष्यवाणी शामिल हैं, परामर्शियों की एक फर्म द्वारा 1981 और 1982 के दौरान किया गया था। यातायात की भविष्यवाणी में वर्ष 1990 91 तक प्रति वर्ष 40 लाख टन की मात्रा में नमक, किरासन पी ओ एल, उर्वरक, जूट, कपड़ा, कच्चा पटसन, पत्थर सीमेंट आदि के कार्गो का आवागमन दर्शाया गया था।

(ग) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम, कलकत्ता इस समय सिर्फ हल्दिया/कलकत्ता पटना के बीच कार्गो सेवाएं प्रचालित करता है। फरक्का नौचालन लाक के नवम्बर, 87 में चालू होने के फलस्वरुप यातायात में सुधार हुआ है, इस सेक्टर में साप्ताहिक नौचालन का कार्यक्रम बनाया गया है इस सेवा को पटना के आगे इलाहाबाद तक तभी बढ़ा पाना संभव होगा, जब इस खण्ड में पूरे वर्ष नौगम्यता हो जिसके लिए पायलट परियोजना का कार्य चल रहा है।

जबलपुर के लिए विमान सेवाएं

4592. श्री महेन्द्र सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यप्रदेश राज्य सरकार और उन साधारण दोनों द्वारा जबलपुर के लिए और जबलपुर के अतिरिक्त विमान सेवा चलाकर विमान सम्पर्क बढ़ाने की निरंतर मांग की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मांग के प्रत्युत्तर में क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) (क) इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की अनुरोध प्राप्त होने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

"स्वागत" पत्रिका का मुद्रण

4593. श्री शान्ताराम नायक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा "स्वागत" पत्रिका के प्रत्येक अंक की कितनी प्रतियां मुद्रित करायी गई;

(ख) प्रत्येक माह पत्रिका के तैयार करने पर कितनी धनराशि खर्च की जाती है;

(ग) क्या पत्रिका का मुद्रण बहुत ही बढ़िया और मंहगे कागज पर किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कागज प्रयोग करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रतिमास "स्वागत" पत्रिका की 50,000 प्रतियां छापी जाती हैं।

(ख) इंडियन एयर लाइंस इस पत्रिका के प्रकाशन पर कोई खर्च नहीं करता।

(ग) और (घ) अच्छे उत्पादन परिणाम हासिल करने के लिये अच्छे किस्म के कागज का उपयोग किया जाता है।

खेल परियोजनाओं को सहायता

4594. श्री अजीत कुमार साहा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा खेल परियोजनाओं को पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार और राज्यवार ब्योरा क्या है, और

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना को अब तक दी गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार तथा राज्यवार ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य सरकारों, राज्य खेल परिषदों, पंजीकृत संगठनों आदि को अनुदान की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित खेल अवस्थापन परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	मुक्त की गई राशि
1984-85	283	1,46,90,800/- रुपये
1985-86	177	2,13,60,000/- रुपये
1986-87	598	14,79,16,325/- रुपये

गत तीन वर्षों के लिए वर्षवार और राज्यवार दी गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान खेल अवस्थापना के विकास के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दिए गए अनुदान

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्षों के दौरान दिया गया अनुदान		
		1984-85	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7,37,500	41,000	19,04,300
2.	असम	—	2,12,000	26,06,000
3.	बिहार	—	1,39,650	12,50,000
4.	गुजरात	2,35,500	8,38,200	15,05,00
5.	हरियाणा	3,50,465	5,68,500	34,53,000
6.	हिमाचल प्रदेश	10,24,065	7,30,400	28,11,200
7.	जम्मू और काश्मीर	38,815	77,000	18,59,450
8.	कर्नाटक	5,42,000	1,31,700	38,76,950
9.	केरल	2,22,348	—	1,32,43,500
10.	मध्य प्रदेश	60,000	10,55,000	35,54,000
11.	महाराष्ट्र	7,17,000	13,76,235	42,75,000
12.	मेघालय	5,75,000	17,22,800	43,13,000
13.	मणिपुर	23,39,115	2,75,500	6,87,000
14.	नागालैंड	5,00,000	7,50,000	14,75,000
15.	उड़ीसा	6,60,525	15,43,500	76,80,900
16.	पंजाब	6,90,000	37,60,150	58,33,000
17.	राजस्थान	16,16,270	20,03,765	37,33,900
18.	सिक्किम	1,25,000	14,40,000	6,73,500
19.	त्रिपुरा	3,45,000	1,25,000	19,00,000
20.	तमिलनाडु	8,67,210	5,34,850	37,73,225
21.	उत्तर प्रदेश	5,07,800	20,45,500	168,82,500
22.	प. बंगाल	1,61,212	291,250	4,45,08,700

1	2	3	4
23. अरुणाचल प्रदेश	2,63,000	18,000	—
24. मिजोरम	5,00,000	15,00,000	56,91,000
25. गोआ (पहले गोआ दमन और द्वीव)	10,12,600	—	74,200
संघ शासित क्षेत्र			
26. पांडिचेरी	10,000	—	40,000
27. दिल्ली	—	—	2,50,000
28. चण्डीगढ़	4,80,800	1,80,000	—
29. अंडमान और निकोबार दीप समूह	—	—	62,000
30. दादर और नागर हवेली	1,09,575	—	—
31. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला	—	—	1,00,00,000**
कुल :	1,46,90,800	2,13,60,000	14,79,16,325

**राशि राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को गैर खर्चीले प्रकार के खेल उपस्कर प्रदान करने के लिए एन. एस. एन. आई. एस., पटियाला को दी गई थी।

कहलगांव—लालमाटिया रेलवे लाइन

[हिन्दी]

4595. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कहलगांव और राजमहल (बिहार) में लाल माटिया होते हुए रेलवे लाइन बिछाने की योजना बना रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस रेलवे लाइन को निर्माण का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता

[अनुवाद]

4596. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री खिलाड़ियों को सहायता देने की योजना के बारे में 9 अप्रैल, 1987 के तारांकित प्रश्न संख्या 602 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता या पेंशन दी गई, इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मूल्यों में हुई वृद्धि सहित जीवन यापन स्तर में हुई वृद्धि को देखते हुए सहायता या पेंशन की राशि को बढ़ाया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में निर्णय कब तक किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) वर्ष 1985-86, 1986-87, और 1987-88 के दौरान खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी गई थी :—

क्र.सं.	खिलाड़ी का नाम	राज्य	दी गई सहायता की राशि
1.	2	3	4
1.	श्रीमती जानकी देवी	उत्तर प्रदेश	5,000 रु.
2.	श्री चार्ल्स कानीलियस	तमिलनाडु	5,000 रु.
3.	श्री बी. शिवारमन	केरल	5,000 रु.
4.	श्री लारी पीटर	महाराष्ट्र	5,000 रु.
5.	श्री गुलाब सिंह	हरियाणा	2,500 रु.
6.	श्री आर. ए. क्रिस्टी	मध्य प्रदेश	5,000 रु.
7.	श्री वी. चन्द्रशेखर	तमिलनाडु	25,000 रु.
8.	श्री ए.वी. दामोदर मुदालियर	महाराष्ट्र	5,000 रु.
9.	श्री पी.एल. शर्मा	दिल्ली	5,000 रु.
10.	श्रीमती राज-लक्ष्मी	कर्नाटक	5,000 रु.
11.	श्री बालचन्द्रा आश्रम महेश्कर	महाराष्ट्र	5,000 रु.
12.	कु. रीबा भट्टाचार्य	पश्चिम बंगाल	5,000 रु.
13.	श्री भवानी पंजियारा	बिहार	4,000 रु.
14.	कु. शाइनी इब्राहम	केरल	25,000 रु.
15.	श्री मोहम्मद यूसूफ	दिल्ली	5,000 रु .
16.	श्री बी.के. गोविन्द	गुजरात	5,000 रु.
17.	श्रीमती लीलावती	हरियाणा	5,000 रु.
18.	श्री सोहन सिंह	पंजाब	5,000 रु.
19.	श्री आर.पी. सुनमुगम	तमिलनाडु	5,000 रु.
20.	श्रीमती डी.पी.एम.पुष्पम	तमिलनाडु	10,000 रु.
21.	श्रीमती धोगरी देवी	हरियाणा	30,000 रु.
22.	श्रीमती जया गोड़	दिल्ली	5,000 रु.
23.	श्री कश्मीर सिंह	दिल्ली	5,000 रु.
24.	सरदार मक्खन सिंह	महाराष्ट्र	10,000 रु.
25.	श्री हरनाम सिंह सोढ़ी	दिल्ली	5,000 रु.

(ख) और (ग) : खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की योजना के अन्तर्गत सहायता के नियमों को पहले ही मई, 1986 में उदार बनाया गया है . इस उदारता में ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी, जो स्थायी तौर पर या अनिश्चित काल तक के लिए अयोग्य हो गए हैं, के मामले में पैंशन की मात्रा प्रति मास अधिक से अधिक 500/- रुपये से अधिक से अधिक 700/- रु. तक बढ़ाना, अभावग्रस्त परिस्थितियों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के परिवारों की सहायता अधिक से अधिक 5,000/-रु से अधिक से अधिक 25,000/- रु. तक बढ़ाना शामिल है। इस उदारता में अभावग्रस्त परिस्थितियों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चिकित्सा उपचार के लिए अधिक से अधिक 10,000/- रु. की वित्तीय सहायता, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की चिकित्सा सहायता के लिए अधिक से अधिक 2,000/- रु. तक की तत्काल सहायता देने के लिए व्यवस्था और खेलों को बढ़ावा देने वालों को अधिक से अधिक 5,000/- रु. की वित्तीय सहायता देने के लिए नए पहलु शुरू करना शामिल है।

समन्वित बाल विकास सेवा ब्लाकों की स्थापना

4597. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में अब तक देश में किसी समन्वित बाल विकास सेवा ब्लाक स्थापना के लिए मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो सातवी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से पहले ऐसे ब्लाकों के राज्यवार नाम क्या हैं और तब से प्रत्येक के लिए वर्षवार पृथक-पृथक खोले गए बन ब्लाकों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष सहित सातवीं योजना के शेष वर्षों में ऐसे और अधिक ब्लाक खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का निकट भविष्य में सम्पूर्ण देश में इस प्रकार के ब्लाक खोलने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कौन सी तारीख निर्धारित की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 3 वर्षों में 501 केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त राज्यों द्वारा राज्य क्षेत्र में 101 आई. सी. डी. एस. परियोजनायें शुरू की जा चुकी हैं।

1975-76 से अब तक स्वीकृत आई. सी. डी. एस. परियोजनाओं को राज्यवार और वर्ष-वार दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 5808/88]

(ग) से (घ) 1987-88 में 40 केन्द्रीय प्रायोजित और 39 राज्य क्षेत्र की आई.सी.डी.एस.

परियोजनाएं स्वीकृत की गई। उनके स्थान उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण में दिखाये गये हैं।

आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम का चरणबद्ध तरीके से विस्तार करने का प्रस्ताव है जिससे कि सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को यथासमय इसमें शामिल किया जा सके। परन्तु इस समय यह बताना कठिन है कि सम्पूर्ण देश को आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत किस वर्ष तक/कब तक लाया जा सकेगा।

इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र

4598. प्रो. नारायण चन्द पराशर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन क्षेत्रों में कार्यकरण और प्रबन्ध तथा वहां उपलब्ध अध्ययन पाठ्यक्रमों के क्रियाकलापों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल.पी. शाही) : राष्ट्रीय इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों के लिए सामाजिक छात्रों को सलाह, परामर्श और सहायता देने के लिए अभी तक देश के विभिन्न भागों में 92 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की है। अध्ययण केन्द्रों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है :—

(I) स्वागत और सूचना सेवाएं;

(II) पुस्तकालय सेवाएं;

(III) अंशकालिक शिक्षकों/परामर्शदाताओं द्वारा शिक्षकीय/परामर्शी कार्य

(IV) श्रव्य-दृश्य उपकरण/कैसेटे सुलभ करना

एक शिक्षा केन्द्र से लगभग 500 छात्रों के लाभान्वित होने की आशा की जाती है। प्रत्येक अध्ययन केन्द्र का प्रमुख एक अशंकालिक-समन्वयक होगा, जिसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी और यह साधारणत एक शैक्षिक संस्थान में स्थित होता है। क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना, कई शिक्षा केन्द्रों के कार्य को समन्वित करने और उनका पर्यावेक्षण करने के लिए की जाती है। अभी तक ऐसे 6 केन्द्रों की स्थापना की गई है। प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र का अध्यक्ष एक क्षेत्रीय निदेशक होता है, जिसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है और यह साधारणत: सम्बन्धित सरकारों द्वारा दिए गए आवास में स्थित होता है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्तियां

4599. प्रो. नारायण चन्द पराशर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य के समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के पदों पर निनुक्तियों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा उन्हें अधिसूचित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इस बोर्ड का गठन किस उद्देश्य से किया गया है; और

(ग) राज्य सरकार से ये प्रस्ताव कब प्राप्त हुए तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार

बोर्ड का पुनर्गठन राज्य सरकार को दिनांक 2 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या कल्याण ए. (4) 71/76 द्वारा 2 वर्ष के लिए किया गया था और यह बोर्ड बढ़ाई हुई अवधि में कार्य कर रहा है।

(ख) राज्य बोर्ड के सदस्यों की सूची संलग्न विवरण 1 में दी गई है। राज्य बोर्ड के कार्य संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) राज्य सरकार ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सामने राज्य बोर्ड के अध्यक्ष के लिए एक नाम का प्रस्ताव23.4.87 को रखा था। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सहमति राज्य सरकार को 27 अप्रैल, 1987 को भेज दी गई थी। राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे मुकम्मल प्रस्ताव भेजें जिसमें राज्य सरकार के उन नामितों (नोमिनीज) की सूची भी शामिल हो जिन्हें राज्य बोर्ड के सदस्य नियुक्त करने का प्रस्ताव हो। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण-1

सदस्यों की सूची

1. श्रीमती देवेन्द्र कुमारी	अध्यक्षा
1. श्रीमती गंधारी वैद्य, जिला मंडी	सदस्य
2. श्रीमती रतन मंजरी, जिला किन्नौर	,,
3. श्रीमती सत्य कपूर, जिला शिमला	,,
4. श्रीमती सरोजनी देवी, जिला सिरमौर	,,
5. श्रीमती चम्पामट्टी जिला उन्नाव	,,
6. श्रीमती जयश्री कुमारी जिला कांगड़ा	,,
7. श्रीमती चम्पारानी जिला सोलन	,,
8. श्रीमती प्रेमलता ठाकुर जिला शामसी कुल्लू	,,
9. श्रीमती तेज बीबी जिला बिलासपुर	,,
10. श्रीमती कमला शर्मा जिला कांगडा	,,
11. श्रीमती सुकृता कुमारी जिला सोलन	,,
12. श्रीमती पुष्पा शबाब जिला कुल्लू	,,
सरकारी सदस्य	
13. स्वास्थ्य और परिवार नियोजन निदेशक, हिमाचल प्रदेश	,,
14. आर. आई. डी. निदेशक हिमाचल प्रदेश शिमला	,,
15. शिक्षा निदेशक हिमाचल प्रदेश, शिमला	,,
16. उद्योग निदेशक हिमाचल प्रदेश शिमला	,,
17. कल्याण निदेशक हिमाचल प्रदेश, शिमला	,,

विवरण-2

बोर्ड के कार्य

बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा :—

(1) क्षेत्र और केन्द्र के बीच तथा विलोमतः सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम के रूप में कार्य करना।

(2) विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयंसेवी कल्याण संस्थाओं से सहायता अनुदान के लिए आवेदन मंगाना प्राप्त करना उनकी समीक्षा करना और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को उनकी सिफारिशें करना।

(3) संस्थाओं/परिवेक्षाओं के कार्यक्रम का निरीक्षण करना और उसके संबंध में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को रिपोर्ट भेजना।

(4) अपने राज्य में जहां कहीं भी आवश्यकता हो नये कल्याण कार्यक्रमों और कार्यकलापों के प्रयोजन में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सलाह और सहायता प्रदान करना।

(5) पुनरावृत्ति से बचने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जाने वाले कल्याण और विकास कार्यक्रमों का समन्वय करना।

(6) ऐसे अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना जो इन उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सके।

(7) हाल में कल्याण कार्यक्रमों से वंचित क्षेत्रों में कल्याण सेवाओं के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए स्वयंसेवी समाज कल्याण एजेंसियों के विकास को प्रोत्साहन देना।

(8) सहायता प्राप्त एजेंसियों के लिए क्षेत्र परामर्श सेवा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सहायता करना।

(9) ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा प्रायोजित अथवा राज्य सरकारों के सहयोग से संयुक्त रूप से शुरू किए गए समाज कल्याण कार्यक्रमों को प्रशासित करना।

(10) राज्य और स्थानीय स्तरों पर स्वयं सेवी कल्याण एजेंसियों के बीच कारगर समन्वय स्थापित करना।

(11) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सहमति से ऐसे समाज कल्याण कार्यकलाप अथवा कार्यक्रम चलाना जो राज्य बोर्ड को केन्द्रीय/राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के किसी विभाग द्वारा सौंपे गए हों।

(12) कल्याण सेवाओं के उत्तरोत्तर विकास कार्य में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राज्य सरकार की सहायता करना।

207/208 बाड़मेर-आगरा फोर्ट रेल गाड़ी में डिब्बों की संख्या

हिन्दी

4600. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बाड़मेर और आगरा फोर्ट के बीच 207 और 208 रेल गाड़ी में 14 डिब्बों के बजाय केवल 11 डिब्बे लगाये जाने के कारण जनसाधारण को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का जनसाधारण की परेशानी दूर करने के लिए कब तक उचित कदम उठाने का विचार है।

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) 207/208 बाड़मेर-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस को 14 सवारी डिब्बे लगाकर चलाने का कार्यक्रम है। तथापि भारतीय रेलों पर मीटर लाइन के स्टाक की भारी कमी के कारण यह गाड़ी 11 से 13 सवारी डिब्बों से चलायी जा रही है।

(ख) मीटर लाइन के सवारी डिब्बों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है।

टिकटों के आरक्षण में कदाचार

4601. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेल सतर्कता विभाग द्वारा जोन-वार टिकटों के आरक्षण में कदाचार आदि के कितने मामलों का पता लगाया गया है; और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसमें शामिल पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) 1985 से 1987 तक टिकटों के आरक्षण में भ्रष्टाचार/कदाचार में लिप्त पाये गये रेल कर्मचारियों की जोन वार संख्या नीचे दी गयी है :—

रेलवे	शामिल कर्मचारियों की संख्या
मध्य	573
पूर्व	1223
उत्तर	268
पूर्वोत्तर	99
पूर्वोत्तर सीमा	107
दक्षिण	472
दक्षिण मध्य	249
दक्षिण पूर्व	221
पश्चिम	394
जोड़	3606

वे मांगी गयी स्वीकार की गयी घूस स्थान घेरने, बिना बारी के आवास का आवंटन करने आरक्षण वा टिकटों के बिना यात्रियों को ले जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

सतर्कता जांच के दौरान पकड़े गये 3606 कर्मचारियों में से 1115 पर पड़ी शास्ति कार्रवाई और 2491 पर छोटी शास्ति कार्रवाई की गयी थी। घूस मांगने/स्वीकार करने और भारी कदाचारी में लिप्त पाये गये कर्मचारी भी निलंबित और/या स्थानांतरित किये गये थे।

भौतिक चिकित्सा और व्यावसायिक चिकित्सा संबंधी परिषद

[अनुवाद]

4602. श्री संफुद्दीन चौधरी . क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री पुनर्वास परिषद का गठन के बारे में 5 मार्च 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1344 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास परिषद से भौतिक चिकित्सकों और व्यवसायिक चिकित्कों की श्रेणियों को पृथक करने के बारे में अब तक कोई निर्णय लिया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत इन श्रेणियों के लिए एक परिषद के गठन करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) जी हां। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र परिषद बनाने का निर्णय लिया है जिनमें भौतिक चिकित्सकों और व्यवसायिक चिकित्सकों के लिए अलग कक्ष होंगे।

सोवियत संघ और भारत द्वारा महोत्सवों पर किया गया व्यय

4603. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री सोवियत संघ में भारत महोत्सव और भारत में सोवियत महोत्सव पर व्यय के बारे में 25 फरवरी, 1988 के तारांकित प्रश्न संख्या 48 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ और भारत द्वारा दोनों महोत्सवों अर्थात सोवियत संघ में आयोजित भारत महोत्सव और भारत में आयोजित सोवियत महोत्सव पर हुए कुल व्यय को महोत्सव-वार किस प्रकार वहन किया गया है,

(ख) दोनों महोत्सवों का संशोधित अनुमानित व्यय कितना है; और

(ग) सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संशोधित अनुमान के अनुसार कितना व्यय किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. साही) : (क) दोनों महोत्सवों के आयोजन के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच हस्तातरित नयाचार के अन्तर्गत भेजने वाला पक्षकार प्रदर्शनी संबंधी समान के प्रेषण और अपने भाग लेने वाले व्यक्तियों का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा व्यय वहन करेगा जबकि स्वागतकर्त्ता पक्षकार भोजन आवास दैनिक भत्ता स्थानीय परिवहन आन्तरिक यात्रा और सामान लाने ले जाने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए बुनियादी और संभार तंत्र की सुविधाओं को अपने ही व्यय पर देखभाल करेगा।

(ख) (I) सोवियत संघ का महोत्सव-2504.86 लाख रुपये

(II) सोवियत संघ में भारत महोत्सव-1600.00 लाख रुपये

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा लगभग 20 करोड़ रुपये का व्यय किए जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये धनराशि का आबंटन व्यय और राजमार्ग घोषित किया जाना

4604. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये नियत धनराशि के उपयोग के बारे में 25 फरवरी, 1988 के तारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिये प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र को कितनी धनराशि आबंटित की गई और कितनी जारी की गई;

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा चालू योजना के अन्तर्गत अब तक व्यय की गई धनराशि का ब्योरा क्या है; और

(ग) राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने के संबंध में 31 दिसम्बर, 1987 तक राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये और निर्णय के लिये लम्बित पड़े प्रस्तावों का राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) चालू योजना अर्थात 1985-86 और 1986-87 के पहले दो वर्षों के दौरान राज्यों संघ शासित प्रशासनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु आबंटित धन और व्यय को इन्गित करने वाला विवरण 1 संलग्न है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्योरा देने वाला विवरण-2 संलग्न है। तथापि, संसाधनों की कठिनाई और अन्य कार्यों की प्राथमिकता के कारण इन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर पाना संभव नहीं है।

विवरण

सातवीं योजना (1985-86) और (1986-87) के पहले दो वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रशासनों को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु आबंटित धन और उनके द्वारा सूचित किए गए व्यय

(लाख रु. में

क्र. सं.	राज्य संघ/शासित	1985-86		1986-87	
		आबंटित धन	सूचित किया गया व्यय	आबंटित धन	सूचित किया गया व्यय
1.	आंध्र प्रदेश	2364.44	2395.92	2837.85	2943.93
2.	अरुणाचल प्रदेश	60.40	69.16	73.00	139.00
3.	असम	1318.16	1325.20	1331.11	1381.69
4.	बिहार	2237.18	2211.16	2489.23	2489.23
5.	चण्डीगढ़	17.77	17.75	19.07	19.49

1	2	3	4	5	6
6.	दिल्ली	261.28	290.89	257.34	283.76
7.	गोआ	420.826	423.00	556.63	622.63
8.	गुजरात	2036.01	2155.40	3182.53	3212.07
9.	हरियाणा	826.08	829.16	1167.82	1226.40
10.	हिमाचल प्रदेश	579.71	603.71	860.51	874.29
11.	जम्मू और कश्मीर	671.87	668.32	553.43	553.72
12.	कर्नाटक	1549.78	1608.46	1843.26	1925.04
13.	केरल	1117.82	1096.72	1169.63	1348.76
14.	मध्य प्रदेश	1926.57	2000.10	2245.40	2327.82
15.	महाराष्ट्र	2255.74	2392.29	3074.29	3235.68
16.	मणिपुर	261.91	254.65	275.00	288.88
17.	मेघालय	634.52	634.23	947.22	947.23
18.	नागालैंड	51.85	36.85	96.00	80.57
19.	उड़ीसा	1331.27	1333.13	1512.68	1509.85
20.	पांडिचेरी	8.66	7.59	58.95	64.55
21.	पंजाब	1118.59	1049.30	1807.91	1782.94
22.	राजस्थान	1339.02	1345.14	1731.18	1749.91
23.	तमिलनाडु	1700.96	1696.15	2055.60	2085.62
24.	उत्तर प्रदेश	3118.19	3306.62	3788.22	3853.28
25.	पश्चिमी बंगाल	1451.84	1655.87	1410.66	1555.24
		28660.446	29406.77	35344.53	36501.58

विवरण 2

राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव

क्रम सं.	सड़क का नाम
	आंध्र प्रदेश
1.	विजयवाड़ा से मछलीपत्तनम
2.	गूटी होकर नेल्लोर से हुबली
3.	राजामुन्द्री, भद्राचलम और वेंकटपुरम के रास्ते काकीनाडा से जगदलपुर

1	2
4.	वारांगल, नागरम के रास्ते हैदराबाद से वेंकटपुरम
5.	जगतियाल—पेड्डापल्ली—मंथानी और भोगालपत्तनम के रास्ते निजामाबाद से जगदलपुर
6.	गिद्दलुर —नन्दयाल—कर्नूल—उप्पल के रास्ते ओंगोले से रायचुर
7.	कुडप्पा—मरकापुर—मचेर्ला—नागार्जुन सागर—खम्माम के रास्ते चित्तर से भद्राचलम
8.	करीम नगर—मंचेरियाल के रास्ते राष्ट्रीय राजमार्ग 4 और 7 के जोड़ते हुए हैदराबाद से चन्द्रपुर
9.	राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर भद्राचलम—चिंतुर—सिलेरू—चिंतापल्ली—पडेरू—अराकु—विजयनगरम—पालकोण्डा और श्रीकाकुलम
10.	राष्ट्रीय राजमार्ग 5 और 4 को जोड़ते हुए नायडुपेट—तिरुपति—चित्तूर
	असम
1.	मंजा—दिफु—लामडिंग—हैफलांग—सिलचर सड़क
2.	तेजपुर—जामुगुरी सड़क को जोड़ना।
	बिहार
1.	गाजीपुर—आरा—मोकामा—मुंगेर—भागलपुर—साहेबगंज—फरक्का
2.	भागलपुर पुल के रास्ते गोविन्दपुर-बिरपुर
3.	कोरहा—कालदा—हरिश्चंद्र पुरा
4.	पटना—हाजीपुर—मुजफ्फरपुर—सीतामढ़ी—सुरसण्ड
5.	मुजफ्फरपुर—दरभंगा—फारबिसगंज—अररिया
	गुजरात
1.	ओखा—पोरबन्दर—भावनगर—बलसाड
2.	मलिया—हलवाड—ध्रांगध्रा—विरमगाम—अहमदाबाद
3.	राजकोट — भावनगर
4.	अहमदाबाद—कथलाल—गोध्रा—दहोद—इन्दौर—पंचमहल बोर्डर।
5.	लखपत—भुज—कांडला
6.	वदोदरा—दभोई—तिलकवाड़ा—सागबाड़ा—धुलिया
7.	सुरत—बारडोली—सोंगध—धुलिया (गुजरात सीमा तक)
8.	अहमदाबाद—मेहसाना—राधानपुर—पालनपुर—आबु रोड...अजमेर
9.	वडोदरा—गोध्रा
10.	मेहसाना—पालनपुर
11.	बलसाड—धर्मपुर—नासिक

1	2
12.	बगोदरा—बतामन
13.	राजकोट—जामनगर—द्वारका
	हरियाणा
1.	नारनौल—चरखी—दादरी—भिवानी—हांसी—बरवाला—टोहाना—लुधियाना
2.	अम्बाला—जगाधरी रोड
3.	पंचकुला में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 से जोड़ने के लिए जी. टी. रोड पर 182.60 कि. मी.
	हिमाचल प्रदेश
1.	पठानकोट—चक्की—मंडी सड़क
2.	पिंजोर—नालागढ़—स्वरघाटा सड़क
	जम्मू और कश्मीर
1.	श्रीनगर—लेह सड़क
	कर्नाटक
1.	बंगलूर—मैसर—मरकारा—मगलूर (राष्ट्रीय राजमार्ग 17 से जोड़ने के लिए)
2.	गुन्टाकल—बेलारी—होसपेट—कूपल—गडग—हुबली—हरबार के साथ आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर गूटी (रा. रा. 17 से जोड़ने के लिए)
3.	बेलगांव—बीजापुर—गुलबर्गा—हुमनाबाद (रा. रा. 9 से जोड़ना)
4.	बेलगांव—बागलकोट—रायचुर—महबूबनगर—आंध्र प्रदेश में
5.	टुमकुर—अरासिकारा—शिमोगा—सागर—हूनावर (रा. रा. 17 से जोड़ना)
6.	मैसूर—नांगानद—गुन्डलुपेट—ऊटी—कोयम्बटूर (तमिलनाडु में रा. रा. 47 से जोड़ना)
7.	चित्रदुर्ग— होलैकारा— होसदुर्ग— चिकमगलूर— मुन्डीगोरा —बेलथांगडी— बंटवल—मंगलूर) रा. रा. 17 से जोड़ना)
8.	मैसूर— श्रीरंगपटनम--नागमंगला— चिकमचाकनहाली—हुनियूर—हिरियुर— बेलारी—शाहापुर—गुलबर्गा—हमनाबाद (रा. रा. 9 से जोड़ना)
9.	धारवाड—लोंडा—अनमोद—पणाजी (रा. रा. 17 से जोड़ना)
10.	पदुरिद्री— कारकाला—श्रृंगेरी—तिरथाहल्ली— शिकारीपुर—शिरालकोप्पा— हुबली—बगलकोट—हुंगुन्ड।
11.	सिरा (रा. रा. 4 पर बंगलूर—पूना सड़क) मधुगिरि...गौड़ीबिदानपुर— चिकहल्लापुर—चिन्तामणि—श्रीनिवासपुर—मलबगल (रा. रा. 4 पर बंगलूर— मद्रास सड़क)

1	2
	केरल
1.	त्रिवेन्द्रम—कोट्टायम से अंकमल्ली तक एम. सी. सड़क
2.	कोचीन—मदुरै सड़क
	मध्य प्रदेश
1.	अजमेर—रायगढ़—बेतुल—नागपुर
2.	ग्वालियर—झांसी—खजुराहो—पन्ना—सतना—रीवा—पिपरी—रांची
3.	इलाहाबाद—रीवा—बिलासपुर रायपुर—जगदलपुर—कोंटा—राजमुन्द्री
4.	जबलपुर—अरंग (नायपुर)—बरहमपुर
5.	बिलासपुर—अम्बिकापुर—औरंगाबाद—पंटा
6.	अहमदाबाद—इन्दौर—भोपाल—सागर—जबलपुर—अम्बिकापुर—रांची।
7.	वाराणसी—अम्बिकापुर—रायगढ़—सरायपल्ली
8.	बरहमपुर—(रा. रा. 5)—तितलागढ़—कांकेर—चंदा (एम. एस.)
9.	जगदलपुर (रा. रा. 43) गीदम—बीजापुर—भोपाल पत्तनम—निर्मल (रा. रा. 7)
10.	कानपुर—बांदा—छतरपुर—सागर
11.	झांसी—छतरपुर—कटनी—शाहडौल—कोरवा—सोहेला
12.	अजमेर—चित्तूर—नीमच—मंदसौर—रतलाम—महु—खंडवा—जलगांव
13.	लखनडोन (रा. रा. 26)—पलारी—कोलारी—हुगली—बालाघाट—गोंडिया—अर्जुनी (रा. रा. 6)
	महाराष्ट्र
1.	सोलापुर—ओसमानाबाद—बीड—औरंगाबाद—धुले—बडोदरा
2.	बम्बई—अहमदनगर—नांडेड़—जगदलपुर
3.	रतनगिरि—सोलापुर—नागपुर
4.	पश्चिम तटीय राजमार्ग
5.	सुरत—धुले
6.	औरंगाबाद—नांडेड—हैदराबाद
7.	इन्दौर—अमरावती—यवतमाल—चन्द्रपुर—दुर्ग
8.	औरंगाबाद—अजन्ता—अदलाबाद—बुरहानपुर
9.	बेतुल—नागपुर—चन्द्रपुर—पट्टागुन्डम
10.	अमरावती—पन्डुरना
11.	मंगलवाडा—जाट—बेलगांव

1	2
	नागालैंड
1.	कोहिमा—वोखा—मोकोकचुंग—जंजी सड़क (मोकोकचुंग तक)
	उड़ीसा
1.	गोपालपुर—खरियार—रायपुर सड़क
	राजस्थान
1.	बीवर (रा. रा. 8) पाली—सिरोही—कांडला पत्तन
2.	बीकानेर—नागौर—अजमेर—कोटा—शिवपुरी
	तमिलनाडु
1.	मद्रास से कन्याकुमारी तक पूर्वी तट सड़क।
2.	210/0 कि. मी. (रा. रा. 7) पर नागरकोयल (रा. रा. 47) से कावलकिनारु तक
	उत्तर प्रदेश
1.	एल. आर. पी. सड़क (बरेली—अमीनगांव)
2.	लखनऊ—रायबरेली—इलाहाबाद— मिर्जापुर— रोबर्टगंज— चोपन —दुधी—रांची सड़क
3.	लखनऊ—सुल्तानपुर—आरा—पटना
4.	लखनऊ—बछरावन—लालगंज—फतेपुर—बांदा—सागर—भोपाल
5.	पीलीभीत—हरिद्वार—पोंटानाहान—अम्बाला
6.	गाजियाबाद—मेरठ—हरिद्वार
7.	ग्वालियन—झांसी—खजुराहो—रीवा
8.	गोरखपुर—नौतनवा
9.	रायपुर—वाराणसी
10.	गाजीपुर—बलिया—छपरा—हाजीपुर
11.	जी. टी. रोड (गाजियाबाद—अलीगढ़—कानपुर)

4605. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कालेजों के नाम क्या हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 29 फरवरी, 1988 को स्थिति के अनुसार राज्य-वार स्वायत्तता प्रदान की गई है;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उसी दिन को स्थिति के अनुसार किन-किन कालेजों को स्वायत्तता प्रदान किए जाने का प्रश्न विचाराधीन है;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार इन कालेजों को अपने संकायों, पाठ्यक्रमों अथवा शैक्षणिक आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए कोई विशेष अनुदान देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस.पी. शाही) : (क) उन कालेजों के नाम, जिन्हें 29 फरवरी, 1988 तक स्वायत्त स्तर देने के लिए अनुमोदित किया है, विवरण के रूप में संलग्न सूची में दिए गए हैं।

(ख) संबंधित विश्वविद्यालय और राज्य सरकार द्वारा अनुशासित कालेजों के नाम और जो 29-2-1988 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन थे, संलग्न विवरण 2 में दिए गए हैं।

(ग) स्वायत्त कालेजों की योजना के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा :—

(I) कला/विज्ञान/वाणिज्य पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले अवर स्नातक कालेज	4 लाख रुपये वार्षिक
(II) कला, विज्ञान और वाणिज्य पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले अवर स्नातक कालेज	6 लाख रुपये वार्षिक
(III) अवर स्नातक और उत्तर स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले कालेज,	7 लाख रुपये वार्षिक

कालेजों को यह अनुदान, अतिरिक्त संकाय और अन्य कर्मचारियों पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार करने, शिक्षण और अध्ययन सामग्री पुस्तकालयों का सुधार करने तथा परीक्षा का सुधार करने आदि के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।

(घ) 1988-89 के दौरान योजना के लिए आवंटन 350 करोड़ रुपये हैं।

विवरण-1

24 फरवरी, 1988 को स्वायत्त कालेजों की सूची

क. उन कालेजों के नाम जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के अपनाने से पहले स्वायत्ता दी गई है

भारथीदासन विश्वविद्यालय

1. क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, त्रिरुचिरापल्ली
2. सेंट जोसफ कालेज, त्रिरुचिरापल्ली।
3. पी.एस.जी. कला और विज्ञान कालेज, कोयम्बटूर
4. पीएस.जी. प्रौद्योगिकी कालेज, कोयम्बटूर।
5. श्री अविनाशलिंगम महिला गृह विज्ञान कालेज, कायम्देटूर
6. श्री रामाकृष्ण मिशन विद्यालय, कला और विज्ञान कालेज, कोयम्बटूर
7. राजकीय प्रौद्योगिकी कालेज, कोयम्बटूर

मद्रास विश्वविद्यालय

8. लयोला कालेज, मद्रास
9. मद्रास क्रिश्चियन कालेज, मदास

10. विवेकानद कालेज, मद्रास
11. महिला क्रिश्चियन कालेज, मद्रास
12. वाई एम.सी.ए. शारीरिक शिक्षा कालेज, मद्रास

मदुरै कामराज विश्वविद्यालय

13. महिला डोक कालेज, मदुरै
14. मदुरै कालेज, मदुरै
15. दि अमेरिकन कालेज, मदुरै
16. एस.पी: महिला कालेज, कोटंलम

उस्मानिया विश्वविद्यालय

17. विश्वविद्यालय महिला कालेज, हैदराबाद।
18. कला और विज्ञान कालेज, कामारेडडो

सौराष्ट्र विश्वविद्यालय

19. लोक-भारती सेवा महाविद्यालय, सोनोररा, जिला भावनगर।

जीवाजी विश्वविद्यालय

20. लक्ष्मोबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर।

ख. जनवरी 1987 से स्वायत्त स्तर के लिए अनुमोदित कालेज

राज्य	विश्वविद्यालय	कालेज
तमिलनाडु	मदुरै विश्वविद्यालय	1. अरूल आनंदार कालेज कारूमाथुर
		2. जी.टी.एन. कला कालेज डिंडीगुल
		3. थेगराजन कालेज, मदुराई
		4. विवेकानंद कालेज, तिरूवेदगम
		5. आया नगर जानकी अम्मल कालेज, शिवाकासी
		6. सेंटजेवियर कालेज, पालायामोकोटटाई
		7. थेंगराजन इन्जीनियरी कालेज मदुराई
	मद्रास विश्वविद्यालय	1. स्टल्ला मरिया कालेज, मद्रास
		2. प्रेसीडेन्सी कालेज, मद्रास
		3. क्वीन मेरी कालेज, मद्रास
		4. सेक्रेट हार्ट कालेज तिरूपत्तूर
		5. मेस्टन शिक्षा कालेज, मद्रास
		6. तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास
	भारथीदसन	1. होली क्रास कालेज, तिरूचिरापल्ली

1	2	3
	विश्वविद्यालय	2. ए.वी.सी. कालेज, मायूरम 3. श्री पुष्पम कालेज, पोन्डी 4. राजकीय पुरुष कालेज, कुम्बाकोनम 5. सेठ लक्ष्मी रामास्वामी कालेज, तिरुचिरापल्ली
	भारथियार विश्वविद्यालय	1. एरोडे कला कालेज, एरोडे 2 नल्लामुथु गुंडेर मडागिम कालेज, पोलाथी 3. गोबी कला कालेज, गोबीचोटिट, पाल्यम 4. राजकीय कला कालेज' कोयम्बूटर 5. कोयम्बूटर प्रौद्योगिकी संस्थान, कोयम्बूटर 6. राजकीय प्रौद्योगिकी कालेज, कोयम्बूटूर
आंध्र प्रदेश	आंध्र विश्वविद्यालय	1. डी.एन.आर. कालेज, भीमावरम 2. सर सी.आर.आर. कालेज, एलुरू 3. सी.एच.एस:डी. सेंटथेरेसा महिला कालेज, एलुरू 4. एस. आर. वी. एस. एस. ज. आर. महारानी कालेज, पट्टापुरम 5. एस.डी.एस. कला और प्रयुक्त विज्ञान कालेज, श्री रामनगर 6. एम.आर. पुरुष कालेज, बिजयानगरम 7. सेंट जोसेफ महिला कालेज,
	नागार्जुन विश्वविद्यालय	8. आन्ध्र लोयोला कालेज, विजयवाडा 9. पी.वी. सिद्धार्थ कला विज्ञान कालेज, विजवाड़ा
राजस्थान	राजस्थान विश्वविद्यालय	1. राजकीय कालेज, अजमेर 2. एम.एस.जे. कालेज, भरतपुर 3. डुंगर कालेज, बीकानेर 4. कला और विज्ञान कालेज, कोटा।
मध्य प्रदेश	रविशंकर विश्वविद्यालय	1. राजकीय विज्ञान कालेज, रायपुर।
	डा. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय	1. राजकीय एस.एन. उत्तर स्नातक कालेज, खडवा 2.राजकीय पी.जी. कालेज, छिदवाडा

1	2	3
	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	1. होलकर विज्ञान कालेज, इन्दौर 2. कस्तूरबा ग्राम ग्रामीण संस्थान, इन्दौर
	भोपाल विश्वविद्यालय	1. राजकीय मोती लाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल
	गुरू घासी दास विश्वविद्यालय	1. राजकीय माडल पी.जी. विज्ञान कालेज, बिलासपुर 2. राजकीय पी.जी. कालेज, अम्बिकापुर 3. के.जी. कला और विज्ञान कालेज, रायगढ़
	जीवाजी विश्वविद्यालय	1. राजकीय विज्ञान कालेज, ग्वालियर 2. एम.एल.बी. कला और वाणिज्य कालेज ग्वालियर

विवरण-2

स्वायत्ता स्तर प्रदान करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित उन कालेजों के नाम जो 29-2-88 को विद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन थे

1. आंध्र प्रदेश

उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

1. विश्वविद्यालय महिला कालेज, हैदराबाद
2. निजाम कालेज, हैदराबाद
2. आर.बी.वी.आर.आर. महिला कालेज, हैदराबाद
4. एस.एस.आर. तथा जे. कला और विज्ञान कालेज, खाम्मन
5. अनवर-उल-उलम कालेज, हैदराबाद
6. सेंट फ्रोसिस महिला कालेज, हैदराबाद

श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय

1. श्री पद्मावती महिला कालेज, तिरूपति
2. एस.वी. पुरुष कालेज, तिरूपति
3. बी.टी. कालेज, मदीनापल्ले
4. जवाहर भारती कावली

II मध्य प्रदेश

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय

1. सी.एम.डी.पी.जी कालेज, बिलासपुर
2. राजकीय कन्या कालेज, बिलासपुर

रविशंकर विश्वविद्यालय

1. राजकीय कला विज्ञान कालेज, दुर्ग।
2. राजकीय डी.वी. कन्या कालेज, रायपुर।

भाप वाले इन्जनों का प्रयोग धीरे धीरे समाप्त करना

4606. **श्री चिन्तामणि जेना।** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे भाप इन्जिनों की व्यवस्था को सन् 2000 तक धीरे-धीरे समाप्त करने के वर्तमान लक्ष्य को 5 वर्ष पहले ही समाप्त करने के उद्देश्य से तकनीक के साथ अन्तरण के साथ कम ईंधनों से चलने वाले डीजल इन्जिनों के आयात सहित किसी योजना पर कार्य कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद)। (क) जी हां। अभी भी अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गोल्डन राक वर्कशाप

4607. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे की तिरूचिरा-पल्ली के समीप गोल्डन राक वर्कशाप ने प्रति माह बिजली की एक लाख यूनिटों की उल्लेखनीय बचत की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) और (ख) 1986-87 अर्थात् अक्तूबर, 1986 से जनवरी, 1987 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में अक्तूबर, 1987 से 1988 की अवधि के दौरान ऊर्जा की बचत प्रतिमाह लगभग 61,000 यूनिट हुई है।

छोटा परिवार रखने वाले व्यक्तियों को विशेष प्राथमिकता देना

4608. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को विकेन्द्रीयकृत करने के लिए राज्यों से सहायता मांगी है;

(ख) क्या राज्यों को सरकार की सभी विकास योजनाओं में छोटा परिवार रखने वाले व्यक्तियों को विशेष प्राथमिकता देने की सलाह भी दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) लोगों को स्वास्थ्य और चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और सातवीं योजना के दस्तावेज में 1990 तक साधारण क्षेत्रों में प्रत्येक 5000 ग्रामीण आबादी और आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 ग्रामीण आबादी पर एक उप-केन्द्र खोलने की बात कही गई है। इस योजना में साधारण क्षेत्रों में प्रत्येक 30,000 आबादी तथा आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की भी बात कही गई है। सातवीं योजना के अन्त तक अपेक्षित संख्या में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 50 प्रतिशत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिए जाने की आशा है।

(ख) और (ग) : छोटे परिवार के आदर्श के स्वीकारकर्ताओं को सरकार की सभी विकासात्मक योजनाओं में सर्वातिशायी प्राथकिकता देने के बारे में राज्यों को कोई हिदायतें जारी नहीं की गई हैं। बहरहाल, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रीन कार्ड योजना शुरू करें। इस योजना के अन्तर्गत एक या दो जीवित बच्चों के बाद परिवार नियोजन के स्थायी तरीके अपनाने वालों को मान्यता स्वरूप ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं। इस कार्ड से इन स्वीकारकर्ताओं को उन क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाती है जहां ऐसी प्राथमिकता दिया जाना संभव हो जैसे ऋण मंजूर करना, सहायता तथा अनुदान देना, मकान का आबटन करना, चिकित्सा लाभ आदि देना।

"नदी बेसिन पर पानी की किस्म पर निगरानी रखना"

4609. **श्री एस.एम. गुरद्डी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी बेसिन पर पानी की किस्म पर निगरानी रखने का काम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन किन नदियों पर अध्ययन किया जा रहा है;

(ग) क्या राज्य बोर्डों को शामिल करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का इन्डियन नेशनल अक्वाटिक रेफरेंस सिस्टम की निगरानी में तथा गंगा सफाई योजना के अन्तर्गत 122 और केन्द्र स्थापित करने पर विचार है;

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में अध्ययन रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है; और

(च) इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) कावेरी, गोदावरी, महानदी, और माही नदियों के बेसिनों से संबंधित अध्ययनों पर कार्य चल रहा है। गंगा, यमुना, साबरमती, कृष्णा, दामोदर, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी और बैतरणी से संबंधित अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं।

(ग) जी, हां। राज्य बोर्डों को इन अध्ययनों में शामिल किया जाता है।

(घ) सरकार ने सातवीं योजना के दौरान 400 जल गुणवत्ता निगरादी केन्द्रों की स्थापना करने के लिए मंजूरी दे दी है। इनमें ऐसे अध्ययनों के लिए मौजूदा 122 केन्द्रों के अलावा नदी बेसिन अध्ययनों के लिए जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों की स्थापना करना भी शामिल है।

(ङ) पूरे किए गये अध्ययनों से सम्बन्धित रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं। कावेरी, गोदावरी, माही और महानदी से संबंधित अध्ययन रिपोर्टों के क्रमिकरुप से 1990 तक प्राप्त होने की आशा है।

(च) चल रहे अध्ययनों पर लगभग 30.00 लाख रुपए का व्यय आएगा।

"तेजी से बढ़ने वाले वृक्ष लगाना"

4610. **श्री वाई. एस. महाजन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हवाई द्वीप के वैज्ञानिकों ने वृक्षों की कुछ ऐसी

किस्मों का पता लगाया है जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और हमारे देश के कुछ भागों में इन्हें उगाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कुछ चुने हुये क्षेत्रों में ये वृक्ष लगाने हेतु उनके बीजों का आयात करने का विचार है; और

(ग) क्या कोई क्षेत्र परीक्षण किये गए हैं और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) :(क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व के कई भागों में उन कतिपय प्रजातियों के संबध मे अनुसंधान किये जा रहे हैं, जो हमारे देश के कुछ क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हो सकती है।

(ख) और (ग) : इस सम्बन्ध में सरकार की नीति यह है कि तब तक विदेशी प्रजातियों को नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि विशेषज्ञों द्वारा इनका पारिस्थितिकी, वानिकी तथा कृषि में दीर्घ कालीन परीक्षण न कर लिया जाए और यह प्रमाणित न कर लिया जाए कि इनका देशी वनस्पति और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस उद्देश्य से पहाड़ी-पीपल, उष्णकटिबन्धीय देवदार, बबूल, प्रोसोपिस और लूकेनिया की विभिन्न किस्मों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में क्षेत्रीय परीक्षण किये गये। लूकेनिया तथा पहाड़ी पीपल को उपयुक्त क्षेत्रों में लगाने के लिए मुक्त किया गया है।

बेरोजगार कर्मशियल पायलट

4611. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) बेरोजगार कर्मशिल पायेलटों की अद्यतन संख्या कितनी है; और

(ख) उन्हें रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) (क) : बेरोजगारी वाणिज्यिक पायलटों से संबंधित सांख्यकीय आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) देश में एयरलाइनें समय-समय पर विज्ञापन जारी करती हैं। और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त पायलटों का चयन करती हैं।

दिल्ली में अस्पतालों के कार्यकरण की समीक्षा :

4612. **श्री पी. आर. कुमार मंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सभी बड़े अस्पतालों के कार्यकरण की समीक्षा करने का प्रस्ताव है ताकि उनके प्रशासन में सुधार लाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समीक्षा किस एजेंसी द्वारा की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में तीन भाषाई सूत्र

4613. **श्री एस.एम. गुरड्डी :**

श्री जी.एस. बसवराजू :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सुझाव दिया है कि सभी स्कूलों में नवीं कक्षा में तीन भाषाई सूत्र लागू किया जाना चाहिये;

(ख) क्या इस समय यह सूत्र केवल आठवीं कक्षा तक ही लागू है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सुझाव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल.बी. शास्त्री) : (क) बोर्ड (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) की पाठयचर्या समिति ने बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में कक्षा IX तक त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत तीन भाषाओं के अध्यापन की सिफारिश की है। फिर भी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शासी निकाय ने माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों के लिए संशोधित पाठय विवरण के बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में सभी स्तरों पर संशोधित पाठयचर्या का विकास किया जा रहा है।

(घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य-विवरण राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा स्कूल स्तर के लिए रा.शै.अनु. तथा प्रशि. परिषद द्वारा विकसित पाठ्चर्या कार्य ढांचे के अनुरूप होना चाहिए। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आशा है कि वह इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सही समय पर अध्ययन और पाठयचर्या के बारे में निर्णय ले।

इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा बिक्री एजेंटों को कमीशन देना :

4614. **श्री सोमनाथ रथ :**

श्री गुरुदास कामत :

क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स की पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश के अन्दर यात्री और भाड़ा यातायात से कितनी आय हुई और कितना मुनाफा हुआ;

(ख) इन्डियन एयरलाइन्स ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष उक्त आय पर अपने एजेंटों को कितनी कमीशन दिया; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष 10 लाख रुपये से अधिक कमीशन पाने ट्रैवल एजेंटों फ्रेट ऐजेंट के नाम क्या हैं और प्रत्येक को कितनी राशि अदा की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) (क) इन्डियन एयरलाइन्स की पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश के अन्दर यात्री और भाड़ा यातायात से निम्नलिखित आय और मुनाफा हुआ :

वर्ष	यात्री राजस्व	भाड़ा राजस्व	लाभ कर से पहले
	(करोड़ रुपये)		
1984-85	483·24	35·75	53·34
1985-86	578·99	37·40	63·52
1986-87	681·31	41·45	63·74

वर्ष	यात्री राजस्व पर कमीशन	भाड़ा राजस्व पर कमीशन
	(करोड़ रुपये में)	
1984.85	10·20	0·69
1985-86	12·77	0·74
1986-87	14·70	0.88

(ग) 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान भारत में ऐसे एजेंटों के नाम जिन्हें 10 लाख रुपये से अधिक का कमीशन दिया गया था, का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

इंडियन एयरलाइन्स (सी.आर.ए.) नई दिल्ली

1984-85, 1985-86, 1986-87 के दौरान भारत में ऐसे एजेंटों के नाम जिन्हें 10 लाख से अधिक कमीशन दिया गया था

लाख रुपये में राशि

एजेंट का नाम	मुख्य कार्यालय का स्थान	1984-85	1985-86	1986-87	स्थान
1	2	3	4	5	6
मैसर्स ए.के. ट्रेवल्स एण्ड टूरस	बम्बई	—	—	12·16	बम्बई
एशियाटिक ट्रैवल्स सर्विस	बम्बई	13·60	15·41	18·11	बम्बई
,, एक्सेस ट्रेवल्स	बम्बई	—	—	10·18	बम्बई
,, एम्बेसडर ट्रेवल्स (पी) लिमिटेड	बम्बई	10·99	14·18	17·53	दिल्ली/बम्बई
,, एटलांटिक पैसफिक ट्रेवल्स सर्विस (पी.) लिमिटेड	बम्बई	—	13·01	16·49	बम्बई

1	2	3	4	5	6
मैसर्स अशोक ट्रैल्वस (पी) लिमिटेड	मद्रास	—	11·10	13·09	मद्रास/ कोयम्बतूर
,, अमरीकन एक्सप्रैस इन्टरनेशल बैंकिंग	दिल्ली	18 99	18·53	18·10	दिल्ली/बम्बई /कलकत्ता
,, बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड	दिल्ली	26·40	31·62	39·78	दिल्ली/बम्बई कलकत्ता/मद्रास
,, भारत ट्रैवल्स सर्विस (पी) लिमिटेड	मद्रास	12·97	12·32	13·13	मद्रास/ हैदराबाद
,, काक्स एण्ड किंग्स (ई) लिमिटेड	दिल्ली	10·19	12·85	15·51	दिल्ली/ बम्बई
,, चौधरी इन्टरनेशल	दिल्ली	—	—	10·12	दिल्ली
,, एक्सरेट ट्रैवल सर्विस	कलकत्ता	19·10	20·98	23·74	दिल्ली/बम्बई /कलकत्ता
,, मैसर्स फोरवे ट्रैवल्स (पी) लिमिटेड	बम्बई	—	12·04	17·93	बम्बई
गोवान ट्रैवल्स	दिल्ली	15·58	18·23	20·70	दिल्ली/बम्बई मद्रास/कलकत्ता
,, गे ट्रैवल्स	मद्रास	—	—	11·98	मद्रास
,, इन्ड ट्रैवल्स (पी) लिमिटेड	बम्बई	30·73	36·79	38·97	दिल्ली/बम्बई पीएनबयू/केएनपी/ एम.ए.ए./बी.एल. आर./टी.आर.बी/ एच.वाईडी.
,, इन्टरनेशनल ट्रैवल हाऊस (पी) लिमिटेड	दिल्ली	—	—	11·10	दिल्ली
,, इन्डियन एयर ट्रैवल ए. डिविजन कमल ट्रैवल क. प्रा. लि.	कलकत्ता	11·46	12·19	11·66	दिल्ली/ कलकत्ता
,, मर्करी ट्रैवल (इ) लि.	दिल्ली	38·26	53·35	59·96	दिल्ली/बम्बई कलकत्ता/मद्रास बंगलौर/हैदराबाद

1	2	3	4	5	6
मैसर्स मेकीनोन्स ट्रैवल सर्विस (ए डिविजन मेकीनोन्स मेकीनीजीएण्ड क. लि.)	बम्बई	24·25	25·28	27·36	दिल्ली/ बम्बई/ कलकत्ता
,, एस. चुन्नीभाई पटेल एण्ड कम्पनी	बम्बई	—	10·10	11·40	बम्बई
,, मनाली ट्रैवल्स	दिल्ली	—	—	11·00	दिल्ली
,, न्यू एयरवेज ट्रैवल्स दिल्ली (पी) लि.	दिल्ली	—	10·80	11·10	दिल्ली
,, पार्क ट्रैवल्स (ई) प्रा. लिमिटेड	बम्बई	—	—	11·78	बम्बई
,, ओरियंट एक्सप्रेस क. (पी) लिमिटेड	दिल्ली	10·87	10·82	13·36	दिल्ली/बम्बई कलकत्ता/मद्रास
,, पी.एल. बल्डवेज लि.	कोचीन	—	11·73	15·45	कोचीन/ कोयम्बतूर/कालीकट बी.एल.आर./पी.आर टी
, रिहिनो ट्रैवल्स	गुवाहाटी	—	—	10·37	गुवाहाटी
स्कीपर ट्रैवल इन्टर-नेशनल (पी) लि.	दिल्ली	10·05	10.11	11·00	दिल्ली
,, सीता ट्रैवल्स (इ) पाईवेट लिशिटेड	दिल्ली	34·99	47·80	55·30	दिल्ली/कानपुर बम्बई/कलकत्ता/ मद्रास/बी.एल.आर /हैदराबाद
,, शरिफ ट्रैवल एण्ड कारगो सर्विस (पी) लि.	मद्रास	10·29	11·96	12·63	मद्रास/हैदरा-बाद/बी.एल.आर. गुन्टूर
,. सनशाईन ट्रैवल (इ) प्राईवेट लिमिटेड	दिल्ली	—	10 05	13·50	दिल्ली
,, ट्रैवल कार्पोरेशन (ई) प्राईवेट लिमिटेड	बम्बई	62·27	81·02	85·31	दिल्ली/बम्बई आगरा/एल.के.ओ/ एएचडी/पीएनडब्लयू बी.ओ.क्यु/कलकत्ता/ मद्रास/सी.ओ.के./ बी.एल.आर.

1		2	3	4	5	6
मैसर्स	कोष फूक (इ) लिमिटेड	बम्बई	13·80	19·44	24·07	दिल्ली/बम्बई मद्रास/बंगलोर
,,	ट्रेड विंग्स लिमिटेड	बम्बई	65·69	75·31	76·06	दिल्ली/बम्बई /बीओक्यू/पीएक्यू/ मलोर/पंजाब/नागपुर /एमबीएल/मद्रास/ बीएलग्रार/मदुरे/ हैदराबाद/कोचन
,,	ट्रेवल इन्डिया ब्यूरो (पी) लिमिटेड	दिल्ली	—	10·10	13·10	दिल्ली
,,	टेलस्टार ट्रेवल्स (पी) बम्बई लिमिटेड	बम्बई	—	12·76	13·86	लम्बई
,,	वेंसीमलवासरगल एण्ड ब्रदर्स	बम्बई	12.28	13·62	1539	बम्बई/कलकत्ता
	माल एजेंट					
	एअर फ्रेट (पी) लिमिटेड	बम्बई	17·56	19·56	21·54	बम्बई
	तैमूर एयर एक्सप्रेस	बम्बई	11·01	13·50	13·73	—

पट-चित्रकला के लिए डिजाइन तथा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

4615. श्री सोमनाथ रथ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भुवनेश्वर (उड़ीसा) से 57 किलोमीटर दूर स्थित रघुराजपुर गांव पटचित्रकला के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त केन्द्र है,

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने पट-चित्रकला के लिए डिजाइन तथा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हां, तो इस विषय पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"गुजरात में वन क्षेत्र"

4616. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में वर्ष 1986, 1987 और 1988 के प्रारम्भ में कितना वन क्षेत्र था ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : गुजरात में वर्ष 1986, 1987 एवं 1988 के आरम्भ में वनाच्छादित क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। तथापि, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा 1981-83 की अवधि के लिए उपग्रह प्रतिबिम्बिकी के किए गए मूल्यांकन के अनुसार 13570 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनाच्छादित था।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भर्ती किए गए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों की वरिष्ठता

4617. **श्री महेश्वर तांती :**
श्री विजय कुमार यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984 में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भर्ती किए गए शिक्षकों को वरीयता सूची में उन शिक्षकों के समकक्ष रखा गया है जिनकी भर्ती विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नहीं की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाहो) : (क) और (ख) उत्तर-पूर्व प्रदेश के लिए वर्ष 1984 के दौरान नियुक्त अध्यापकों की वरीयता सूची को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सेवाओं से बर्खास्त किये गये/निकाले गये प्रधानाचार्य और अध्यापक

4618. **प्रो. पराग चालिहा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 और 1987-88 के शैक्षिक सत्रों के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कितने अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को बर्खास्त किया गया/निकाला गया अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) ऐसे कितने अध्यापक और प्रधानाचार्य हैं जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां लम्बित हैं और उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाहो) : (क) और (ख) एक प्रधानाचार्य को अपने सरकारी अधिकारों के दुरुपयोग और जाली स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर दाखिले करने तथा छात्रों के दाखिले में अन्य गंभीर अनियमितताएं करने पर बर्खास्त कर दिया गया था। एक प्रधानाचार्य को अवैध दस्तावेजों के आधार पर छात्रों का दाखिला करने तथा दाखिले में अन्य अनियमितताएं करने के कारण अनिवार्य रुप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। एक प्रधानाचार्य को बिना अनुमति के अन्य विभाग में कार्य-भार सम्भालने के कारण अनिवार्य रुप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था।

इस समय, उप-प्रधानाचार्यों सहित 19 प्रधानाचार्यों के खिलाफ, वित्तीय तथा अन्य अनियमितताओं के आरोपों के आधार पर, विभागीय कार्यवाही चल रही है।

क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक आयुक्त ही चूंकि अध्यापकों हेतु अनुशासनिक प्राधिकारी होते हैं, अतः उनसे सम्बन्धित सूचना का के. वि. सं. (मुख्यालय) में नहीं रखा जाता। तथापि, केन्द्रीय

विद्यालय संगठन का आहरित अध्यापक को छात्र के प्रति नैतिक चरित्रहीनता जिसमें लैंगिक अपराध या अनैतिक कामवासना प्रदर्शन शामिल है, का दोषी पाए जाने पर उसकी सेवाएं समाप्त करने में सक्षम है। इस अवधि के दौरान दो ऐसे अध्यापकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के शिक्षकों की पदोन्नति

4619. प्रो. पराग चालिहा : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के शिक्षकों की पदोन्नति के संबंध में क्या नीति अपनाई जाती है; और

(ख) इस संगठन में चालू शिक्षा सत्र के दौरान प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों तथा प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षकों के पदोन्नति तथा भर्ती द्वारा अलग अलग कितने पद भरे गये और प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से कितने पद भरे गये ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) वर्ग 'क' के न्यूनतम रैंक तक के प्रत्येक ग्रेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत पद आरक्षित हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भर्ती किये गये अध्यापकों का स्थानान्तरण

4620. प्रो. पराग चालिहा : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय द्वारा वर्ष 1984 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष रुप से भर्ती किए गए अध्यापकों का उक्त क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरण नहीं हो सकता है;

(ख) क्या ऐसे प्रतिबन्ध के बावजूद, केन्द्रीय विद्यालय, सिवसागर के कुछ अध्यापकों का इस क्षेत्र से बाहर स्थानांतरण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या अन्य अध्यापकों के स्थानांतरण संबन्धी अनुरोधों पर भी विचार किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) जी, हां। वे उत्तर-पूर्व से बाहर स्थानान्तरण के पात्र नहीं है।

(ख) असाधारण से केवल एक पी. जी. टी. (भौतिकी) को, जिसे विशेष रुप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भर्ती किया गया था उसे वर्ष 1986-87 में केन्द्रीय विद्यालय, सिबसागर से केन्द्रीय विद्यालय दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिया गया था। तथापि, तत्पश्चात जुलाई, 1987 में उसे यह सूचित किया गया था कि वह अपने आपको एक वर्ष के अन्दर दिल्ली क्षेत्र में नई नियुक्ति के लिए चयन कराये अन्यथा उसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुनः स्थानांतरित कर दिया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष रुप से भर्ती किए गए किसी अन्य अध्यापक को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा स्थानांतरण अनुरोधों का पालन न किया जाना

4621. प्रो. पराग चालिहा :

श्री विजय कुमार यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के चालू शिक्षा सत्र के दौरान उप-प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत अनेक स्नातकोत्तर अध्यापकों ने अपने नियुक्ति स्थानों पर पदभार नहीं संभाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) से (ग) चालू शैक्षिक सत्र के दौरान 98 स्नातकोत्तर अध्यापकों को उप-प्रधानाचार्य के रुप में पदोन्नति का प्रस्ताव प्रदान किया गया था। इनमें से 55 ने अपने नियुक्ति-स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया और एक स्नातकोत्तर अध्यापक ने पदोन्नति तथा नियुक्ति स्थान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है लेकिन उन्होंने 1.4.1988 तक समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। अनुरोध मान लिया गया है। इसके अतिरिक्त, एक स्नातकोत्तर अध्यापक को वरिष्ठता के पुन: नियत किए जाने के फलस्वरुप प्रधानाचार्य के रुप में पदोन्नत कर दिया गया है। शेष 41 अध्यापकों, जिन्होंने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, कार्य ग्रहण न किए जाने के कारण तथा की गई कार्रवाई/अपेक्षित कार्रवाई इस प्रकार है :—

(I)	कोई उत्तर नहीं	02	एक वर्ष के लिए पदोन्नति स्थगित कर दी गई।
(II)	बीमारी के बारे में सूचित किया	01	
(III)	नियुक्ति स्थान स्वीकार नहीं किया	28	
(IV)	प्रधानाचार्य के रुप में नवोदय विद्यालय समिति में प्रतिनियुक्ति पर	04	प्रोफार्मा-पदोन्नति के अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है।
(V)	केन्द्रीय विद्यालय, मास्को में नियुक्त किए गए	06	

हवाई अड्डों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण

4622. श्री वी. तुलसी राम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो जिन हवाई अड्डों पर यह प्रशिक्षण दिया जायेगा उनके नाम क्या हैं और प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी;

(ग) इससे कार्यकरण की वर्तमान प्रणाली में कहां तक सुधार होगा; और

(घ) क्या हैदराबाद हवाई अड्डे के कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) से (घ) हवाई अड्डों पर कई अभिकरण कार्य करते हैं। इन अभिकरणों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को समय-समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं।

हैदराबाद से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

4623. **श्री बी. तुलसीराम** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी एयरलाइनों ने हैदराबाद हवाई अड्डे से अपनी उड़ानें प्रारंभ करने की सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह उड़ानें कब से प्रारंभ होंगी;

(ग) यह अनुमति दिए जाने के बाद हैदराबाद से कितनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रारंभ की जाएंगी; और

(घ) क्या अन्य हवाई अड्डों के लिए भी इसी प्रकार के अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) गल्फ देशों से त्रिवेन्द्रम को/से परिचालन करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे। तथापि, इन अनुरोधों को स्वीकृत नहीं किया जा सका।

लोहिया हास्पिटल इन अटर के आस शीर्षक से समाचार

4624. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :
चौधरी अख्तर हसन :
डा. वी. एल. शैलेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 फरवरी, 1988 के हिन्दुस्तान टाइम्स" में "लोहिया हास्पिटल इन अटर के आस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है; और

(ग) रोगियों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने हेतु इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, समाचार तथ्यों पर आधारित नहीं था और यह डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के कल्याण अधिकारी द्वारा हिन्दुस्तान टाइम्स के संपादक को भेजे एक पत्र में

बतला दिया गया है जिसे समाचार पत्र द्वारा अपने 10 मार्च, 1988 के अंक में प्रकाशित किया गया था।

(ग) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के कार्यकरण को सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जैसे कि आपातकालीन विभाग में भीड़ कम करना, अस्पताल के लिए लोक शिकायत अधिकारी नामित करना, जरूरत मंद रोगियों को पहिए वाली कुर्सी और ट्रालियां उपलब्ध कराना, सफाई में सुधार कराना, उपचार के लिए अधिक परिष्कृत उपस्कर उपलब्ध कराना, वित्तीय कठिनाइयों की सीमा में अधिक कर्मचारी आदि उपलब्ध कराना। यह एक सतत प्रक्रिया है।

कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए धनराशि का आबंटन

4625. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्री कमला प्रसाद रावत :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा अभियान चलाने के लिए राज्य सरकारों को धनराशि के आबंटन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम स्वास्थ्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग है और विभिन्न घटकों जैसे कि कुष्ठ नियत्रण एककों, जिला कुष्ठ एककों को निर्धारित पैटर्न के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों के लिए धन मन्जूर कर दिया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यों को तेज करने के लिए अलग धन दिया जाता है। 1987-88 के दौरान इस कार्य के लिए राज्य सरकारों को 52 00 लाख रुपए की धन राशि आबंटित की गई थी। राज्य और संघ और राज्य क्षेत्र अपनी योजनेतर निधि से भी खर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक बहु औषध उपचार जिले को स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों के लिए 6000/-रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त दिए जाते हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत सहायता

4626. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा किन-किन राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए सहायता दी गई है;

(ख) क्या राज्य सरकारों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए "पैट्रोलियम आयल लुब्रिकेंट" के लिए कोई अनुदान दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्नलिखित है :—

1. राष्ट्रीय मलेरिया/फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

2. राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम

3. राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम

4. राष्ट्रीय अतिसार रोग नियंत्रण कार्यक्रम

5. व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम

6. राष्ट्रीय जरारोग नियंत्रण कार्यक्रम

7. राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम

8. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

9. यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

(ख) से (घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सम्बद्ध ग्रामीण परिवार कल्याण को केन्द्र की एक वाहन प्रदान किया जाता है और डीजल से चलने वाली गाड़ी के लिए 9,500/-तथा पैट्रोल से चलने वाली गाड़ी के लिए 15,000/-रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

4627. श्री एस. बी. सिदनाल :
डा. फूलरेणु गुहा :
श्री राधाकांत डिगाल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार शिक्षित किये गए प्रौढ़ों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 1988-89 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एस. बी. सालुंखे) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1988-89 के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सफल शिक्षु दौरान 1985-86	सफल शिक्षु दौरान 1986-87	*31-12-1987 तक नामांकन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	176425	184866	332913
2.	अरुणाचल प्रदेश	19947	23867	31689
3.	असम	194763	69954	330438
4.	बिहार	1050805	——	1371583
5.	गोवा	198	307	1191
6.	गुजरात	215113	257549	440833
7.	हरियाणा	111659	——	179096
8.	हिमाचल प्रदेश	28276	29852	47158
9.	जम्मू और कश्मीर	57238	82152	84610
10.	कर्नाटक	273010	257606	309624
11.	केरल	11280	38855	42652
12.	मध्य प्रदेश	520270	523970	848915
13.	मणिपुर	20960	2456	44697
14.	महाराष्ट्र	352481	32[illegible]	673468
15.	मेघालय	11338	23024	22161
16.	मिजोरम	5492	3728	11127
17.	नागालैण्ड	12643	17840	21776
18.	उड़ीसा	146057	18018	226774
19.	पंजाब	78870	94145	128642
20.	राजस्थान	254196	286515	419094
21.	सिक्किम	11596	2453	12289
22.	तमिलनाडु	648448	652263	873482
23.	त्रिपुरा	8356	6902	35112

1 2	3	4	5
24. उत्तर प्रदेश	188771	11(0940	928414
25. पश्चिमी बंगाल	250900	274893	527685
26. अण्डमान और निकोबार दीप समूह	1617	2332	5140
27. चंडीगढ़	5185	1879	5251
28. दादरा और नगर हवेली	2672	1475	5410
29. दमन दीव	गोवा में शामिल हैं	——	335
30. दिल्ली	37853	86337	91390
31. लक्षदीप	——	——	एन. आर.
32. पांडिचेरी	11384	12381	16936
कुल	1648644	4788754	8068885

*नामांकन के आंकड़े हैं। सफल प्रशिक्षुओं की संख्या वार्षिक रिपोर्ट द्वारा उपलब्ध होगी, जिसकी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से मई, 1988 में आशा है।

*आंकड़े सितम्बर, 1987 से सम्बन्धित हैं।

भुवनेश्वर और मद्रास के बीच सीधी विमान सेवा

4628. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर और मद्रास के बीच कोई सीधी विमान सेवा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य सरकारों ने इन दो राज्यों को राजधानियों के बीच सीधी विमान सेवा प्रारंभ करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो दोनों राज्य सरकारों द्वारा किये गये अनुरोध को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोती लाल वोरा) . (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों की राजधानियों के बीच सीधी उड़ान शुरू करने के बारे में उड़ीसा और तमिलनाडु सरकार से प्राप्त अनुरोध की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) इस समय भुवनेश्वर और मद्रास के बीच सीधी सेवा चलाने की इंडियन एयरलाइन्स की कोई योजना नहीं है।

विजयवाड़ा-बालाहरशाह रेल लाइन का विद्युतीकरण

4629. **श्री के. रामचन्द्र रेड्डी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा-बालाहरशाह रेल लाइन के विद्युतीकरण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है, और

(ख) इस कार्य के पूरा करने में विलम्ब के कारण यदि है, तो वे क्या हैं।

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) 1988-89

(ख) विजयवाड़ा-बल्हारशाह खंड पर विद्युतीकरण के कार्यों की कार्यक्रम के अनुसार प्रगति की जा रही है।

"मेडीकेयर एड्रीम फोर झुग्गी डवैलर्स" शीर्षक समाचार

4630. **श्री एम. रघुमारेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, 25 फरवरी, 1988 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित "मैडीकेयर ए ड्रीम फोर झुग्गी डवैलर्स" से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का दिल्ली की जे. जे. कालोनियों में प्राथमिकता के आधार पर पूरी चिकित्सा सुविधाये देने का विचार है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन के 27 एलोपैथिक औषधालय, 13 होम्योपैथिक औषधालय और 2 पालीक्लिनिक पुनर्वास और झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में कार्य कर रहे हैं। दिल्ली प्रशासन पुनर्वास और झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के निवासियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली के आसपास 100 पलंगों वाले 7 अस्पतालों को खोलने की कार्यवाई कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त नई दिल्ली नगरपालिका भी अपने कार्य क्षेत्र में विभिन्न इलाकों में 30 औषधालय जिनमें एक चल औषधालय, 13 जच्चा-बच्चा कल्याण केन्द्र शामिल है, चला रही जहां से झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के निवासियों सहित अन्य जनता मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकती हैं।

मेनिनजाईटिस के मामले

4631. श्री एम रघुमा रेड्डी :
श्री एच. एन. नन्जे गौडा :
श्री सुभाष यादव :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में मेनिनजाइटिस के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारत के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1987 के दौरान मस्तिष्क शोथ के रोगी और उसमें हुई मौतों की संख्या : (अनन्तिम)

स्रोत: केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना कार्यालय

	1987 रोगी	मौतें	अवधि तक
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	—	—	3.10.1987
असम	5	1	31.12.1987
बिहार	456	74	15.7.1987
गुजरात	165	24	2.1.1988
हरियाणा	14	1	14.12.1988
हिमाचल प्रदेश	35	4	2.1.1988
जम्मू व काश्मीर	6	2	31.10.1987
कर्नाटक	11	1	7.11.1987
केरल	55	2	2.1.1988
मध्य प्रदेश	+	+	
महाराष्ट्र	4427	664	2.1.1988
मणिपुर	—	—	31.8.1987

1	2	3	4
मेघालय	23	5	31.12.1988
नागालैंड	43	13	31.7.1987
उड़ीसा	521	153	31.12.1887
पंजाब	69	2	31.12.1987
राजस्थान	122	19	2.1.1988
सिक्किम	5	1	31.3.1987
तमिलनाडु	—	—	2.1.1988
त्रिपुरा	15	2	30.9.1987
उत्तर प्रदेश	29	7	31.10.1987
पश्चिमी बंगाल	+	+	
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	31.12.1987
अरुणाचल प्रदेश	—	—	31.12.1987
चण्डीगढ़	4	—	3.1.1988
दादरा और नागर हवेली	—	—	31.12.1987
दिल्ली	3061	617	2.1.1988
गोवा	—	—	1.11.1987
लक्षद्वीप	—	—	26.12.1987
मिजोरम	7	4	31.12.1987
पांडिचेरी	—	—	26.12.1987
योग :	90 3	1596	

नोट :—— = शून्य
+ अनुपलब्ध

इंडियन एयरलाइंस/एअर इंडिया के अधिकारियों के लिये आवासों पर व्यय

4632. **श्री एम. रघुमा रेड्डी :**
श्री मानिक रेड्डी :
श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री सीताराम जे. गावली :
श्री सुभाष यादव :
क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया द्वारा अपने दिल्ली और बम्बई में मुख्यत: रहने वाले अधिकारियों के आवासों और कार्यालयों तथा गोदामों के लिए किराये पर लिए गए भवनों पर भारी खर्च किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत अनुमानत: कितना मासिक व्यय किया गया; और

(ग) क्या सरकार का व्यय में कटौती करने का विचार है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इनलैंड कन्टेनर डिपो कार्गो काम्पलेक्स

4633. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा :**
डा. गौरीशंकर राजहंस :
क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे, दिल्ली में सभी आधुनिक बुनियादी सुविधाओं वाला एक पूर्ण इनलैण्ड कंटेनर डिपो कार्गो काम्प्लेक्स स्थापित करने की योजना बना रहा है।

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कार्गो कम्प्लेक्सों को अन्य राज्यों की राजधानियों और महत्व-पूर्ण स्टेशनों पर भी स्थापित करने का विचार है,

(ग) क्या इस बारे में कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न आकारों के सात अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आई. सी डी.) बैंगलूरू कोयम्बटूर, अनावर्तो, गूंटूर अमीनगांव, (गुवाहाटी),नई दिल्ली (प्रगति मैदान) और ढ़डारी कलां (लुधियाना) में पहले से ही कार्य कर रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हैदराबाद (सनतनगर) में एक लघु अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो स्थापित करने का प्रस्ताव है। बेंगलूर (व्हाइटफील्ड) में पूर्ण-रुपेण अंतर्देशीय कंटेनर डिपो स्थापित करने के लिए अनुमोदन दिया जा चुका है। बेंगलुरू (व्हाइटफील्ड)

और अन्य स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का विकास करना यातायात की मात्रा और तुगलकाबाद में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के पूर्ण होने पर उससे प्राप्त अनुभव पर निर्भर करेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खिलाड़ियों में "विजय की भावना" (किलर इंस्टिंक्ट) का पता लगाने के लिए अध्ययन

4634. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चोटी के भारतीय खिलाड़ियों में "विजय की भावना" (किलर इन्सटिंक्ट) का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के अन्तर्गत किन-किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है; और

(ग) उसके मुख्य निष्कर्ष क्या निकले ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) चोटी के भारतीय खिलाड़ियों में "विजय की भावना" (किलर इंस्टिंक्ट) का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल विज्ञान शिक्षावृत्ति योजना के अन्तर्गत मार्च 1987 में बंगलौर में एक मनोवैज्ञानिक को शिक्षावृत्ति दी गई है, ताकि "खेलों में बढ़िया प्रदर्शन के लिए मानसिक प्रशिक्षण पर अनुसंधान कार्य किया जा सके। यह अनुसंधान ऐसे चुने हुए एथलीटो पर किया जा रहा है जो भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केन्द्र बंगलौर में प्रशिक्षण लेते हैं। अनुसंधान शिक्षावृत्ति दो वर्षों के लिए है और मुख्य निष्कर्ष भारतीय खेल प्राधिकरण को मार्च 1989 में उपलब्ध होने की आशा है।

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टैक्सी ड्राइवरों द्वारा मनमाना किराया वसूल किया जाना

[हिन्दी]

4635. **श्री राजकुमार राय** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टैक्सी ड्राइवरों द्वारा मनमाना किराया वसूल किए जाने के बारे में यात्रियों से गत तीन वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ख) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) परिवहन निदेशालय, दिल्ली और दिल्ली पुलिस को कार्य की तिथि 5.5.1986 से 15.3.1986 तक

की अवधि के दौरान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर यात्रियों से टैक्सी ड्राइवरों के विरुद्ध 643 शिकायतें प्राप्त हुईं। संबंधित दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था।

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अप्रयुक्त पड़े उपकरण

4636. श्री राजकुमार राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितने उपकरण खरीदे गए और उनमें से कितने उपकरण अप्रयुक्त पड़े हैं; और

(ख) सरकार का अप्रयुक्त पड़े उपकरणों का उपयोग में लाने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 80 उपस्कर खरीदे गए हैं और वे सभी काम करने की हालत में हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

4637. श्री राजकुमार राय : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में वर्ष 1988-89 के दौरान नये प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ख) इस वर्ष आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर तथा देवरिया में ऐसे कितने केन्द्र खोलने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एस. पी. शाही) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, 1988-89 के दौरान 30,000 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रत्येक जिले में खोले जाने वाले प्रस्तावित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या निम्नलिखित है :—

जिला	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या
आजमगढ़	900
बलिया	300
गाजीपुर	600
देवरिया	600

हवाई अड्डों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल

[अनुवाद]

4638. श्री सी माधव रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए एक केन्द्रीय सुरक्षा बल गठित करने और देश में सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के समग्र नियंत्रण के लिए एक ही एजेंसी बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) हवाई अड्डों पर सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा व्यवस्था के अनुरूप है और उसकी समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर बालरक्षण केन्द्र की व्यवस्था स्वागत केन्द्र का शुरू करना, आगुन्तकों के लिए उड़ान सूचना की व्यवस्था, आने वाले यात्रियों के लिए संदेश प्रसारण प्रणाली आदि जैसी सुविधाओं की हाल ही में व्यवस्था की गई है।

जन्म दर में कमी

4639. श्री सी. माधव रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन्म दर में भारी कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के विभिन्न राज्यों में जन्म दर के संबंध में नवीनतम उपलब्ध आंकड़े क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जन्म दर के वार्षिक अनुमान भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति से उपलब्ध हैं। 1985 और 1986 के नवीनतम उपलब्ध अनुमानों से पता चलता है कि प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म दर क्रमश: 32.9 और 32.4 (अनन्तिम) है। इसमें वर्ष 1984 से 33.9 के स्तर से निरंतर गिरावट आ रही है। जन्म दर के राज्यवार नवीनतम अनुमान वर्ष 1984-85 और 1986 के उपलब्ध हैं और वे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1984-1985 और 1986 के अनुमानित वार्षिक जन्म दर
(नमूना पंजीयन पद्धति से प्राप्त)

(प्रति एक हजार जनसंख्या)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1984	1985	1986×
1.	2.	3.	4	5.
	राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	31.2	29.9	31.4
2.	असम	35.3	34.3	34.7
3.	बिहार	39.9	37.8	36.0
4.	गुजरात	33.4	33.0	32.2
5.	हरियाणा	37.2	35.7	34.9
6.	हिमाचल प्रदेश	30.8	30.2	30.6
7.	जम्मू व कश्मीर	33.5	33.6	33.5
8.	कर्नाटक	30.3	29.6	28.8
9.	केरल	22.9	23.3	22.4
10.	मध्य प्रदेश	36.9	39.4	37.1
11.	महाराष्ट्र	31.2	29.0	30.0
12.	मणिपुर	29.1	28.5	25.3
13.	मेघालय	38.3	39.1	35.2
14.	नागालैंड	20.7	25.3	25.2
15.	उड़ीसा	32.7	30.7	32.1
16.	पंजाब	30.3	28.5	28.6
17.	राजस्थान	39.7	39.7	36.4
18.	सिक्किम	31.7	33.1	32.1
19.	तमिलनाडु	28.0	24.7	23.7
20.	त्रिपुरा	26.6	27.3	28.5
21.	उत्तर प्रदेश	38.7	37.6	37.5

1 2	3	4	5,
22. पश्चिमी बंगाल	30.4	29.4	29.5
संघ राज्य क्षेत्र			
1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	30.4	28.3	25.5
2. अरुणाचल प्रदेश	34.5	35.5	40.2
3. चण्डीगढ़	23.4	24.5	23.7
4 दादरा व नागर हवेली	45.9	36.9	43.4
5. दिल्ली	31.0	32.8	29.4
6. गोवा, दमव दीप	20.7	19.5	21.2
7. लक्षद्वीप	29.7	35.0	32.1
8. पांडिचेरी	25.3	22.1	22.5
भारत	33.9	32.9	32.4

×अनन्तिम

एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत सेवाओं द्वारा अर्जित राजस्व

4640. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1987 को एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत के पास कितने विमान थे तथा वे किस प्रकार के थे;

(ख) उपर्युक्त तीनों वायु सेवाओं द्वारा वर्ष 1986 और 1987 के दौरान कितने यात्रियों ने यात्रा की और इनसे कितनी आय हुई;

(ग) वर्ष 1988 में कितने यात्रियों द्वारा यात्रा करने और उनसे कितनी आय होने की आशा है;

(घ) क्या पिछले कुछ वर्षों में भारत में घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं में यात्रियों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1990 तक यात्रियों की अनुमानित संख्या और बढ़ी हुई यात्रियों की संख्या के अनुरूप विमान सेवाओं के लिए दिए जाने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोती लाल वोरा) : (क) 31.12.87 की स्थिति के अनुसार, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत के स्वामित्व में विमानों के प्रकार और उनकी संख्या निम्न प्रकार है।

	विमान का प्रकार	विमानों की संख्या
एयर इंडिया	बी 747-237 बी	9
	बी 747-200	1
	ए 300-84	3
	ए 310-300	6
इंडियन एयरलाइंस	एअरबस ए 300 बी 2 और ए 300 बी 2	11 (एक पट्टे पर)
	बी-737	27 (2 पट्टे पर)
	एच एस-748 (एवरो)	7
	एफ-27 (फोकर फ्रैंडशिप)	4 (तटरक्षक को 2 लीज पर)
वायुदूत	डोर्नियर 228	10
	एच एस-748	4
	एफ-27	4

(ख)	वर्ष	वहन किए गए यात्रियों की संख्या	अर्जित राजस्व (रुपयों में)
एयर इंडिया	1985-86	17,80,227	893.88 करोड़
	1986-87	18,30,078	925.46 करोड़
इंडियन एयर लाइंस	1985-86	91,99,781	723 81 करोड़
	1986-87	98,74,881	728.70 करोड़
वायुदूत	1985-76	2,33,000	7.85 करोड़
	1986-87	3,25,000	15.23 करोड़

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, और वायुदूत के यात्रियों और कुल राजस्व का अनुमान निम्न प्रकार है :

	यात्रियों की अनुमानित संख्या	अनुमानित कुल राजस्व (रुपयों में)
एअर इंडिया	21,40,000	1,036.33 करोड़
इंडियन एयर लाइंस	1,30,76,000	920.30 करोड़
वायुदूत	4.56 लाख	18.50 करोड

(घ) और (ङ.) पिछले वर्षों के दौरान भारत में अन्तर्राष्ट्रीय और साथ ही साथ अन्तर्देशीय हवाई यातायात में वृद्धि की दर तथा लगाये गए अनुमानों को ध्यान में रखते हुए वृद्धि से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

(i) एअर इंडिया दो कोम्बी विमान प्राप्त करेगी और अक्तूबर, 1988 से इन कोम्बी विमानों के शुरू करने से क्षमता में वृद्धि होगी।

(ii) इंडियन एयरलाइंस ने 1989-90 के दौरान 9 एयरबस ए 320 विमानों की डिलीवरी के लिए एक आदेश दिया है तथा 1990 के दौरान 12 और विमानों का विकल्प भी रखा है।

सेकेण्डरी स्तर पर उपभोक्ता शिक्षा

4641. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सेकेण्डरी स्तर पर उपभोक्ता शिक्षा पाठ्यक्रम को आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पाठ्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इसको केन्द्रीय विद्यालयों में कब तक आरम्भ करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल.पी. शाही): (क) और (ख) माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के पाठ्यक्रमों संबंधित राज्य में शिक्षा के शैक्षिक विनियमन के लिए उत्तरदायी एजेंसी द्वारा तैयार और निर्धारित किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर रा. शै. अ. प्र. परिषद अध्ययन के माडल पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों का विकास करती है जिन्हें राज्य अपना सकते हैं/अपने अनुकूल बना सकती है। जबकि स्कूल स्तर पर ग्राहक शिक्षा की एक प्रथक विषय के रूप में परिकल्पना नहीं की गई है। रा. शै. अ. प्र. परिषद ने विभिन्न स्तरों पर इससे संबंधित मामलों को शामिल कर लिया है। अतः केन्द्रीय विद्यालय में ऐसे एक पाठ्यक्रम को शुरू करने का प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं में निरक्षरता दूर करने संबंधी प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन

4642. **श्री आर. एम. भोये :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में महिलाओं में निरक्षरता दूर करने संबंधी अखिल भारतीय समिति द्वारा महिलाओं में निरक्षरता दूर करने संबंधी प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें क्या सुझाव दिए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) जी, हां.

(ख) यह सम्मेलन 20 से 22 फरवरी, 1988 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था इसका उद्देश्य सामान्यतया वर्ष 2000 तक भारतीय महिलाओं में निरक्षरता के उन्मूलन के लिए महिला-संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के बीच एक आन्दोलन शुरू करना था। बताया जाता है कि इस सम्मेलन में देश के सभी भागों से 230 शिष्टमंडलों ने भाग लिया था। कुल मिलाकर, महिलाओं में निरक्षरता उन्मूलन के कार्य से संबद्ध 95 स्वैच्छिक संगठनों ने सम्मेलन में भाग लिया। बताया जाता है कि सम्मेलन में निम्नलिखित सिफारिशें की गई :—

(i) महिलाओं में निरक्षरता-उन्मूलन की समस्या को तेजी से हल किया जाना चाहिए।

(ii) स्वैच्छिक एजेंसियों तथा सरकारी एजेंसियों के बीच सभी स्तरों पर सुव्यवस्थित सहयोग और संपर्क होना चाहिए।

(iii) स्वैच्छिक संगठनों को आयोजना, कार्यान्वयन तथा प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने और उससे अधिक समुदाय सहयोग प्राप्त करने के वास्ते सुव्यवस्थित कार्यक्रम अपनाने चाहिए।

(iv) महिला-स्वैच्छिक संगठनों को प्रत्येक क्षेत्र में अन्य निकायों के साथ घनिष्ट रूप से कार्य करना चाहिए।

(v) स्वैच्छिक एजेंसियों को अपने में ही कार्य-क्षेत्रों के सीमा निर्धारण, विचारों तथा अनुभव के आदान प्रदान को सुकर बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पर समान्वित निकाय अथवा संयुक्त समितियां विकसित करनी चाहिए।

(Vi) अखिल भारतीय महिला निरक्षरता-उन्मूलन समिति को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रति-प्रतिनिधि निकाय का स्तर दिया जाना चाहिए।

(Vii) अखिल भारतीय महिला निरक्षरता उन्मूलन समिति को राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की संगठनात्मक व्यवस्था के साथ घनिष्ट सहयोग करके कार्य करना चाहिए।

(Viii) राष्ट्रीय महिला स्वैच्छिक एजेंसियों को पर्याप्त कार्यक्रमों का आबंटन किया जाना चाहिए जो बदले में अपनी क्षमतानुसार राज्य, जिला तथा खण्ड स्तर पर अपनी ही शाखाओं को कार्य सौंप सकती हैं और आवश्यक अनुश्रवण तथा प्रशासकीय क्षमता उत्पन्न कर सकती हैं।

(iX) सम्मेलन में अधिक सहयोग तथा कार्यविधियों को सरल बनाने की मांग की गई ताकि निरंतर सहायता दी जा सके और समय पर अनुदान दिए जा सकें। इसमें स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए साक्षरता कार्य के मूल्यांकन में इन एजेंसियों के घनिष्ट सहयोग की मांग की गई।

(X) सम्मेलन में शीघ्र निरक्षरता-उन्मूलन की आवश्यकता और निर्धनता अधिक जनसंख्या तथा अन्य सामाजिक समस्याओं पर निरक्षरता के प्रभाव के प्रति लोगों को संवेदन-शील बनाने के लिए प्रचार-माध्यमों, दूरदर्शन, रेडियो, पोस्टरों, तथा गीतों के व्यापक उपयोग की मांग की गई।

(Xi) स्वैच्छिक संगठनों तथा महिला संगठनों को नवीन प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(Xii) साक्षरता केन्द्रों को शिक्षुओं में साक्षरता बनाए रखने के लिए दूरदर्शन रेडियो, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा उत्तर साक्षरता सामग्री और अन्य उपकरणों से सुसज्जित किया जाना चाहिए। महिलाओं के लाभ की योजनाओं तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी महिला-कार्यक्रमों का इन केन्द्रों के माध्यम से प्रसार किया जाना चाहिए।

इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया कार्मिकों द्वारा हवाई अड्डों पर सेवा में सुधार किये जाने की आवश्यकता

4643. **श्री दौलतसिंह जी अदेजा** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न हवाई अड्डों पर जांच के समय को कम करने तथा हवाई अड्डों पर एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के कार्मिकों द्वारा सेवा में सुधार किये जाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं,

(ख) क्या विमान की उड़ान में दो घंटे से अधिक के विलंब की संभावना होने पर इंडियन एयरलाइंस यात्रियों को उनके घर पर सूचित करता है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) हवाई अड्डों में विभिन्न सरकारी एजेंसियां कार्य करती हैं अर्थात आप्रवास, स्वास्थ्य, सीमा शुल्क, सुरक्षा आदि। विभिन्न हवाई अड्डों में जांच के समय को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) बम्बई/दिल्ली हवाई अड्डों के आप्रवास संवर्ग में मानवशक्ति की कमी का पता लगाया गया है और आप्रवास प्राधिकारियों के साथ मामला उठाया गया है। अतिरिक्त कम्प्यूटर की आवश्यकता का पता लगाया गया है।

(2) सुरक्षा अधिकारी को मानवशक्ति में कमी का पता लगाया गया है।

(3) यात्रियों की तेजी से निकासी करने के लिए अतिरिक्त सीमा शुल्क काउन्टरों का पता लगाया गया है।

हवाई अड्डे में यात्री को कम से कम समय रुकने के लिये हर कोशिश की गई है। इण्डियन एयरलाइन्स/एयर इण्डिया के कार्मिकों द्वारा दी गई सेवा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वाहकों द्वारा दी गई सेवा के अनुरूप होती है। लेकिन यात्रियों को कुशल और शिष्ट सेवा देने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ग्राहक सम्बन्ध निपुणता, कम्प्यूटरी करण, शिष्टाचार आदि पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भार लादने वालों के लिए भी अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है ताकि यात्रियों को कुशल हैंडलिंग की व्यवस्था दी जा सकें।

(ख) और (ग) प्रत्येक यात्री को टेलीफोन पर यह सूचना देना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इण्डियर एयरलाइन्स कई यात्रियों को हैंडल करता है। इग्जीक्यूटिव श्रेणी के यात्रियों को जिनकी संख्या सीमित होती है, विमान से विलम्ब की सूचना टेलीफोन में दी जाती है। जिसे मीडिया के माध्यम से भी सूचित किया जाता है। इसके अलावा इण्डियन एयरलाइन्स पर आरक्षण अन्य एयरलाइनों द्वारा भी किया जाता है और इस प्रकार के मामलों में यात्रियों से सम्र्क का पता नहीं चलता है। बहु क्षेत्र यात्रा के मामले में भ्रमण करने वाले यात्रियों का विभिन्न स्टेशनों में सम्पर्क दूरभाष नम्बर का पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ यात्री अपने व्यापार दूरभाषा का नम्बर देते हैं जिन पर केवल अवधि के दौरान सम्पर्क किया जाता है। कार्यालय समय के बाहर इस प्रकार के नम्बर से सामान्यत: कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है। विलम्ब सहित उड़ान सूचना व्यक्तिगत पूछताछ से सम्बन्धी "सूचना डेरक" के माध्यम से भी दी जाती है।

रेल वित्त निगम

4644. **श्री एस. जी. घोलप :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल वित्त निगम द्वारा अब तक कितनी धनराशि एकत्र की गई है, और

(ख) इस प्रकार जमा की गई धनराशि किन योजनाओं/परियोजनाओं में उपयोग की जाएगी।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) 959.3954 करोड़ रुपये।

(ख) भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा बांडों के निर्गमत के माध्यम से एकत्र किया गया धन भारतीय रेलों को पट्टे पर दिये जाने के लिए परिसम्पत्तियों की खरीद हेतु उपयोग करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में मस्तिष्क ज्वर से मौतें

4645. **श्री जगन्नाथ पटनायक :**
श्री लक्ष्मण मलिक :
श्री हरिहर सोरन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में उड़ीसा में मस्तिष्क ज्वर के कारण हुई 40 व्यक्तियों की मौत के संबंध में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए कोई विशेष कार्यक्रम आरम्भ किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा सरकार से अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने इस संबंध में किसी विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है।

महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिये नया कार्यक्रम

4646. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं के अधिकारों, उनके सामाजिक दर्जे और कानून की दृष्टि से उनकी स्थिति के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए महिलाओं के दलों को सामान्य विधिक प्रशिक्षण देने के लिए कोई नया कार्यक्रम प्रारम्भ कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही "महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए शिक्षा कार्य" की योजना के अन्तर्गत महिला स्वयंसेवी संगठनों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों को कानूनी साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करने तथा महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की अन्य परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध की जाती है।

सरकारी क्षेत्र की नौवहन कम्पनियों द्वारा विदेशों से खरीदे गये जलपोत

4647. **प्रो. सैफुद्दीन सोज** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की उन नौवहन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो विदेशों से जलपोत आयात कर रही हैं;

(ख) दिसम्बर, 1987 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान कितने जलपोत आयात किये गए; और

(ग) ये जलपोत किन शिपयार्डों से खरीदे गए ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय नौवहन निगम ही एक मात्र नौवहन कंपनी है जो भारत सरकार के नियंत्रण में है।

(ख) पिछले पांच वर्षों (दिसम्बर, 1987 के अन्त तक) के दौरान आयात किए गए जहाजों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	जहाजों की संख्या
1	2
1983	शून्य

1	2
1984	15
1985	10
1986	7
1987	6

(ग) भारतीय नौवहन निगम ने इन जहाजों की हुंडाई हेवी इंडस्ट्री, कोरिया, रोबिन शिपयार्ड, सिंगापुर, दाएव शिपबिल्डिंग, कोरिया और वायकर डैम चीफ रीडरी फाहरामरु जी. एम. बी. एच. संघीय जर्मन गणतंत्र से खरीदा है।

नागपुर में कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण

4648. **श्री बनवारीलाल पुरोहित** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नागपुर रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण की प्रणाली शुरू करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली कब शुरू की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) चार महानगरों जहां यात्री आरक्षण प्रणालियों का कम्प्यूटरी करण या तो पहले ही पूरा हो चुका है या प्रगति पर है, के अतिरिक्त पांच राज्यों की राजधानियों अर्थात् हैदराबाद, बंगलूर, भोपाल लखनऊ और अहमदाबाद, जिनका कार्यभार अत्यधिक है, में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए निश्चित योजनाएं तैयार की गयी हैं। अन्य शहरों को शामिल करने की अभी कोई योजना नहीं बनायी गयी है जिसमें नागपुर भी शामिल है।

वर्ष 1994 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करना

4649. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994 में भारत में राष्ट्रमंडल देशों के खेल कराने के प्रयास किये जा रहे हैं और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहें हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) सरकार ने भारत में 1994 राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने के लिए बिड देने हेतु भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन से प्राप्त प्रस्ताव मंजूर किया है। भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन (आई. ओ.ए.) ने अब बिड प्रस्तुत की है।

इंटरनेशनल फाउंडेशन आफ एयर लाइन पैसेंजर्स एसोसिएशन की एयर इंडिया की विमान सेवा के प्रति राय

4650. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री शांताराम नायक :
क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंटरनेशनल फाउंडेशन आफ एयर लाइन पैसेंजर्स एसोसिएशन ने एयर इंडिया को विश्व की दस सबसे खराब विमान सेवाओं में से एक घोषित करने के क्या कारण बतायें हैं;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस एसोसिएशन ने इस बीच अपनी टिप्पणी में कोई परिवर्तन किया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) से (ग) जनेवा में इन्टरनेशनल फाउंडेशन आफ एयर लाइंस पैसेंजर्स एसोसिएशन द्वारा किए गए हाल के सर्वेक्षण में एयर इंडिया को विश्व का सबसे अधिक दस निराशाजनक एयरलाइनों की सूची में बताया गया था। न्यूयार्क टाइम्स ने यह रिपोर्ट सबसे पहले छापी थी और यह रिपोर्ट कुछ भारतीय समाचार पत्रों में भी छापी गई थी।

जिन परिस्थितियों में सर्वेक्षण किया गया था उनका पता लगाने के प्रयास में एयर इंडिया ने इस मामले को नवम्बर-दिसम्बर, 1987 में जनेवा में इन्टर नेशनल फाउंडेशन आफ एयरलाइंस पैसेंजर्स एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक श्री जाफरी लिपमेन के साथ उठाया। कार्यकारी निदेशक ने साफ-साफ बताया कि एयर-इंडिया के बारे में संदर्भ गलत था।

रांची रेलवे स्टेशन

[हिन्दी]

4651. श्री शिव प्रसाद साहू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची रेलवे स्टेशन का निकट भविष्य में आधुनिकीकरण करने की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा, और

(ग) उसकी अनुमानित लागत कितनी है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) योजना को अभी अंतिम रुप नहीं किया गया है। योजना को अंतिम रुप दिये जाने के बाद, इसके निष्पादन के लिए समय सीमा निर्धारित की जायेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कपूरथला सवारी डिब्बा कारखाने के लिए नये सवारी डिब्बों का डिजाइन करना

[अनुवाद]

4652. श्री वाई. एस. महाजन :
डा. बी. एल. शैलेश :
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपूरथला स्थित आधुनिक रेलवे सवारी डिब्बा कारखाना पुराने डिजाइन के रेल के सवारी डिब्बों का उत्पादन प्रारम्भ करेगा,

(ख) क्या रेलवे ने नए सवारी डिब्बों के डिजाइन के लिए दिसम्बर, 1985 में विश्व भर से टेंडर आमंत्रित किये थे, और अब तक नए डिजाइन का चुनाव नहीं किया गया है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अन्तिम रुप से चुनाव कब तक किया जाएगा, और

(घ) पुराने और नए डिजाइन के बीच ढांचे और संचालनात्मक अन्तर क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) निविदा समिति की बैठक हुई है और निविदादाताओं के साथ बातचीत की जा रही है ताकि आदेश को यथाशीघ्र अन्तिम रुप दिया जा सके।

(घ) चूंकि निविदाओं को अभी अन्तिम रुप नहीं दिया गया है, इसलिए फिलहाल पुराने और नये अभिकल्पों के बीच संरचनात्मक और परिचालनिक अन्तर दर्शाना सम्भव नहीं होगा।

अजमेर रेल वर्कशाप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

4653. श्री अनादि चरण दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर रेल कार्यशाला में श्रेणी-वार के कितने कर्मचारी हैं;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी हैं;

(ग) 29 फरवरी, 1988 को कितने आरक्षित पद खाली पड़े हैं, और

(घ) इन आरक्षित पदों को भरने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) से (घ) पश्चिम रेलवे से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय सड़क निर्माण निगम में उम्मीदवारों का ठेके के आधार पर चयन

4654. श्री अनादि चरण दास : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सड़क निर्माण निगम ने वर्ष 1983 से अब तक बिना व्यावसायिक परीक्षा/

साक्षात्कार के ठेके के आधार पर वर्षवार कुल कितने उम्मीदवारों का चयन किया है और उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी आयुक्त के अनुदेशों तथा सरकारी उद्यम कार्यालय के मार्ग निर्देशों के अनुसार ठेके के आधार पर नियुक्तियों के लिए 40 सूत्री रोस्टर रखा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कितने बकाया पद भरे जाने हैं और इन बकाया पद को भरने के लिए क्या कार्यवाही आरम्भ की जा रही है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन ने कंट्रैक्ट आधार सिर्फ विदेशी परियोजनाओं के लिए भर्ती की और कार्य के स्वरुप के कारण 40 सूत्री रोस्टर नहीं रखा गया था। तथापि, निगम का भविष्य में रोस्टर रखने की सलाह दी गई है।

विवरण

1984	अन्य	अ. जा.	अनु. ज. जा.	योग
1	2	3	4	5
सफाईवाला	—	1	—	1
हेल्पर	13	9	—	22
धोबी	1	1	—	2
कूक	2	3	—	5
मेशन	1	—	—	1
यांत्रिक उपकरण ड्राइवर	3	—	—	3
मोटर ट्रक ड्राइवर	7	—	—	7
स्टोरमैन	2	—	—	2
कार्पेन्टर	1	—	—	1
उच्च श्रेणी लिपिक	1	—	—	1
कनिष्ठ सहायक	1	—	—	1
फिटर	1	—	—	1
1985				
हेल्पर	7	—	—	7
मोटर ट्रक ड्राइवर	2	—	—	2

1	2	3	4	5
वाहन मैकेनिक	3	—	—	3
ड्राइवर इंजिन स्टेटिक 1986	1	—	—	1
मोटर ट्रक ड्राइवर 1987	1	—	—	1
—	—	—	—	शून्य
				61

कोयला क्षेत्रों में तपेदिक रोग का आम होना

4655. **श्री चिन्तामणि जेना :**
श्री मोहनभाई पटेल :
क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्रों में तपेदिक एक बहुत आम रोग हैं; और

(ख) इस क्षेत्र में इस रोग को नियन्त्रित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षय रोगियों को वैज्ञानिक उपचार और रोकथाम सुविधाएं मुफ्त प्रदान करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में कोयला खदान क्षेत्रों सहित राज्यों द्वारा सभी सामान्य स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थानों के साथ एक जिला क्षय रोग केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा, देश में कुछ क्षय रोग क्लीनिक भी कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक बीमार और आपाती प्रकार के क्षय रोगी को क्षय रोग पलंग भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कोल इण्डिया लिमिटेड अपने क्षय रोग अस्पतालों और क्लीनिकों के जरिए देश में विभिन्न कोयला खंदानों में क्षय रोगियों को नैदानिक और उपचार की सुविधा मुफ्त प्रदान कर रहा है।

केरल में यात्री सुविधाएं

4656. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री सुविधाओं के लिए अलग से राशि आबंटित की गई है,

(ख) क्या रेलवे "यात्री सुविधाएं" शब्दों की पुनः परिभाषा करने पर विचार कर रही है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान केरल में यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई कार्य करने का प्रस्ताव है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

गाजियाबाद-मुरादाबाद-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना और उसकी मरम्मत

[हिन्दी]

4657. श्री हरीश रावत : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए वर्ष 1988-89 में कुल कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है;

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि गाजियाबाद-मुरादाबाद लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत खराब हालत में है; और

(ग) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने और इसकी मरम्मत के लिए वर्ष 1988-89 के दौरान क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और उनके अनुरक्षण पर खर्च की जाने वाली धनराशि जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और विशेष मरम्मत शामिल है, वर्ष-दर-वर्ष अलग अलग होती है और इसलिए इसका पहले से आकलन नहीं किया जा सकता।

(ख) गाजियाबाद-मुरादाबाद-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 को यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ग) वार्षिक कार्यक्रम 1988-89 में 5.3 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पेवमेंट को सुदृढ़ करने का प्रावधान है। सड़क को चौहरी लेन में बदलने का प्रस्ताव नहीं है।

"उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति"

4658. श्री हरीश रावत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा वर्ष 1987-88 के दौरान उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति के लिये निर्माण कार्य सम्बन्धी कितने प्रस्ताव प्राप्त किए गए; और

(ख) उनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई तथा अन्य प्रस्तावों को स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1.1.1987 से अब तक उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले से सम्बन्धित निर्माण कार्य के 21 प्रस्ताव स्वीकृति के लिए प्राप्त हुए हैं।

(ख) इस मामलों का ब्योरा नीचे दिया गया है—

(1) अनुमोदन की संख्या	3
(2) मार्च, 1980 के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या जिन पर कार्यवाही की जा रही है।	5
(3) उन मामलों की संख्या, जिनके बारे में राज्य सरकार से मांगे गए ब्यौरों की प्रतीक्षा है।	13

ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस में पुराने डिब्बों के स्थान पर नए डिब्बे लगाना

[अनुवाद]

4659. **श्री वी. शोभा नाद्रीश्वर राव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद और हावड़ा के बीच चलने वाली ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस में बहुत ही पुराने डिब्बे लगाये जाते हैं जिसके कारण यात्रियों को असुविधा होती है, और

(ख) यदि हां, तो इन पुराने डिब्बों के स्थान पर नए डिब्बे कब तक लगाए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) और (ख) केवल उन्हीं सवारी डिब्बो को सेवा में रखा जाता है जिन्हें संरक्षा और सुविधा मानकों के अनुसार उपयुक्त समझा जाता है। सातवीं योजना (1989-90) के अन्त तक स. डि. का. की निर्माण क्षमता के बढ़ाने जाने तथा कपूरथला में नये सवारी डिब्बा कारखाने के पूर्ण रूप से चालू हो जाने से नये सवारी डिब्बों की उपलब्धता बढ़ जायेगी और पुराने सवारी डिब्बों को बदलना सम्भव होगा।

स्वतंत्रता सेनानियों को रेल पास

[हिन्दी]

4660. **डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ और स्वतंत्रता सेनानियों को रेल पास जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान कितने स्वतंत्रता सेनानियों को रेल पास जारी किए गए हैं;

(ग) क्या कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को अभी तक रेल पास जारी नहीं किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं और उन्हें कब तक रेल पास जारी कर दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी हां, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जो केन्द्रीय राजस्व से पेन्शन प्राप्त कर रहे हैं परन्तु पिछले अवसर पर, जबकि यह स्कीम लागू थी इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सके थे।

(ख) पिछले वर्ष स्कीम के जारी रहने के दौरान 39,556 कार्ड पास जारी किये गये थे।

(ग) और (घ) जी हां।

तथापि, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों, की सही संख्या ज्ञात नहीं है जो पास नहीं ले सके, परन्तु वे उस स्कीम के अधीन रेल यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जो कि इस समय 18.11.1988 तक वैध है।

बच्चों को प्राथमिक शिक्षा

4661. **डा. चंद्र शेखर त्रिपाठी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल जाने योग्य उम्र के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है जिनके लिए शिक्षा व्यवस्था की जानी है;

(ग) स्कूल जाने योग्य उम्र के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये कितने प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे और ये विद्यालय कब तक खोले जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) और (ख) यह सच है कि स्कूल जाने वाले सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में शामिल नहीं किया गया है। अद्यतन उपलब्ध आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

1-3-1986 की यथास्थिति के अनुसार 6-11 आयु वर्ग में प्रक्षेपित जनसंख्या :	:	9,25,946,000
1985-86 में 1-V की कक्षाओं में दाखिला (जिनमें 6 वर्ष से कम अथवा 11 वर्ष से अधिक वाले बच्चे शामिल है।	:	8,64,65,189
अन्तर	:	61,29,411

(ग) स्कूल सुविधाओं में सुधार, शिक्षकों में सुधार, सबके लिए स्कूली सुविधाओं का प्रावधान और स्कूल छोड़ कर जाने वाले बच्चों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र, बिना स्कूलों वाली बस्तियों के बच्चों, वे लड़कियों जो पूरे दिन के स्कूलों में नहीं जा सकती अथवा कार्यरत बच्चों के लिए योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(घ) सभी राज्यों/संघ शासित प्रशासनों को यह सलाह दी गई है कि वे 300 अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों में प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था करें। उन बस्तियों की संख्या जहां पांचवे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के समय एक किलोमीटर की दूरी पर स्कूल नहीं थे, वह 32413 थी। इसके अलावा, राज्यों/संघ शासित प्रशासनों को यह भी सलाह दी गई है कि वे पर्वतीय, मरुस्थल तथा आदिवासी क्षेत्रों के मामले में 200 की जनसंख्या वाली बस्तियों में प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था करें।

बंगलौर हवाई अड्डे का धावनपथ

[अनुवाद]

4662. श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर हवाई अड्डे का वर्तमान धावनपथ इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने के लिए उपयुक्त है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कोई अतिरिक्त धावनपथ बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां तो बंगलौर हवाई अड्डे पर अतिरिक्त धावनपथ बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोती लाल वोरा) : (क) से (ग) बंगलौर हवाई अड्डे का वर्तमान धावनपथ बड़े विमानों में से केवल एयरबस ए 300 परिचालनों के लिए ही उपयुक्त है।

"कर्नाटक में वन भूमि पर अनधिकृत कब्जा"

4663. श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में वर्ष 1978 से पूर्व कुल कितने क्षेत्र में वन भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया गया है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1978 से पूर्व अनधिकृत रूप से कब्जा की गई इस भूमि को नियमित किए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव भेजे थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त वन भूमि को नियमित करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) कर्नाटक में कृषि कार्य के लिए 1978 से पूर्व कुल 43506.65 हेक्टेयर वन क्षेत्र पर अनधिकृत कब्जा किया गया।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत इन अनधिकृत कब्जों को नियमित करने के लिए कर्नाटक सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बंगलौर और तिरुपति के बीच एक सीधी गाड़ी चलाना

4664. **श्री बी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और तिरुपति के बीच कोई सीधी रेल सेवा है,

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बंगलौर-नई दिल्ली एक्सप्रेस में रेणिगुंटा के लिए आरक्षण कोटा बहुत कम है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मांग को पूरा करने के लिए बंगलौर तथा तिरुपति के बीच सीधी गाड़ी चलाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी नहीं। तथापि, इच्छुक यात्री अथवा अरकणम में गाड़ी बदल कर यात्रा कर सकते हैं।

(ख) स्थान की कुल उपलब्धता तथा मार्ग में आने वाले विभिन्न स्टेशनों की मांगों को ध्यान में रखते हुए 927 बंगलौर-नई दिल्ली एक्सप्रेस में रेणिगुंटा स्टेशन पर आरक्षण कोटे का आबंटन किया गया है।

(ग) फिलहाल यह प्रस्ताव व्यवहारिक नहीं है।

जन भारती कैम्पस (बंगलौर) में फ्लैग स्टेशन

4665. **श्री बी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंगलौर मैसूर क्षेत्र में बंगलौर विश्वविद्यालय के जन भारती कैम्पस में यात्री-गाड़ियों के अधिकारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) ज्यों ही उपयुक्त हाल्ट ठेकेदार की नियुक्ति हो जायेगी और निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा, ज्ञान भारती हाल्ट स्टेशन यात्री यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

खराब चल स्टाक का निपटान

4666. **श्री के. राममूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 से 1984-85 की अवधि के दौरान खराब हुए क्रमशः 83,958 तथा 5752 माल डिब्बों और सवारी डिब्बों का किस प्रकार निपटान किया गया और उनमें कितना मूल्य प्राप्त हुआ, और

(ख) वर्ष 1980-81 तथा 1984-85 की अवधि के दौरान भाप, डीजल तथा विद्युत चालित खराब इंजिनों का किस प्रकार निपटान किया गया और उनसे कितना मूल्य प्राप्त हुआ है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) 1980-81 से 1984-85 तक की अवधि के दौरान नकारा माल डिब्बों और सवारी डिब्बों का निपटान नीलामी/निविदा बिक्री द्वारा किया गया था और उससे प्राप्त राशि का मूल्य क्रमशः 8229.19 लाख रुपए और 1710.42 लाख रुपये था।

(ख) 1980-81 और 1984-85 के दौरान नकारा भाप, डीजल और बिजली रेल इंजनों का निपटान नीलामी/निवदा बिक्री द्वारा किया गया था और उससे प्राप्त राशि का मूल्य 730.22 लाख रुपये था।

रेल भूमि प्रबंध निदेशालय द्वारा अध्ययन

4667. श्री के. राममूर्ति : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे भूमि प्रबंध निदेशालय द्वारा वर्ष 1972 में अपनी स्थापना से कितने अध्ययन किए गए हैं और इस प्रकार के प्रत्येक अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या रहे,

(ख) ऐसे प्रत्येक अध्ययन के निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) वर्ष 1985-86 में पांच प्रायोगिक परियोजनाओं को शुरू करने के बाद कितने मॉडल कम्पेक्ट ब्लाक प्लान्टेशन फार्म बनाये गये हैं।

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) क्षेत्रीय रेलों को उपयुक्त नीति विषयक निदेश जारी किए गए थे और यथाअपेक्षित आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

रेलवे बोर्ड कार्यालय में भूमि प्रबंध निदेशालय 1982 में सृजित किया गया था। 1982 से निम्नलिखित अध्ययन किए गए हैं।

(I) नीचे दिए गए विषयों के संबंध में नीति विषयक मार्ग निर्देशों की समीक्षा की गयी तथा प्रत्येक के सामने प्रमुख निष्कर्ष दिए गए हैं।

विषय	प्रमुख निष्कर्ष
1	2
(I) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भूमि लाइसेंस पर देने की प्रक्रिया का युक्तिकरण	(I) उन प्रयोजनों के लिए भूमि लाइसेंस पर देना बंद कर दिया गया जिनका

1	2
	रेलवे की कार्य प्रणाली से कोई संबंध नही। भूमि का बाजार भाव निर्धारित करने की कार्यविधि लाइसेंस शुल्क के पुनर्निधारण की अवधि, लाइसेंस शुल्क की दरें आदि की समीक्षा की तथा इनका पुनर्निर्धारण किया।
(II) भूमि सीमाओं का परिरक्षण	(II) भूमि का रिकार्ड रखने तथा नियमित स्थल जांच किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
(III) धार्मिक प्रयोजनों के लिए रेलवे भूमि लाइसेंस पर देना।	(III) धार्मिक प्रयोजनों के लिए रेलवे भूमि के नये लाइसेंस देने बंद कर दिए गए। पिछले लाइसेंसों के लिए लाइसेंस शुल्क का पुनर्निर्धारण किया गया।
(IV) मत्सयपालन के लिए भूमि लाइसेंस पर देना	(IV) सहकारी समितियों को तरजीह दी जाएगी तथा लाइसेंस पर देने की कार्यविधि निर्धारित की जाएगी।
(V) अधिक अन्न उपजाओं योजना के तहत भूमि लाइसेंस पर देना।	(V) भूमि धीरे-धीरे वापिस ली जानी चाहिए तथा-वृक्षारोपण के लिए इसका उपयोग किया जाए।
(VI) अतिक्रमणों को रोकना तथा हटाना	(VI) अतिक्रमणों की रोकथाम तथा उनके हटाए जाने के लिए किए जाने वाले उपाय निर्धारित किये गये। नये अतिक्रमणों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने वाले कर्मचारियों का उल्लेख किया जाए।
(VII) तेल कम्पनियों को भूमि लाइसेंस पर देना	(VII) तेल कम्पनियों को दी गयी भूमि से संबंधित निक्षेप प्राप्त किये जाने चाहिए।
(VIII) सरकारी विभागों को भूमि लाइसेंस पर देना।	(VIII) लाइसेंस शुल्क की दर अद्यतन तथा युक्तियुक्त की गयी।

(IX) रा. रे. पु. कर्मियों के लिए क्वार्टर/बैरक बनाने हेतु राज्य सरकारों को भूमि लाइसेंस पर देना।	(IX) लाइसेंस शुल्क की दर पुनर्निर्धारित की गयी।
(X) रेलवे भूमि पर वृक्षारोपण	(X) राष्ट्रीय नीति के एक भाग के रुप में भारी यात्रा में वृक्षारोपण शुरु किया तथा इस अभियान में राज्य सरकारों के वन विभागों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।
(XI) भूमि प्रबन्ध संगठन	(XI) भूमि प्रबन्ध संगठन को विभिन्न स्तरों पर सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
(XII) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971	(XII) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है, नोडल मंत्रालय (शहरी विकास मंत्रालय) को प्रस्ताव भेजे गए हैं।

यार्डों में हाइड्रोलिक रिट्रेडरों का प्रयोग

4668. **श्री के. राममूर्ति** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस यार्ड का नाम क्या है जिसमें "हम्पिंग और इसके परिणामस्वरूप माल डिब्बों को हुई क्षति के दौरान गति के प्रभाव को कम करने के लिए हाइड्रोलिक रिट्रेडरों को परीक्षण के तौर पर इस्तेमाल किया गया था; और

(ख) किन-किन यार्डों में अब तक ऐसे हाइड्रोलिक रिट्रेडर्स लगाए गए हैं और देश में सभी यार्डों में ऐसे रिट्रेडर्स लगाए जाएंगे ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) उत्तर रेलवे के तुगलकाबाद यार्ड की विन्यास लाइनों में से एक लाइन पर परीक्षण के तौर पर हाइड्रोलिक रिटार्डर लगाये गये थे।

(ख) किसी अन्य यार्ड में हाइड्रोलिक रिटार्डर नहीं लगाये गये हैं क्योंकि इनकी व्यवस्था के लिए अभी तक कोई कार्य अनुमोदित नहीं किया गया है।

मद्रास और सिंगापुर के बीच नौवहन सेवा

4669. **श्री के. राममूर्ति** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं गैर-सरकारी कम्पनियों तथा व्यक्तियों से नौवहन महानिदेशक से मद्रास और सिंगापुर के बीच यात्री सेवा चलाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलेट) : (क) जी हां।

(ख) नौवहन महानिदेशक से सिंगापुर स्थित एक पार्टी ने पूछताछ की है जिन्हें यह सूचित किया गया है कि विदेशी प्रचालक को सेवा प्रचालित करने के लिए महानिदेशक (नौवहन) की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है किन्तु जहाज को भारतीय पत्तनों पर आने वाले यात्री जहाजों संबंधी नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।

भागलपुर में गंगा नदी पर रेल-व-सड़क उपरि पुल

[हिन्दी]

4670. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का माल परिवहन हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए भागलपुर में गंगा नदी पर रेल-व-सड़क ऊपरि पुल का निर्माण करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में रेल लाइनों का बदला जाना

[अनुवाद]

4671. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोन-पिपराडीह मार्ग पर मुजफ्फरपुर-बेतिया-नरकीटयागंज, डेहरी के बीच लाइन को बदलने और पिपरा-डीह-यदुनाथपुर के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस बारे में कोई धनराशि का वांछित सूचना उपलब्ध कराई गई है, और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) मुजफ्फरपुर-बेतिया-नरकीटयागंज आमान परिवर्तन और डेहरी-आन-सोन-पिपराडीह बड़ी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण किये गये थे।

पिपराडीह-यदुनाथपुर रेल लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) सर्वेक्षणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र. सं.	सर्वेक्षण का नाम	सर्वेक्षण वर्ष	लम्बाई (कि.मी. में)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	वित्तीय प्रतिफल
1.	मुजफ्फरपुर-सगौली-रक्सौल आमान परिवर्तन	1981	130	19.85	0.7 प्रतिशत
2.	सगौली-नरकटियागंज-बगहा आमान परिवर्तन	1982	110	21.01	0.1 प्रतिशत
3.	सगौली के रास्ते मुजफ्फरपुर-गोरखपुर आमान परिवर्तन	1987	338	129.14	3.03 प्रतिशत
4.	डेहरी-आन-सोन-पिपराडीह नयी लाइन	1983	63	17.76 (मौजूदा लाइट रेलवे को बन्द करने से)	2.9 प्रतिशत

(ग) और (घ) 17.6.1987 को आयोजित बैठक में बिहार सरकार राज्य सरकार को लागत पर निक्षेप कार्यों के रुप में डेहरी-आन-सोन-बंजारी-पिपराडीह छोटी लाइन का चरणों में आमान परिवर्तन करने तथा इसका भवनाथपुर तक विस्तार करने से संबंधित प्रस्ताव की जांच करने के लिए सहमत हो गयी थी। बाद में, 22.12.1987 को आयोजित संयुक्त अध्ययन दल की बैठक में बिहार सरकार ने सूचित किया था कि वह इस परियोजना की वित्तीय अर्थक्षमता का पुन: आकलन करेगी और वह इसे रेलों को प्रस्तुत कर देगी।

सोन नदी पर रेल पुल

4672. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जदुनाथपुर और भवनाथपुर को जोड़ने के लिए सोन नदी पर रेलवे पुल बनाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के उपमन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"दिल्ली में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान की स्थापना

4673. **श्री पी. एम. सईद** :
श्री कुंवर राम :
क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक स्थापित किया जायेगा; और

(घ) प्रस्तावित उद्यान किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रस्तावित स्थल दिल्ली में रिज क्षेत्र में है जो इस समय रक्षा मंत्रालय के कब्जे में है। स्कीम के ब्यौरे स्थान उपलब्ध होने के बाद ही तैयार किए जायेंगे, जिसमें इस पर लगने वाला वित्त भी शामिल है।

एड्स का पता लगाने के लिए रक्त की जांच का नया तरीका

4674. श्री पी. एम. सईद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की जैव-विज्ञान प्रयोगशाला ने एड्स (एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिन्ड्रोम्स) का पता लगाने के लिए रक्त की जांच का एक नया तरीका विकसित करने में सफलता प्राप्त की है जिससे उक्त रोग की आशंका के संबंध में प्राप्त होने वाले गलत परिणामों से बचा जा सकेगा;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सकों को उक्त जांच के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या देश में यह सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) अमेरिका और अन्य स्थानों से कई फर्मों ने एड्स के लिए नए अधिक संवेदनशील और विशिष्ट रक्त परीक्षणों का विकास किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एड्स के संदर्भ केन्द्रों में एच. आई. वी. एन्टीबाडी का पता लगाने के लिए नए परीक्षणों की जांच का समय-समय पर मूल्यांकन कर रहा है। एड्स के लिए संदर्भ केन्द्रों में एच. आई. वी. एन्टीबाडी का पता लगाने के लिए हाल ही में विकसित किए गए दस परीक्षणों की जांच प्रारम्भ की जाने वाली है जिससे कि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल अत्यधिक उपयुक्त परीक्षणों का पता लगाया जा सके।

रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

4675. श्री मोहनभाई पटेल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 और 1987 में प्रत्येक रेलवे जोन में जितनी रेलगाड़ियां रद्द की गई थी, और

(ख) उनमें से अब तक जोन-वार कितनी रेलगाड़ियों को पुनः चला दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेल लाईनों का आधुनिकीकरण

4676. **डा. बी. एल. शैलेश** : या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेल लाइनों के आधुनिकीकरण के लिए और पुराने पड़ चुके इस्पात के स्लीपरों को बदलने के लिये कोई प्रौद्योगिकी तैयार की गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह प्रौद्योगिकी देश में किस निर्माणशाला में विकसित की जा रही है,

(ग) इस्पात के स्लीपर की तुलना में इनकी प्रति स्लीपर लागत कितनी है,

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन पुराने पड़ चुके स्लीपरों को बदलने का चरण-बद्ध निर्माण कार्यक्रम क्या है, और

(ङ) वर्तमान रेल लाइनों को विशेषकर व्यस्त मुख्य मार्गों पर बहुत तीव्र गति वाली और दो इंजनों वाले मालगाड़ियों और यात्री गाड़ियों के उपयुक्त बनाने के लिये अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय के उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी हां। घिसे-पिटे इस्पात स्लीपरों के बदलाव सहित रेल पटरियों का आधुनिकीकरण कार्यक्रमबद्ध आधार पर किया जा रहा है।

(ख) रेलपथ के आधुनिकीकरण में जहां तक व्यावहारिक हो जोड़ों की झलाई सहित बेहतर और भारी पटरियों और लचीले स्थिरकों सहित पूर्व-प्रबलित कंक्रीट स्लीपरों या इस्पात स्लीपरों का कमजोर संरचनाओं की अभिक्रिया आदि शामिल है।

इस समय पटरियों का निर्माण भिलाई इस्पात संयंत्र में हो रहा हैं। इस्पात स्लीपरों का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कंक्रीट स्लीपरों का 31 विभिन्न फैक्टरियों में जिनमें से 4 विभागीय हैं, 26 निजजी क्षेत्र में और 1 सार्वजनिक क्षेत्र की है .

(ग) इस समय स्थिरक सहित कंक्रीट स्लीपर की लागत लगभग 670.00 रुपये है जबकि स्थिरक सहित इस्पात के नालीदार स्लीपर की लागत 740.00 रुपये है।

(घ) इस्पात स्लीपर पुराने नहीं माने जाते हैं। वे सामान्यतः हालत के आधार पर बदले जाते है।

सातवीं योजना के पहले दो वर्षों में कुल 8190 कि. मी. स्लीपरों (इस्पात, ढलवां लोहा और लकड़ी सहित सभी प्रकार के) का नवीकरण किया गया है। 1987-88 के दौरान, अन्य 4500 कि. मी. का नवीनीकरण किए जाने की संभावना है। योजना अवधि के शेष 2 वर्षों के दौरान भी, प्रति वर्ष 4000 कि. मी. से अधिक स्लीपरों का नवीकरण करने का प्रस्ताव है।

(ङ.) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित उपायों के अलावा, रेलपथ को उन्नत बनाने के लिए किये जा रहे उपायों में गिट्टी कुशन में वृद्धि, टर्नआउट्स की समुन्नत डिजाइनों, पटरियों का यांत्रिक स्नेहन और पहियों की कोर लगाना, रेलपथ का यांत्रिक अनुरक्षण आदि शुरू करना शामिल है।

कर्नाटक में मेडीकल कालेज

4677. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : भारतीय चिकित्सा परिषद से मिली सूचना के अनुसार 1962 से अब तक कर्नाटक में 4 मान्यता प्राप्त और 8 गैर-मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों सहित 12 मेडिकल कालेज स्थापित किए गए हैं।

पालघाट में कंक्रीट के स्लीपर का निर्माण करने वाला कारखाना

4678. **श्री वी. एस. विजयराघवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में पालघाट में प्रस्तावित कंक्रीट स्लीपर निर्माण करने वाले कारखाने की स्थापना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है।

रेल मंत्रालय उपमंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : कंक्रीट स्लीपर संयंत्र, पालक्काट जिसे मूलत: निजी क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव था, अब केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा संयुक्त/प्रायोजित क्षेत्र में स्थापित किये जाने पर विचार किया जा रहा है क्योंकि केरल राज्य सरकार ने इस परियोजना को..... ...में शुरू करने में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखायी है। केरल राज्य सरकार को 15-5.88 तक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। आगे का निर्णय परियोजना रिपोर्ट के प्राप्त होने पर लिया जायेगा।

राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के विकेन्द्रीयकरण व प्रस्ताव

4679. **डा. (श्रीमती टी. कल्पना देवी)** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के विकेन्द्रीकरण करने का कोई प्रस्ताव है ताकि प्रत्येक जिले को एक योजना यूनिट तथा ब्लॉक को एक आप्रेशनल यूनिट मानकर इसमें अधिक संख्या में लोगों को सम्मिलित करके 2000 तक में दर को 32.7 से घटाकर 21 प्रति हजार की वांछित जन्म दर तक लाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) सरकार के एक उत्कृष्ट कार्यक्रम को जन आन्दोलन में बदलने के उद्देश्य से और स्वैच्छिक संगठनों, जन प्रतिनिधियों, प्रमुख अधिकारियों तथा अन्य महत्वपूर्ण समूहों को शामिल करके अधिक से अधिक लोगों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने तथा नियोजन एवं मानीटरिंग की प्रणाली कारगर

बनाने तथा सभी स्तरों पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जुलाई, 1986 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे राज्य, जिला और ब्लाक स्तरों पर जन समितियां गठित करें। इन समितियों के कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस योजना को कार्यान्वित कर दिया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की केन्द्रीय परिषद के फरवरी, 1988 में हुए पहले सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की, कि जन समितियों की योजना जारी रखी जानी चाहिए और राज्यों को यह योजना प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करनी चाहिए।

विवरण

समिति के कार्य

राज्य, जिला तथा ब्लाक स्तर की समिति के निम्नलिखित मुख्य कार्य होंगे :—

(क) राज्य स्तर समिति

1. राज्य स्तर समिति सातवीं योजना के शेष चार वर्षों के लिए कार्यनीति बनाएगी तथा वार्षिक कार्य योजनाएं बनाएगी। इन योजनाओं में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों, अपनाई जाने वाली कार्य नीतियों का उल्लेख किया जाएगा तथा राज्यों के विभिन्न विभागों तथा विभिन्न स्तरीय कार्यकर्ताओं के दायित्वों के साथ-साथ कार्यकलापों का विस्तृत ब्यौरा दिया जाएगा। इन योजनाओं में कार्यकलापों के लिए विशेष समय ढांचा तथा कार्यक्रम के लिए मानीटरिंग तंत्र की भी व्यवस्था होगी। यह समिति लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना के एक भाग के रूप में राज्यों के लिए ठोस त्रैमासिक कार्य योजनाएं भी बनाएगी तथा जिलों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करेगी।

2. यह समिति राज्य स्तर पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति होगी तथा राज्यों के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सामान्य नीति बनाने के लिए आवश्यक आधार प्रदान करेगी।

3. यह पांच वर्षीय और त्रैमासिक योजनाओं के ढांचे के अन्दर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करेगी तथा कार्यक्रम की जरूरतों को पूरा करने के प्रयास करेगी। यह अन्तरिम आकलन करेगी और संचार, प्रशिक्षण, सेवाएं और सामग्री आदि जैसे कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के लिए अनेक कार्यनीतियों में यथा आवश्यक समुचित रूप से संशोधन करेगी।

4. यह समिति योजना बनाएगी और जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य और रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी कार्यकलापों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगी। इसके अलावा यह समिति समाज कल्याण क्षेत्र से संबंधित अन्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग भी करेगी। इनमें, उदाहरणतः, महिलाओं की साक्षरता बढ़ाने, समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम, पोषण कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि भी शामिल होंगे।

5. यह समिति परिवार कल्याण विभाग तथा अन्य विभागों से संबंधित कार्यकलापों जैसे प्रौढ़ शिक्षा, पोषण कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम आदि में बुनियादी स्तर पर कार्य कर रहे कार्मिकों के एकीकृत कार्यकरण को सुनिश्चित करने के भी उपाय करेगी।

6. यह समिति कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जन प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी व्यक्तियों, प्रसिद्ध स्वैच्छिक संगठनों व विख्यात व्यक्तियों की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी।

7. जहां संभव हो, समिति इस कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने में मेडिकल कालेजों को भी शामिल करेगी।

8. इन समितियों की बैठक तीन माह में एक बार होगी।

(ख) जिला स्तरीय समिति

1. जिला स्तरीय समिति परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा अच्छा-खासा स्वास्थ्य और रोग प्रतिरक्षण के लिए एक संदर्शी योजना तैयार करेगी जिसमें सातवीं योजना के शेष चार वर्षों और वार्षिक और त्रैमासिक कार्य योजनाओं का ब्यौरा होगा। इन योजनाओं में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य, अपनाई जाने वाली कार्यनीति और विभिन्न विभागों और स्तरों के अधिकारियों के विस्तृत कार्यों और दायित्वों का उल्लेख किया जाएगा। योजनाओं में समय निर्धारित किया जाएगा और उसके अन्दर-अन्दर कार्य पूरे कर लिए जाएंगे तथा कार्यों की प्रगति की मानीटरिंग के लिए विस्तृत तंत्र की व्यवस्था होगी। यह समिति जिले में कार्यक्रम के कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए के लिए निरंतर योजना बनाएगी और उसे मानीटर करेगी।

2. समिति ब्लाक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करेगी और जिला और निचले स्तरों के अन्य अधिकारियों के विभिन्न कार्यों को देखेगी।

3. समिति के सदस्य परिवार कल्याण केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों आदि में आयोजित शिविरों और उनके कार्यकरण का निरीक्षण करने के लिए दौरे करेंगे। उन्हें इस प्रयोजन के लिए जिला अधिकारी/जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा डिस्ट्रिक्ट पूल से वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।

4. समिति औपचारिक रूप से प्रतिमाह एक बैठक करेगी तथा उसे बैठकें/विचार विमर्श आदि करने के लिए स्थान, फर्नीचर आदि प्रदान किया जाएगा।

5. समिति बुनियादी स्तर पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मिलजुल कर कार्य करने के लिए संबंधित विभागों/एजेंसियों के कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करेगी इसमें अन्य के साथ-साथ कार्यकर्ता/शिक्षा, समाज कल्याण, श्रम, सहकारिता, कृषि, ग्रामीण विकास विभाग शामिल होंगे।

6. समिति जन प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों में कारगर तालमेल सुनिश्चित करेगी और सामुदायिक नेताओं को शामिल करके कार्यक्रम के लिए जन समर्थन जुटाएगी।

7. समिति सभी ब्लाकों के कार्य का आकलन करेगी और जहां भी आवश्यक होगा दिशा निर्देश सहायता और अतिरिक्त समर्थन प्रदान करेगी।

(ग) ब्लाक स्तरीय समिति

1. यह समिति ब्लाकों के क्षेत्र में जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य और रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाएगी और इस उद्देश्य के लिए जन सदस्यों, समुदाय नेताओं, महत्वपूर्ण वर्गों और संबंधित विभागों के कर्मचारिनों को शामिल किया जाएगा। इसकी बैठक मास में एक बार होगी।

2. कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के तंत्र तथा सूचना, शिक्षा और संचार संदेशों के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करने के अलावा ब्लाक स्तर समिति को चाहिए कि वह ऐसे क्षेत्रों का पता लगाए जहां गणमान्य नेता शिविर, कार्यशालाएं आदि आयोजित की जा सके।

3. इस समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के बुनियादी स्तर के विभिन्न कार्यकर्ताओं तथा शिक्षा, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, श्रम आदि जैसे अन्य संबंधित क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना होगा।

4. ब्लाक स्तर की समिति नसबंदी असफल रहने के मामलों और आई. यू. डी/खाई जाने वाली गोलियों के स्वीकारकर्ताओं को पेश आने वाली जटिलताओं पर नजर रखेगी और पंचायत/गांव स्तर से इसके बारे में नियमित रूप से सूचना प्राप्त करेंगी। वे इस प्रकार के सभी मामलों का रिकार्ड रखेंगी।

5. समिति यह सुनिश्चित करेगी कि खाई जाने वाली गोलियों/निरोधों का पर्याप्त स्टाक रखा जाए और उनका वितरण प्रभावकारी ढंग से हो।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्ययन के लिए पुनरीक्षा समिति

4680. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने हेतु पुनरीक्षा समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसके निदेश पद क्या हैं रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने हेतु कितना समय नियत किया गया है; और

(ग) क्या समिति अन्य बातों के साथ-साथ सहायक, उप-तथा संयुक्त आयुक्त के पदों के लिये भर्ती नियमों में उपयुक्त संशोधन करने पर भी विचार करेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(I) केन्द्रीय विद्यालयों की बढ़ती हुई संख्या तथा अगले 10 वर्षों में खोले जाने वाले नए विद्यालयों की अनुसंसा को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिकतम स्तर पर विचार करना। सफल प्रबंध के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उपयुक्त ढ़ांचे तथा प्रबन्ध डिजाईन की सिफारिश करना;

(II) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में विद्यमान प्रशासनिक वित्तीय तथा शैक्षिक प्रबन्ध प्रणाली पर विचार करना तथा उसमें सुधार करने के लिए उपाय सुझाना;

(III) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शैक्षिक नीतियों तथा कार्यक्रमों की जांच करना क्योंकि इन्हें स्कूलों में कार्यान्वित किया जा रहा है और नई शिक्षा नीति के संदर्भ में केन्द्रीय विद्यालय संगठन कोटि में सुधार करने के लिए उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमों को सुझाना;

(Iv) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षक मूल्यांकन, शिक्षक प्रशिक्षण तथा शैक्षिक प्रशासकों के प्रशिक्षण पर विचार करना तथा इस संबंध में कुछ सुधार और नीति/कार्यक्रमों को सुझाना; और

(v) वर्तमान नीतियों/कार्यक्रमों में संशोधन सुझाना और नई शिक्षा नीति के कारगर कार्यान्वयन के लिए नई नीति/कार्यक्रमों को सुझाना। समीक्षा समिति को अपने कार्य आरम्भ करने की तारीख से तीन माह की अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

"केवलादेव घाना नेशनल पार्क के निकट औद्योगिक एकक"

4681. **श्री आनन्द सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवलादेव घाना नेशनल पार्क से चार किलोमीटर दूर जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स नाम के उद्योग की स्थापना की जा रही है;

(ख) क्या बम्बई राष्ट्रीय इतिहास सोसायटी ने इस प्रकार की किसी पहल पर विरोध किया है क्योंकि इससे परिस्थितिकी असंतुलन पैदा होगा तथा पार्क में वन्य-जीव जन्तुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के पास जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स का अपने पहले से मौजूद संयंत्रों के परिसर में गैलवाल्यूम कायलों तथा प्लेन और कोरोगेटेड शीटों के निर्माण के लिए एक और संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) परियोजना का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की जांच की गयी है, परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

परियोजना के मूल्यांकन में बम्बई प्राकृतिक इतिहास सोसायटी ने भी भाग लिया।

"ग्रामवासियों द्वारा वनों का प्रबन्ध"

4682. श्री गुरुदास कामत : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक ऐसी नीति बनाने का विचार है, जिसके अन्तर्गत देश में वनों का प्रबन्ध और संरक्षण ग्रामवासियों द्वारा किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) वनों के प्रबन्ध और सुरक्षा में ग्रामवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपायों का पता लगाया गया और राज्य सरकारों से उनकी सिफारिश की गई है :

(1) वनों के नजदीक रहने वाले ग्रामवासियों को जलाने की लकड़ी, चारा, बांस और छोटी-मोटी इमारती लकड़ी जैसी उनकी ग्राम जरूरत के वन-उत्पाद सरकारी डिपुओं के माध्यम से मुहैया करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

(2) प्रत्येक गांव में वनों के पुनरुद्धार और पारिस्थितिकीय सन्तुलन की बहाली के लिए एक योजना होनी चाहिए। योजना को ग्राम पचायतों और ऐसी अन्य निकायों की पूर्ण भागीदारी से तैयार और क्रियान्वित किया जायेगा।

(3) लोगों द्वारा लगाए गए और देखभाल किए गए वृक्षों पर उनके भोगाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए "वृक्ष पट्टा" स्कीम का कार्यान्वयन।

(4) वृक्षारोपण स्कीमों के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक एजेंसियों/सहकारी समितियों को शामिल करना।

(5) वन उत्पाद, विशेष रूप से लघु वन-उत्पाद को एकत्रित करने में सहकारी संगठनों को शामिल करना।

(6) समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को उनकी अपनी निजी भूमि अथवा दी गई भूमि में वृक्षारोपण का काम आरम्भ करने के लिए पौधों को निशुल्क वितरण।

पत्राचार पाठ्यक्रम

4683. श्री टी. बाल गौड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर रहते हुए शिक्षा (पत्राचार पाठ्यक्रम) पाठ्यक्रम उन छात्रों को सुविधा देने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया था जो नौकरी करते हैं अथवा जिनकी हायर सैकंडरी परीक्षा में कालेजों में प्रवेश के लिए निर्धारित मानदंड के समरुप नहीं थी;

(ख) क्या पत्राचार पाठ्यक्रमों के छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क नियमित छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क से बहुत अधिक होता है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित इस प्रकार के पाठ्यक्रम के स्तर का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री इल. पी. शाही) : (क) पत्राचार पाठ्यक्रमों सहित सुदूर शिक्षा, औपचारिक शिक्षा पद्धति की एक वैकल्पिक शिक्षा पद्धति के रूप में उभरी हैं। यह शिक्षा पद्धति रोजगार-प्राप्त व्यक्तियों अथवा शैक्षिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिये नहीं है। दूसरी ओर, यह उन सबको अवसर प्रदान करती है जो औपचारिक पद्धति की कठोरताओं के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, विशेष रूप से वे जो प्रवेश अर्हताओं अवधि, उपस्थिति, आदि जैसी अपेक्षाओं से संबंधित हैं।

(ख) सुदूर शिक्षा कार्यक्रम प्रत्येक छात्र को उपलब्ध कराई गई स्व-शैक्षिक सामग्री पर पर्याप्त रूप से निर्भर करते हैं। सुदूर शिक्षा में नामांकित छात्रों से वसूल किए गए शुल्कों में इन सामग्रियों के निर्माण पर हुए व्यय की आंशिक वसूली भी शामिल है। अतः ये शुल्क उनसे अधिक हैं जो पूर्णकालीन पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों से वसूल किए जाते हैं।

(ग) सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित पत्राचार कार्यक्रमों की कोटि का कोई अध्ययन शुरू नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तिरुपति में सवारी डिब्बा मरम्मत कार्यशाला

4684. श्री टी. बाल गौड़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरूपति में सवारी डिब्बा मरम्मत कार्यशाला के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या उक्त कार्यशाला का निर्माण कार्य पूरा होने में कोई विलम्ब है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) कार्यशालाओं के प्रमुख समूह पर निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। सड़कों, जल आपूर्ति व्यवस्था और कर्मचारी क्वार्टर आदि जैसी आनुषंगिक सुविधाओं के निर्माण कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। कारखाने ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

(ख) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण क्षेत्र के सेंसर बोर्ड का कार्यकरण

4685. श्री टी. बाल गौड़ : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण क्षेत्र के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा फिल्मों को प्रमाणित करने के बारे में किये जा रहे पक्षपात पूर्ण रवैये के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) (क) और (ख) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय में फिल्मों के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में पक्षपातपूर्ण रवैये के बारे में मई, 1987 में संसद सदस्य (राज्य सभा), श्री पी. उपेन्द्र से केवल एक विशिष्ट शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके उत्तर में सही स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी।

फिल्मों के प्रमाणीकरण के मामले में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कार्यालय केन्द्रीय सरकार द्वारा फिल्मों के प्रमाणन के सम्बन्ध में जारी किए गए दिशानिर्देशों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37) और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करते हैं।

"परती भूमि विकास के लिये नई नीति"

4686. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में परती भूमि के विकास के लिए कोई नई नीति अपनाने का विचार है;

(ख) क्या राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के शुष्क भूमि क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम तैयार किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं परती भूमि विकास परिषद की फरवरी, 1986 में हुई पहली बैठक में परती भूमि के विकास के लिए कार्य नीतियों को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(ख) और (ग) जी हां। राजस्थान, गुजरात, और हरियाणा में वनीकरण के माध्यम से परती भूमि के विकास के लिए परियोजनाओं/कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं तथा विदेशी सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रायोजनाओं के अन्तर्गत 1985-86 से 1986-87 के दौरान वास्तविक उपलब्धियां।

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	1985-86 से 1986-87 के दौरान वनीकृत क्षेत्र-हैक्टेयर में		
		राजस्थान	गुजरात	हरियाणा
1	2	3	4	5
	वानिकी परियोजनाएं			
1.	ग्रामीण ईंधन लकड़ी पौधरोपण और	15000	6152	4450

1	2	3	4	5
	पारिस्थितिकीय संवेदी गैर-हिमालयी क्षेत्रों का वनीकरण (आर. एफ. पी.ए. ई एन. एच.ए.)			
2.	हिमाचल में मृदा, जल एवं वृक्ष संरक्षण (आपरेशन साथल बाय)	—	—	8362
3.	बाह्य सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रायोजनाएं ग्रामीण विकास परियोजनाएं	20366	103309	32586
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर. ई. पी.)	27130	10676	4131
5.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर. एल. ई. जी. पी.)	21005	10272	2752
6.	सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.)	3645	862	1308
7.	मरु विकास कार्यक्रम (डी. डी. पी.)	19128	3905	4721
	योग :	106274	142937	58310

रहो मंगलोर (कोंकण) रेलवे

4687. **डा. दत्ता सामंत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोहा-मंगलोर (कोंकण) रेल लाइन का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो इस रेल लाइन पर कुल व्यय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) कब तक निर्माण कार्य शुरू किये जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) 848 कि. मी. लम्बी इस लाइन की अनुमानित लागत 832 करोड़ रुपये है।

(ग) रेलवे से विस्तृत अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। योजना आयोग के परामर्श से विस्तृत रिपोर्ट की जांच किये जाने तक आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

पोडेशियम आयोडेट की कमी

4688. **डा. जी. विजय रामाराव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीयों में आयोडीन की, जिससे बीमारियों की रोकथाम होती है, व्यापक रूप में कमी है;

(ख) क्या पोटेशियम आयोडेट के आयात में कमी आने तथा विदेशी मुद्रा अभाव के कारण देश में इसकी अत्यन्त कमी हो गई है; और

(ग) आम प्रयोग में आने वाले नमक को आयोडीन-युक्त बनाने के लिए पोटेशियम आयोडेट का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) :(क) जी, हां। अब तक किए गए सर्वेक्षणों के परिणामों से पता चला है कि देश के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में भारतीयों में आयोडीन की कमी है।

(ख) और (ग) नमक आयुक्त, भारत सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार पोटाशियम आयोडेट का निर्माण देश में किया जाता है और यह सर्व सुलभ है। आयोडीन जो कि पोटाशियम आयोडेट का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कच्ची सामग्री हैं, आयात के लिए पोटाशियम आयोडेट निर्माताओं को पेश आ रही विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाइयों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। पोटाशियम आयोडेट तैयार करने की मौजूदा स्थापित क्षमता इस समय देश की जरुरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

धूम्रपान से कैंसर

4689. **डा. जी. विजय रामाराव :**
श्री सी. माधव रेड्डी :
क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धूम्रपान से होने वाले कैंसर से प्रतिवर्ष 8 लाख व्यक्ति मर जाते हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में अस्पताल के पलंगों और अन्य सहायक, बुनियादी सुविधाओं सहित कैंसर के उपचार पर किए जाने वाले वार्षिक व्यय और निवेश का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं। भारत में प्रति वर्ष लगभग 6 से 10 लाख व्यक्ति तम्बाकू से होने रोगों से मर जाते हैं न कि धूम्रपान से होने वाले कैंसर से।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तकनीकी शिक्षा का स्तर

4690. **श्री एन. डेनिस** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश तकनीकी शिक्षा के समान स्तर को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल. पी. शाही) : सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को, जो अब तक एक सलाह निकाय थी, (i) देशभर में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उपयुक्त आयोजना बनाने और उसका

समन्वित विकास करने (ii) योजनाबद्ध कोटि-परक संवर्धन के सम्बन्ध में तकनीकी शिक्षा के कोटि-परक सुधार को बढ़ावा देना (iii) इस पद्धति का विनियमन और नियमों और मानकों के हो रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक प्राधिकार दिया है। अब सरकार द्वारा नई सांविधिक परिषद को शीघ्र संचलनात्मक बनाने के लिए अग्रिम अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की औषधियों की सप्लाई हेतु ठेके

4691. **श्री राम भगत पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों और अस्पतालों को औषधियों की सप्लाई हेतु किन-किन कंपनियों को ठेके दिए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार औषधियों की किस्म की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों और अस्पतालों को सप्लाई करने के लिए एलोपैथिक दवाएं आम तौर पर चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन द्वारा आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से खरीदी जाती हैं। तथापि, आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय की आपूर्तियां जब नहीं आती तब कुछ दवाएं चिकित्सा-सामग्री भण्डार संगठन द्वारा पंजीकृत फर्मों से भी खरीदी जाती हैं। ऐसी फर्मों की एक सूची विवरण-1 के रूप में सभा पटल पर रखी जाती है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए एल. टी. 5809/88] आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) से खरीदी जाती हैं। जो दवाएं इण्डियन मेडिसन फार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सप्लाई नहीं की जाती हैं वे पंजीकृत फर्मों से खरीदी जाती हैं। वर्ष 1987-88 के दौरान होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं की आपूर्ति करने के लिए पंजीकृत फर्मों की एक सूची भी विवरण 2 के रूप में सभा पटल पर रखी जाती हैं [ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल टी. 5809/88]। वर्ष 1988-89 के लिए किसी दर पर संविदा को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा औषधालयो/अस्पतालों को सप्लाई की गई औषधें मानक किस्म की हों, निदेशक (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) की अध्यक्षता में हाल ही मे एक समिति का गठन किया गया है।

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

4692. **श्री विजय एन पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संपूर्ण देश के कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1987 के अन्त तक अभी तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है;

(ग) क्या महानगरों में कामकाजी महिलाओं को उपयुक्त आवास प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का कामकाजी महिलाओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और इसे प्राप्त करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-90) के दौरान पूरे देश में 15,000 श्रमजीवी महिलाओं के लिए और होस्टल स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

(ख) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 (31 दिसम्बर, 1987 तक) के दौरान क्रमशः 34, 33 और 17 अतिरिक्त श्रमजीवी महिला होस्टल स्वीकृत किए गए। इन होस्टलों में क्रमशः 1930, 1762 और 1369 श्रमजीवी महिलाओं के लिए आवास सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

(ग) जी, हां।

(घ) श्रमजीवी महिला होस्टलों का आवंटन राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/नगरवार नहीं किया जाता। स्वयंसेवी संगठनों से आवेदन प्राप्त होने पर भारत सरकार योजनानुसार प्रस्तावों पर विचार करती है।

कैंसर का पता लगाने के लिये पर्याप्त सुविधाओं का अभाव

4693. **श्री विजय एन. पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर और मध्य भारत में सरकारी चिकित्सा संस्थानों में कैंसर का पता लगाने और उसके उपचार के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर भारत के सरकारी अस्पतालों में बम्बई स्थित टाटा इन्स्टीट्यूट आफ कैंसर जैसा कैंसर का पता लगाने और उसके उपचार के विशेष केन्द्र स्थापित न किये जाने के क्या करण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के समस्त अस्पतालों में कैंसर का केवल एक विशेषज्ञ सर्जन नियुक्त है, और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत पर्याप्त संख्या में कैंसर के विशेषज्ञ सर्जन नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी, नहीं। ग्वालियर और नई दिल्ली में, उत्तरी और मध्य भारत में स्थित दो क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में कैंसर के इलाज की पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी प्रमुख अस्पतालों में शल्य चिकित्सा और रसायन चिकित्सा की सुविधाएं हैं। इसके अतिरिक्त 32 संस्थानों में कोबाल्ट थिरेपी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 6 मेडिकल कालेजों में कैंसर का शुरू में ही पता लगाने के केन्द्र स्थापित किए

गए हैं। पैप स्मीयर परीक्षण सुविधाएं प्रसवोत्तर कार्यक्रम के अन्तर्गत इस क्षेत्र के 24 मेडिकल कालेजों में उपलब्ध हैं;

(ग) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत विशेषज्ञ कैंसर चिकित्सक जैसा कोई पद नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे बुक स्टालों खान-पान ठेकों के लिए सहकारी समिति

4694. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर खान पान (कैंटरिंग)/बिक्री/बुकस्टाल का ठेका प्राप्त करने के लिए एक उचित सहकारी समिति बनाने हेतु वास्तव में कितने कर्मियों/विक्रेताओं की आवश्यकता होती है, और

(ख) इन संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का ब्यौरा क्या है।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) इस आशय के अनुदेश विद्यमान हैं कि वेंडरी के संगठन और खानपान सहकारी समितियों की न्यूनतम सदस्यता संख्या 25 होनी चाहिए। बुक स्टालों को सहकारी समितियों को न्यूनतम सदस्यता संख्या निर्धारित नहीं की गयी है।

(ख) सहकारी समितियों की वास्तविकता के उत्पादन के लिए जिन कतिपय मुद्दों पर विचार किया जाता है, वे हैं कि इनमें वास्तविक कामगार और वेंडर होने चाहिए, सोसायटी का कार्य संचालन सहकारिता की पद्धति और सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए और सोसायटी पर किसी एक ही व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होना चाहिए।

रेलगाड़ियों में चलते फिरते पुस्तकालय और बुक स्टाक के ठेके

4695. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेल गाड़ियों में बेरोजगार स्नातकों द्वारा चलाये जाने वाले चलते-फिरते पुस्तकालय और बुक स्टालों के ठेकों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बेरोजगार स्थानकों, उनके साझीदारों आदि द्वारा चलाये जाने वाले चल पुस्तकालय-एवं-बुक स्टालों के ठेकों के ब्यौरे इस प्रकार हैं

153/154 वैशाली एक्सप्रेस में श्रीमती मल्का प्रवीण

915/916 नयी दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस में मसर्स महा विनायक।

801/802 अमृतसर-टाटा हटिया एक्सप्रेस में मैसर्स ए. एच. मनोज एंड कंपनी।

1/2 कालका मेल में मैसर्स पंकज एंड कम्पनी।

3/4 बम्बई-हुबड़ा मेल में मैसर्स ग्रवेल इंटरनेशनल।

103/104 ए. सी. एक्सप्रेस में मैसर्स ए. एस. मनोज एंड कम्पनी।

81/82 ए. सी. एक्सप्रेस में मैसर्स स्नातक उद्योग।

191/ 92 मगध एक्सप्रेस में मैसर्स नरेश कुमार इन्दु।

901/902 विवेकानन्द एक्सप्रेस में श्रीमती जैता मुखर्जी।

57/58 कंचनजंघा एक्सप्रेस में मैसर्स सेल्फ शिने।

101/102 मीनार एक्सप्रेस में श्री जी. के. प्रहलाद राव।

19/20 कोणार्क एक्सप्रेस में श्री के. शरत कुमार।

47/48 फ्लाइंगमेस में मैसर्स एम. एस. पंकज एंड कम्पनी।

राष्ट्रीय टीमों के प्रबन्धकों की नियुक्ति

4696. **श्री विजय एन पाटिल :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जाने वाली राष्ट्रीय टीमों से प्रबन्धकों की नियुक्ति भारतीय खेल प्राधिकरण की चयन समिति द्वारा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किन कारणों से लिया गया; और

(ग) क्या यह निर्णय राष्ट्रीय खेल महासंघों और भारतीय ओलम्पिक संघ के कार्यों में सीधा हस्तक्षेप है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क)और (ख) 16 फरवरी, 1988 को सरकार द्वारा जारी की गई "उत्कृष्ट विकास कार्यक्रम नीति और मार्गदर्शी रुपरेखाएं 1988-90" के अनुसार खिलाड़ियों/खेल टीमों के साथ जाने वाले प्रबन्धकों का चयन समिति द्वारा अनुमोदित पैनल में से पता लगाया जाएगा। इस चयन समिति में संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत इसका अध्यक्ष, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस. ए. आई.) का महानिदेशक, एस. ए. आई. के टीम खण्ड का एक प्रतिनिधि, सरकार द्वारा नामित किये जाने वाला एक भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय (अधिमानत: अर्जुन पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता है)और भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि इसके सदस्य है।

(ग) जी, नहीं। चूंकि उपर्युक्त चयन समिति की अध्यक्षता संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ के अध्यक्ष या उसके मनोनीत अध्यक्ष द्वारा की जाती है इसलिए यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि यह राष्ट्रीय खेल संघों और भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन के कार्यों में हस्तक्षेप है।

"प्रदूषण नियन्त्रण"

4697. **श्री विजय एन. पाटिल :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊपरि वायुमण्डल में विद्यमान विभिन्न प्रकार की अत्यधिक खतरनाक गैसों का विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो उपरि वायुमण्डल में मिली हानिकारक गैसों की सूची क्या है;

(ग) महानगरों में जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाली अत्यधिक खतरनाक गैसों के नाम क्या हैं; और

(घ) इन हानिकारक गैसों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रखने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महानगरों के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गैसों में से कार्बन मोनोआक्साइड, सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रो-कार्बन के आक्साइड मुख्य हैं।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

इन गैसों से उत्पन्न प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है :—

(1) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के उपलब्धों के तहत विभिन्न श्रेणियों के क्षेत्रों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता और विशेष प्रदूषकों के संदर्भ में मानक निर्धारित किए गए हैं।

(2) वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों के एक नेटवर्क की स्थापना की गई है।

(3) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत 12 प्रदूषक उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(4) उद्योगों को निर्धारित समय के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की "सम्मति" लेने की शर्त के अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।

(5) वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं।

(6) राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने और मोटर वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के लिए मानक निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। अब तक 10 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों के मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर दिया है और वाहनों से उत्पन्न उत्सर्जन मानक अधिसूचित कर दिए हैं।

(7) उद्योगों के स्थान निर्धारण एवं उसके संचालन के लिए पर्यावरणीय मार्ग-निर्देश तैयार किये गये हैं।

(8) भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से प्रदूषक उद्योगों को हटाकर अन्य स्थान पर स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (पूंजीगत आय से आयकर रियासत के संबंध में) दिए जाते

हैं। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए बढ़ी हुई दर पर मूल्यहास भत्ता भी दिया जाता है।

(9) जन-जागरुकता पैदा करने के लिये अभियान आरम्भ किए गए हैं।

(10) सम्बद्ध अधिनियमों के तहत दोषी यूनिटों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(11) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के उल्लंघन करने पर कठोर दण्ड देने के लिये इस अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है।

दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों के रूट

4698. श्रीमती डी. के. भंडारी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों के रुटों के बारे में 5 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1388 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 15 मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार मिनी बस रूटों और रात्रि सेवा रूटों सहित कुल कितने रूटों पर बसें चलाई जा रही हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : सूचना निम्न प्रकार है :—

नगर रूट	685
रात्रि सेवा रूट	21
मिनी बसें	8
योग :	714

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अपने यात्रियों की शिकायतें सुनने के लिए खुली बैठक आयोजित करना

4699. श्रीमती डी. के. भण्डारी : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अपने यात्रियों की शिकायतें सुनने के लिए खुली बैठकों का आयोजन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं और अभी तक ऐसी खुली बैठकें कब तक आयोजित की गई थी;

(ग) यात्रियों द्वारा प्रत्येक खुली बैठक में किस प्रकार की शिकायतों के मामले उठाये गये हैं;

(घ) क्या इन खुली बैठकों में यात्रियों को अधिक संख्या में सम्मिलित होने के लिए आकृष्ट

करने हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में उन शिकायतों के और उनके निपटान के समाचार प्रकाशित किये गये है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे समाचारपत्रों के नाम क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) कुशल परिवहन सेवा प्रदान करने के निगम के प्रयासों में जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए यात्रियों के सुझावों और शिकायतों पर चर्चा करने हेतु ओपन हाउस सेशन आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। यह सेशन मार्च, 1987 से प्रतिमाह अंतिम रविवार होती है।

(ग) इन ओपन हाउस सेशनों में मुद्दे उठाये जाते हैं और जिन पर चर्चा होती है, वे मौजूदा रुटों के परिवर्धन/विस्तार, नए रुट शुरु करने, आधार भूत सुविधाओं के विकास तथा कार्मिकों के आचरण सहित अन्य प्रचालनात्मक विषय से संबंधित होते हैं। यात्रियों ने बिना टिकट सफर और जाली पासधारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का भी सुझाव दिया।

(घ) और (ङ.) पिछले तीन महीनों के दौरान नेशनल हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स आफ इंडिया हिन्दुस्तान टाइम्स, स्टेट्समेन, जनसत्ता, नवभारत टाईम्स, मिलाप, वीर अर्जुन, इवनिंग न्यूज आदि जैसे मुख्य समाचारपत्रों में ओपन हाउस सेशन आयोजित करने के बारे में समाचार प्रकाशित हुए थे।

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डाक्टरों का सेवाकाल बढ़ाना

[हिन्दी]

4700. **श्री राजकुमार राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के उन डाक्टरों के नाम क्या हैं जो इस वर्ष अधिवर्षता की आयु करने पर सेवानिवृत्त होंगे;

(ख) क्या इन डाक्टरों की सेवावधि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सेवावधि में वृद्धि किये जाने के कारण वर्तमान डाक्तरों की पदोन्नति के अवसरों और भविष्यि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) डा. राम मनोहर लोहिया अस्हताल के उन डाक्टरों के नाम निम्नलिखित हैं जो इस वर्ष अधिवर्षता की आयु करने पर सेवानिवृत होंगे :—

(i) डा. जे. पी. सिंह
चिकित्सा अधीक्षक

(ii) डा. आई. डी. शर्मा
अपर चिकित्सा अधीक्षक

(iii) डा. (श्रीमती) विमला मेहरा,
वशिष्ठ निश्चेतक

(vi) डा. एच. एम. चौधरी,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्कल एक्सप्रेस के स्थान पर दो गाड़ियां चलाना

[अनुवाद]

4701. **डा. कुमारसिंघु भोई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय से उत्कल एक्सप्रेस के स्थान पर दो गाड़ियां चलाने का अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है।

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) से (ग) सम्बलपुर क्षेत्र को सेवित करने के लिए 77/78 उत्कल-कलिंग एक्सप्रेस को अलग-अलग करने की व्यवहार्यता की राज्य सरकार और रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गयी थी। पश्चिमी उड़ीसा को राज्य की राजधानी से जोड़ने के लिए अब सम्बलपुर और भुवनेश्वर के बीच एक नई तेज गाड़ी चलाने का निश्चिय किया गया है।

रायचूर और बंगलौर के बीच वायुदूत सेवा

4702. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने रायचूर और बंगलौर के बीच वायुदूत सेवा शुरू करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इन दो स्थानों के बीच यह सेवा शुरू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) यद्यपि रायचूर और बंगलौर के बीच वायुदूत सेवा प्रचालित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए है, किन्तु वायुदूत के पास विमान क्षमता की कमी, रायचूर में प्रचालनात्मक हवाई पट्टी उपलब्ध न होने और अन्य आधारभूत सुविधाएं न होने के कारण, अभी यह सेवा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो सका है।

(ग) विमान क्षमता उपलब्ध होने, आधारभूत सुविधाओं का विकास और प्रचालनों के

आर्थिक रूप से साध्य होने पर कायमूल की चालू परियोजना अवधि में रायचूर को विमान सेवा से जोड़ने की योजना है।

"कर्नाटक में परती भूमि का विकास"

4703. श्री श्रीकांत वत्त नरसिंह राव वाडियर : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक में कितनी परती भूमि है;

(ख) परती भूमि के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) कर्नाटक सरकार ने इस संबन्ध में कोई योजना तैयार करके केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है; और

(घ) परती भूमि के विकास हेतु कर्नाटक की दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) पिछले अनुमान के अनुसार कर्नाटक में 91.65 हैक्टेयर परती भूमि है।

(ख) और (ग) 12.62 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में ईंधन लकड़ी एवं चारा उत्पादन के लिए वनीकरण द्वारा परती भूमि विकास हेतु नवम्बर, 1985 में कर्नाटक राज्य ने परियोजना की रुपरेखा प्रस्तुत की थी। राज्य सरकार विभिन्न चरणों में वनीकरण कार्यक्रम को चलाते रही है और तब से राज्य ने वनीकरण की 3.8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की कुल उपलब्धि सूचित की है।

(घ) राज्य को निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता प्रदान कर दी गई है :

वर्ष	1985-86	1986-87	1987-88
धनराशि करोड़ों में	14.23	17.66	12.42

अमरावती-नरखेड़ रेल लाइन

4704. श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदर्भ क्षेत्र के औद्योगिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए अमरावती-नरखेड़ रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरु करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी और नई लाइनों के लिए पहले से की गई भारी वचनबद्धताओं के कारण।

यवतमाल-मूर्तिजापुर-अचलपुर रेल लाइन को बदलना

4705. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यवतमाल-मूर्तिजापुर-अचलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने तथा इसे दिल्ली मुख्य रेल लाइन पर बैतुल (मध्य प्रदेश) तक बढ़ाने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक शुरु किया जायेगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी और आयान परिवर्तन तथा नई लाइनों के लिए पहले से की गयी भारी वचनबद्धताओं के कारण।

परा चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

4706. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1987-88 में राज्यों को परा चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए दी गई वित्तीय सहायता और इस संबंध में उपलब्धि का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुरुष और महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं, महिला स्वास्थ्य सहायकों, प्रयोगशाला तकनीशियनों और नेत्र विज्ञान सहायकों के प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करती है। वर्ष 1987-88 के दौरान पुरुष और महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं, महिला स्वास्थ्य सहायकों, प्रयोगशाला तकनीशियनों और नेत्रविज्ञान सहायकों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1398.88 लाख रुपये उपलब्ध हैं। वर्ष 1987-88 के दौरान अब तक 9036 महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता और 1442 महिला स्वास्थ्य सहायक प्रशिक्षित किए गए हैं। पुरुष बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को 37 स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और लगभग 1350 के प्रशिक्षित होने की आशा है। वर्ष 1987-88 के दौरान 30 प्रयोगशाला तकनीशियनों और लगभग 1,000 नेत्र विज्ञान सहायकों के प्रशिक्षित होने की आशा है।

बिस्तर/जनसंख्या अनुपात

4747. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्रों में बिस्तरों की संख्या का अनुपात क्या है; और

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार 1.1.1987 को सरकारी

अस्पतालों में पलंगों की संख्या 3,85,616 है। यह पलंग व्यक्ति अनुपात 1984 व्यक्तियों के लिए एक पलंग का बैठता है। मौजूदा स्वीकृत पैटर्न के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में केवल रोगी-निरीक्षण पलंग हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग से पलंग-व्यक्ति अनुपात उपलब्ध नहीं है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की एक योजना आरम्भ की गई है इसके अन्तर्गत प्रत्येक केन्द्र में 30 पलंग होंगे 11.1.1988 को 1253 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे थे। आशा है, 1990 तक 2708 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे। अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना राज्य क्षेत्र में आता है और इनके लिए आवंटन राज्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान किए जाते हैं।

हिन्दुओं में कमजोर वर्ग के लोगों को शैक्षणिक सुविधाएं

4708. **श्री सी. जंगा रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की तरह हिन्दुओं में शिक्षा से वंचित वर्ग के लोगों को शैक्षणिक प्रोत्साहन तथा सुविधाएं प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) से (ग) सरकार द्वारा केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां, निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त पुस्तकें और लेखन सामग्री, मुफ्त वर्दियां, दोपहर का भोजन, स्कूलों को खोलना अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, आश्रम स्कूलों, छात्रावासों आदि, शैक्षिक संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण और अध्ययन सुविधाओं के प्रावधान के रूप में अनेक प्रोत्साहन तथा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

भारत के प्रतिरक्षण कार्यक्रम की उपलब्धि

4709. **श्री आर. एम. भोये** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के अध्ययन के अनुसार देश में सप्लाई के संबंध में प्रतिरक्षण कार्यक्रम सराहनीय है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) यूनिसेफ द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। बहरहाल उनके "द स्टेट आफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 1988" प्रकाशन में केवल एक वितरण छपा है जो कि संलग्न है।

विवरण

विश्व के बच्चों की स्थिति

भारत :

रोग प्रतिरक्षण के द्वार पर

भारत में किए जा रहे रोग प्रतिरक्षण प्रयासों, जो किसी भी देश की अपेक्षा अत्यधिक हैं, की मध्यावधि समीक्षा से पता चला है कि हमें संचेत आशावादी रहना चाहिए। 1990 तक सभी शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को रोगप्रतिरक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के लक्ष्य की दिशा में निस्सदेह बड़ी लहर उमड़ रही है लेकिन साथ ही इसमें कोई संदेह नहीं कि केवल स्थानीय कड़ा नियोजन तथा कार्यक्रम प्रबंध उन क्षेत्रों में रोग प्रतिरक्षण का स्तर ऊंचा उठा सकता है जो क्षेत्र इस कार्य में पिछड़ रहे हैं।

अधिक से अधिक दावे किए जा रहे हैं। 1980 के दशक के आरम्भ में वैक्सीन से रोके जा सकने वाले रोगों से हर वर्ष 10 लाख बच्चे मर जाते थे।

परिणामों से पता चलता है कि 1985 में जो कार्यनीति अपनाई गई थी उसे फिर से लागू किया जाए। 1985 में प्रधान मंत्री ने स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी की जीवन समृति में व्यापक रोग प्रतिरक्षण के प्रति राष्ट्रीय वचन बद्धता प्रकट की थी। भारत के सभी 420 जिलों में रोग प्रतिरक्षण का व्यापक कार्यक्रम पहले ही चल रहा है। इस दायरे के अन्दर योजना यह थी कि रोग प्रतिरक्षण को अधिक से अधिक कवरेज बढ़ाने के लिए जिलावार कार्य किया जाए ताकि रोग प्रतिरक्षण की जो औसत कवरेज 30 प्रतिशत कम हैं उसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जा सके।

1986 में यह योजना 420 जिलों में से 92 जिलों में चलाई गई। अब तक जितने रोगियों को लाभान्वित किया गया है वे हैं क्षयरोग और पोलियो से 63 प्रतिशत रोगी, डी- पी. टी. से 68 प्रतिशत और खसरे से 40 प्रतिशत रोगी। इन आंकड़ों के मुकाबले राष्ट्रीय औसत इस प्रकार है- क्षयरोग से 33 प्रतिशत पोलियों से 30 प्रतिशत डी. पी. टी. से 35 प्रतिशत और खसरे से 9 प्रतिशत।

दूसरे शब्दों में इन जिलों में अब तक लाभान्वित की गई भारत की लगभग एक चौथाई आबादी में लाभान्वित होने वाले रोगियों की संख्या लगभग दो गुनी (खसरे के मामले में तीन गुनी) हो गई है।

1987 में यह कार्यक्रम 90 और जिलों में चलाया गया ताकि कुल एक करोड़ शिशुओं और एक करोड़ 10 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभाण्वित किया जा सके। 90 और जिलों में इस कार्य क्रम का विस्तार तथा पहले के 92 जिलों में रोग प्रतिरक्षण का नया स्तर बनाए रखना एक विशाल कार्य है जिसमें एक लम्बी चौड़ी तथा जटिल प्रणालो के उस पार के उपमहाद्वीप के साथ तालमेल की कार्रवाई बैठाना है जो भाषा और संस्कृति जलवायु और क्षेत्र में भिन्न है।

कुल मिलाकर रोग प्रतिरक्षण समीकरण सप्लाई वेक्सीन उत्पादन रेफ्रीजरेटर वितरण स्वास्थ्य कार्यकताओं को प्रशिक्षण प्रशासक और इन्जीनियर की दृष्टि से उपलब्धि उल्लेखनीय रही है। उदाहरण के तौर पर 1986 में किये जा रहे प्रयासों में सहायता करने के लिए 4800 डाक्टरों 72000 अर्ध चिकित्सकों और 30000 अन्य श्रेणियों के कार्य कर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया।

सभी राज्य स्वास्थ्य विभागों के सचिवों और प्रत्येक राज्य प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों को अब रोग प्रतिरक्षण में हर वर्ष प्रशिक्षित किया जा रहा है।

लेकिन रोग प्रतिरक्षण की राष्ट्रव्यापी 80 प्रतिशत या अधिक कवरेज प्राप्त करना तथा उसे बनाए रखता मांग पैदा करने तथा सप्लाई बनाए रखने पर काफी निर्भर करता है। और मांग पक्ष अभी भी पिछड़ रहा है।

योजना यह है कि प्रत्येक जिले में सभी संभव संचार साधनों से लोगों को जानकारी दी जाए और सभी शिशुओं के पूर्ण वैक्सीनेशन की मांग बढ़ाई जाए। संसद सदस्य धार्मिक नेता स्वास्थ्य व्यावसायों और व्यापारी संघ पंचायत सदस्य और समुदाय के नेता स्कूल अध्यापक तथा शिशु परिचर्या कार्यकर्ता खिलाड़ी तथा लोक प्रचार माध्यम महिला समूह और युवा संगठन सभी अब रोग प्रतिरक्षण के संदेह को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का समर्थन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अब तक भारतीय प्राथमिक स्कूलों के 500 000 अध्यापकों को शिशु रोग प्रतिरक्षण के बारे में पुनश्चर्या प्रदान की गई है और प्राथमिक स्कूलों के माध्यम से मुद्रित सामग्री का व्यापक वितरण किया गया है।

रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोग प्रतिरक्षण का संदेश पहुँचाया जा रहा है और 12,700 से भी अधिक सिनेमा हालों में लगभग 10 करोड़ लोग प्रतिरक्षण के विज्ञापन देख रहे हैं।

दूसरे शब्दों में हाल ही के वर्षों में भारत ने सूचना और सहायता की जो क्षमता विकसित की है उसे एक महान सामाजिक कार्य रोग प्रतिरक्षण के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 10 लाख बच्चों का जीवन बचाने में उपयोग किया जा रहा है यदि यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और उसे बनाया रखा जा सके तो 1980 दशक के अन्तिम भाग के रोग प्रतिरक्षण के प्रयास अन्य अनेक प्रमुख स्वास्थ्य और पोषण समस्वाओं से निपटने के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे जिनका अभी भी राष्ट्र के बच्चों को सामना करना पड़ता है।

इन्डियन एयर लाइन्स के लाभप्रद मार्ग

4710. **श्री शांताराम नायक** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन एयर लाइन्स को किन किन विमान सेवा मार्गों में घाटा हो रहा है और किन किन मार्गों पर लाभ होता है; और

(ख) इन विमान सेवा मार्गों का विस्तृत आर्थिक विश्लेषण क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) 1986-87 के दौरान इन्डियन एयर लाइन्स द्वारा परिचालित मार्गों के संबंध में ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसके अन्तर्गत वे सेवाएं (I) जो नकद लागत नहीं देती; (II) नकद लागत पर बचत देती हैं परन्तु कुछ लागत नहीं देती; (III) कुल लागत पर बचत देता है दर्शाई गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 5810/88] यह देखा गया है कि वे 39 मार्ग जो नकद लागत नहीं देते मुख्यत: उन "शार्ट हाल" सैक्टरों पर परिचालन कर रहे हैं जहां परिचालनात्मक लागतें अत्यधिक हैं।

संवर्ग समीक्षा समिति की रिपोर्ट

4711. श्री भक्तेश्वर तांती : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कार्यरत फार्मासिस्टों नर्सों चिकित्सकों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराए जाने संबंधी समस्याओं की जांच करने के लिए एक संवर्ग समीक्षा समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में समूह "ख" "ग" और "घ" पदों के संवर्ग की समीक्षा करने के लिए मार्च, 1988 में संवर्ग समीक्षा समितियों पुनर्गठित की गई है। इन समितियों को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

(ग) और (घ) भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्तनपान संबंधी कोड का कार्यान्वयन

4712. श्री पी. आर. कुमारमंगलम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1983 में प्रकाशित स्तनपान संरक्षण तथा प्रचार संबंधी इन्डियन नेशनल कोड के कार्यान्वयन के लिये क्या कार्रवाही की गई है;

(ख) इसके कार्यान्वयन का कार्य किस एजेंसी को सौंपा गया है;

(ग) क्या इस कोड के कारगर कार्यान्वयन के लिये आवश्यक आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा और खेल तथा महिला बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) सरकार स्तनपान प्रतिरक्ष और प्रोत्साहन के लिए तथा इनके सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक मामलों के लिए शिशु दुग्धाहार और दूध पिलाने वाली बोतलों के उत्पादन सप्लाई और वितरण के विनियमन हेतु कानून बनाने के लिए कार्यवाही कर रही है।

(ख) से (घ) कानून के अधिनियम के बाद कार्यान्वयन एजेंसियों को अधिसूचित करने और जब आवश्यक हो, और अवस्थापना के सृजन के लिए कार्यवाही की जाएगी।

शिशु और छोटे बच्चों के आहार के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की संहिता

4713. श्री पी. आर. कुमारमंगलम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशु और छोटे बच्चों के आहार के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की संहिता में भारत भी शामिल था जैसाकि अस्पतालों और प्रसूति गृहों द्वारा मुफ्त और या रियायती दरों पर शिशु आहार सप्लाई करने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 16 मई, 1986 के संकल्प संख्या 39.28 में स्पष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उपर्युक्त संहिता के कार्यान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) भारत ने शिशु और बाल पोषाहार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन संहिता का समर्थन किया है।

(ख) सरकार स्तनपान प्रतिरक्षण और प्रोत्साहन के लिए तथा इससे सम्बन्तित अथवा प्रासंगित मामलों के लिए शिशु दुग्धाहार और दूध पिलाने वाली बोतलों के उत्पादन सप्लाई और वितरण के विनियमन हेतु कानून बनाने के लिए कार्यवाही कर रही है।

सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों/संस्थाओं को जारी किए गए मार्ग निर्देश

[हिन्दी]

4714. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह की बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय खेल संघों/संस्थाओं को कुछ मार्ग निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये मार्ग निर्देश कब से प्रभावी किये जायेंगे?

(ग) इन मार्गनिर्देशों को जारी करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(घ) क्या किसी राष्ट्रीय खेल संघ संस्था ने मार्गनिर्देशों के प्रति विरोध प्रकट किया है; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) 16 फरवरी, 1988 को सरकार ने "उत्कृष्ट विकास कार्यक्रम नीति और मार्गदर्शी रूप रेखायें 1988-90 जारी की है। जिसमें राष्ट्रीय खेल संघों एसोसिएशनों को वित्तीय तथा अन्य सहायता देने के लिए शर्तें रखी गई हैं। इसमें दीर्घ-कालीन प्रशिक्षण योजना की तैयारी 1990 तक राष्ट्रीय प्रशिक्षकों की नियुक्तियां राष्ट्रीय और अन्त-र्राष्ट्रीय स्तरों पर पर्याप्त प्रतियोगी प्रदर्शन प्रशिक्षण प्रवेश लेने तथा शिविरों में जारी रहने के लिए मापदंड उदार वित्तीय सहायता और उपस्करों की सहायता अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए मापदंड और जूनियर खिलाड़ियों के विकास पर बल देने की व्यवस्था है।

मार्गदर्शी रूप रेखाओं के मुख्य लक्ष्य प्रतिभाशालियों का पता लगाने सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रशिक्षण ठोस प्रशिक्षण और नियमित प्रतियोगिताओं के द्वारा खेलों के स्तर में सुधार लाना है। ये मार्गदर्शी रूप रेखाएं 1-3-88 से लागू हो गई है।

(ब) से (ङ) कुछ संघों के भारतीय खेल प्राधिकरण की भूमिका और चयन पद्धति के बारे में कुछ कथन है। तथापि, सरकार समझती है कि मार्गदर्शी रूप रेखाएं संघों और सरकार को देश में खेलों का स्तर बढ़ाने और उत्कृष्टता बढ़ाने के अपने सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देगी।

एयर इन्डिया के विमानों में इन्डियन एक्सप्रेस समाचार पत्र का उपलब्ध होना

[अनुवाद]

4715. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इन्डिया तथा वायुदूत द्वारा अपने विमानों में कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशन तथा पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाती हैं;

(ख) क्या इस प्रकार की कोई रिपोर्ट मिली है कि एयर इन्डिया के विमानों में इन्डियन एक्सप्रेस समाचार पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) एयर इन्डिया द्वारा अपनी उड़ानों पर रखे जाने वाले प्रकाशनों पत्रिकाओं के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यह लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी। वायुदूत पर्यटकों की रूचि की पत्रिकाएं उपलब्ध कराता है जैसे कि डिस्कवर इन्डिया डेस्टिनेशन इन्डिया और वर्ड आफ इन्डिया इसके अतिरिक्त संबंधित क्षेत्रों में क्षेत्रीय समाचार पत्रों के अलावा टाइम्स आफ इन्डिया नव भारत टाइम्स हिन्दुस्तान टाइम्स इन्डियन एक्सप्रेस, हिन्दू, टेलिग्राफ मिड डे इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र वायुदूत की उड़ानों में यात्रियों को उपलब्ध कराये जाते हैं।

(ख) और (ग) एयर इडिया ने अपनी उड़ानों पर इन्डियन एक्सप्रेस रखना बन्द नहीं किया है।

नेहरू युवा केन्द्र

4716. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1987 तक विभिन्न राज्यों में कितने नेहरू युवा केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1988-89 में नेहरू युवा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव हैं;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में वर्ष 1988-89 में कितने नेहरू युवा केन्द्र खोलने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : 31 दिसम्बर 1987 के अनुसार केन्द्रों की संख्या 277 है।

(ख) जी हां,।

(ग) और (घ) उड़ीसा के कटक जिले में वर्ष 1988-89 में एक नया नेहरू युवा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इससे उड़ीसा में प्रत्येक जिले में एक नेहरू युवा केन्द्र होने को सुनिश्चित किया जायेगा।

स्वास्थ्य गाइड योजना के लिए सहायतानुदान

4717. **श्रीमती उषा चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार महिला स्वास्थ्य गाइडों के लिए शत प्रतिशत सहायतानुदान देती है और पुरुष स्वास्थ्य गाइडों के लिए कोई सहायता नहीं दी जाती है;

(ख) क्या सरकार सम्पूर्ण योजना को शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) भारत सरकार ग्राम स्वास्थ्य गाइडों (पुरुष और महिला, दोनों) के लिए शत-प्रतिशत सहायतानुदान देती है। ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है।

टूथपेस्टों का उत्पादन

[हिन्दी]

4718. **श्री राम स्वरुप राम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अन्य बड़ी कम्पनियों द्वारा निर्मित टूथपेस्टों की खपत में वृद्धि के बावजूद देश में दन्त रोगों के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या अनुसंधान से यह सिद्ध हुआ है कि इन टूथपेस्टों का प्रयोग करने वाले लोगों में से अधिकांश दन्त रोगों से पीड़ित है जबकि नीम की दातून इस्तेमाल करने वाले लोग इन रोगों से मुक्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा टूथपेस्टों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में दन्त रोगों की संख्या बहुराष्ट्रीक कम्पनियों तथा अन्य बड़ी-बड़ी कम्पनियों द्वारा निर्मित टुथपेस्टों के प्रयोग के कारण नहीं बढ़ी है बल्कि इनमें वृद्धि का कारण परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट तत्वों से बने हुए कैंडी, चाकलेट आदि जैसे पेय और चिपचिपे खाद्य पदार्थों के सेवन की बदली हुई खान-पान की आदतें हैं।

(ख) और (ग) यह पता लगाने के लिए कि टुथपेस्टों का इस्तेमाल करने वाले लोग नीम की दातुन करने वाले लोगों की अपेक्षा दन्तरोगों का अधिक शिकार होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अब तक कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। मूलरूप में टुथपेस्ट "मुख की सफाई करने का एक अच्छा

साधन" है। उद्योग मंत्रालय से मिली सूचना के अनुसार सरकार की वर्तमान नीति के मुताबिक टुथपेस्टों का निर्माण केवल लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ही निर्धारित किया हुआ है। अतः संगठित क्षेत्र की मझली तथा बड़ी-बड़ी इकाइयों, जिनकी क्षमता निर्धारित की हुई है, को उनकी लायसेंस शुदा क्षमता से अधिक माल तैयार करने की अनुमति नहीं दी जाती। यहां यह भी बताया जाता है कि पहले से दिए गए लायसेंस शुदा क्षमता को कम करने का कोई प्रावधान नहीं है।

महिलाओं के प्रति अत्याचार रोकने के लिए प्रस्ताव

[अनुवाद]

4719. **श्री सी. माधव रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कोई नये प्रस्ताव तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ग) क्या इस संबन्ध में लोगों में सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) दहेज निषेध अधिनियम 1961 को 1984 और 1986 में संशोधित किया गया और इसी के परिणामस्वरूप अपराधिक कानूनों में, जैसे कि भारतीय दण्ड संहिता, अपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किया गया।

(ग) जी, हां।

मछली की नई किस्म

4720. **श्री सबल कुमार मंडल** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै कामराज विश्वविद्यालय के जैविक विज्ञान स्कूल में हाल ही में रोगाणुरहित एक नई किस्म की मछली का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह जानने के लिए कि इस नई किस्म की मछली का स्वाद और उत्पत्ति प्रकार अन्य मछलियों के कितना समान था, कोई प्रयोग किया गया है अथवा किया जा रहा है;

(ग) इस मछली में प्रोटीन और पोषक तत्वों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस नई विकसित तकनीकी का मत्स्य-पालन के अन्य क्षेत्रों में भी प्रयोग किया जा रहा है; यदि हां, तो किन-किन एजेंसियों के माध्यम से; और

(ङ) इस नई तकनीक से देश में वर्तमान मछली उत्पादन में तथा इनके निर्यात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा, तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस. पी. आही) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिनांक 7 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1715 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री मोतीलाल वोरा) : 7-3-1988 को लोक सभा में दिए गए लिखित प्रश्न संख्या 1715 के भाग (क) से (घ) के उत्तर के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(क) से (घ) :—चीन के साथ विमान सेवा करार पर हस्ताक्षर करने के विषय पर चर्चा की गई है। एयर इण्डिया ने चीन की नागर विमानन प्रशासन (सी. ए. ए. सी.) के साथ एक अन्तर लाइन समझौता किया है।"

12.00 बजे मध्याह्न

(व्यवधान)

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : महोदय, कल 4 बजे दोपहर बाद वहां एक जोर से विस्फोट हुआ था···

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दे दीजिए। मैं पता करवा लेता हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : मैंने एक नोटिस दिया है····

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : अध्यक्ष जी, आजकल दिल्ली में डी. टी. सी. कर्मचारियों की स्ट्राइक चल रही है। गवर्नमैंट ने जो स्टैंड लिया है, उसे हम एप्रीशियेट करते हैं परन्तु कुछ अपने सुझाव भी सदन के और सरकार के सामने रखना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दे दीजिए, मैं पता करवा लूंगा।

श्री प्रताप भानु शर्मा : हम जानना चाहते हैं कि सरकार यूनियन के लोगों से कब चर्चा कर रही है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : आजकल बसों के किराये में लूट मची हुई है, दो रुपया ले रहे हैं, जो बहुत ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय : आज ही इस विषय पर कालिंग अटैंशन आ रहा है···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : कल, कल दोपहर बाद चार बजे, जबलपुर के सी. ओ. डी. के सब डिपो में एक गम्भीर विस्फोट हुआ। गांव वालों से स्थान खाली कराये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नोटिस दे देना, मैं भेज कर फैक्टस का पता करवा लेता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता लगाना है।

श्री अजय मुशरान : हवाई अड्डा बन्द कर दिया गया है और समूचा शहर में डर फैला हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

श्री अजय मुशरान : मैं चाहता हूं आज रक्षा मंत्री एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

श्री अजय मुशरान : मैं आपका आश्वासन चाहता हूं कि वह आज एक वक्तव्य देगें।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल पता लगा सकता हूं।

श्री अजय मुशरान : मैं केवल यह चाहता हूं कि वह सदन में वक्तव्य दें। मैं आपका आश्वासन चाहता हूं कि वह आज एक वक्तव्य देंगे (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष जी, नालन्दा में 7 हरिजन महिलाओं के साथ एक्साइज विभाग के दरोगा और वहां की पुलिस द्वारा बलात्कार किया गया है, यह घटना बड़ी ही शर्मनाक है।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य सरकार का मसला है, वहीं उठना चाहिए। वहां की गवर्नमैंट क्या कर रही है।

श्री विजय कुमार यादव : हमने सारा विवरण लिखकर दिया है कि वहां हरिजन महिलाओं के साथ क्या-क्या हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिए, मैं भेज दूंगा। मैं और क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : इस विस्फोट के कारण गांव वालों से स्थान खाली कराये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं बगैर पता लगाये कैसे कह दूं। आपको मैंने कहा कि मैं भेज दूंगा, पता करवा लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर को आज ही भेज दूंगा।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : मैं आपको नवीनतम स्थिति बता रहा हूं।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : यह एक गम्भीर मामला है। मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि आप मंत्री जी से वक्तव्य देने के लिए कहें।

श्री अजय मुशरान : करोड़ों रुपये का गोलाबारुद नष्ट हो गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अब आप सुनते ही नहीं मैं क्या करूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप में से किसी की आवाज नहीं सुन पा रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं और क्या कह रहा हूं। आप मुझे जवाब दे लेने दो।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : मैं केवल आपका संरक्षण और यह आश्वासन चाहता हूं कि वह वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं और क्या कह रहा हूँ।

(व्यवधान)

मैंने आपसे यही कहा है

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : क्या आज वह एक वक्तव्य देंगे ? मैं आपका आश्वासन चाहता हूँ।

(व्यवधान)

हिन्दी

अध्यक्ष महोदय : मैं भी तो यही कह रहा हूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे यही तो बोल रहा हूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सिर्फ वह एश्योर कर सकता हूं···

(व्यवधान)

अनुवाद

अध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री जी के पास एक क्वेरी भेजूंगा और तब वे देखेंगे ?

श्री अजय मुशरान : आप मंत्री जी से वक्तव्य के लिए कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी व्यक्ति से नहीं कह सकता। मैं आपसे झूठा वायदा नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

हिन्दी

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष जी, डी. टी. सी. की स्ट्राइक के सम्बन्ध में गवर्नमैंट ने जो स्टैंड लिया है, उसे हम सपोर्ट करते हैं, वह स्टैंड एप्रीशियेबल है परन्तु हम चाहते हैं कि आप इस विषय पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करवाईये ताकि हम लोगों को भी अपने प्वाइन्टस रखने का अवसर मिल सके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है। यदि एक-एक करके आप लोग बोलें तो मैं कुछ कहूं।

श्री प्रताप भानु शर्मा : हम भी डी. टी. सी. की स्ट्राइक के विषय पर बोलना चाहते हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी है। मैं इसे बदलूंगा नहीं।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन (इडुक्की) : मैं आपके निर्णय का सम्मान करता हूँ कि डी. टी. सी. के प्रश्न पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अधीन चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन हम अपना निवेदन भी करना चाहते हैं। हम अपना दृष्टिकोण भी बताना चाहते हैं। हम सरकार की कार्यवाही की प्रशंसा करते हैं···

अध्यक्ष महोदय : एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

प्रो. पी. जे. कुरियन : हम इस पर नियम 193 के अधीन चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यमंत्रणा समिति के पास है मैं इसे नहीं कर सकता।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं कहां कह सकता हूँ ? मैं कार्यमंत्रणा समिति का सदस्य नहीं हूं। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। हम अपना दृष्टिकोण बताना चाहते हैं। (व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.04 म.प.

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

वायुयान अधिनियम 1934 के अधीन अधिसूचना

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : मैं वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1987, जो 24 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 930 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 5761/88]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगे

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी 5762/88]

भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून का वर्ष 1986-77 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि और उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री श्री (जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 5763/88]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अधीन अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए.के. पांजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधि-सूचना संख्या सां.का.नि. 341(अ), जो 14 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 2 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या 132-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि भारत-नेपाल व्यापार संधि, 1978 की शर्तों के अनुसार भारत में अधिमान्य प्रवेश के लिए पात्र पाए गए नेपाली मूल के तीन और उत्पादों को मदों की सूची में जोड़ा जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 5764/88]

(2) केन्द्रीय-उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या

सा.का.नि. 330(अ), जो 8 मार्च 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 28 फरवरी, 1982 की अधिसूचना संख्या 67/82-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि "अध्याय 48 के अन्तर्गत आने वाली कागज और कागज बोर्ड की वस्तुओं" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अध्याय 48 के अन्तर्गत आने वाले मुद्रित गत्ते के डिब्बों, बक्सों, आधानों और केसों (जिसमें समतलित या मुड़े हुए बक्से और समतलित या मुड़े हुए गत्ते के डिब्बे शामिल हैं), चाहे ये समंजित या असमंजित दशा में हों" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जा सकें, की की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 5765/88]

केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे और उसके कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रासरण मंत्री (श्री एच.के.एल. भगत) : श्री एल. पी. शाही की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) (एक) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी. 5766/88]

(3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल टी 5767/88]

(4) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी देखिये सख्या एल. टी. 5768/88]

(5) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी सस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल. टी: 5769/88]

(6) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी सस्थान, दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) :

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल. टी. 5770/88]

(7) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तगंत निम्नलिखित पत्रों की एक-प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी सस्थान, कानपुर के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 5771/88]

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 5772/88]

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1986-87 के के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी. 5773/88]

(चार) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

ग्रंथाललमें रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 5774/88]

(पांच) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी. 5775/88]

(8) उपर्युक्त (3) से (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 5767 से 5775/88]

(9) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 संबंधी क्रियान्वयन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजो संस्करण) ।

ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल. टी. 5776/88]

(10) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकर(की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 5777/88]

भारतीय परिचर्या परिषद के वर्ष 1986-87 और गुजरात कैंसर एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1986-87 आदि का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोती लाल वोरा) : मैं कुमारी सरोज खापर्डे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय परिचर्या परिषद के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय परिचर्या परिषद् के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 5778/88]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) गुजरात कैंसर एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुजरात कैंसर एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी, 5779/88]

(5) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 5780/88]

(7) (एक) स्नातकोत्तर अध्यापन तथा अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्व-विद्यालय,जामनगर के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नातकोत्तर अध्यापन तथा अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 5781/88/]

डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम महापत्तन न्यास अधिनियम, के अधीन अधिक रचनाएं और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 आदि के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

जल.भूतल परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. नामग्याल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8क के अन्तर्गत कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन योजना, 1987, जो 31 दिसम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 141 में प्रकाशित हुई थी की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 5782/87]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 99(अ), जो 25 फरवरी, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास (न भरकों का अनुज्ञापन) विनियम, 1987 का अनुमोदन किया गया हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी. संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 5783/88]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 5784/88]

12.05 म. प.

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

'मुझे लोकसभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा में 23 मार्च, 1988 को हुई अपनी बैठक में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987 के बारे में दोनों संदर्भों की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने संबंधी निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया।

"कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987 के बारे में दोनों सदनों की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ाकर राज्य सभा के 147वें सत्र के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ाया जाए।'

प्रो. पी. जे. कुरियन (इडुक्की) : हम अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्यों नहीं रखते ?

[हिन्दी]

आपको किसने रोका था कि आप न दें। नहीं दे पाए तो मैं क्या कर सकता हूं।

ध्यानाकर्षण। श्री सुरेश कुरुप।

12.06 म. प.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : मैं जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें।

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : मैंने दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में 17.3.1988 को सदन के समक्ष एक वक्तव्य दिया था मैंने उस वक्तव्य में उन कारणों का संक्षेप में उल्लेख किया था कि क्यों दिल्ली परिवहन निगम का मैनेजमेंट चौथे वेतन आयोग का लाभ देने की कर्मचारियों की मांग स्वीकार नहीं कर पाया है। इस लिए मैं उन कारणों के औचित्य का उल्लेख नहीं करूंगा जिसका उल्लेख मेरे 17 मार्च, 1988 के वक्तव्य में किया गया था।

सरकार को खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 17.3.1988 को शुरू हुई हड़ताल अभी भी चल रही है। मैंने अपने 17.3.1988 के वक्तव्य में सदन को यह आश्वासन दिया था कि दिल्ली परिवहन निगम के मैनेजमेंट और सरकार ने हडताल से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं और हड़ताल की स्थिति से निबटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके

बाद से इन व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया गया है और विभिन्न स्रोतों से बड़ी संख्या में ली गई बसें नगर में चल रही हैं। मुझे यह ज्ञात है कि इन वैकल्पिक व्यवस्थाओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं का स्तर पर्याप्त नहीं है। किन्तु दिल्ली के नागरिकों के लिए परिवहन व्यवस्थाओं को कमोबेश रूप में छिन्न भिन्न होने से बचा लिया गया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान नगर में चल रही बसों और अन्य वाहनों की संख्या लगभग 3000 रही है और पड़ोसी राज्यों के परिवहन प्रचालकों ने हमें अपनी बसें दिल्ली में चलाने के लिए उपलब्ध कराने की पेशकश की है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 20 मार्च से दिल्ली परिवहन निगम विभिन्न रूटों पर प्रतिदिन औसतन लगभग 200 बसें चला रहा है। मैं अपनी आशाओं को दोहराना चाहूंगा कि यात्रियों को होने वाली असुविधा निकट भविष्य में यदि समाप्त नहीं होगी फिर भी कम तो हो जाएगी।

यह भी कुछ संतोष का विषय है कि कुछेक घटनाओं को छोड़कर हड़ताल में हिंसा नहीं भड़की है। दुर्भाग्यवश निष्ठावान कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को धमकाने तथा बसों को क्षतिग्रस्त करने की कुछ घटनाएं हुई हैं। मैं सभी संबोधित व्यक्तियों को ऐसा नहीं करने की अपील करना चाहूंगा।

आपात्तकालीन उपाय के रूप में हड़ताल की स्थिति से निबटने के लिए हमने ट्रांसपोर्ट आपरेटरों को प्रति टिकट 2 रुपए फ्लैट दर से भाड़ा वसूलने की अनुमति दी है। इससे यात्रियों को असुविधा हुई है और सरकार को इसकी पूरी जानकारी है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसका हल शीघ्र निकाला जा रहा है।

जैसाकि मैंने अपने पहले के वक्तव्य में बताया था कि दिल्ली के नागरिकों को कुशल परिवहन सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से मौजूदा परिवहन प्रणाली को पुनर्गठित करने के आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

मैं हड़ताल का जल्दी हल निकालने संबंधी सदन के माननीय सदस्यों की चिंता से अवगत हूं। मैं सदन को फिर से आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार तथा व्यक्तिगत रूप से स्वयं मैं इस चिंता से पूर्णतः सहमत हूं। यह हड़ताल हमारी इच्छा से नहीं हुई है बल्कि यह हमारे इन प्रयासों आशा के बावजूद हुई है कि यह हड़ताल टल जाएगी। जैसाकि सदन को विदित है कि दिल्ली परिवहन निगम की दो यूनियनों द्वारा दायर रिट पेटीशन पर उच्चतम न्यायालय ने अपने 13.10.1987 के आदेश में यह मत व्यक्त किया था कि उनकी यह अनंतिम राय है कि दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी उच्च शक्ति प्राप्त वेतन समिति के विचारार्थ विषयों के दायरे में आते हैं और पेटीशनरों को अपने मामले का पक्ष समिति के समक्ष पेश करना चाहिए। एक युनियन द्वारा दायर दूसरे पेटीशन पर उच्चतम न्यायालय ने अपने 11.3.1988 के आदेश में यह निर्देश दिया कि अन्तिम समायोजन और हड़ताल का नोटिस वापस लेने की शर्त पर दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत के रूप में उनके मूल वेतन की 20 प्रतिशत के बराबर राशि दी जानी चाहिए। दिल्ली प्रशासन द्वारा यह मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत मध्यस्थत में भी ले जाया गया था।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को यह आशा थी कि जिन यूनियनों ने हड़ताल का नोटिस दिया है, हड़ताल नही करेंगी किन्तु हमें खेद है कि दुर्भाग्यवश उन्होंने 17.3.1988 से अनिश्चित कालीन हड़ताल कर दी जिसके कारण बड़ी संख्या में उन स्कूलों बच्चों को, जिन्हें इस अवधि में परीक्षा में बैठना था तथा साथ ही दिल्ली के नागरिकों को भी असुविधा हुई जिन्हें अपने

आवागमन के साधन के रूप में काफी हद तक दिल्ली परिवहन निगम पर निर्भर रहना पड़ता है। यूनियनों की मांगों पर दबाव डालने के लिए आवश्यक सेवा में हड़ताल करना वांछनीय तरीका नहीं है मैं उन व्यक्तियों से जो हड़ताल पर हैं, यह अपेक्षा करूंगा कि वे अपने कार्य पर फिर से उपस्थित हो जायें और यथा शीघ्र दिल्ली परिवहन निगम में सामान्य स्थिति बहाल करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश कुरूप।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, हम चाहते हैं कि सरकार यथासंभव सभी काम करे ताकि जनता को कोई असुविधा न हो।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, इसे नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा में बदला जा सकता है। हम अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियम के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो. पी जे. कुरियन : पहले ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को नियम 193 के अधीन चर्चा में बदला गया था।

अध्यक्ष महोदय : वैसा सभा की सहमति से किया गया था। सदन सर्वोच्च है।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : आप सभा के अभिरक्षक हैं। आप निर्णय ले सकते हैं। (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, सभा इससे सहमत है कि नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा कराई जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे युवा परिवहन मंत्री के बाल मनोहर रूप के पीछे ऐसी निरंकुश प्रवृति और श्रमिक विरोधी रवैया दिया है क्योंकि जिस तरह से वे हड़ताल की समस्या से निपट रहे हैं उसी कारण मैं यह करने के लिए बाध्य हुआ हूं।

दिल्ली परिवहन निगम के 45000 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभी प्रमुख यूनियनें जिनमें कांग्रेस वाली तीन यूनियनें भी शामिल है पिछले 8 दिन से हड़ताल पर हैं और सरकार यूनियनों के प्रतिनिधियों से बात कर रही है।

यूनियनों की मुख्य मांग केवल यही है कि चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। सरकार का यह तर्क है कि चूंकि दिल्ली परिवहन निगम एक सार्वजनिक उपक्रम हैं, अतः वे चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें यहां ऐसे ही लागू नहीं कर सकते जैसे कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी। महोदय, पिछली बार तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार डी. टी. सी. के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन किया गया था। मंत्री महोदय ने 17 मार्च, को उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य में तथा इस वक्तव्य में स्पष्ट रूप से इस बात को छिपाया है। 1983 में डी. टी. सी. प्रबंधकों तथा भारत सरकार ने डी. टी. सी. की एक प्रमुख यूनियन को जिसके नेता स्वर्गीय श्री ललित माकन थे, जो इस सभा के भी सदस्य थे, लिखित में यह आश्वासन

दिया था कि चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें डी. टी. सी. कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी। यह लिखित आश्वासन 1983 में दिया था और कर्मचारियों को 70 रुपए की अंतरित राहत भी दी गई थी।

महोदय, यह हैरानी की बात है कि सरकार उस यूनियन को दिए गए अपने आश्वासन से पीछे हट रही है और बाद में श्री एस. एस. डागर के नेतृत्व में एक कांग्रेस यूनियन द्वारा भूख हड़ताल भी की गई थी यदि मुझे ठीक याद है परिवहन मंत्री ने स्वयं उन्हें एक लिखित आश्वासन दिया था कि डी. टी. सी. के कर्मचारियों की मांगें सही हैं और वह उन पर चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें को लागू किए जाने पर विचार करेंगे। अब सरकार ऐसी स्थिति पैदा कर रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को चौथे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये कुछ संशोधित वेतनमानों के अनुसार वेतन नहीं दिया जासकता। फिर सरकार ने 1983 में यूनियन प्रतिनिधियों को यह लिखित आश्वासन क्यों दिया था कि वे इस रिपोर्ट को उन पर कार्यान्वित करेंगे ? अन्य बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार ने यह रिपोर्ट लागू की है जैसे कि इन्टरनेशनल एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इन्डिया न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन विदेश संचार निगम आदि। फिर डी. टी. सी. के कर्मचारियों को आश्वासन देने के बावजूद उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? यदि सरकार ही जो कि इस देश में सबसे बड़ी नियोजक है, इस तरह का श्रमिक विरोधी रवैया अपनाएगी फिर श्रमिकों और प्राइवेट नियोजकों के बीच मध्यस्थता करते समय इसकी क्या स्थिति होगी ? यदि कोई प्राइवेट नियोजक अपने आश्वासन से पीछे हट जाता है तो देश में श्रमिकों और अन्य प्राइवेट नियोजकों के समक्ष सरकार की क्या विश्वसनीयता रह जाएगी ? क्या वे किसी प्राइवेट नियोजक को इस तरह अपने वायदे से पीछे हटने की अनुमति देंगे ? एक अभूतपूर्व बात हुई है। हड़ताल के पहले ही दिन से सरकार हड़ताल को समाप्त करने के लिए नए कर्मचारी नियुक्त कर रही है। उन्होंने इस हड़ताल को खत्म कराने के लिए चालकों और संवाहकों की भर्ती के लिए विज्ञापन दिए हैं। देश में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है।

डा. वत्सा सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : सरकार ही इस देश में सब से बड़ी हड़ताल समाप्त कराने वाली है।

श्री सुरेश कुरूप : सरकार ने हड़ताल तोड़ने वाली सबसे बड़ी संस्था की भूमिका निभाई है। सैकड़ों कर्मचारियों को गिरफ्तार करके जेल में बंद किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी आड़ में सरकार दिल्ली में 40 मार्गों पर प्राइवेट बसें चला रही है। यदि कोई मंत्री महोदय और सरकार पर यह दोष लगाए कि सरकार इन मार्गों पर प्राइवेट बसें चलाकर अप्रत्यक्ष रूप से इस हड़ताल को लम्बा खींच रही है तो क्या यह गलत है ? पहले कुछ निजी संस्थाएं कुछ बसें चला रही थीं तब केन्द्र सरकार ने हस्तक्षेप करके दिल्ली में परिवहन प्रणाली का पूर्णतः राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसके बाद 1967 में कुछ प्रस्ताव आए और सरकार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब वे 40 प्रतिशत मार्गों पर प्राइवेट बसें चलाने जा रहे हैं। यह अत्यधिक आपत्तिजनक है। यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हमारे देश की राजधानी की परिवहन प्रणाली को देखें जो कि सीधे उनके नियंत्रण में है।

हड़ताल की समस्या से निपटने का एक निश्चित तरीका है। जब कभी श्रमिक या अन्य वर्ग हड़ताल करते हैं सरकार उनसे एक ही तरीके से निपटती है। जब विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों ने हड़ताल की श्री नरसिंह राव का निर्णय था कि वह अध्यापकों से बात नहीं करेंगे और वह हड़ताल तोड़ने पर अड़े थे। जब जूनियर डाक्टरों ने हड़ताल की यद्यपि यह देश का अति महत्वपूर्ण

क्षेत्र है, उन्होंने डाक्टरों से भी बातचीत करने से इन्कार कर दिया। वकीलों और कोयला श्रमिकों के आंदोलन के प्रति भी वे ऐसा ही रवैया अपना रहे हैं। अब डी. टी. सी. कर्मचारियों के साथ भी वे ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा और उन्हें अपने इस व्यवहार के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वे डी. टी. सी. को होने वाले घाटे के लिए श्रमिकों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। ऐसा डी. टी. सी. में कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार के कारण हुआ है। वे कुछ मार्गों पर तो बसें चला रहे हैं लेकिन कुछ मार्गों पर जहां बसों को तत्काल चलाना अति आवश्यक है, वहां वे बसें नहीं चला रहे हैं। उनके विरुद्ध ऐसी शिकायतें हैं। उन्हें इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा।

12.21 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अन्त में मैं स्वर्गीय श्री ललित माकन के पिता जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर मंत्री महोदय, का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह कल या परसों के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है। उनका कहना है मैं कांग्रेसी हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि जल-भूतल परिवहन मंत्री श्री राजेश पायलट दिल्ली में कांग्रेस को नष्ट करने पर अड़े हैं। एक कांग्रेसी और स्वर्गीय श्री ललित माकन के पिता ने सार्वजनिक रूप से यह दोष लगाया। उन्हें श्रमिकों को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। यदि उनमें आपस में—उनके दल में तथा उनके संगठनों में—कुछ मतभेद हैं, और यदि वे कुछ संस्थाओं और कुछ युनियन नेताओं को समाप्त करना चाहते हैं तो उन्हें जनता तथा श्रमिकों को बलि का बकरा नहीं बनना चाहिए। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह श्रमिकों के प्रति निधियों की बातचीत के लिए बुलाएंगे। और सौहर्दतापूर्ण ढंग से इस मसले को हल करेंगे तथा साथ ही सरकार 1983 में किए गए अपने वायदे को पूरा करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। यह लिखित आश्वासन दिया गया था कि चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को डी. टी. सी. कर्मचारियों पर भी लागू किया जाएगा।

अन्त में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे दिल्ली में परिवहन प्रणाली का निजीकरण करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अजीत कुमार साहा। पांच मिनट आपके लिए।

श्री अजीत कुमार साहा (विष्णु पुर) : केवल पांच मिनट क्यों, श्रीमन्?

उपाध्यक्ष महोदय : पांच मिनट में आप बहुत से प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए पांच मिनट···

(व्यवधान)

श्री अजीत कुमार साहा : हड़ताल का आह्वान कांग्रेस (आई) की यूनियनों द्वारा किया गया है लेकिन हम उसका समर्थन कर रहे हैं।

श्रीमन, जैसा कि आप जानते हैं करीब दस दिनों से दिल्ली परिवहन निगम की बसें नहीं चल रही हैं, बहुत से लोगों को इससे भारी असुविधा हो रही है। केवल कुछ बसें चल रही हैं, लोगों से अधिक किराया वसूल किया जा रहा है, किराये बढ़ा दिए गए हैं तथा कुछ स्कूलों की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। उनकी मांगें क्या हैं? यह मांग कोई नई नहीं हैं। मेरे से पहले के वक्ता महोदय ने पहले ही कहा था कि दिल्ली परिवहन निगम के प्राधिकारी इस बात के लिए वचनबद्ध

है कि वे चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। वे लोग चतुर्थ वेतन आयोग का रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने भी कर्मचारियों पर कहर ढहाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्रीमन्, दिल्ली परिवहन निगम के सभी रूटों के लिए अनधिकृत रूप से परमिट जारी कर दिए गए हैं। जब प्रदर्शन-कारी अपने नेताओं के साथ मंत्री जी से भेंट करने के लिए परिवहन मंत्रालय गए तो पुलिस ने उन्हें पीटा। यहां तक कि जो लोग फुट पाथ पर थे पुलिस ने उन्हें भी परेशान किया। श्रीमन्, समाचार पत्रों में यह भी उल्लेख किया गया है कि टेलफोन निगम के एक कर्मचारी को अपना परिचय पत्र दिखाने के लिए कहा गया, परिचय पत्र दिखाने के बाद भी पुलिस ने उसे थप्पड़ मारा। इस प्रकार का आतंक वहां फैला हुआ है। श्रीमन्, मेरी समझ से परे है कि कब सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम की हड़ताल को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। यहां मैं "हिन्दू" समाचार पत्र की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करना चाहूँगा :—

> "नेताओं ने जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री, श्री राजेश पायलट पर आरोप लगाया कि वे हड़ताल को कांग्रेस (आई) का आंतरिक मामला बना रहे हैं। इसी प्रकार, दिल्ली परिवहन निगम के प्रबन्धकों का माफिया ग्रुप इसे एक गैर सरकारी कम्पनी के आंतरिक मामले की तरह मान रहा है। उन्होंने कहा कि श्री पायलट इस हड़ताल का प्रयोग अपनी विरोधी एक कांग्रेस (आई) यूनियन को कुचलने के लिए कर रहे हैं। यह यूनियन कांग्रेस (आई) संसदस्य स्वर्गीय श्री ललित माकन ने बनाई थी तथा अब उनके भतीजे श्री अजय माकन इसका नेतृत्व कर रहे हैं।"

श्रीमन्, इस प्रकार की स्थिति वहां चल रही है। यहां, मेरे पास दिल्ली के एक गैर सरकारी ट्रांसपोर्टर द्वारा जारी किया गया टिकट है। इस टिकट में, टिकट नम्बर, हस्तान्तरणीय है अथवा नहीं, स्टेजेज आदि किसी भी चीज का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें यह नहीं लिखा गया है कि यह अहस्तान्तकीय नहीं है। टिकट की कीमत लिखने की बजाय यहां 2-जी लिखा हुआ है। इस 2-जी का क्या अर्थ है ? इस टिकट में संख्या का उल्लेख है। यदि कोई आदमी शास्त्री भवन जाना चाहता है तथा यदि उसे शास्त्री भवन जाने के लिए बस बदलनी है तो उसे चार रुपये देने पड़ेंगे, तथा पुनः यदि कोई दो या तीन बसें बदलकर किसी अन्य स्थान पर जाना चाहता है तो उसे एक तरफ के लिए 6 रुपये खर्च करने होंगे। श्रीमन्, सभी सरकारी कार्यालय कृषि भवन, शास्त्री भवन, उद्योग भवन रेल भवन आदि में है तथा बहुत से कर्मचारियों/कार्यालय जाने वालों को समय पर कार्यालय पहुँचना होता है, यदि उन्हें बस बदलनी पड़ती है तो उन्हें बस किराये पर काफी धन खर्च करना पड़ता है।

अतएव, श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार दिल्ली परिवहन निगम प्रणाली के एक भाग का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है तथा क्या यह सत्य है कि मंत्रालय ने दिल्ली परिवहन निगम के प्राधिकारियों को ड्राइवरों तथा कंडक्टरों की भर्ती के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने के लिए कहा है।

श्री चिन्तामणि जेना (बाला सोर) : श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री महोदय को दैनिक यात्रियों की शिकायतों को दूर करने के लिए तेजी से कदम उठाने के लिए बधाई देता हूँ। माननीय मंत्री महोदय ने दिल्ली के उपनगरीय क्षेत्रों में 3000 से अधिक प्राइवेट बसें चलाकर तथा 24 रेल गाड़ियां चला कर दिल्ली के दैनिक यात्रियों की बहुत बड़ी संख्या की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। पिछले आठ दिनों से दिल्ली की जनता को भारी कठिनाईयों व मुसीबतों का सामना करना पड़

रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे पहले जो कुछ हुआ उसको भूल जायें तथा जाने दें। उन्हें क्षमा कर दें तथा इसके साथ सरकार की विचार विमर्श तथा सौहादपूर्ण समझौते की नीति का अनुसरण करें। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस संदर्भ में कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करें। मैं जानता हूं कि दिल्ली परिवहन निगम भारी घाटे में चल रहा है क्योंकि दिल्ली में परिवहन की दरें मेरा अर्थ है किराए आदि सभी महानगरों की तुलना में सबसे कम है। (व्यवधान) इसके अतिरिक्त, मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उनके इस जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का भार संभालने के बाद दिल्ली परिवहन निगम के घाटे में कमी आ रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश, यह वास्तव में बहुत ही दुःख की बात है कि दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी बातचीत के लिये आगे नहीं आ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे सरकार की ओर से तथा दिल्ली परिवहन निगम की ओर से उन्हें बातचीत करने के लिए आने के लिए कहें तथा मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाएं।

श्रीमन्, मुझे दुःख है कि विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य इसे यह कह कर कि यह एक कांग्रेस (आई) संगठन है। राजनैतिक मसला बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि दिल्ली वासियों और असंख्य दैनिक यात्रियों को जिन्हें बहुत कठिनाईयों तथा असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है वह हम सबकी समस्या तथा हम सबके लिए संकट की स्थिति है। मैं जानता हूँ कि उनसे पहले के मंत्री जी ने दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया था कि चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट उन पर लागू की जायेगी। (व्यवधान) श्रीमन्, डी.टी.सी. के ड्राइवरों तथा कंडक्टरों को जो वितीय लाभ तथा वेतन दिए जाते हैं वे केन्द्र सरकार के अपर श्रेणी के लिपिक से काफी अधिक है। वे उच्चतम न्यायालय के हाल ही में दिए गए इस मार्गदर्शी सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि उनके वेतन का 20 प्रतिशत उन्हें अभी दे दिया जायेगा जिससे प्रत्येक कर्मचारी को 50 से 60 रुपये तक का वित्तीय लाभ होगा। लेकिन चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने से प्रत्येक को 5000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच मिलेंगे। अतएव, यही दूसरा कारण है कि वे क्यों उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए कृपया आप इस बात को समझें कि आपसी बातचीत के बिना इससे और समस्या उत्पन्न हो जायेगी। इसके अतिरिक्त जैसा कि विपक्ष के माननीय सदस्य ने पहले ही बताया था और वह समाचार पत्रों में भी आ गया है कि दिल्ली के 40 प्रतिशत रूटों का गैर सरकारी करण किया जा रहा है, जोकि हमारी परिवहन नीति के विपरीत है। अतएव, इसे ध्यान में चाहिए। 40 प्रतिशत रूटों को गैर सरकारीकरण कर देने से करीब 6000-7000 कर्मचारियों की छटनी हो जायगी। दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों तथा दैनिक वेतन पर काम करने वालों के लिए स्थायी होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त, दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की पदोन्नति की संभावनायें भी समाप्त हो जायेंगी। अतएव, इस संदर्भ में, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि किसी प्रकार फैसला करने से पूर्व इस पर पुनः विचार कर लें।

दिल्ली के दैनिक यात्रियों की कठिनाईयों के बारे में, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि देर रात्रि में कोई बसें नहीं चल रही हैं। इससे पहले, दिल्ली परिवहन निगम की बसे देर रात्रि के समय चलती थीं। इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यात्रियों को उससे अधिक किराया देना पड़ रहा है जितना कि वे डी.टी.सी. बसों में यात्रा करने समय दे रहे थे। इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

श्रीमन्, कंडक्टरों, ड्राइवरों तथा अन्य डी.टी.सी. के कर्मचारियों का यात्रियों के साथ बर्ताव

बिल्कुल सौहार्दपूर्ण नहीं हैं। यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि प्राइवेट बसें निर्धारित बस स्टापों पर नहीं रूकती हैं। यात्रियों को बस पकड़ने के लिए काफी दूर तक भागना पड़ता है। अतएव इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया इन सब बातों को ध्यान में रखें। हमारे प्रधान मत्री तथा हमारे गति शील नेता विचार विमर्श तथा समझौते के लिए सदा तैयार हैं। इस प्रकार से, बहुत सी जटिल समस्याएं हल की जा सकती हैं। इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे गतिशील नेता, प्रधान मंत्री के मार्ग तथा नीति का अनुसरण करें। इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं केवल यह अनुरोध करूंगा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री के योग्य मार्गदर्शन में इस गतिरोध को समाप्त किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. सुधीर राय (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री के सक्रिय नेतृत्व में सरकार दिल्ली परिवहन के हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के साथ निष्ठुरता से निपट रही है। उन्होंने वैध मजदूर संघ आन्दोलन और हड़ताल शुरू की है। हड़ताल श्रमिकों का अन्तिम हथियार है। उन्होंने लम्बे आन्दोलन के बाद हड़ताल शुरू की है, क्योंकि भूतपूर्व मंत्री श्री जियाउर्रहमान अन्सारी और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती ताजदार बाब्बर ने उन्हें बार-बार आश्वासन दिया था कि दिल्ली परिवहन के कर्मचारियों को चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी लाभों का भुगतान किया जायेगा। लेकिन इसकी बजाय हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया गया है। 700 से अधिक कर्मचारियों को आवश्यक सेवा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबंद किया गया है···(**व्यवधान**) स्टेडियम को भी जेल में परिवर्तित कर दिया गया है। सभी प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं। आपात स्थिति के काले दिनों की तरह बसों में गुण्डे साधारण यात्रियों को परेशान कर रहे हैं। जिन लोगों के पास हैं उन्हे परेशान किया जा रहा है और बसों से उतारा जा रहा है। बच्चे परीक्षाओं के लिए भी स्कूल नहीं जा सकते। यात्रियों की यह शोचनीय स्थिति है। यह कर्मठ सरकार त्रिपुरा नेशनल वालटियर्स के हत्यारों से समझौते का प्रस्ताव कर सकती है जिसने निर्दोष महिलाओं और बच्चों की हत्यायें की हैं। यह सरकार पंजाब के उग्रवादियों से समझौते का प्रस्ताव कर सकती है। परन्तु वह दिल्ली परिवहन के हड़ताल करने वाले कर्मचारियों से बातचीत नहीं कर सकती।

एक लोकतांत्रिक देश में श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार है। उन्हें संघर्ष करने का अधिकार है। यह एक कानूनी संघर्ष है। लेकिन उनके इस संघर्ष को आवश्यक सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अवैध घोषित कर दिया गया हैं। केवल इतना ही नहीं। समाचार पत्रों में यह आरोप लगाया गया है कि प्रत्येक प्राइवेट बस मालिक से एक लाख रुपये लिये गये हैं। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि दिल्ली परिवहन निगम के चालीस प्रतिशत मार्गों का निजीकरण कर दिया जायेगा। मुझे उसका पता नहीं है। कांग्रेस (आई) के नेताओं और सरकार ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कर्णधार सार्वजनिक क्षेत्र की खुले आम आलोचना की है। परन्तु आप इसका पूरी तरह से निजीकरण करने जा रहे हैं इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं ····(**व्यवधान**)

प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या पश्चिमी बंगाल में प्राइवेट बस मालिक हैं ?

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री उसका ध्यान रखेंगे । मंत्री जी हैं। आप चिंता मत कीजिए ।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : परन्तु वे आरोप लगा रहे हैं ।

(व्यवधान)

डा. सुधीर राय : मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों से बातचीत के जरिये समझौते के लिए तैयार हैं । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं··· (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : वह इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने एक लाख रुपये नहीं लिये हैं · (व्यवधान)

डा. सुधीर राय : दरअसल, उन्होंने अधिक लिये हैं । (व्यवधान)

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : साम्यवादी देशों में श्रमिकों को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है । (व्यवधान)

डा. सुधीर राय : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों से बातचीत के जरिये समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं या प्राइवेट बस मालिकों से जो कि यात्रियों को परेशान कर रहे हैं··· (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : आज आप बातचीत स्वयं शुरू करें ।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय, दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं । उसके लिए सरकार पहले ही वचनबद्ध है । परन्तु यह कर्मचारियों के साथ सख्ती से पेश आयी है और दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को भारी संख्या में गिरफ्तार किया गया है और उन पर लाठी चार्ज किया गया है । उन्हें अनेक तरीकों से परेशान किया जा रहा है ।

दूसरी तरफ, इसी तरह लाखों यात्री कुछ हद तक कष्ट उठा रहे हैं । उन्हें बसें नहीं मिल रही हैं । और प्राइवेट बस मालिक इन यात्रियों को लूट रहे हैं । वे अनेक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सरकार इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाकर मिथ्या अभिमान कर रही है । अपना ज्ञापन देते समय कर्मचारियों ने यह कल्पना की थी कि सरकार इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बनायेगी । मैं इसे नहीं दोहराऊंगा क्योंकि अन्य सदस्य इसे पहले ही कह चुके हैं । ये बातें हैं ।

भ्रष्टाचार, श्रमिक विरोधी नीति, जनता विरोधी नीति और कुप्रबन्ध इस स्थिति के प्रमुख कारण हैं । वर्तमान स्थिति के ये प्रमुख कारण हैं । इसलिए मेरे विचार से जब हम कुछ विचार-विमर्श कर रहे हैं तो हमें इस समस्या के समाधान के लिए कोई हल ढूंढ़ना चाहिए । यदि सरकार इस समस्या के प्रति वास्तव में गंभीर है तो मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जो कि मेरे साथियों ने पहले ही सरकार के समक्ष रखे हैं । संघों से शीघ्रातिशीघ्र बातचीत शुरू की जाए और कर्मचारियों की मांगों के बारे में निर्णय लिया जाये । दिल्ली परिवहन निगम के गिरफ्तार किए गए सभी कर्मचारियों को रिहा किया जाए, निजीकरण की नीति को रोका जाए और प्राइवेट बस मालिकों को दिये गये लाइसेंस वापस लिए जाएं । यदि दिल्ली में निजीकरण की अनुमति दी जाती है तो यह समूचे भारत में फैल जायेगी । केन्द्रीय सरकार की यह खतरनाक प्रवृत्ति है ।

कुछ वास्तविक शिकायतें हैं। प्रबन्धकों की ना समझ और विवेकहीन नीति के कारण हमें ऐसा लग रहा है कि जब पूर्वी दिल्ली और तिलक नगर के लिए बहुत सी बसें हैं, हर मिनट के बाद लोगों को बसें मिलती हैं तब रोहिणी के लिए कोई बस नहीं है। जो कि एशिया की सबसे बड़ी कालोनी है। वहां मुश्किल से तीन घण्टे बाद एक बस जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी। यह लोगों की यह शिकायत सही है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन सुझावों पर विचार करेगी जो मैंने पहले बताये हैं तथा उन्हें मानेगी और उन समस्याओं को हल करने के लिए आगे आयेगी। (व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जल भू-तल परिवहन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के विगत दो वर्षों की ओर दिलाता हूं जब इसी सभा में प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। मुझे खुशी है कि वे यह आलोचना करते रहे हैं कि दिल्ली परिवहन निगम सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है। दिल्ली परिवहन निगम का प्रबन्ध अच्छा नहीं है, कर्मचारी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी यात्रियों से ठीक ठीक तरह से बात नहीं करते हैं तथा वे लोगों को धोखा देते हैं। ये सब बातें प्रश्नों और पूरक प्रश्नों के द्वारा कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित होती रही हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। मैंने दूसरों को अनुमति नहीं दी है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैं किसी भी बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दे सकता। सिर्फ मंत्री से बोलने के लिए कहा जा रहा है। मंत्री ही बोल सकते हैं। कोई हस्तक्षेप न किया जाए, बस।

(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट : मैं उनकी बातें सुनता रहा हूं वे मुझे एक अवसर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि मन्त्री को पहले बोलने दें। आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? यदि आप व्यवधान करते रहे तो वह कोई बात नहीं कह सकते··· (व्यवधान)···आप बाद में खण्डन करना। आप बीच में व्यवधान क्यों कर रहे हैं? बहुत से विधेयक हैं, अनुदान की मांगें हैं आप उस समय इसका खण्डन कर सकते हैं आपको हर अधिकार प्राप्त है। मैं किसी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री राजेश पायलट : मैं उन्हें जवाब देता रहा हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि जो 'हां' प्रबन्ध में कुछ कमी है, कुछ त्रूटि हैं जहां प्रबन्ध प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। मैं इसे सभा में स्वीकार करता रहा हूं। मैं उससे बच कर नहीं भाग रहा हूं लेकिन राष्ट्र और विशेषतया दिल्ली के यात्रियों से भी यह वायदा करता रहा हूं कि सरकार दिल्ली की मौजूदा परिवहन प्रणाली में सुधार करेगी। मैं इस सभा में आश्वासन देता रहा हूं।

मुझे बड़ी खुशी है कि···(व्यवधान)··· मैं स्पष्ट कहता हूं! यदि कोई मुझसे प्रश्न पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा। यदि वह संतुष्ट न हो तो वह प्रश्न को दुबारा पूछ सकता है मैं उसका भी जवाब दूंगा।

मैं उनकी भावनाओं से पूरी तरह से सहमत हूं। हमें लोगों का रोजगार छीनने के लिए निर्वाचित नहीं किया गया है। हमें रोजगार के लिए और अधिक अवसर पैदा करने के लिए निर्वा-

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चित किया गया है। यदि माननीय सदस्य वास्तव में दिल्ली परिवहन निगम की समस्या की गहराई में जाना चाहते हैं तो वे कम्पनियों के पास जाकर उनसे पूछ सकते हैं कि हमने कितने प्रयास किये हैं। एक मन्त्री के रूप में यह पता लगाने के लिए उनके गुसलखानों में जाता रहा हूं कि क्या चालकों के लिए गुसलखानों का रखरखाव ठीक ढग से किया जा रहा है या नहीं, यह पता लगाता रहा हूं कि क्या दिसम्बर के महीने में गर्म पानी उपलब्ध है या नहीं तथा चाय ठीक है या नहीं। आज वे हमसे कह रहे हैं कि हमने श्रमिकों का कोई कल्याण नहीं किया है केवल उनके हिमायती रहे हैं ? यह समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आप स्थिति नहीं समझते।

जब इस हड़ताल का नोटिस दिया गया तो हमने उनसे कहा 'देखो, हम कुछ ऐसे तरीके निकाल रहे हैं कि जिससे यह मालूम पड़ सके आपकी समस्या कैसे हल की जाए सरकार ने यह कभी नहीं कहा है कि वह आपको चौथे वेतन आयोग के लाभ नहीं देगी। आप हमें कुछ समय दीजिए क्योंकि ऐसे 72 सार्वजनिक क्षेत्र हैं जो इसमें शामिल हैं। आप लोग उच्चतम न्यायालय में चले गये तथा आप लोगों ने यह अपील उच्चतम न्यायालय में की। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है जो कि देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, आपको उन अनुदेशों का भी पालन करना है। अत: कृपा करके हमें कोई अवसर दीजिये। जब वे मुझसे मिलने आये तो मैंने उन्हें बताया कि आपने सारे मामले को उलझा दिया है। कृपया हमें पता लगाने के लिए कुछ समय दीजिये। मैं स्वयं इन नेताओं को मामले की ताजा से ताजा प्रगति बताता रहा हूं आप उनसे बात कर सकते हैं कि मैं उन्हें जितने स्पष्ट और खुले रूप में स्थिति को बताता रहा हूं। मैंने उन्हें एक या दो महीने रुकने के लिये कहा। बच्चों की परिक्षायें आ रही हैं। कृपया थोड़ा धीरज रखिये। उनका कहना है कि 15 दिन से अधिक नहीं। सचिव के साथ उनकी बात हुई थी और उन्होंने लिखित रूप में दिया कि 17 तारीख को वे हड़ताल करेंगे। आपको उनसे बात करनी चाहिए थी और उनसे कहते जब उन्होंने 15 दिन तक इन्तजार किया सरकार आपसे बात कर रही है। आपको अपनी बात पर इतना अड़े नहीं रहना चाहिये। उनका कहना है कि हम सरकार की बात को नहीं सुनेंगे तथा एक निश्चित तारीख को हड़ताल पर जायेंगे। (व्यवधान)

कृपया मुझे पूरी बात स्पष्ट करने दीजिये। मैंने इसे इसी स्तर पर नहीं छोड़ा। मैंने सोचा कि हो सकता है कि मजदूर संघ नेता इसे कर्मचारियों को न बतायें तथा उनको बीच में ही लटका रहने दें। (व्यवधान) इसके बाद मैं एक कदम और आगे बढ़ा। दुर्घटना-मुक्त रिकार्ड रखने वालों के लिये समारोह था। हमने एक योजना शुरु की है कि किसी भी ड्राइवर को, जो कि एक वर्ष की अवधि में कोई दुर्घटना नहीं करता, वर्ष की समाप्ति पर 100/-रुपये नकद दिये जाते हैं ताकि वह घर गये और बच्चों के लिए कुछ मिठाई आदि ले जाये। मैं वहां गया और कहा कि कर्मचारियों को भी वहां आने दिया जाये। मैं भी उन्हें बताऊंगा कि उनकी समस्यायें सुलझाने के लिये मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं ताकि श्रमिकों के साथ यह सीधी बातचीत होगी ताकि कल श्रमिक यह न कह सकें कि सरकार की बात उन तक नहीं पहुंची। मैंने मंच पर बोलना शुरु किया परन्तु उन्होने चौथा वेतन आयोग के नारे लगाने शुरु कर दिये। हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा कि मैं यहां उनसे बात-चीत करने आया हूं। हमें आपस में बैठकर बात करनी चाहिये। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी बल्कि एक बुरी बात भी हुई। जब मैं बाहर आ रहा था तो उन्होने गाड़ी पर पत्थर फेंके। पुलिस को आना पड़ा तथा बीच-बचाव करना पड़ा। अभी भी बहुत सी बुरी वारदातें हो रही हैं परन्तु उनका कोई महत्व नहीं है। जन प्रतिनिधि होने के नाते मुझे इन बातों का बुरा नहीं लगा। उसके बाद भी मैंने संदेश भेजा। कृपया आराम से रहिये। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम आपकी समस्या निप-

टाने की कोशिश करेंगे। जब उन्होंने अल्टीमेटम दिया तो एक जिम्मेदार मन्त्री और जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमें कुछ न कुछ वैकल्पिक उपाय करने ही पड़े। मैं अपने 50 लाख यात्रियों का जवाबदेही था। मैं उन्हें यह नहीं कह सकता क्योंकि मैं उन्हें समझ नहीं सका इसलिए आप भी गलत काम करिये। इसके पश्चात् विभिन्न राज्यों से हमने वैकल्पिक व्यवस्था की। (व्यवधान)

मेरा हृदय एकदम साफ है। इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। मैं सदन के सामने स्पष्ट बात कहने को तैयार हूं। यदि आप सहमत हैं कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं यहां मांफी मांगने के लिये तैयार हूं।

17 तारीख को हड़ताल हुई। 16 तारीख शाम को उन्होंने 1600 बसों के टायरों की हवा निकाल दी। हमें पिछली हड़ताल का अनुमान है उन्होंने डिपो आने वाली सभी बसों के इन्जनों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने इस तरह से बसों को खड़ा किया कि 1983 में चार चौराहों पर राजधानी के संपूर्ण यातायात को ठप्प कर दिया। राजधानी का संपूर्ण यातायात ठप्प हो गया तथा गोलियां चली थी अतः हमने सावधानी बरती। अभी भी उन्होंने 1600 बसों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने टायरों की हवा निकाल दी तथा टाइगर को निकाल दिया जो कि कारबोरेटर तथा ईंधन पम्प के बीच होता है मैं मजदूर संघ नेताओं से पूछना चाहूँगा जो कि सदन में मौजूद हैं और वे भी जो कि मौजूद नहीं हैं। में दूसरे देशों में हड़ताल का तथा मजदूर संघ के लोगों में व्यवहार के उदाहरण को उद्घृत करूंगा। मैं वायुसेना में था मेरे कुछ सहयोगी मालवाहक विमान लाने के लिए कनाड़ा गये। यह डेहीवलैंड कम्पनी थी। वहां नोटिस बोर्ड पर था कि फैक्ट्री में हड़ताल है तथा दरवाजे पर एक व्यक्ति बैठा था पायलट वहां गये। बोर्ड को देखा कि फैक्ट्री में हड़ताल है। इसलिये वे अन्दर नहीं गये कि शायद अन्य कोई उड़ान ही न हो। उनमें से एक ने कहा कि हमें अन्दर जाना चाहिये तथा रजिस्टर में हस्ताक्षर करने चाहिये। हमें उपस्थिति लगानी चाहिये। ताकि यह पता चले कि हम उड़ान के लिये आये हैं। जब वे अन्दर गये तो सारी फैक्ट्री में काम हो रहा था तथा उन्हें आश्चर्य हुआ। जब वे बाहर आये तो उन्होने उन श्रमिकों से पूछा आप यह बोर्ड क्यों लगाये हुये हैं और फिर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखिये उत्पादन तो राष्ट्रीय आवश्यकता है। हर रोज सुबह एक घंटा हम सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करते हैं, उसके विरुद्ध नारे लगाते हैं। परन्तु हड़ताल के दौरान हमारे यहां उत्पादन ज्यादा होता है। यह उन श्रमिकों तथा मजदूर संघ नेताओं की मनोवृति है लेकिन हमारे यूनियन नेता·····(व्यवधान)

डा. वत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : वह उस सरकार की बात है न कि भारतीय सरकार की। (व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : मैंने तो सिर्फ एक उदाहरण दिया है। आप उत्तेजित क्यों हो रहा है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जैसे आपको बोलने का अधिकार है उसी प्रकार उन्हें उत्तर देने का अधिकार हैं ? आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलत नहीं किया गया।

श्री राजेश पायलट : हमें इसी तरह की भावना अपने देश में भी पैदा करनी चाहिये क्योंकि आखिरकार यह है तो देश का ही नुकसान। (**व्यवधान**) मैंने कहा है कि यूनियन द्वारा कार्यवाही किये जाने की वजह से मांगें लम्बित पड़ी हैं। उन्हें क्यों सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिये ? माननीय सदस्य बता रहे हैं। मैंने अपने वक्तव्य में कहा है····· (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इस तरह से मत बोलिये। वे बहस कर रहे हैं। (**व्यवधान**) यह स्थान इस तरह से बहस करने का नहीं है। यदि आप उठाना चाहते हैं तो इसे सही समय पर उठाइये।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न का मंत्री द्वारा जवाब।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसका ध्यान (लूंगा) (**व्यवधान**)

श्री राजेश पायलट : काश हमारे यूनियन नेता भी अन्तरिम राहत के लिये दिये गये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते। उससे श्रमिक को कितना फायदा हुआ है। सरकार उच्चतम न्यायालय नहीं गयी है। यहां पर भी यूनियनें हो गई हैं। 1987 में वे गये थे फिर 11 मार्च, को भी वे गये थे।

अब मैं चौथे वेतन आयोग के मुताबिक न्यूनतम अन्तरिम सहायता के बारे में कहूंगा। मैं सरकारी ड्राईवर तथा डी. टी. सी, ड्राइवर के वेतनमानों को बता रहा हूं। (**व्यवधान**) चौबे जी सुनिये इससे हो सकता है आपको कुछ ज्ञान मिले। मैं डी. टी. सी. ड्राईवर तथा सरकारी ड्राइवर की तुलना कर रहा हूं। चौथे वेतन आयोग के बाद सरकारी ड्राइवर को क्या मिला है तथा सिर्फ अन्तरिम राहत के बाद डी. टी. सी. ड्राइवर को क्या मिला है ? सरकारी ड्राइवर को न्यूनतम वेतनमान पर 1,369 रुपये मिलते हैं तथा अन्तरिम राहत के बाद डी. टी. सी. ड्राइवर को 1,368 रुपये मिलते हैं।

जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वक्तव्य में कहा है कि 1983 में इसी यूनियन ने केन्द्र सरकार में विद्यमान वेतनमानों से अधिक वेतनमानों की मांग की वे उन्हें यह मिला 70 से 90 रुपये का अन्तर और यहीं से मुसीबत शुरू हो गई। उस हड़ताल में वे स्वयं ही केन्द्र के वेतन मानों से बाहर आ गये। यह एक शर्त है कि आप हमारे वेतन मान में केन्द्र सरकार के वेतनमानों से 70 से 90 रुपये की वृद्धि करिये। मैंने स्पष्ट रूप में कहा है कि ये इस समस्या का बीज उसी दिन से शुरू हो गया था।

प्रत्येक वर्ष अदालत में जाने से समस्या और भी जटिल हो गई है तथा सरकार को निर्णय लेना भी मुश्किल हो गया है। अतः अन्त आप हमारा साथ दीजिये कि हम किसी प्रकार के विवाद में न पड़ें तथा श्रमिकों के विरुद्ध न लड़ें। हम उनका कल्याण करना चाहते हैं। आप उन नियमों एवं विनियमों को देखिये जो कि आपने बनाये हैं। संसद ने ही ये नियम बनाये हैं ताकि सरकार को उनकी सीमा में रह कर कार्य की अनुमति मिलती रहे।

मेरे कुछ सहयोगियों ने कुछ मुद्दे बताये हैं। आम तौर पर मैंने कहा है कि सरकार कोई विवाद नहीं करना चाहती। सरकार लोगों के कल्याण के विरुद्ध नहीं है। (**व्यवधान**) मैं अपनी बात पर आ रहा हूं। मुझे कुछ मुद्दों को खत्म करने दीजिये। मैं जानता हूं कि आपके लोग कहना चाहते हैं कि हमने उनसे वार्ता करने को कहा है। अतः वे वार्ता कर है। समस्या यही है। आप देखिये यह कोई सही रवैये नहीं है।

डा. वत्ता सामन्त : आप पहल कीजिये।

श्री राजेश पायलट : सरकार का जिम्मेदार व्यक्ति तथा जन प्रतिनिधि होने के नाते अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मैं इसी पर किसी भी वर्ग को नीचा नहीं दिखाना चाहता। मेरे युवा सहयोगी

1.00 म. प.

ने कुछ मुद्दे बनाये है। उनमें से कुछ के बारे में मैंने बताना शुरू कर दिया है। एक और बात है निजीकरण के बारे में इसमें कुछ कहा नहीं है। दिल्ली में पहले से ही 1080 प्राइवेट बसें चल रही है। दृष्टिकोण पत्र (**व्यवधान**) वे डी. टी. सी. के तहत चलती हैं परन्तु प्राइवेट बस मालिक कुछ शर्तों के तहत काम कर रहे है। वे परिवर्तनशील है।

श्री सुरेश कुरुप : यह डी. टी. सी. के नियंत्रण में है।

श्री राजेश पायलट : यह डी. टी. सी. के नियंत्रण में है परन्तु कुछ शर्तों पर अतः प्राइवेट बसें पहले ही चल रही हैं। अतः एन. डी. सी. द्वारा अनुमोदित सातवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में जिसे योजना आयोग ने बनाया है, स्पष्ट कहा गया है कि सरकार दिल्ली में 40 प्रतिशत निजीकरण अवश्य ही करे। यह योजना आयोग का दस्तावेज है तथा एन. डी. सी. ने हमें अनुमोदित किया है। अतः हम किसी भी चीज के खिलाफ नहीं है। हम उन नीतियों का अनुसरण कर रहे है जिन पर सदन ने सहमति दी है जिन पर योजना आयोग की सहमति हुई हैं। हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं जैसी की उन्हें आशंका है। मैं एक आसान सा प्रश्न पूछूंगा। आप सभी निजीकरण के लिये शोर कर रहे हैं। क्या आप में से कोई भी एक सी. जी. एम. सदस्य बता सकता है कि कलकत्ता परिवहन व्यवस्था में निजीकरण कितना प्रतिशत है ? मैं बैठता हूं और आप उत्तर दीजिये। (**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इसमें धीरे-धीरे कमी की जा रही है। इसमें वृद्धि नहीं हो रही है। यह 40 प्रतिशत था। अब यह सिर्फ 10 प्रतिशत है। यह अतीत में था। यह अभी भी है। (**व्यवधान**)

श्री राजेश पायलट : दूसरो पर ऊंगली उठाने से पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए

श्री सुरेश कुरुप : मुद्दा यह है कि दिल्ली में परिवहन व्यवस्था आरम्भ से ही भारत सरकार के नियंत्रण में है। अब आप यह क्यों सोचने लगे कि 40 प्रतिशत रूट प्राइवेट लोगों को मिलने चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : योजना आयोग की रिपोर्ट पहले से ही मौजूद है।

(**व्यवधान**

श्री राजेश पायलट : मैं एक बात पहले ही कह चुका हूँ कि दृष्टिकोण पत्र इस सदन द्वारा पारित होता है ! यह कोई मेरा अपना नही है। इस पर कुरूप के हस्ताक्षर हैं। संसद ने इसे पास किया है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। इस सदन का सदस्य होने के नाते यह मेरा भी विशेषाधिकार है। कलकत्ता में कितने प्रतिशत रूट प्राइवेट लोगों के पास हैं। कुछ माननीय सदस्य विशेषकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को उत्तर देना चाहिए। यह 80 प्रतिशत है या 50 प्रतिशत (**व्यवधान**) सदन की जानकारी के लिए बता दूं कलकत्ता में यह 80 प्रतिशत है। मैं परिवहन मंत्री हूं। मेरे पास आंकड़े हैं। (**व्यवधान**)** मैं सदन को यह भी बताऊंगा कि दिल्ली

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

परिवहन निगम ठीक प्रकार से काम क्यों नहीं कर रहा है। मैं सदन से कुछ नहीं छिपाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ हद तक प्रबन्धकों को दोष दिया जा सकता है और प्रबन्धकों से कुछ गलतियां हुई है। कुछ मामलों में उन्हें अधिक सख्त होना चाहिए था किन्तु कुछ कारणों से वह ऐसा नहीं कर पाए।

सदन की जानकारी के लिए मैं दिल्ली परिवहन निगम की एक छोटी सी समस्या का जिक्र करूंगा। एक चालक अपने काम पर सुबह 5.30 बजे आता है और 2.00 बजे तक डिपो ड्यूटी करता है। ड्यूटियां दो तरह की होती हैं एक डिपो ड्यूटी और दूसरी लाइन ड्यूटी। सुबह साढ़े पांच बजे यह डिपो ड्यूटी पर आता है और 2.00 बजे उसकी ड्यूटी समाप्त होती है। डिपो ड्यूटी बसों को खड़ा करके मोड़ने और बसों को चालू करने की होती है यदि मैकेनिक उसे जांच के लिए ऐसा करने को कहता है। दो बजे उसकी यह ड्यूटी समाप्त होती है और उसके बाद वह लाइन ड्यूटी पर जाता है और वह यह ड्यूटी 9 बजे तक करता है। अगले दिन भी वह डिपो ड्यूटी और लाइन ड्यूटी करता है। उसने चार ड्यूटियां कर ली है। दूसरे शब्दों में केन्द्रीय सरकार में जबकि समयोपरि भत्ते पर प्रतिबन्ध है दि. प. नि. ने ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। पहले दिन एक ड्यूटी एक ओवर टाइम अगले दिन एक ड्यूटी एक ओवर टाईम और तीसरे दिन उसकी छुट्टी होती है। तीन दिन वह ऐसा करता हैं और तीन दिन वह बिना वेतन जाता है। दूसरे शब्दों में वह अपना वेतन दो दिन ओवर टाइम करके कमा चुका है। यही लोग डी. टी. सी. का अनुशासन खराब कर रहे हैं और मन मानी कर कर रहे हैं। वे डिपो मैनेजरों की पिटाई करते हैं वे उनको कहते हैं कि यही ढर्रा अपनायी नहीं तो आपको ठीक कर देंगे। इन परिस्थितियों में क्या मेरे सहयोगी चाहते हैं कि मैं इस प्रणाली में सुधार करूं या नहीं? इस प्रकार का व्यवहार वे लोग कर रहे हैं। वह लगातार दो दिन तक ओवर टाइम, एक ड्यूटी करते हैं। उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा (व्यवधान)।

दूसरी बात जो मैं सदन को बताऊंगा वह केन्द्रीय सरकार और दिल्ली परिवहन निगम में सांझी नहीं है। कुछ ऐसे लाभ हैं जो केवल डी. टी. सी. में दिए जाते हैं केन्द्रीय सरकार में नहीं उन्हें ओवर टाइम मिलता है और यह मोटे तौर पर 17 लाख रुपये बैठता है। उन्हें नकद मुआवजा मिलता है अर्थात् यदि वह एक छुट्टी के दिन काम करता है तो उसे नकद मुआवजा मिलता है। इसके अलावा छुट्टी नकदीकरण की योजना है। यह सब डी. टी. सी. में है केन्द्रीय सरकार में नहीं है। उन्हें नाइट ड्यूटी भत्ता भी मिलता है। मेरे विचार से यह केन्द्रीय सरकार में नहीं है किन्तु डी. टी. सी. में हम रात्रि ड्यूटी भत्ता देते है··· (व्यवधान)

यदि यह वहां है, तो मैं ठीक कर लेता हूं। इसके अलावा, धुलाई भत्ता कैन्टीन आर्थिक सहायता मिलती है··· (व्यवधान) ये सभी लाभ डी. टी. सी. में दिए जाते हैं केन्द्रीय सरकार में नहीं। जब आपका केन्द्रीय सरकार के साथ कोई करार होता है तो सरकार की समग्र स्थिति देखनी होती है। (व्यवधान)

मैंने अपने भाषण में पहले यह बात स्वीकार की है कि प्रबन्धकों से कुछ चूकें हुई हैं और हम उन्हें सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज, आप किसी यात्री से पूछिए कि आज डी.टी.सी. में कितना अनुशासन आया है। यह प्रबन्ध के कारण ही है कि लोग आज बसों में यात्रा कर रहे हैं, नहीं तो पूरा यातायात ठप्प हो जाता। क्या आपने पिछली तीन हड़तालों में नहीं देखा? उन्होंने

पिछली तीन हड़तालों में क्या व्यवहार किया। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रबन्धकों ने कड़ा रवैया अपनाया और उसमें सफल रहे।

मैं, सदन की इस भावना से सहमत हूं कि दो रुपए का फ्लैट रेट एक बोझ बन गया है। यदि किसी व्यक्ति को बस बदलनी हो तो उसके दो और दो चार रुपए खर्च करने पड़ते हैं और यदि वापसी यात्रा भी जोड़ें तो यह 8 रुपए बैठते हैं। यह प्रतिमास 300 या 400 रुपए कमाने वाले व्यक्ति पर एक बड़ा बोझ है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि प्राइवेट बस मालिक पास स्वीकार नहीं कर रहे हैं और हमें इस संबध में कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता। मैं इस सदन की भावन का समर्थन करता हूँ। हम एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे, हड़ताल के कारण हमारे प्रयोग्यताओं पर बोझ नहीं पड़ेगा। हम जल्दी ही ऐसी योजना तैयार करेंगे कि, जब तक हम डी.टी.सी. की समस्याओं को हल नहीं कर लेते, डी.टी.सी. के रूटों पर प्राइवेट ऑपरेटर चलेंगे। इसलिए, हमने यह योजना तैयार की है। हम इस बात का भी प्रयत्न कर रहे हैं कि प्राइवेट आपरेटर डी.टी.सी. द्वारा जारी किए गए पास स्वीकार करें। इसलिए, हम एक ऐसी योजना तैयार कर रहे हैं कि हमारे पास धारकों को कोई कठिनाई न हो।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि पैसा एकत्र किया गया है (व्यवधान) आप मुझे मौका दें, मैं भी आप में से एक हूं। महोदय, मुझे इससे दुःख हुआ है। मुझे इससे वास्तव में दुःख हुआ है, क्योंकि मैं इस मंत्रालय का प्रमुख हूं। यदि इस प्रकार की कोई अफवाह उड़ी है तो उसकी छानबीन करना मेरा फर्ज है कि यह किसने किया है और क्यों किया है। किन्तु कुछ विपक्षी सदस्यों ने मुझे फोन करना आरम्भ कर दिया है।

[हिन्दी]

"हमारी दो बसें जरूर लगा देना, 5 उसकी लगा देना।

[अनुवाद]

मैं आशा करता हूँ कि उन्होंने पैसा इकट्ठा नहीं किया है। यदि वे कहते हैं कि पैसा इक्ट्ठा किया गया है तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे किसी…(व्यवधान)

एक मंत्री के रूप में, मैं यह नहीं कह सकता कि कोई गल्ती नहीं हुई है। किन्तु, मैं सदन को आश्वासन देता हूं मैं इसकी जांच पड़ताल करूंगा और दिल्ली में परिवहन प्रणाली में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जायगा। मैं दो बातों में सदस्यों का सहयोग चाहता हूं।

आज, इसका एक कारण है। बात यह है कि सरकार को, चाहे आपकी हो या हमारी, काम करना चाहिए। 50 लाख बस यात्री · ·········

श्री अजयमुशरान : महोदय, क्या मैं आधे सेंकिड के लिए व्यवधान कर सकता हूं··· (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान व्यवधान डालने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : पायलट जी, आप कृपया अपना उत्तर समाप्त करें।

(श्री राजेश पायलट) : मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 52 लाख लोग इस परिवहन प्रणाली पर पूरी तरह से निर्भर है, क्योंकि दिल्ली में कोई वैकल्पिक परिवहन प्रणाली नहीं है—यहां बम्बई या अन्य किसी स्थान की भांति (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं इसकी अनुमति नहीं है।

श्री राजेश पायलट : मैं इस सदन को आश्वासन देता हूं कि हम परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे और हम इस सड़क परिवहन व्यवस्था पर पूरी तरह से निर्भर लोगों की आशाओं को पूरा करेंगे। हम उन्हें सन्तुष्ट करने का पूरा प्रयत्न करेंगे और हम यह प्रयत्न भी करेंगे कि बसों की संख्या बढ़ाई जाए (व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : सरकार आश्वासन क्यों देती है ? (व्यवधान)

श्री बसन्त सामन्त : वेतन संशोधन का मामला काफी समय से लम्बित पड़ा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह इसका जवाब दे चुके हैं।

श्री राजेश पायलट : इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन को फिर आश्वासन देता हूं सरकार को स्थिति की पूर्ण जानकारी है और हम इसे हल करने का पूरा प्रयत्न करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : हम 2.15 बजे पुनः समवेत होने के लिए मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित करेंगे।

1.15 म.प.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म.प. तक के लिए स्थगित हुई.

2.18 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.18 म.प. पर पुनः समवेत हुई

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) दूर संचार की अपर्याप्त सुविधाओं को देखते हुए इडुक्की जिले के लिये सेकेंडरी स्कीचिंग एरिया बनाना

प्रो. पी.जे. कुरियन : इडुक्की एक पिछड़ा हुआ जिला है और वहां दूर संचार की सुविधायें भी अपर्याप्त हैं। जिले में स्थित अधिकांश टेलीफोन एक्सचेंज ढग से कार्य नहीं कर रहे हैं और वहां के सभी एक्सचेंजों में लम्बी प्रतीक्षा सूची है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस जिले में दूर संचार सुविधाओं का विकास इसलिये रूक गया है क्योंकि यह जिला दूर संचार जिला इरनाकुलम के साथ सम्मिलित है और इरनाकुलम सहायक स्वीचिंग क्षेत्र का मुख्यालय है।

इरनाकुलम जैसे विकसित जिले के साथ अत्याधिक पिछड़े इस जिले को जोड़े जाने के कारण ही इदुक्की जिला दूर संचार सुविधाओं के मामले में पिछड़ा हुआ है। इस जिले के लिये सहायक स्वीचिंग क्षेत्र की मांग निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के सहयोग से जन आन्दोलनों द्वारा उठाई जाती रही है।

इदुक्की जिले के लिये एक नये सहायक स्वीचिंग क्षेत्र बनाये जाने की मांग से संबंधित अनेक अभ्यावेदन सरकार को दिये जा चुके हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इदुक्की एक पिछड़ा जिला है और दूर संचार संबंधी सुविधायें यहां अत्याधिक अपर्याप्त है, इदुक्की जिले के लिये एक सहायक स्वीचिंग क्षेत्र बनाया जाये।

(दो) डा. बी.आर. अम्बेडकर के जन्मदिन, 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश का दिन घोषित करना

श्री वी. श्री निवास प्रसाद (चाम राज नगर) : 14 अप्रैल डा. बी.आर. अम्बेडकर का जन्म दिवस है जो इस देश के दलितों की मुख्य धमनी और उनकी आत्मा के प्रतीक थे। वह उनकी कठिनाइयों में, निस्सहायपन में और अंधकार पूर्ण जीवन में प्रकाश की किरण थे। उन्होने समानत और आत्म-निर्भरता के महान सिद्धान्त के प्रति लोगों की चेतना को आग्रत किया। उनके अधिकारों की लड़ाई में वे उनके शक्ति स्रोत थे। वह इस देश में संविधान के निर्माता थे। आज भी वह लाखों पद-दलितों और शोषित देशवासियों के हृदय में विराजमान हैं।

मैं लाखों मूक और पीड़ित व्यक्तियों की ओर से अनुरोध करता हूं कि 14 अप्रैल को एक राष्ट्रीय अवकाश का दिन घोषित किया जाये और इस दिन को "राष्ट्रीय समान्यता दिवस" घोषित किया जाये।

(तीन) दिल्ली पनिवहन निगम की बसों में "धूम्रपान निषेध" संबंधी अनुदेश लागू करना

[हिन्दी]

प्रो. चन्द्रभानु देवी (बलिया) : सभापति महोदय, देश में मानवमात्र के नैतिक स्तर में जितनी गिरावट कुछ वर्षों में आई है उसके अनेकों उदाहरण आज विद्यमान हैं। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना आपसी सुविधाओं का ध्यान रखने वाली मनोवृति आज देश में देखने को भी नहीं मिलती। इसका जीता जागता चित्र दिल्ली परिवहन निगम व अन्तर्राज्यीय बसों में सफर करने वाले यात्रियों द्वारा सफर के दौरान धूम्रपान की बढ़ती हुई होड़ में देखा जा सकता है। धूम्रपान किया जाना आज एक गौरव की बात समझी जाती है। यद्यपि दिल्ली परिवहन निगम की बसों में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि धूम्रपान निषेध है, फिर भी उसमें यात्रा कर रहे मुसाफिर धूम्रपान करते देखे जाते हैं। चाहे दूसरे यात्रियों को बीड़ी-सिगरेट का धुंआ माफिक हो या न हो, स्वास्थ्य के अनुकूल भले ही न हो, लेकिन इससे सिगरेट बीड़ी पीने वालों को कोई सरोकार नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ड्राइवर कण्डैक्टर स्वयं बीड़ी सिगरेट बस में पीते हैं। हालांकि ड्राइवर तथा कण्डेक्टर की यह नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे बसों में स्वयं बीड़ा सिगरेट पीने वाले लोगों को ऐसा करने से रोकें लेकिन वे स्वयं यात्रियों से लेकर बीड़ी सिगरेट पीते देखे जाते हैं।

मेरी सरकार से मांग है कि वह ड्राइवर कण्डैक्टर को इस प्रकार के निर्देश जारी करें जिससे सार्वजनिक वाहनों में धूम्रपान निषेध होना चाहिए । इससे बीड़ी सिगरेट न पीने वाले लोगों को राहत मिलेगी ही, साथ ही साथ इससे जो नुकसान होने की संभावनाएँ होती हैं उस जोखिम से भी छुटकारा मिलेगा ।

(चार) फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में चीनी मिल तथा अन्य उद्योग स्थापित करना

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : सभापति महोदय, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए उद्योगों की स्थापना आवश्यक है । उत्तर प्रदेश के जनपद फैजाबाद में अकबरपुर एवं टांडा तहसीलों में उद्योगों का पूर्णतया अभाव है जबकि इन स्थानों पर हजारों एकड़ भूमि उद्योग के लिए उपयुक्त है । इस क्षेत्र के विकास के लिए बड़े एवं कुछ छोटे उद्योगों की स्थापना अत्यन्त ही आवश्यक है ।

इसी क्षेत्र में वर्ष 1976 में भारत सरकार ने एक सहकारी चीनी मिल की स्थापना हेतु लाइसेंस दिया था, जिसकी अंश पूंजी के करीब 17 लाख रुपये किसानों के अभी तक जमा हैं परन्तु खेद है कि वर्ष 1978-79 में चीनी मिल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया जबकि इस क्षेत्र में गन्ना किसानों की संख्या बहुत अधिक है और शाहगंज चीनी मिल बन्द होने के कारण गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को परेशानी है ।

इसलिए मेरी भारत सरकार से पुरजोर मांग है कि गन्ना उत्पादक किसानों के हित में अकबरपुर व टांडा तहसील में कहीं भी सहकारी चीनी मिल लगाने हेतु लाइसेंस निर्गत करते हुए इस क्षेत्र में किसी बड़े उद्योग लगाने की भी स्वीकृति प्रदान करें जिससे इस पिछड़े क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके ।

(पांच) शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्र स्थापित करना

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहांपुर) : भूतपूर्व स्व. प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और तत्पश्चात् प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने उत्तर प्रदेश की जनता से यह पक्का वायदा किया था कि शाहजहांपुर में एक गैस आधारित उर्वरक संयन्त्र लगाया जायगा । यह अनुमान था कि इस प्रस्तावित उर्वरक संयन्त्र में 1990 तक उत्पादन आरम्भ हो जाएगा । एक आशय पत्र पहले डी.सी.एम. फर्टीलाइजर्स को जारी किया गया था और उसके बाद ए..पी.जे. फर्टीलाईजर्स को जारी किया गया था । ये दोनों ही फर्में संयन्त्र की स्थापना के लिए प्रारम्भिक कदम भी नहीं उठा पाई और आशयपत्र को लटकाये रखने का रवैया अपनाये हुए हैं । यह बात प्रत्यक्ष है कि विश्व के उर्वरक मूल्य कम होने के कारण गैर सरकारी क्षेत्र में उपक्रम इस उद्योग की स्थापना से पीछे हट रहे हैं ।

यह पता चला है कि उर्वरक संयन्त्र की स्थापना के लिये ए.पी.जी. की समय की और मोहलत नहीं दी गई है । इसलिये, सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस उर्वरक संयन्त्र को किसी ऐसी सहकारी समिति अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को या निजी पार्टी को आवंटित कर दिया जाये जिसे उर्वरक उद्योग का अनुभव प्राप्त हो तथा जिसके पास अपेक्षित संसाधन हों और जो संगठन के अन्दर ही अन्दर ही आधार ढांचा तैयार कर सके ।

ऐसी स्थिति में जबकि आशय पत्र जारी करने की तारीख से दो वर्ष के अन्दर यदि संयन्त्र तैयार न हो पाये तो दण्ड का विधान भी होना चाहिये।

(छ.) गाजीपुर शहर में वाराणसी-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेल फाटक पर ऊपरि पुल का निर्माण

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : वाराणसी-गोरखपुर राष्ट्रीय राज मार्ग गाजीपुर शहर से होकर जाता है, जो उत्तर प्रदेश में एक जिला मुख्यालय है। यह राजमार्ग शहर को मुख्य सड़क से होकर गुजरता है और सड़क के बीच में रेल का फाटक पड़ता है। यह सड़क बहुत ही व्यस्त सड़क है और सड़क को चौड़ा भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि सड़क के दोनों ओर आवासीय मकान बने हुए हैं जिनका निर्माण बहुत पहले किया गया था। सड़क रेल का फाटक बंद होता है तो यातायात की भीड़ बढ़ जाती है और जाम हुए यातायात को हटाने में घंटों लग जाते हैं।

गाजीपुर होकर जाने वाले लम्बी दूरी के यातायात के लिये एक बाई-पास सड़क का निर्माण तथा रेल लाइन के ऊपर के ऊपरि पुल बनाया जाना नितांत आवश्यक है। इससे शहर में होने वाली यातायात को भीड़ काफी हद तक कम हो जायेगी। इसलिये, मैं माननीय भू-तल परिवहन मंत्री और रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में शीघ्र ही अपेक्षित कार्यवाही की जाये।

(सात) निकारागुआ में अमरीकी कार्यवाही

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : संयुक्त राज्य अमरीका ने होन्डुरास में अपने सशस्त्र बलों को तैनात करके स्वतंत्र देश, निकारागुआ के मामलों में दखल देना फिर से आरम्भ कर दिया है। ऐसा अमरीकी कांग्रेस द्वारा व्यक्त की गई इच्छा के विरुद्ध तथा इस तथ्य के बावजूद किया जा रहा है कि निकारागुआ की सरकार अपनी आन्तरिक समस्याओं को, देश के भीतर अथवा देश से बाहर सभी संबंधित लोगों के, साथ वार्त्ता के माध्यम से सुलझाने का अपना भरसक प्रयास कर रही है। हांलाकि एक महीने से अधिक का समय बीत गया है, सरकार ने अभी तक अमरीका की सरकार की निंदा नहीं की है। सरकार को ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध विश्व जनमत बनाने के लिए अपने राजनैयिक तंत्र का उपयोग करके निराकागुआ सरकार की रक्षा करनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार निकारागुआ पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर और मध्य अमरीकी देशों से सरकार विरोधी तत्वों को विमानों से निरन्तर सप्लाई भेजकर तथा अन्य तरीकों से निकारागुआ के विरुद्ध युद्ध को आगे बढ़ा रही है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के विरुद्ध इन सभी शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों की सरकार को अविलम्ब स्पष्ट शब्दों में भर्त्सना करनी चाहिए। सरकार को अमरीकी सरकार की इस कार्यवाही के विरुद्ध विश्व जनमत बनाने के लिए अपने सभी संसाधनों का उपयोग करना चाहिए।

(आठ) देश की एकता और अखण्डता सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाना

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (अहानाबाद) : सभापति महोदय, भारत गांवों का देश है। देश की बहुसंख्यक आबादी गांवों में रहती है। आज देश में किसी एक जाति के लोग बेबस नहीं हैं बल्कि हर जाति एवं संप्रदाय के लोग इस श्रेणी में आते हैं। देश में 85 प्रतिशति लोग बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रहते हैं। मात्र पांच प्रतिशत घरानों के हाथों में देश की दौलत का 80 प्रतिशत केन्द्रित है। ये लोग यथा-स्थिति वाले लोग हैं जो हर तरीके से परिवर्तन नहीं आने देना चाहते। आज देश में क्षेत्र, जाति, धर्म भाषा तथा रामजन्म भूमि एवं बाबरी मस्जिद के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह उस फितरत का तरीका है जिससे भी आम आदमी की

रोजी, रोटी रोजगार, शिक्षा, दवा के लिए होने वाली लड़ाई कमजोर हो जाये। देश के संविधान में मंदिर, मस्जिद बराबर हैं। लेकिन सरकार बुनियादी आवश्यकताओं को 85 प्रतिशत जनता को पूरा करने में पूर्ण रूप से असफल सिद्ध हुई है। इसका मुख्य कारण पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था है जिससे जन-असंतोष देश में चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। देश का संवैधानिक उद्देश्य समाजवाद लाना है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि समाजवाद लाने के लिए पूंजीवादी रास्ते को छोड़कर गैर-पूंजीवादी रास्ते को अपनायें जिससे देश की एकता और अखण्डता को मजबूत बनाया जाये।

पंजाब बजट, 1988-89--सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें (पंजाब), 1988-89
और
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1987-88

[अनुवाद[

सभापति महोदय : अब सभा पंजाब बजट, 1988-89 पर सामान्य चर्चा करेगी। सभा में 1988-89 के लिए पंजाब राज्य के संबंध में लेखानुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान भी किया जाएगा। इसके अलावा, सभा में पंजाब राज्य के वर्ष 1987-88 के बजट के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। मद संख्या 11 से 13 पर एक साथ चर्चा की जायेगी, जिसके लिए 2 घंटे का समय आबंटित किया गया है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 29 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबन्ध में कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाये।"

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग शीर्षों के सामने दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च 1988 को समाप्त होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

मांग संख्या 1 से 4, 6, 8, 10, 12 से 18, 20 से 26, 28 और 29"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1988-89 के लिए लेखानुदानों की मांगें (पंजाब)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	कृषि और वन	37,04,05,000	17,21,63,000
2.	पशुपालन और मीन उद्योग	12,96,66,000	81,50,000

1	2	3	
3.	सहकारिता	6,78,77,000	22,80,42,000
4.	रक्षा सेवाएं कल्याण	1,60,22,000	6,50,000
5.	शिक्षा	1,78,88,29,000	6,32,000
6.	निर्वाचन	82,66,000	
7.	उत्पाद शुल्क और कराधान	4,28,84,000	
8.	वित्त	1,60,49,97,000	3,18,30,000
9.	खाद्य तथा आपूर्ति	1,56,15,000	5,15,44,26,000
10.	सामान्य प्रशासन	6,63,50,000	
11.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	66,43,94,000	
12.	गृह कार्य और न्याय	55,70,16,000	1,75,00,000
13.	उद्योग	6,32,43,000	7,92,32,000
14.	सूचना तथा जन सम्पर्क	1,51,85,000	
15.	सिंचाई तथा बिजली	56,53,64,000	3,81,47,24,000
16.	श्रम और रोजगार	1,86,10,000	
17.	स्थानीय सरकार, आवास और शहरी विकास	1,71,42,000	10,22,00,000
18.	कार्मिक तथा प्रशासन सुधार	29,11,000	
19.	आयोजना	3,80,96,000	
20.	कार्यक्रम कार्यान्वयन	2,00,000	
21.	लोक निर्माण कार्य	62,97,48,000	40,48,80,000
22.	राजस्व तथा पुनर्वास	16,03,66,000	
23.	ग्रामीण विकास और पंचायतें	22,35,42,000	23,00,000
24.	विज्ञान, औद्योगिकी और पर्यावरण	11,50,000	61,00,000
25.	सामाजिक और महिला कल्याण तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	20,62,08,000	71,50,000
26.	तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण	7,63,24,000	15,17,000
27.	पर्यटन और सांस्कृतिक मामले	88,68,000	1,82,48,000
28.	परिवहन	44,15,75,000	6,54,00,000
29.	चौकसी	71,18,000	

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1987-88 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पंजाब)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	कृषि और वन	6,32,06.000	...
2.	पशुपालन और मीन उद्योग	2,91,78,000	1,00,000
3.	सहकारिता	66,64,000	2,52,36,000
4.	रक्षा सेवाएं कल्याण	...	1,07,00,000
6.	शिक्षा	82,29,08,000	...
8.	उत्पाद शुल्क और कराधान	1,18,67,000	...
10.	खाद्य तथा आपूर्ति	55,94,000	...
12.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	18,99,55,000	...
13.	गृह कार्य और न्याय	49,33,86,000	3,60,00,000
14.	उद्योग	...	1,70,00,000
15.	सूचना तथा जन सम्पर्क	94,06,000	...
16.	सिंचाई तथा बिजली	1,41,89,95,000	1,89,00,55,000
17.	श्रम और रोजगार	48,88,000	...
18.	स्थानीय सरकार, आवास और शहरी विकास	1,41,76,000	...
20.	आयोजना	8,91,000	...
21.	लोक निर्माण कार्य	8,91,98,000	...
22.	राजस्व तथा पुनर्वास	64,09,73,000	...
23.	ग्रामीण विकास और पंचायतें	2,73,79,000	...
24.	विज्ञान, औद्योगिकी और पर्यावरण	...	11,46,000
25.	सामाजिक और महिला कल्याण तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,12,16,000	...
26.	तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण	68,79,000	...
28.	परिवहन	69,00,000	1,24,00,000
29.	चौकसी	3,37,000	...

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : श्रीमन्, शून्य काल के दौरान मैंने एक अविलम्बनीय महत्वपूर्ण विषय उठाया था और माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे विश्वास दिलाया था कि वह मेरी भावना को रक्षा मंत्री महोदय तक पहुंचा देंगे और उनसे सेन्ट्रल आर्डनेन्स डिपो, जबलपुर के अम्युनिशन सब-डिपो में हुए एक बहुत ही भयंकर विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के बारे में सभा में एक वक्तव्य देने को कहेंगे ।

चूंकि रक्षा मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं, अतः मैं आपका अति आभारी हूंगा यदि आप उनसे एक वक्तव्य देने को कहें या यदि वह इस मामले पर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं क्योंकि जहां तक इस विशेष मामले का संबंध है, इस मामले पर पूरा ध्यान दिया जा सकेगा और हमें भी इस बात का पता चल जायगा कि इसके बारे में सरकार का क्या प्रत्युत्तर है ।

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) यदि आप मुझसे उत्तर देने को कहते हैं, तो मैं ऐसा करने को तैयार हूं । माननीय सदस्य द्वारा इस सभा में जो बात उठायी गई है उसके उत्तर में मैं वक्तव्य पढ़ना चाहूंगा ।

सभापति महोदय : ठीक है ।

2.31 म.प.

सेन्ट्रल आर्डनेन्स डिपो, जबलपुर के अम्युनिशन उप-डिपो में 23 मार्च, 1988 को लगी आग के बारे में एक वक्तव्य

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : महोदय मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि 23 मार्च, 1988 को शाम 4.10 बजे के लगभग सैंट्रल आर्डिनेंस डिपो (जबलपुर) के अम्युनिशन सब डिपो में आग लग गयी थी ।

इस सब डिपो में कई प्रकार के टैंक, आर्टिलरी और इन्फैंटरी, गोला-बारूद रखा हुआ था । यह गोला बारूद भारतीय थल सेना के लिए 30 मैग्जीनों में रखा हुआ था ।

आग मैग्जीन नं. 20 के निकट चालू हुई जिसमें 105 एम.एम.आई.एफ.जी. 106 एम.एम. आर.सी.एल. तथा अन्य गोला बारूद रखा हुआ था ।

सैंट्रल आर्डिनेंस डिपो के कमाडेन्ट ने कालेज आफ मैटिरियल मैनेजमेंट के कमाडेंट की सहायता से आग को फैलने और रोकने के लिए तुरन्त उपाय किये । आग बुझाने के सभी उपलब्ध साधनों को जुटाया गया । 20 फायर इन्जिनों और लगभग 2000 लोगों की इसमें सहायता ली गयी । आग को फैलाने से रोकने के लिए शीघ्र आग पकड़ने वाले तथा विस्फोटक पदार्थों को वहां से हटाया गया तथा उस क्षेत्र में पानी भर दिया गया ।

इन सभी कदमों के परिणामस्वरूप इस घटना को 24 मार्च को सुबह 3 बजे के लगभग मैग्जीन नं. 20 तक सफलतापूर्वक रोका गया ।

तथापि भरसक प्रयासों के बावजूद आग मैग्जीन नं. 19 तक फैल गयी । इसे आग फैलाने से रोका गया है । इन सब प्रयासों से कमाडेंट के अनुसार अब आग नियंत्रण में है । यद्यपि इन दो मैग्जीनों में आग के शोले अब भी हैं इसके कारण इन मैग्जीनों में गोला-बारूद के थोड़ी-थोड़ी देर बाद फटने की घटना हो रही है ।

इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। डिपों के केवल दो कर्मचारियों को मामूली चोटें आयीं।

घटना पर काबू पाने के लिए सिविल प्रशासन ने अपेक्षित सहयोग दिया।

जबलपुर शहर की नागरिक जनसंख्या को इसमें कोई खतरा नहीं है। फिर भी एहतियायी तौर पर अम्युनिशन सब डिपो के निकट के दो गांवों को खाली कराया गया है। इसी प्रकार जबलपुर हवाई अड्डे पर हवाई उड़ानों को स्थगित कर दिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग सका है। आग के कारणों तथा इससे हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिए एक जांच-न्यायालय गठित करने के आदेश दे दिये गये हैं।

सभापति महोदय : श्री तुलसी राम।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कोई चर्चा नहीं होगी।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायगा।

(**व्यवधान**)**

पंजाब बजट, 1988-89-सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगें (पंजाब) 1988-89 अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पंजाब) 1987-88---जारी

2.36 **म.प.**

[**हिन्दी**]

श्री वी. तुलसीराम (नगरकुरूनल) : सभापति महोदय, 1988-89 का जो पंजाब का बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, उस पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पंजाब में बेगुनाह लोग चाहे वे पुरुष हों, चाहे महिला हों, चाहे वे सिख हों, चाहे हिन्दू हों और चाहे कोई भी हों, मारे जा रहे हैं और जो बेगुनाह लोग मर रहे हैं, उनको मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी तेलुगू देशम की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, पंजाब का बजट वित्त मंत्री महोदय ने पेश किया है और तमिल नाडू का बजट भी इसी सदन में वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है और आप भली-भांति जानते हैं कि पंजाब के बजट को किस ढंग से पेश किया है और तमिल नाडू के बजट को किस ढंग से पेश किया है क्योंकि पंजाब में इनकी आरजू और है तमिलनाडू में कुछ और है। तमिल नाडू में शायद इलैक्शन के समय वहां के हालात इन फेवर में आ जाएगें, वहां ये सरकार बना लेंगे और वहां सत्ता को काबू में कर लेंगें, इसलिए एक दिखावटी बजट वहां के लिए पेश किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस से कोई तमिलनाडू का आदमी गुमराह होने वाला नहीं है और आप के चक्कर में आने वाला नहीं है। ... (**व्यवधान**) ... यही मैं कह रहा हूं कि आप लोगों की नीयत क्या है। आप किस ढंग से काम करते हैं, वह मैं मंत्री जी के ध्यान में ला रहा हूं। जैसा मैंने अभी कहा कि पंजाब में बेगुनाह मर

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रहे हैं, उनकी प्रोपर्टी जलाई गई है, लाखों करोड़ों रुपये का उनका नुकसान हुआ है, उसके लिए कम्पसेशन देने के लिए इस बजट में कुछ नहीं दिखाया गया है। इससे आपकी नीयत साफ जाहिर होती है कि आप किस ढंग से इस बजट को पेश किये हैं और एनुअल प्लान में अगर पिछले के हिसाब से आप देखेंगे, तो 100 करोड़ रुपये कम किये हैं जबकि वहां पर खर्च बढ़ रहा है जैसे सी.आर.पी.एफ. के और दूसरे खर्चे बढ़ गये हैं। उन खर्चों को देखते हुए आपको ज्यादा पैसा रखना चाहिए था लेकिन आपने और कम कर दिया है। यह बात सोचने की है। अकल की बात तो मैं नहीं कहता। लेकिन सोचने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। इस बारे में क्यों आपने ऐसा किया है, यह हमारी समझ में नहीं आता है।

पंजाब एग्रीमेंट जो हुआ था, उस पर क्या अमल हुआ है, यह सदन आपसे जानना चाहता है। आपने उसमें देर की है आप क्यों देर कर रहे? आप सब पार्टियों को बुला करके, उनकी मदद लेकर और उनकी सलाह लेकर क्यों नहीं इसको करते हैं। आपकी जो ताकत है वह आप दूसरी तरह से देखते हैं। उस ताकत को आप इसके साथ जोड़ कर इस पर अमल करने की आप कोशिश नहीं करते। आप सब पार्टियों को, सब पार्टियों के नेताओं को बुलाइये, आज ही बुलाइये, आज ही बुला कर उनसे बात कीजिए। कोई रास्ता निकलेगा। आप रास्ता निकालना चाहेंगे तो जरूर निकल जाएगा। लेकिन आप रास्ता निकालना नहीं चाहते हैं। आप अपोजिशन के लीडरों से बात करके कोई रास्ता नहीं निकालना चाहते हैं: आप कभी अपोजिशन के लीडरों को बुलाते नहीं है। अगर कभी आपने उनको बुलाया भी है तो वैसे ही बुलाया है जैसे आंसू पोंछना हो। उनको बुलाकर उनसे दो-चार बातें कीं और फिर छोड़ दिया। उसके बाद आप कह देते हैं कि हमने अपोजिशन के नेताओं से बात की। आप अपोजिशन के नेताओं से न बात करने वाले हैं और न करेंगे।

आपको चाहिए कि आप पक्के दिल से पंजाब के लिए कोई रास्ता निकालो। पंजाब का कोई सिख कोई हिन्दु आपसे अलग होना नहीं चाहता। वे सब आपकी सरकार को बराबर सपोर्ट करना, चाहते हैं। वहां कोई आपके खिलाफ नहीं जागा। लेकिन आपने ऐसी अपनी पोलिसी बना रखी है ऐसे कानूनों से आप चला रहे हैं कि वहां रास्ता नहीं निकल पा रहा। वहां के सिख और हिन्दू नहीं लड़ते हैं लेकिन आपकी पालिसी उनको लड़ाती है। यह बात आपको समझनी चाहिए। आप एमर्जेंसी लागू करने जा रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि अगर देश के किसी कोने में भी कोई खतरा आता है, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए कहीं भी कोई खतरा होता है तो हिन्दुस्तान का कोई भी आदमी-वह चाहे हिन्दु हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो-ऐसा नहीं है जो आपकी मुखालिफत करेगा। लेकिन आपकी नीयत क्या है? अगर आपकी नीयत साफ हो तो सब आपका साथ देंगे। आपकी नीयत देखने के बाद हर आदमी सोचने लग जाता है कि आपकी नीयत साफ नहीं है।

इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आपकी इस एमर्जेंसी से पंजाब का मसला हल होने वाला नहीं है। इस एमजेन्सी से और पेचीदगियां बढ़ जाएंगी। पता नही आप एमर्जेंसी कहां-कहां लगाते जाएंगे। लेकिन आपकी नीयत ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो जाए। जिस तरह से आईने में हम अपनी सूरत साफ देखते हैं, उसी तरह से आपकी नीयत और सूरत भी हम साफ देख रहे हैं। पंजाब वाले बजट और तमिलनाडु वाले बजट से यह नीयत साफ दिख रही है। आप चाहे अपनी बातों से कितना भी समझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन ऐसी बातों से लोग समझने के लिए तैयार नहीं होंगे। देश की जनता बहुत होशियार है। आप अपने आपको समझते हैं कि आप ज्यादा होशियार हैं। जैसे हमारे लायक मंत्री जी, चिदम्बरम् जी अपने आपको बहुत बड़ा लायक समझते हैं और

यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत बड़ा लायर हूं। देश में बहुत बड़े-बड़े लायर हैं। लेकिन दूसरों को अपने से कम समझना ठीक नहीं है। आपको इन चीजों पर गौर से सोचना चाहिए।

एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जहां आप अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आजकल पंजाब के कुछ हिस्सों में नहीं कर सकते हैं, ऐसी जगहों को छोड़कर बाकी जगह पर पंचायत के चुनाव क्यों नहीं कराते हैं? आपको ग्राम पंचायत के इलेक्शन कराने में क्या कठिनाई है। वहां पर ग्राम पंचायत के चुनाव करवाकर वहां पर ग्राम राज्य की स्थापना कीजिए। ग्राम पंचायत के जरिए हम जो काम कर सकते हैं, उनसे लोगों को फायदा हो सकता है। आई.आर.डी.पी., एन.आर.ई.पी. के जो काम हैं, वे पंचायतों के तहत आसानी से अमल में लाए जा सकते हैं और वहां की जनता को, वहां के गरीब लोगों को इससे फायदा होगा। थोड़ी सी जगहें ऐसी हैं जहां पर कुछ कठिनाई आ सकती है, उन जगहों को छोड़कर बाकी जगहों पर आप चुनाव करवाइए, ताकि लोगों को फायदा हो सके। इसी तरह से 5-6 या दस गांवों को मिला कर तथा पुलिस की मदद से एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, ताकि वे लोग अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। अगर उनको कुछ ट्रेनिंग दे दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी नीयत ठीक है तो इन कामों को अवश्य कीजिए, इस बारे में आपको अवश्य सोचना चाहिए।

आज हम इस बजट पर चर्चा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि यह सब ठीक हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको मारल राइट ही नहीं है यह बजट पेश करने का। वहां की जनता ने आपको हराकर वहां पर बरनाला गवर्नमेंट बनाई थी जिसको आपने डिसमिस करके राष्ट्रपति शासन लागू किया और अब यह बजट पेश कर रहे हैं, यह कितने अफसोस की बात है। इस पर आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या अधिकार है इस बजट को पेश करने का। आपको इस बजट को पेश करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आपकी मेजारिटी है और आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है कि ये थोड़े से लोग क्या कर लेंगे, थोड़ी देर चिल्लाएंगे और ज्यादा से ज्यादा वाक आउट कर जाएंगे, लेकिन यह याद रखिए कि 100 अगर आप हैं और 101 करना है तो वह एक हमारे ही पास है।

श्री शमिन्दर सिंह (फरीदकोट) : इसलिए आज इनकी तरफ कारम नहीं है।

श्री वी. तुलसीराम : यह भी कितने अफसोस की बात है।

श्री शमिन्दर सिंह : पंजाब में देखिए कितना इन्ट्रैस्ट है इन लोगों को?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : आप अपने कोरम की बात करो, कितने मेंम्बर बैठे हैं।

एक माननीय सदस्य : आपसे ज्यादा हैं।

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : सभापति महोदय, कोरम पूरा करवाइए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : गणपूर्ति की घंटी बजाइये।

सभापति महोदय : अब गणपूर्ति है। श्री तुलसीराम आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बी. तुलसीराम : पंजाब में यह जो एमरजेंसी आप लागू कर रहे हैं, इसके सिवाय नुकसान के कोई फायदा होने वाला नहीं है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जो पूरे हिन्दुस्तान को खाना खिला सकता है। आज पंजाब में क्या हो रहा है। पूरे पंजाब में आग लगी हुई है। वहां अनएम्प्लायमेंट से लोग परेशान हैं क्योंकि इण्डस्ट्रीज और बिजनैस तबाह हो गए हैं, खेती खराब हो गई है और बेगुनाह लोग किस तरह से मर रहे हैं और मारे जा रहे हैं, वह आपको पता है। इसलिए एमरजेंसी लागू करने से कोई फायदा नहीं है। एमरजेंसी उस जगह पर लागू करनी चाहिए जहां पर देश के लिए खतरा हो। वहां कोई फायदा नहीं है क्योंकि बिहार, यू.पी. मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों से लोग खेत में काम करने के लिए जाते हैं। अगर एमरजेंसी रही तो वहां कोई भी बीज रोपने के लिए या अन्य किसी काम के लिए नहीं जायेगा और वहां कोई काम नहीं हो पायेगा। एमरजेंसी लागू करना ठीक बात नहीं है, यह आपको सोचना चाहिए। यह जो बजट यहां पेश हुआ है, मैं समझता हूं यह आगे यहां पेश नहीं होना चाहिए। यह आखिरी बजट पेश हुआ है, यह समझना चाहिए। अपनी नीयत साफ रखकर वहां फिर से इलैक्शन करवाएं। पंजाब के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए यह साफ होना चाहिए जो आज आप पंजाब के लिए करने जा रहे हैं। फिर से सोचकर और इलैक्शन करवाकर अगर आप जीतना चाहें तो जीत लीजिए। लेकिन आप जीतने वाले नहीं हैं इसलिए यह सब कर रहे हैं। इलैक्शन करवाकर वहां सरकार बनवाइए क्योंकि वहां की प्रजा को सारा देश खुशहाल देखना चाहता है। इसमें हिन्दू, मुसलमान, सिख या किसी ईसाई का ख्याल नहीं है। सोच-समझकर सही रास्ते पर लाइए लेकिन हम इस एमरजेंसी के खिलाफ हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

डा. जी. एस. ढिल्लों (फिरोजपुर) : सभापति, महोदय, मैं वर्ष 1987-88 के लिए पंजाब बजट का समर्थन करता हूँ। मैं अपने पूर्व वक्ता की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था जब उन्होंने यह कहा था कि पंजाब के बजट में लगभग 100 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। हममें से बहुत से लोग बजट में इस विसंगति अथवा अन्तर की तलाश में थे। परन्तु हमें दिए गए कागजातों में हम इसे ढूंढ नहीं सके। यह केवल लेखानुदान है। सम्भवत: उन्होंने गत वर्ष के दस्तावेजों से आंकड़े देखे होंगे और उन्हें उनमें कहीं कुछ अन्तर मिल गया होगा। परन्तु हमें दिए गए दस्तावेजों में हम कोई विसंगति नहीं ढूंढ सके है। सभापति महोदय मैंने ऐसा कोई बजट नहीं देखा है जिसकी आलोचना नहीं की गई परन्तु मुझे यह कहना चाहिए कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा पंजाब के लिए प्रस्तुत किया गया बजट न केवल अच्छा है। अपितु जिन परिस्थियियों से हम गुजर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए यह बजट बहुत ही अच्छा है। मुझे यह कहना चाहिए कि वहां स्थिति बहुत खराब है परन्तु उपद्रव की स्थिति के बावजूद वहां कृषि और औद्योगिक उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई है तथा अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। अब महोदय मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। हमारी राजस्व प्राप्ति 1545.95 करोड़ रुपये रही है जोकि वर्ष 1987-88 के संशोधित आंकलन में 149.03 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाती है। मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र ने कहां से आंकड़े प्राप्त किए हैं। राज्य कर और गैर कर राजस्व प्राप्ति का आवंटन 1194.30 करोड़ रुपये है जो कि 1987-88 के संबोधित आकलन से 124.37 करोड़ रुपये अधिक है। यहां भी मुझे कोई कमी नजर नहीं आती है। केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 551.63 करोड़ रुपये है जोकि वर्ष 1987-88 के संबोधित आकलन से 24.65 करोड़ रुपये अधिक है। यहां भी मुझे विभेद नजर नहीं आता। राजस्व खाते में व्यय का आंकलन 1785.70 करोड़ रुपये लगाया गया है और मैं उन क्षेत्रों की चर्चा करूं जिन पर होने वाले व्यय

में वृद्धि की गई है। उसमें से एक शिक्षा है। उच्च शिक्षा चिकित्सा, परिवार कल्याण लघु सिंचाई सामुदायिक विकास, परिवहन सेवाओं आदि के लिए इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। पूंजीगत खाते में 2375.17 करोड़ रुपये की प्राप्तियां दर्शायी गई है और ऋणों तथा अग्रिम रासियों सहित 2194.64 करोड़ रुपये व्यय किए गये हैं। जिन मुद्दों का मैंने

3.00 म.प.

उल्लेख किया है, उन्हें मद्देनजर रखते हुए सरकार के राजस्व खाते तथा अन्य खातों में भी निश्चित रूप से सुधार हुआ है। 700 करोड़ रुपये के अनुदान की व्यवस्था की गई है और अपने संसाधनों के अलावा 650 करोड़ रुपये की विशेष सहायता भी यहां से प्रदान की जायेगी। सिंचाई, कृषि और अन्य सभी बातों के लिए उन्हें धनराशि दी गई है। मुझे यह कहना चाहिए कि पंजाब में संवैधानिक तंत्र के असफल होने के कारण वहां सरकार को राष्ट्रपति राज की घोषणा करनी पड़ी और वहां पर उत्पन्न संकट के बावजूद भी पंजाब में सर्वांगीय विकास हुआ है। वे यह कह रहे थे कि हमें इस बजट को प्रस्तुत करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है हमने उन्हें एक अवसर दिया मैं बरनाला का एक समर्थक था। मैंने उसे ईमानदारी पूर्वक बताया था श्री रामूवालिया इस बात का सम्भवत बुरा न मानें कि कांग्रेस उनके विरोध में कमजोर उम्मीदवार खड़े करती है ताकि वे सामने आ सकें···

[हिन्दी]

श्री बी. तुलसीराम : सभापति जी मैंने एनूअल प्लान के बारे में कहा है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरुर) मैं सदस्य महोदय का समर्थन करना चाहता हूं माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे है। (**व्यवधान**) वे कहते हैं कि पंजाब के लिए वार्षिक योजना में खर्चे को कम किया गया है। (**व्यवधान**)

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :·····ऐसा केवल तभी हुआ जब आप उठकर उनकी सीट के पास गये और उन्हें मार्गनिर्देश दिया उन्होंने वार्षिक योजना नही कहा था। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : बातचीत नहीं होनी चाहिए।

डा. जी. एस. ढिल्लों : वार्षिक योजना में गत वर्ष सिंचाई के लिए 465.39 करोड़ रुपये कृषि के लिए 54.31 करोड़ रुपये और उद्योग के लिए 18.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। आप किस वार्षिक योजना का उल्लेख कर रहे हैं? (**व्यवधान**) हमारी ओर से उदारीकरण के बावजूद अकाली दल को विजय—(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री बी. तुलसीराम : सभापति जी, जब उधर से बात उठायी गयी है तो आप मेरा स्पष्टीकरण भी सुन लीजिए। (**व्यवधान**)

मैंने कहा था कि पंजाब में रोजना बेगुनाई लोग मारे जा रहे हैं और कुछ लोगों की प्रोपटी की क्षति पहुँची है जल गयी हैउन लोगों के परिवारों को मुआवजा या कम्पैन्सेशन देने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यदि है तो आप बताइये···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह एक अलग मुद्दा है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये। यह बात मुद्दे से हटकर है। श्री ढिल्लों कृपया आगे भाषण जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री वी. तुलसीराम : लेकिन ये कहते हैं कि प्रावधान है लेकिन कहां है, उसका कुछ पता नहीं। (**व्यवधान**)

डा. जी. एस. ढिल्लों : आप जरा मेरी तरफ भी देखिये। (**व्यवधान**) आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी वहां किसी की कैजुअलटी हो जाती है तो उसको कम्पेन्सेशन दिया जाता है। कम्बल दिया जाता है और दूसरी चीजें कुछ न कुछ प्रोवाइड की जाती है। यदि आप समय निकालें क्योंकि आप चुनावों की बातें करते है, पचायती की बातें करते हैं। तमिलनाडु से मुकाबला करते हैं हम आपको पंजाब लिए चलते हैं। हम तो वहां के रहने वाले हैं आप अपने रिसक पर जाइये या हम आपको ले चलते हैं। आप गांव गांव में बगैर प्रोटैक्शन के जाइये, यदि आप चाहेंगे तो हम आपके साथ प्लाटून भेज देंगे, और फिर आकर बताइये कि वहां क्या हालत है। आप किस आधार पर···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस बात को रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

(**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : श्री ढिल्लों, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। माननीय सदस्य श्री ढिल्लों कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

डा. जी. एस. ढिल्लों : महोदय जब हमें कोई·····

[हिन्दी]

ये बहुत घटिया बाते करते हैं उनका कोई फायदा नहीं···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, इस बात को रिकार्ड नहीं किया जायेगा। मैं यह पहले ही कह चुका हूँ कृपया अपने भाषण को आगे बढ़ाइये।

डा. जी. एस. ढिल्लों : वे यह नहीं जानते कि मैं कितना···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि उस बात को रिकार्ड नहीं किया जायेगा। कृपया अपने भाषण को आगे बढ़ाइये। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

डा. जी. एस. ढिल्लों : इसमें उनके लिए कुछ है मेरे लिये कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं आप मेरे कैरियर का अध्ययन कीजिए।

यह मेरे लिए कुछ नही है (**व्यवधान**) मैं और पजाब के मेरे मित्र इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि उपद्रव की स्थिति होने के बावजूद भी पंजाब ने कृषि उत्पादन में प्रगति की है। पंजाब ने उद्योग के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है और विकास दर को 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिया है। ऐसे तनाव में भी हम ऐसा करने में समर्थ रहे हैं। हम अपने उद्योग कृषि और अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं विविधीकरण चाहते हैं और जब तक हमारी निश्चित योजनाएं न हों तब तक विविधीकरण नहीं किया जा सकता। जब मैं कृषि में विविधीकरण की बात कहता हूँ तो अभिप्राय यह है कि हरित क्रांति जिसमें पंजाब ने नेतृत्व किया था मैं कुछ समय के लिए अच्छा कार्य किया गया। परन्तु अब हरित क्रांति असंगत बन रही है। हम शिखर पर पहुँच चुके हैं। हम इस बारे में अधिक चिन्तत हैं कि इस रफ्तार को कैसे कायम रखा जाए जबकि हरित क्रांति अप्रासंगिक बनती जा रही है। हम अपनी कृषि का विकेन्द्रीकरण डेयरी मिल्क परियोजनाओं फूड प्रोसेसिंग तथा अन्य क्षेत्रों में करना चाहते हैं। इसके लिए हमें कुछ विदेशी सरकारों पेप्सी कोला तथा कुछ अन्य वस्तुओं के निर्माताओं से ससायता की पेशकश हुई थी जिनके बारे में भारी पैमाने पर रोजगार विदेशी मुद्रा अर्जन और साथ ही हमारे कुछ कृषि ससांधित खाद्य पदार्थों के निर्यात की संभावता की परिकल्पना की गई थी। परन्तु किन्हीं तकनीकी कारणों से इस योजना के बारे में आगे कार्यवाही नहीं की जा सकी। जब बरनाला साहब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने कई बार इस बारे में बल दिया था। पंजाब के अन्य नेताओं और तत्कालीन राज्यपाल ने भी इस बारे में जोर दिया था परन्तु यह योजना सामने नहीं आ रही है। इसका दूसरा विकल्प यह है कि हमें अलग तरह से इस बारे में विचार करना चाहिए कि फूट प्रोसेसिंग और बागबानी के विकास के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग कैसे किया जाए उनका विकेन्द्रीकरण कैसे किया जाए। बागवानी में हमारी क्षमता केवल 3 प्रतिशत है। हमें इसे बहुत अधिक बढ़ाना चाहते हैं। हमें इस बात को मद्दे नजर रखकर विकल्पों के बारे में सोचना है कि एक सीमा के बाद उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी।

साथ ही पंजाब में पन बिजली अथवा ताप सयंत्रों के माध्यम से बिजली की व्यवस्था की गई है जो बहुत मंहगी है। पंजाब परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने की मांग कर रहा है। वह हमारे लिए सस्ता और मितव्ययी होगा। हमें दूरदराज के स्थानो से कोयला तथा अन्य उत्पाद नहीं लाने पड़ेंगे। यही एक मुख्य कारण है कि हम इस बारे में दबाव डाल रहे हैं, परन्तु अभी तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पंजाब एक पूर्णतः भिन्न राज्य है। जब हम पंजाब की तुलना अन्य राज्यों से करते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। सम्पूर्ण प्रगति लोगों की अपनी प्रेरणा छोटे पैमाने पर उत्पादन लुधियाना बटाला और अन्य स्थानों में निजी उत्पादन के कारण की गई है। अग्रिणी कृषि विश्वविद्यालयों का भी पंजाब में है। वह हमारा विश्वविद्यालय नही है। कभी कभी इसके बारे में कुछ इर्ष्यापूर्ण बातें की जाती हैं। यह कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। यह पंजाब सरकार का विश्वविद्यालय है। कृषि मत्री की हैसियत से मुझे पता लगा है कि वहां एक भी केन्द्रीय संसाधन स्थापित नहीं है। जब मैं इसके बारे में बातचीत करता हूं जब मैं यह तुलना करता हूँ कि पंजाब को कितनी धनराशि दी जाती है तो मुझे पता लगता कि कपूरथला में 200 करोड़ रुपये की लागत की कोय फैक्ट्री को छोड़कर पंजाब को और क्या दिया गया है। क्या आप इसके अलावा कुछ बता सकते हैं। मैं यह बता सकता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये के उद्योग स्थापित हैं। मैं इस बारे में पश्चिमी बंगाल और बिहार का उल्लेख कर सकता हूं हम यह चाहते हैं कि जिन युवाओं को कहीं रोजगार नहीं मिला है उनके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जायें। उनका अन्य कोई शौक नहीं है और अब उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया है।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : इसके बावजूद भी आप पंजाब में राष्ट्रपति शासन को निमंत्रण दे रहे हैं।

डा. जी. एस. ढिल्लों : हम राष्ट्रपति शासन लागू करके प्रसन्न नहीं है। हमने उन्हें आत्म-

निर्भर बनाने का प्रयास किया। जब श्री बरनाला ऐसा करने में असमर्थ रहे तो हम श्री प्रकाश सिंह बादल के आने का इन्तजार कर रहे थे। वे भी बरनाला से बेहतर नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति बेहतर कार्य नहीं कर रहा है और दोनों बार सरकार की समय अवधि भी समाप्त हो गई है। कल विधेयक को क्यों लाया गया था ? इस बारे में कोई व्यक्ति खुश नहीं है। कांग्रेस दल पहले ही मामले से बाहर हो गया है। प्रो. दण्डवते मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि एक कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपने जीवन में पहली बार मैंने उनकी सफलता के लिए प्रार्थना की मेरा अभिप्राय अकाली सरकार से है।

प्रो. जी. एस. ढिल्लों :चुनाव के समय दोनों व्यक्तियों ने लोगोंवाल समझौते को स्वीकार कर लिया था। मैं नहीं जानता कि उनके सत्ता में आने के बाद क्या हुआ। अब ऐसा ही हुआ है। मैं गुरुनाम सिंह लछमन सिंह के समय से ही अकाली सरकार को देखता आ रहा हूं निश्चित रूप से हमने उसे अस्वीकार कर दिया। उसके बाद फिर बादल साहब आ गये। फिर इस दौरान हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति सत्ता में आ गये। हमारी उन प्रार्थनाओं के बावजूद भी कि वे आत्म निर्भर हो जाएं वे आत्म निर्भर नहीं बन सके। अब इस विधेयक को लाने के बारे में नैतिकता की बात पर आते हुए इसकी व्यवस्था संविधान में ही की गई है सदन में उद्घोषणा को पारित किया है और यही इसकी नैतिक शक्ति है। यदि ये व्यक्ति आ सकते तो हमें बिलकुल भी उस नैतिक शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। इतना यह कारण है। मैं सदैव इस बात का समर्थन करता रहा हूं कि पंजाब के लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए कुछ कार्य अवश्य किया जाना चाहिए। जब रेल मंत्री महोदय रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय अपने भाषण को पढ़ रहे थे तो मैं इस बारे में इन्तजार कर रहा था। कि क्या वे पंजाब के बारे में भी उल्लेख करते हैं। परन्तु कुछ भी सामने नहीं आया। हम दो महत्व पूर्ण रेलवे कनैक्शनों और रेल सुधारों की मांग कर रहे हैं। हम यह मांग कर रहे हैं कि राज मार्ग बहुत सकरे हैं और ट्रैफिक बहुत अधिक है। लुधियाना और पंजाब के अन्य शहरों के बीच एक इलैक्ट्रिक रेलवे होनी चाहिए ताकि थोड़ी-थोड़ी देर बाद चलने वाली शटल गाड़ियों द्वारा भार को ढोया जा सके। किन्तु रेल मंत्री के बजट भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया था। जब मैं इन्दिरा जी के मंत्री मंडल में था उस समय हमने व्यास नदी के अन्दर एक पुल बनाने की स्वीकृति दी थी मैं उस मन्त्रालय का प्रभारी था—जो जालन्धर और कपूरथला को अमृतसर जिले से जोड़ता है जिससे पुराना ऐतिहासिक गोईदवाल कस्बा जो अब अमृतसर जिले में है और जहां पुनः चहल पहल हो गयी है और वह कस्बा उस पुल के कारण ही सम्पन्न बन गया है। हम मांग कर रहे हैं कि जलन्धर या व्यास से गोईदवाल जोकि ज्यादा से ज्यादा 15 मील दूर स्थिति है तक रेल लाइन बिछाई जाए। इस बारे में उनके भाषण में कुछ भी नहीं कहा गया है। अगर गोइदवाल में उद्योग की स्थापना की गई होती तो वहां अधिक अवसर उपलब्ध हो सकते थे।

उद्योग को बहुत रियायतें दी गई है। कृषि पर आधारित उद्योग, नियमित उद्योग हैं। हम यह मांग करते रहे हैं कि विक्षिप्त और सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इसे पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिए ताकि नए उद्योग स्थापित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन मिल सकें। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। हमारी स्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। हम राज्य में ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उद्योग पतियों को वहां नए उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिले। कुछ तो प्रोत्साहन होने चाहिए ताकि लोग वहां जाएं। प्रोत्साहन है नहीं इसलिए लोग अमृतसर की तरह उन जिलों और शहरों को भी छोड़ रहे हैं।

महोदय मुझे अपने पंजाब पर,—मुझे सारे देश पर भी बहुत गर्व है कि पंजाब में इस साल कपास का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है। इसकी मुझे प्रशंसा करनी चाहिए। गेहूं और चावल के

उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए मैं पंजाब के राज्यपाल पजाब की सरकार, प्रशासन और सचिवों की प्रशंसा करता हूं। पजाब में कपास की 130 लाख गांठों का उत्पादन हुआ है जोकि अब तक का रिकार्ड उत्पादन है। यह देश में उत्पादित कुल कपास का 23% है। यह बहुत उल्लेखनीय उत्पादन है। लेकिन इसे बनाए कैसे रखा जाए ? मैं कहूंगा कि यह उत्पादन बहुत अशांत स्थिति में हुआ है।...(व्यवधान) पिछले दो दिन से हम संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे मित्र श्री तुलसीराम की नींद आज खुली है। इस सम्बन्ध में एक मजाक सुनाता हूं। जब मैं मिस्र गया था तो राष्ट्रपति सादात ने, तब वे जिंदा थे, मुझे एक चुटकुला सुनाया था। उन्होंने कहा कि "एक आदमी चिड़ियाघर गया। उसने देखा कि सब जानवर हंस रहे हैं पर जेबरा चुप है। दूसरे दिन वह फिर चिड़ियाघर गया और वहां उसने देखा कि केवल जेबरा हंस रहा है और जानवर एकदम शांत हैं। उसने वहां के संरक्षक अधिकारी से पूछा "यह क्या माजरा है" ? वह बोला "सब ठीक है। बन्दर ने कल एक चुटकुला सुनाया था जिस पर सारे जानवर हंसे थे। जेबरे को वह चुटकुला आज समझ आया है"... (व्यवधान)...हम पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं। अब बजट को पेश किया जा रहा है। हमें सुझाव देना है कि वहां की समस्या के बारे में हमारे क्या मत हैं। वहां उद्योग और कृषि की क्या स्थिति है और हम क्या चाहते हैं। इसी समय हमें हितों का ध्यान आ रहा है। हम जानते हैं कि आतंकवाद और उग्रवाद ने हमें कितनी चोट पहुंचाई है यह बात हमसे बेहतर कौन जाता है। लोग मर रहे हैं। हमें इससे खुशी नहीं हो रही। लेकिन यहां हम अर्थव्यवस्था वित्त और अपने बजट की चर्चा कर रहे हैं ऐसे में आपात कहां से आ गया ? इसलिए मेरा विचार है कि हमें या तो मिलकर हंसना चाहिए या रोना चाहिए।

प्रो. मधु दंडवते : बन्दर को अपना चुटकुला वापस ले लेना चाहिए। (व्यवधान)

डा. जी. एस. ढिल्लो : कल ही नहीं...(व्यवधान)...मैंने सोचा कि मैं यह सब बातें आपके ध्यान में लाऊं। अन्त में मेरा निवेदन है कि मैं यह सब बातें औपचारिक ढंग से नहीं कह रहा बल्कि भावुक होकर कह रहा हूं। सारा श्रेय पंजाब के किसानों, उद्योगपतियों और उन मेहनतकश लोगों को जाता है जिन्होंने सब कुछ होने के बावजूद उत्पादन की उत्पादन दर को कम नहीं होने दिया। और इससे भी बढ़कर श्रेय प्रशासन के कार्य को देखने वाले लोगों और पंजाब के राज्यपाल को जाता है।

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : सभापति महोदय, 1988-89 के लिए पंजाब बजट से संबंधित चर्चा में मैं बड़े भारी मन से भाग ले रहा हूं। महोदय, आप जानते हैं कि राज्य के बजट की चर्चा का उपयुक्त स्थान, राज्य की विधान सभा है। लेकिन वहां राष्ट्रपति का शासन है और कोई चुनी हुई विधान सभा वहां काम नहीं कर रही है। इसलिए वह काम हम यहां एक नैमेत्तिक कार्य की तौर पर कर रहे हैं। यह नाम नैमेत्तिक काम जैसा ही है। राज्य की विधान सभा में जब बजट पर चर्चा की जाती है तो उस राज्य के लोग बजट के बारे में यह सोचते हैं कि बजट उनकी आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब होगा या नहीं। हम पंजाब के बजट कीय हां चर्चा कर रहे हैं पर पंजाब की जनता भय के दौर से गुजर रही है और वह उस दिन का हिसाब लगा रही है जब पंजाब में आपात विधेयक जैसे काले विधेयक की घोषणा की जाएगी।

पंजाब के बारे में प्रमुख सवाल श्री ढ़िल्लो ने आज नहीं कल उठाया था। कल उन्होंने बार-बार कहा था : "क्या किया जाए।" "क्या किया जाए" पंजाब में एक प्रमुख प्रश्न बन गया है और पंजाब तथा भारत सरकार पंजाब की समस्या का हल निकालने के लिए और कड़े कानून बना रही है।

हमने बहुत बार यहां यह कहा है कि यह केवल कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। पंजाब की समस्या अन्शतन भावनात्मक, अंशत मनोवैज्ञानिक, अंशतन आर्थिक और अंशत राजनैतिक है। राजनैतिक ढंग से इसका हल निकालना होगा।

आतंकवाद का सामना करने के लिए सभी देशभक्त और प्रजातांत्रिक लोगों को एक जुट हो जाना चाहिए। लेकिन यह करने की बजाए केन्द्रीय सरकार लगातार कड़े कानून बना रही है जिनका कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। पंजाब में यह स्थिति सत्तारुढ़ दल ने उत्पन्न की है। सरकार एक के बाद एक कानून पारित करती जाएगी पर स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, जैसे विधेयकों को अपनी मांगों के लिए आवाज उठाने की कोशिश करने वाले श्रमजीवी वर्गों के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है। इन कानूनों का प्रयोग मिल मालिकों प्रबंध वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। इस स्थिति का जिम्मेवार सत्तारुढ़ दल है। अगर आप बजट को देखें तो पाएगे कि मन्त्री जी ने स्वयं यह बात स्वीकार की है कि लगभग 1,069.90 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व की तुलना में राज्य कर राजस्व और गैर काराधान मदों से 40.06 करोड़ रुपए कम राजस्व प्राप्त हुआ है। ऐसा राज्य में व्याप्त अशांत स्थिति के कारण हुआ है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि निर्माणाधीन परियोजनाओं की क्या स्थिति है राज्य में निरन्तर व्याप्त अशांत स्थिति से क्या वे बुरी तरह प्रभावित हुई है और क्या कोई निर्माणाधीन परियोजना इससे प्रभावित हुई हैं ? इसका जबाब माननीय मंत्री जी को देना चाहिये। चालू वर्ष में कम राजस्व एकत्र होने के बावजूद उन्होंने आशा की है कि अगले साल अर्थात् 1988-89 में राज्य कर राजस्व और गैर कराधान मदों से लगभग 1,190.35 करोड़ रुपए की आय होगी। ऐसा बजट में अनुमान लगाया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि लगभग 150 करोड़ रुपए की अधिक राशि एकत्र कैसे की जाएगी।

राज्य विधान सभा में बजट की विभाग वार विस्तार से चर्चा होती है। वहां विस्तार से चर्चा संभव है पर यहां चर्चा एक नैमेत्तिक काम मात्र है। इस चर्चा में भाग लेते समय मैं केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध करुंगा कि जो विधेयक उन्होंने पारित किए हैं उन पर ही निर्भर न रहें बल्कि सभी देशभक्त और प्रजातांत्रिक लोगों को एकजुट करें ताकि शांतिपूर्ण ढंग से राजनैतिक ढग से हल निकाला जाए।

मैं यहां एक और बात नोट करना चाहता हूं। कल हमने दो मंत्रियों चिदम्बरम् जी और सरदार बूटा सिंह को सुना। लेकिन सत्तारुढ़ दल के साथ समस्या यह है कि उन्हें मालूम नहीं है कि पंजाब में किया क्या जाए। मैं उनसे कहूँगा कि पहले सोच विचार करें फिर निर्णय लें और उसे कार्यान्वित करें। पहले पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किये गये, चुनाव हुये, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, विधान सभा भंग की गई और एक विधेयक के बाद दूसरे विधेयक को पारित किया गया। यह प्रक्रिया जारी रहेगी। कब तक जारी रहेगी ?

श्री चिदम्बरम ने अपने भाषण में कहा कि हमारे दल भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का पंजाब में कोई उत्तरदायित्व नहीं है। लेकिन साथ ही बूटा सिंह जी ने यह बात मानी है कि हमने वहां अच्छा काम किया है। क्या उनकी परस्पर सहमति है ? सत्तारुढ़ दल के साथ यह परेशानी है।

प्रो. मधु दण्डवते : उनकी प. बंगाल में कोई जिम्मेवारी नहीं है।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : वे इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे प. बंगाल में उनकी कोई

जिम्मेवारी नहीं है। आपने देखा होगा कि सत्तारुढ़ दल केवल सचेतक पर कार्य करता है। सचेतक के बिना वे सदन को नहीं चला सकते।

सभापति महोदय : कृपया बजट तक ही सीमित रहें।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मैं बार-बार कहूंगा कि पहले वे सोच विचार कर निर्णय लें और फिर सभी देशभक्त और प्रजातांत्रिक ताकतों को एकजुट करके विघटनकारी तत्वों से लड़ाई लड़ें।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : सभापति महोदय, मैं पंजाब विनियोजन विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं सुन रहा हूं कि विपक्ष के मेरे मित्र क्या कह रहे हैं। पहले वक्ता श्री तुलसीराम आपात स्थिति के बारे में बोल रहे थे क्योंकि दो दिन से हम सदन में आपात स्थिति की चर्चा कर रहे हैं। उनके दल ने उन्हें आपात्त स्थिति पर बोलने का मौका नहीं दिया इसलिये उन्होंने आज इस बारे में बोला। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति की घोषणा तब की जाती है जब देश को खतरा होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब की समस्या क्या देश के लिये खतरा नहीं है क्योंकि विदेशी ताकतें सहायता कर रही है विदेशों में हमारे कुछ गुमराह युवकों को प्रशिक्षण धन और खतरनाक हथियार दिये जा रहे हैं। क्या वह यह सोचते है कि पंजाब का खतरा खतरा नहीं है जब भारत खतरे में होगा तभी आपात स्थिति की घोषणा की जाए? पंजाब भारत का हिस्सा है और अगर देश के किसी भी हिस्से में खतरा होगा तो क्या हमें यह अधिकार नहीं है कि आपात स्थिति की घोषणा की जाये? उन्होंने जिन विभिन्न कानूनों और आपात कानूनों का उल्लेख किया है उन्हें लागू करके हमें खुशी नहीं हो रही लेकिन पंजाब में ऐसी स्थिति है जिसने हमें बाध्य किया है और केन्द्र सरकार को भी अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत बाध्य किया है कि अगर वहां राज्य सरकार देश के संविधान के मुताबिक कानूनों को कार्यान्वित नहीं कर सकती या शासन चलाने की स्थिति में नहीं है तो केन्द्र सरकार के लिये यह जरुरी है कि वहां आपात स्थिति की घोषणा की जाए।

मैं नहीं जानता कि श्री मिश्रा क्या कह रहे थे। वह पुनः आपात्त स्थिति का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने पंजाब के बारे में ज्यादा नहीं कहा है या संभवतः उन्हें पंजाब के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है। उनकी पार्टी ने उन्हें कुछ बोलने के लिए कहा होगा और उन्होंने इस संबध में थोड़ा बहुत कह दिया जो कम से कम मेरी तो समझ में नहीं आया।

पंजाब पिछले छः वर्षों से आतंकवाद का सामना कर रहा है। पंजाब में विकास पर—चाहे औद्योगिक विकास हो या कृषि का विकास—प्रभाव पड़ा है। पंजाब और विकास कर सकता था, पंजाब में अधिक विकास की क्षमता है। पंजाबियों में अधिक उत्पादन करने और कृषि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करने की अधिक क्षमता है, जिसे वे हरित क्रांति ला सके और भारत में घाटे की अर्थ-व्यवस्था की बजाय उसे सुदृढ़ बना सकें "पंजाब भारत का अन्न का भंडारगृह है और पंजाबियों में अधिक उत्पादन की क्षमता है लेकिन पंजाब में 6 वर्षों की परिस्थितियों के कारण इसका विकास रुक गया है। यहां उतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था।

महोदय, मैं सर्वप्रथम कृषि से बात शुरू करता हूं। केन्द्रीय बजट में भी कृषि को प्राथमिकता दी गई है ताकि हम अधिक उत्पादन कर सकें। भारत में करीब 10 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन होता है, यदि यह उत्पादन 2000 लाख टन हो जाए, तो भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण नहीं लेना पड़ेगा और इस विकास में पंजाब मुख्य भूमिका निभा रहा है। हमारी खरीद प्रणाली बहुत अच्छी है। हम केन्द्रीय भंडार में अधिकतम खाद्यान्न दे रहे हैं और यदि हम चाहते हैं कि हमें

पंजाब से और अधिक खाद्यान्न मिलें और पंजाब को इस संबंध में भारत की और सहायता करनी चाहिए तो हमें कुछ समस्याओं का समाधान करना होगा। हमारे यहां बिजली की कमी है। पंजाब में बिजली की बहुत मांग है। बढ़ती हुई मांग को देखते हुए यह जरूरी है कि हमें बिजली का और उत्पादन करना चाहिए और उसके लिए हमें केन्द्र पर निर्भर रहना होगा कि हमें सिंगरौली तथा बारासूल परियोजनाओं से हमारा हिस्सा नियमित रूप से मिले ताकि हम अपने कृषि विकास को बनाए रख सकें।

3.33 म.प.

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

पंजाब में पन बिजली के संसाधन नहीं हैं और हमारे यहां जो तापीय संयंत्र हैं उनके लिए काफी दूरी से कोयला मंगाना पड़ता है और यह बहुत मुश्किल है। अतः केन्द्र सरकार हमारी यही मदद कर सकती है कि वहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएं और यदि परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं तो मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि पंजाब अपना विकास करता रहेगा और अर्थ व्यवस्था के विकास और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभा पाएगा।

केन्द्र ने उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाएं शुरू की है लेकिन पंजाब में ऐसी कोई इकाई नहीं लगाई गई है। हम और विकास कर सकते हैं। हम अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन कर सकते हैं। हम अपने कृषि उत्पादन में विविधता ला सकते हैं, और भारत को तिलहनों का आयात कम करने में सहायता दे सकते हैं। जैसा डा. ढिल्लो ने कहा है कि पंजाब में एक भी बड़ा उद्योग नहीं है। हमारे यहां होजरी, खेल-कूद का सामान, वस्त्र, साईकिलों-सिलाई मशीनों और कृषि उपकरणों की 10,000 लघु इकाइयां हैं। यदि हमें प्रोत्साहन मिले तो हम निश्चित रूप से कृषि में लगे लोगों को इन कार्यों में लगा सकते हैं क्योंकि कृषि में अधिकतम लोग लगे हैं। लोगों को कृषि से दूसरे क्षेत्रों में लगाने की आवश्यकता है। पजाब में लोगों को और रोजगार देने की जरूरत है। उन्हें केवल उद्योगों में ही लगाया जा सकता है। पंजाब में बड़े उद्योग नहीं है। अभी हाल ही में आपने कपूरथला में रेल डिब्बे बनाने का कारखाना लगाया है। यदि पंजाब में और बड़े उद्योग लगाए जाएं और विशेष रूप से पंजाब में रोजगारोन्मुख इकाइयां लगाई जाएं तो इससे हमारी वर्तमान राजनैतिक स्थिति, जो कि बेरोजगारी के कारण ऐसी है, को भी अच्छा बनाने में सहायता मिलेगी।

आप लघु उद्योगों की कई तरह से मदद कर सकते हैं। आप उन्हें ऋण दे सकते हैं। आप उन्हें सस्ती दरों पर ऋण दे सकते हैं। आप उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करके भी उनकी सहायता कर सकते हैं। हमें कोयले की जरूरत है, इस्पात की जरूरत है, कच्चे लोहे को जरूरत है। बटाला उद्योग, जो कि एक बहुत अच्छा उद्योग है और जो पूरे देश में सर्वाधिक उत्पादन करने वाली इकाइयों में से एक है, वहां कच्चे लोहे की कमी है। हमें यह सुविधाएं वस्तुएं नहीं दी गई हैं। यदि हमें ये दी जाएं तो निश्चय ही हम पजाब तथा भारत की अर्थ-व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

पंजाब में केवल तीन जिले को पिछड़े जिले घोषित किए गए हैं। फिरोजपुर तथा गुरुदासपुर 'तृतीय श्रेणी' के पिछड़े जिले घोषित किए गए हैं। अमृतसर-जहां से मैं निर्वाचित हूँ-को 1986 में केवल सीमित समय के लिए 'तृतीय श्रेणी' का दर्जा दिया गया था जो 1988 में समाप्त हो गया। यदि आप सचमुच पंजाब की सहायता करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वहां औद्योगिक

विकास हो और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको पंजाब के और जिलों को पिछड़े जिलों की श्रेणी में लाना चाहिए और उन्हें सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरे पंजाब को सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। वर्तमान परिस्थितियों में इससे हमें बहुत सहायता मिलेगी।

पंजाब में बासमती चावल का उत्पादन किया जाता है। इसे अन्य देशों में निर्यात किया जाता है। 1983-84 में करीब 76 करोड़ रुपये मूल्य का चावल निर्यात किया गया। अब 240 करोड़ रुपए मूल्य का बासमती चावल का निर्यात किया जाता है। पंजाब में खास तरह का बासमती चावल उगाया जाता है जिसकी विशेष सुगंध होती है विदेशों में यह चावल बहुत पसंद किया जाता है। यदि पंजाब के उत्पादकों को बासमती चावल के उत्पादन के लिए कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जाएं तो निश्चिय ही आप अपना निर्यात बढ़ा सकते हैं। आप उन्हें रियायती दरों पर बढ़िया बीज उपलब्ध करा सकते हैं। आप उन्हें इसके लिये बढ़िया उर्वरक दे सकते हैं।

मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि बासमती चावल के निर्यातकों से शुल्क वसूल नहीं किया जाना चाहिए। आप चावल की प्रत्येक किस्म पर शुल्क ले रहे हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। हम खुशी से ऐसा करेंगे क्योंकि आपको अधिक खाद्यान्नों की जरूरत है। पंजाब हमेशा योगदान देता रहा है और आगे देता रहेगा। किन्तु कम से कम आपको बासमती चावल के निर्यातकों से शुल्क वसूल नहीं करना चाहिए। आप उन्हें बहुत सुविधाओं दे रहे हैं। यदि यह सुविधा भी दें तो पंजाब से अधिक मात्रा में बासमती चावल का निर्यात किया जाएगा।

अब मैं कानून और व्यवस्था की स्थिति पर आता हूं जैसा कि आप जानते हैं पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। पंजाब में कई तरह से परीक्षण किया गया है। कभी वहां लोकप्रिय सरकार आदि कभी वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया हमने देखा कि वहां स्थिति बहुत जटिल है। मैं आपका ध्यान समस्या के एक पहलू की ओर दिलाऊंगा जिसमें सरकार हमारी मदद कर सकती है। जैसाकि आप जानते हैं आरंभ में आतंकवादियों ने पिस्तौल रखना शुरू किया। फिर वे दूसरी छोटी बन्दूकें भी रखने लगे। अब उनके पास ए. के. 47- राइफलें हैं। कल जैसाकि आप सबने सम चार पत्रों में पढ़ा होगा उन्होंने राकेट का प्रक्षेपण शुरू किया है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या पंजाब में आपकी पुलिस के पास भी ऐसे आधुनिक हथियार हैं। यदि नहीं तो क्या आप समझते हैं कि पंजाब पुलिस वाले 303 राइफलें जिसने गोली डालने में एक मिनट लगता है, के साथ उनका मुकाबला करेंगे जिनके पास ए. के. 47 राइफलें हैं, जिनसे 1 मिनट में 600 गोलियां चलाई जा सकती है? यह इस राइफल से गोलियों की बरसात सी होती है यदि आप पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाना चाहते है तो कृपया आप अपने उन उच्चाधिकारियों को वहां भेजिए जो वातानुकूलित कमरों में बैठकर आदेश दे रहे हैं और इतनी दूरी से स्थिति का जायजा ले रहे है। उन लोगों को पंजाब भेजिए उन्हें उन सिपाहियों से मिलने दें जो आतंकवादियों से मुकाबला कर रहे हैं। उन्हें वहां भेजिए और वहां का जरूरतो का मुल्यांकन करने दें और इन जरूरतों को पूरा करना आपका कर्तव्य है। यदि आप पजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं तो पंजाब को ये सब सुविधाए दीजिए। पंजाब के अफसर यहां आकर बैठकों में जो कहते हैं उन्हें सुनिए और उनकी मांगें पूरी कीजिए। यदि आप उन्हें इस तरह की राइफलें आदि देते रहें जो आतकवादियों से हथियारों के कोई मेल नहीं है, तो फिर यह लड़ाई लंबी खिच जाएगी। अत: अच्छा होगा उन्हें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराए। पुलिस रात को गश्त लगाती है। आतंकवादी झाड़ियों के पीछे पात लगाकर उन्हें ए. के. 47 से मार डालते हैं। क्या आप सिपाहियों को बुलट

फक जीप उपलब्ध नहीं करा सकते ताकि वे गांवों में रात को जा सकें और गश्त लगाकर अपनी ड्यूटी पूरी कर सकें ? अतः मेरा अनुरोध है कि आप पंजाब सरकार की मांगों उनकी जरूरतों पर पुनः विचार करें ताकि वे आतंकवादियों की चुनौतियां का सामना कर सकें और उन्हें ये सुविधाएं तुरन्त मुहैया कराएं । अन्यथा होगा यह कि जब तक आप उन्हें ए. के. 47 राइफलें उपलब्ध कराएंगे आतंकवादियों को और भी प्रभावी हथियार मिल जाएंगे क्योंकि आप एक विदेशी शक्ति से टक्कर ले रहे हैं । वह विदेशी शक्ति पंजाब में इस तरह की स्थिति पैदा कर रही है । यह सब पाकिस्तान कर रहा है । वहां दुश्मन दिखाई नहीं देंगे । दुश्मन सीमा के पार होगा । हम इसके गंभीरता से नहीं ले रहे हैं । इसे गंभीरता से लीजिए और पंजाब के सिपाहियों को आवश्यक हथियार और शस्त्र उपलब्ध कराइएं ताकि हम प्रभावी रूप से इससे टक्कर ले सकें ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) सभापति जी आज जो बजट यहां पेश हुआ है, इसको पंजाब की विधान सभा में यदि पेश किया जाता तो वहां के जनप्रतिनिधियों को पंजाब की तमाम स्थितियों के बारे में विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिलता और उनकी चर्चा यथार्थपूर्ण होती लेकिन वह अधिकार भी छीन करके केन्द्र सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया है । इसलिए मैं मानता हूं कि पंजाब का जो बजट पेश हुआ है, यह पंजाब पर थोपा हुआ बजट कहलायेगा । मैं बजट पढ़ रहा था तो उसमें एक जगह उल्लेख है कि पुलिस बल पर जितने रुपए गत वर्ष खर्च किए गए थे उससे अधिक यानी चालीस करोड़ रुपए अधिक खर्च किये जायेंगे ताकि पुलिस बल चुस्त और दुरुस्त हो सके । इस तरह से पंजाब की विधि व्यवस्था को नियंत्रित किया जायेगा । बात ठीक है । किसी भी सभ्य सरकार के लिए यह जरूरी है और उसका पहला काम है कि विधि व्यवस्था ठीक रहे । लेकिन पंजाब की विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिए केवल पुलिस बल से काम नहीं चलेगा । पुलिस बल को चाहे जितना मजबूत कर दें पंजाब की विधि व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है, जब तक वहां की विधि-व्यवस्था के कारणों को जानने की कोशिश नहीं करेंगे । वहां के राज्यपाल और आपके प्रिय पात्र पुलिस अधिकारी श्री रिबेरो का भी कहना है कि पंजाब की समस्या राजनीतिक समस्या है । मेरी बातों पर यकीन करें या न करें लेकिन जिन लोगों को आपने बड़ी आशा में बिठाया है उनकी बातों पर कम से कम आपको यकीन करना चाहिए । आप समझते हैं कि आप पुलिस बल पर भरोसा करके पंजाब की समस्या का समाधान कर सकते हैं और मैं कहना चाहता हूं यह आपका ख्याली पुलाव होगा । आपको पिछले दिनों जो अनुभव हुए हैं उनसे सीख लेनी चाहिए । इसी सदन में आपने पंजाब की समस्या का समाधान के लिए जो भी चाहिए वह अधिकार ले लिये यहां तक कि वहां की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार इस बिना पर गिरा दी कि वह अक्षम है आतंकवाद से निपटने में है । उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया । इसका क्या नतीजा निकला यह आपके और हमारे तथा देश के सामने है । राष्ट्रपति शासन के तहत जितने लोगों की हत्यायें हुई हैं शायद किसी भी समय पर इतने लोगों की हत्या नहीं हुई, इससे भी आपका दिल नहीं भरा तो आपने कल आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार ले लिया जिस पर काफी चर्चा कल हो चुकी है कि आपातकाल का जो परिणाम होता है वह आप भी देख चुके हैं और हम भी देख चुके हैं अगर आप विकास चाहते हैं पंजाब का पंजाब में शान्ति चाहते हैं जो समस्या है उसका समाधान आपको ढूंढना पड़ेगा समाधान ढूंढने के क्रम में आपको सबसे पहले जन सहयोग की अपेक्षा करनी पड़ेगी । बिना जन-सहयोग के किसी भी समस्या का समाधान आप नहीं पा सकते हैं । आप कहें कि हम कोशिश कर

रहे हैं और अपील कर रहे है कि जनता सहयोग दे तो केवल अपील करने से जन सहयोग नहीं मिलता है। जन सहयोग लेने के लिए आपका ऐसे कामों को करना पड़ेगा कि जिन कामों को करने से वहां की जनता आकर्षित हो वहां की जनता को प्रेरणा मिले उनको लगे कि जो लोग जनसहयोग की अपेक्षा करते हैं वह वह हमारे लिए हैं हमारे दुःख दर्द में शरीक होने वाले हैं। एक तरफ आप निरीह और निर्दोष लोगों को झूठी मुठभेड़ कराकर आतंकवादियों के नाम पर मरवाते रहेंगे रहे हैं निर्दोष लोगों को बिना मुकदमा चलाये जेलों में बन्द करते रहेंगे काले कानूनों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो पंजाब की समस्या का समाधान नहीं होगा। में आपको जन सहयोग नहीं मिल सकता। यदि आपके मन में पंजाब की समस्या का समाधान ढूंढने की इच्छा होती जिसकी चर्चा कई बार हो चुकी है तो मैं पुनः कहना चाहूंगा देश के तमाम राजनीति दलों के प्रतिनिधियों को इक्ट्ठा करना चाहिए, देश जो व्यक्ति दलगत राजनीति से अलग होकर समाज की सेवा करते हैं वैसे लोगों को इकटठा करना चाहिए जिससे एक आम राय बनती उसको लेकर पंजाब में जितने अकाली दल के धड़े हैं उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करते उग्रवादियों से बात चीत करते तो हो सकता है कि कोई बात निकल सकती थी। आप कहेंगे कि हमने अपील की लेकिन जनता पार्टी के लोगों ने उसमें सहयोग नहीं किया। इसी सदन के अन्दर पिछले दिनों जब चर्चा हो रही थी गृह मंत्री बूटासिंह ने कहा था कि जनता पार्टी ने सहयोग नहीं दिया कल भी उन्होंने कहा और पिछली बार भी चर्चा में उन्होंने यहां तक कह दिया अपने शब्दों में जिसका भाव यह था कि चन्द्रशेखर वैसे लोगों से बात करते हैं जो देशद्रोही हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 1984 में जब चन्द्रशेखर ने कहा था आपरेशन ब्लू स्टार उचित नहीं था चाहिए था कि बातचीत करके राय-मशविरा करके आपस में बैठकर वार्ता करके नतीजा निकालते तो आपने क्या कहा कि यह चन्द्रशेखर बलिया का भिण्डरावाला है, जब चन्द्रशेखर ने कहा कि आनन्दपुर प्रस्ताव को नजरअन्दाज नहीं किया जाये वार्ता के लिए बैठे तो उसको भी सामने रखिये तो आपने कहा था कि यह चन्द्रशेखर बलिया का भिडरावाला है। उसको भिण्डरावाला बलिया का बताकर आपने 1984 में जनता को ठगने का काम किया लेकिन उसके बाद फिर से आनन्दपुर प्रस्ताव को सामने रखकर आप पुनः बातचीत पर आ गये और लौंगोवाल साहब से आपने वार्ता की। मैं वार्ता का विरोधी नहीं हूँ लेकिन आप में थोड़ी भी नैतिकता होती तो आप माफी मांगते और इस बात को कबूल करते कि आपने वोट लेने के लिए जनता को ठगने का काम किया है, लेकिन आपका नैतिकता से वास्ता नहीं है आपका नैतिकता से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है। आज पंजाब में स्थिति यह है कि कुछ मुट्ठीभर लोगों को छोड़कर सब में भाईचारे का रिश्ता है रोटी और बेटी का रिश्ता है। क्या आपने इस भाईचारे के रिश्ते के आधार पर पंजाब समस्या के समाधान के लिए कभी कोशिश की इस रिश्ते के प्रभाव का उपयोग करके वहां की समस्या सुलझाने की कोशिश की आपने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। यदि किया तो आप अपने उत्तर में उसे स्पष्ट कर दें। लेकिन हम जानते हैं कि आपके मन में पंजाब की समस्या की इतनी चिन्ता नहीं है जितनी इस बात की चिन्ता है कि किस तरह से पंजाब में हमारा शासन कायम रहे। आप वहां आग से खेल रहे हैं और आग से खेलने के क्रम में आप देश को विखण्डित करने का कुचक्र रच रहे हैं। देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करने के लिए आपके मन में लेशमात्र भी इच्छा नहीं है आप बिल्कुल नहीं चाहते। आप सिर्फ यही चाहते हैं कि पंजाब जाए चूल्हे भाड़ में देश भले खण्डित हो जाए लेकिन वहां आपका शासन कायम रहना चाहिए। यदि आप के मन में देश की एकता और अखन्डता को बनाए रखने का दर्द होता इच्छा होती तो आप इस बात की कोशिश करते कि पंजाब के लोगों का दिल किसी तरह टूटने न पाये। क्यों कि यदि पंजाब के लोगों का दिल टूट जाएगा तो उस देश को दुनिया की कोई भी शक्ति बचा नहीं सकती। आपने पंजाब की समस्या के समाधान के लिए

आज तक जितने कदम उठाने हैं, वे सही दिशा में नहीं उठाये गए हैं वे साफ नियत से नहीं उठाये गए हैं वे इस भाव से उठाये गए हैं कि पंजाब का समाधान हो या न हो किसी तरह पजाब में आपका शासन कायम रहना चाहिए। उसकी मैं आपके सामने एक मिसाल देना चाहता हूं।

आपके वहां एक नेता हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। हमारे मन में भी उनके प्रति बड़ा आदर है और हमें खुशी है वे इस समय वहां सक्रिय हैं लेकिन आपने तीन साल पहले क्या किया। उनको मनीला से पकडवाया था, इसलिए कि वे आतंकवादी थे। लाखों रुपये खर्च करके आपने उनको पकड़वाया और यहां रखा। आज वे ही अकाल तख्त की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जब आप इस तरह से काम करते रहोगे कि जिस को मर्जी आई आतंकवादी कह कर जेल में डाल दिया जिसकी मर्जी आई मौडरेट कर करार दिया तो इस तरह से आपका काम ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, आज आपके लिए बादल साहब मौडरेट नहीं हैं क्या उनकी पंजाब के आतंकवादियों से सांठ गांठ है। आप पंजाब में जिस भावना से काम कर रहे हैं वह ठीक नहीं है साफ नही है। अब वहां लाइसेंस देने की नई प्रथा आरम्भ कर दी है। कि आतंकवादी कौन है और उग्रवादी कौन है इसलिए कि आप लाइसेंस देने से परहेज कीजिए। अब कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता कि पंजाब की समस्या का हल आपके बूते की बात नहीं है। कभी कभी मेरे मन में यह शंका उठती है कि यदि पंजाब के मसले पर गहराई से विचार हो तमाम घटनाओं पर चर्चा हो जाए तो साफ हो जायेगा कि उसकी जड़ में आप हैं इसलिए जब तक आप कुर्सी पर विराजन हैं मेरा पूरा विश्वास है कि पंजाब की समस्या का सामधान हो नहीं सकता। इन शब्दों के साथ मैं पजाब बजट का विरोध करते हुई अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्रीमती सुखबन्स कौर।

श्री राज कुमार राय (घोसी) : सभापति जी, मुझे भी पंजाब बजट पर बोलने के लिए कुछ समय देंगे।

सभापति महोदय : श्रीमती सुखबन्स कौर।

श्री राज कुमार राय : सभापति जी, मैं आप की तरफ ही मुखातिब हूं। आप मेरी तरफ भी देखिए।

सभापति महोदय : जब आपका नाम आयेगा तो आपको भी जरुर समय दिया जाएगा।

श्री राज कुमार राय : नाम तो आता-जाता है, यदि आप चाहें तो मैं दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा। आप समय दीजिए। आपका अधिकार है, आप पैनल में से इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आपका अधिकार है, जिसको चाहें, बोलने के लिए अनुमति दे सकते हैं।

सभापति महोदय : अभी मैं आपके हक में उस डिस्क्रीशन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, आप बैठ जाइये। आपने निवेदन कर दिया, आप बैठ जाइवे।

श्री राज कुमार राय : पंजाब के बजट पर मैं अपने कुछ सुझाव सदन में रखना चाहता हूं। मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वैस्ट है, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

सभापति महोदय : मेरा डिस्क्रीशन है, मैं उसका अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मैंने आपका निवेदन सुन लिया ; नथिंग विल गो आंन रिकार्ड···

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आपकी प्रार्थना सुन ली गयी है, उस पर विचार किया जाएगा। अब आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)**

सुन ली आपकी रिक्वैस्ट, अब आप बैठ जाओ।

सभापति महोदय : आप अपने ग्रुप से कहिए। वह आपका नाम देंगे। मैं आपके हक में अपना डिस्क्रेशन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैंने श्रीमती सुखबन्स कौर को बोलने के लिए कहा है और वह बोलने के लिये खड़ी हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री राज कुमार राय : सभापति महोदय, मैंने क्या गलती की है जिसकी वजह से मुझे दो मिनट का भी समय बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। मैंने बहुत ही अच्छी बातें पंजाब के संबंध में कहनी हैं। अतः मुझे कुछ समय बोलने के लिये दीजिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। श्रीमती सुखबन्स कौर बोलने के लिए खड़ी हुई हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको इस तरह से बोलने का मौका नहीं मिलेगी।

श्री राज कुमार राय : महोदय, श्रीमन्, जब तक आप इस पद पर हैं आपको अपने फैसले पर पुर्नविचार करने का अधिकार है।

सभापति महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने कहा था कि मैंने आपके पक्ष में निर्णय नहीं दिया है। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री राज कुमार राय : महोदय, क्या आप अपने फैसले पर पुर्नविचार नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैंने श्रीमती कौर से बोलने के लिए कहा है।

[अनुवाद]

श्रीमती सुखबंस कौर (गुरदासपुर) : सभापति महोदय, मैं पंजाब बजट का, जो कि आज यहां पेश किया जा रहा है समर्थन करती हूं। दुर्भाग्यवश विपक्ष के सभी वक्ताओं ने पंजाब के विषय में कुछ नहीं कहा। मेरा विचार है, कल से उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है कि वे सब 59वें संशोधन पर ही बोले। विपक्ष के प्रत्येक सदस्य ने कहा था कि हमें यहां बजट पेश करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं सभा को याद दिलाना चाहूंगी कि पंजाब में चुनाव हुए थे तथा अकाली दल को 73 सीटें मिलीं जो कि शायद उन्हें पहले कभी नहीं मिलीं तथा मैं नहीं सोचती कि भविष्य में वे इतनी सीटें पुनः प्राप्त करेंगे। उन्हें 73 सीटें मिलीं। लेकिन परिणाम क्या है ? वे लोगों को जिन्होंने उन्हें वोट दिए, दिए गए वचनों को पूरा करने के बजाय आपस में लड़ते रहे। न केवल सिख, अपितु अन्य समुदायों के लोगों ने भी उन्हें वोट दिए। अन्यथा उन्हें 73 सीटें नहीं मिलती। उन्होंने उन लोगों के साथ विश्वासघात किया है जिन्होंने अकालीदल के नेतृत्व में विश्वास किया, जिन्होंने अपना जीवन अकाली के नेताओं के हाथों में सौंप दिया, तथा जिन

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य अकाली नेतृत्व के हाथों सौंप दिया। लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करने की बजाय वे आपस में लड़ना शुरु हो गए तथा परिणाम स्वरुप अकाली दल में फूट पड़ गई। जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने ठीक ही कहा था कि हमने दल के हितों के विरुद्ध तथा राज्य के हित में काफी समय तक उनका समर्थन किया। लेकिन अन्ततोगत्वा हमने पाया कि उनका संकल्प लोगों को उबारने तथा उनकी सेवा करने का नहीं है। अतएव, पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तथा उसी के परिणामस्वरूप आज यहां पंजाब बजट पेश किया गया तथा मैं इसका समर्थन करती हूं। श्रीमन्, मैं सभा का अधिक समय नही लेना चाहती। मेरे केवल तीन प्रश्न हैं जिन्हें मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी राज्य को किसी भी प्रकार के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारी ऊर्जा की मांग प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत बढ़ रही है। हमारे राज्य में कुछ परियोजनाएं चल रही हैं। विपक्ष के सदस्यों में से किसी ने उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा है। उन्हें पूरा किया जा रहा है तथा हमें आशा है कि रोपड़ थर्मल संयंत्र का द्वितीय चरण तथा मुकेरियां हाईड्रो प्रोजेक्ट जल्द ही पूरे हो जायेंगे। वास्तव में, कार्य एक रिकार्ड समय के भीतर पूरा हुआ है तथा इसका श्रेय पंजाब सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को जाता है।

दूसरे, हम जो जल संसाधन प्रयोग में ला रहे हैं उसके अतिरिक्त हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन नहीं हैं। हमारे पास कोयला तक नहीं है तथा इसे बड़ी दूर से लाना पड़ता है। अतएव, मैं अपने सहयोगी श्री भाटिया के विचारों का जोरदार समर्थन करती हूं कि हमें एक परमाणु संयंत्र दिया जाना चाहिए।

4.00 म. प.

बहाना बनाया गया या मैं कह सकती हूँ हमें बार बार यह कहा गया कि यह पंजाब को नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह एक सीमावर्ती राज्य है। आज आधुनिक हथियारों के साथ न कोई राज्य सीमावर्ती है न सीमा से दूर। हमें पंजाब की स्थितियों को आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिया जाना चाहिए। तथा जैसा कि श्री भाटिया ने कहा कि राजस्थान को भी विद्युत पर आधारित तापीय सयन्त्र दिया गया है, हमें भी गैस पर आधारित तापीय संयन्त्र दिया जाना चाहिए।

इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि पिछले छः वर्ष से पंजाब में कठिन परिस्थितियों के बावजूद वहां पर न कृषि पर प्रभाव पड़ा और न ही उद्योग पर, इस तथ्य के बावजूद कि परिस्थिति खराब है पंजाब के लोगों ने कड़ी मेहनत से कार्य किया है तथा ऐसा सब करने के लिये प्रयास किया है कि परिस्थितियां सामान्य रखी जा सकें तथा उत्पादन बढ़ाया जा सके। हमने अपने खाद्यान्न का भाग केन्द्र सरकार को दिया; अभूतपूर्व वर्षा तथा सूखे के बावजूद हमने अपने धान तथा गेहूं का भाग केन्द्र को दिया। जैसा कि आप जानते हैं पंजाब में देश की कृषि योग्य भूमि का केवल तीन प्रतिशत क्षेत्र है तथापि हम 40 प्रतिशत खाद्यान्न देश को देते हैं। इसलिये, इसे ध्यान में रखते हुए हमें विशेष सहायता दी जानी चाहिए। हम चाहते है कि हमें भूमि सुधार के लिए विशेष सहायता दी जाये क्योंकि हमारे पास जितनी भूमि है उसको इस समय हम प्रयोग में ला रहे हैं, लेकिन आप हमें जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट जिप्सम पर आर्थिक अनुदान देकर हमारी सहायता कर सकते हैं। इन चीजों से आवश्यकता है क्योंकि हमारे खेतों में लगातार उर्वरक का प्रयोग करने से तथा जिप्सम के द्वारा हम अपने कतिपय क्षेत्रों का सुधार कर सकते हैं।

इसके बाद, पंजाब में जल स्तर नीचे होता जा रहा है। हमें नहरें बनाने के लिए आपसे विशेष सहायता की जरूरत है। मेरे ख्याल में इसके लिये 3 करोड़ रुपये स्वीकृत हुये हैं लेकिन मैं समझती हूँ कि इसे 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए।

एक अन्य चीज, जो हमें बताई गई है, कि देश में 169 जिलों को तीव्र उत्पादन कार्यक्रम के लिये चुना गया है। मेरा विचार है आप इसे 170 तक कर सकते हैं गुरदासपुर के सीमावर्ती जिले को इसमें शामिल कर लें।

उद्योग के सम्बन्ध में राज्य में 'क' वर्ग का कोई भी पिछड़ा जिला नहीं है। 118 खण्डों में से 66 खण्ड उद्योग रहित हैं तथा राज्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सम्पूर्ण राज्य को 'क' श्रेणी का पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए तथा हमें भी वही सुविधा दी जानी चाहिये जो जम्मू तथा काश्मीर अथवा हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश जैसे पिछड़े क्षेत्रों को दी जा रही हैं। हमें भी यह सुविधाएं दी जानी चाहिये।

आप ध्यान दें कि औद्योगिक क्षेत्र तथा केन्द्रीय परियोजनाओं के लिये दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में कमी आई है। पंजाब के लिये केन्द्र के द्वारा दिये जाने वाले धन में 1978-79 में 2 प्रतिशत कमी आई है तथा 1985-86 में 1.05 प्रतिशत कमी आई है। इसे बढ़ाया जाना चाहिये तथा हमें अधिक केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं दी जानी चाहिये।

जैसा कि पहले कहा था कि हमारे यहां भी बहुत लघु उद्योग हैं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं हैं। राज्य सरकार बड़े उद्योग बढ़ाने का प्रयास कर रही है लेकिन केन्द्र सरकार को हमें तीन चीजें देनी चाहिये जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। (1) पैट्रो कैमिकल्स काम्पलैक्स (2) इलैक्ट्रिक स्विचिंग सिस्टम प्रोजैक्ट (3) एक विडियो कैसेट रिकार्डिंग प्रोजेक्ट इससे हमारे युवकों को रोजगार देने में सहायता मिलेगी तथा राज्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सहायता मिलेगी।

एक ओर प्रश्न पंजाब पर जो 4 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर लगाये जाने के बारे में है। अब यह नई यूनिटों पर नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन मैं उन परिस्थितयों पर ध्यान दिलाना चाहती हूं जिनके अन्तर्गत गुरदास में सरकारी क्षेत्र में लघु उद्योग कार्य कर रहे हैं। 6 बजे के बाद कोई यूनिट काम नहीं कर सकती तथा उनमें से कुछ पहले से ही रुग्ण हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि कम से कम रुग्ण यूनिटों के लिये 4 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त। हटा देना चाहिये।

मैंने पहले कहा था कि हम भूमि सुधार के लिये कुछ सहायता चाहते हैं। राज्य में करीब 1.2 लाख हेक्टेयर बीहड़ों से प्रभावित हैं तथा भारत सरकार को चाहिये कि वह पंजाब को भी बीहड़ सुधार योजना के अन्तर्गत मान कर चले, जैसा कि दूसरे राज्यों के लिये किया जा रहा है ताकि जो भूमि उपलब्ध है हम उसको उपयोग में ला सकें तथा देश के लिए खाद्यान्न उपजाने में सहायता कर सकें।

अन्त में मैं कहना चाहती हूं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबन्ध में आधुनिक हथियारों की आवश्यकता है। मेरा विचार है यातायात के लिए और अधिक धन दिया जाना चाहिए—जीप, कार आदि तथा आतंकवाद का सामना करने के लिए जिस भी परिवहन की पुलिस को आवश्यकता होती है।

एक अन्तिम अनुरोध यह है कि केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता 600 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1200 करोड़ की जानी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति जी, इस मौके पर वैसे बजट के सवाल पर तो मैं कुछ विशेष बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन पंजाब की समस्या पर मैं कुछ सुझाव जरूर देना चाहता हूँ। इस पार्लमेंन्ट में और इससे पहले की पार्लमेन्ट में शायद पार्लमेन्ट के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा विषय नहीं होगा जिस पर कि इतनी ज्यादा बहस में हुई हो। लेकिन फिर भी पंजाब की समस्यायें देश के सामने हैं और देश के लोग पंजाब के सवाल को लेकर काफी चिन्तित हैं। पहले तो मैं एक सुझाव दे देना चाहता हूं और उसके बाद इस सवाल पर कुछ बात करूंगा।

अलगाववादियों और आतंकवादियों, जिन्हें समाजवादियों और दूसरे देश-विरोधी तत्वों द्वारा सहायता और नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है, ऐसे लोगों की पहचान करना और उन्हें अलग-अलग करने की चेष्टा करना।

राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव चाहने वाली जो लक्तियां हैं उनको लगातार एक जुट करने का संघर्ष करना तथा विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष में पंजाब की जनता को अधिकाधिक संख्या में मेन-स्ट्रीम में समेटना और लाना।

हत्याओं और धार्मिक स्थानों के गलत इस्तेमाल को रोकने के कारगर उपाय ढूंढ़ना और इसमें आम लोगों के सहमान को गारन्टी करना।

जोधपुर बंदियों में सभी निर्दोष लोगों की बिना शर्त रिहाई। नवम्बर, 1984 में जो दंगे हुए उनके जो अपराधी हैं उनको सजा देना और जो उसमें पीड़ित हुए हैं जिनका नुकसान हुआ है, तो बेघरबार हुए, उनकी पुनर्स्थापना करना, उनका अविलम्ब पुनर्वास करना।

शांति और व्यवस्था की जो मशीनरी है उसको आतंकवादी हत्यायें रोकने के लिए सुदृढ़ करना। पुलिस और सुरक्षा बलों की ज्यादतियां, जो वे कर रहे हैं, उनको एवं भ्रष्टाचार को रोकना।

आतंकवादी हत्यारों और आतंकवादी विचारों एवं भावनाओं से गुमराह हुए नौजवानों, यानी ऐसे लोग जो वहां सही मानों में टेरोरिस्ट हैं और ऐसे लोग जो सेंटिमेंट में आकर या आतंकवादी विचारधारा के प्रचार व प्रसार से गुमराह हुए हैं—इन दोनों के बीच में फर्क करना निहायत जरूरी है।

आप इस बात को मानिए कि पंजाब की समस्या किसी दल की ससस्या नहीं है। लम्बे अरसे से लम्बित जो वहां के टेरिटोरियल नदी पानी सम्बन्धी विवाद हैं उसके राष्ट्रीय समाधान के लिए सर्वदलीय सम्मेलन बुलाकर उसका हल ढूंढना और राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिया आयोग की रिपोर्ट पर बहस और राज्यों को अधिक शक्ति एवं आर्थिक रिसोर्सेज देने पर शीघ्र एवं सकारात्मक कदम उठाना।

सभापति जी, मैं ऐसा चाहता हूं कि पंजाब की समस्या के बारे में ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस के लोग चिन्तित नहीं है। वे लोग भी चिन्तित हैं लेकिन केवल वही लोग चिन्तित हैं, यह समझ लेना, मैं समझता हूं शासक पार्टी का सबसे बड़ा दोष है। हिन्दुस्तान की

तमाम वे शक्तियां जो हिन्दुस्तान के अन्दर साम्प्रदायिक एकता को कायम रखना चाहती हैं, आतंकवाद और विघटन करने वाली, तोड़-फोड़ करने वाली शक्तियों के खिलाफ हैं— ऐसे तमाम लोग आज बहुत ज्यादा चिन्तित हैं।

पंजाब बच सके, देश का हिस्सा रह सके, पंजाब में शान्ति कायम हो सके, इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को ये शक्तियां तैयार हैं। पंजाब के अन्दर खास तौर से हमारी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्यूनिष्ट पार्टी, ये पार्टियां तो वामपंथी पार्टियां है, ये जी-जान लगा रही हैं और सबसे बड़ा टार्गेट आतंकवादी कम्युनिष्ट पार्टी और वामपंथी पार्टियों को बनाकर उन पर हमला कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। कल भी हमारी पार्टी के एक नेता की हत्या हुई है। सरकार का दृष्टिकोण क्या है ? सरकार यह समझती है कि हम ही इस समस्या को हल कर सकते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे यह समस्या उनकी पार्टी के हित की समस्या है। वे इन समस्याओं के समाधान में अपने पार्टी हित को नम्बर-1 का स्थान देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित का वे ख्याल नहीं करते हैं। आज तरीका क्या अपनाया जा रहा है ? आपने बहुत सारे कानून बनाए। शायद दुनिया की पार्लियामेंट में किसी एक इशू को लेकर इतने ज्यादा कानून कभी नहीं बने होंगे, जितने पंजाब के सवाल को लेकर बने हैं। इस पार्लियामेंट में अनकंडिशनल सपोर्ट शायद किसी एक इशू को लेकर इतना ज्यादा नहीं होगी, जितनी आपको और आपके हाथ को मजबूत करने के लिए दी है। एक-से-एक शक्ति आपको दी गई है, लेकिन आप समस्या का समाधान नहीं कर सके। ब्ल्यू-स्टार आपरेशन के तीन दिन पहले, मैं कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, हमको याद है, हिन्दुस्तान के मौजूदा प्रधान मंत्री ने कहा था—संत भिंडरा वाला एक महान सन्त हैं और उसके दूसरे या तीसरे दिन ब्ल्यू-स्टार आपरेशन होता है। आपका जो पुराना तजुर्बा है और जो कार्यवाही हो रही है, पंजाब में विदेशी शक्तियों का भी हाथ है, आतंकवादी शक्तियों का भी हाथ है, लेकिन आप इससे सबक नहीं ले रहे हैं। उनसे होब-नोबिंग करके, उनके साथ कुछ मेल-जोल करके आप उनके साथ सौदा पटा लेंगे, शायद यह अभी संभव नहीं हो सकेगा। आप उसी पुराने तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आप ने जिस तरह से जसवीर सिंह, को जिसतरह से ऊंची जगहों पर बैठाया है, और मदद कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा ?

पंजाब में एक सिलसिला चल रहा है, कांग्रेस के लोग भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी ऐसी शक्तियां, जो भली शक्तियां हैं, जो मेन स्ट्रीम पर आ रही थी, लेकिन आपके नए तरीकों के अपनाने से कुछ नहीं हुआ है, बल्कि इन शक्तियों को चोट पहुँची है। वहां जो ला एंड आर्डर को एन्फोर्स करने वाली शक्तियां हैं, उनके अन्दर पस्ती आई है आप खुश हैं, कांग्रेस का एक हिस्सा इस बात को लेकर खुश है कि आपने अकाली दल को वहां इनसिग्निफिकेंट और इरिलवेंट बना दिया है, लेकिन आप खुद आतंकवादियों का साथ दे कर और उनको ऊंचे स्थान पर बैठा कर आप खुद वहां इरिलवेंट हो गए हैं। आप इस बात का ख्याल नहीं कर रहे हैं। कि कितनी बड़ी असफलता आपकी हो रही है। जब तक तमाम लोगों का सहयोग आप नहीं लेंगे, इसको नेशनल इशू नहीं मानेंगे, बल्कि ऐसे दिमाग को सामने रख कर काम करेंगे कि अगले चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके, तो इससे समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता है।

जो समस्या आपके सामने है, वह राष्ट्रीय समस्या है और पूरे राष्ट्र को इससे नुकसान हो रहा है और पूरे राष्ट्र की एकता पर इसका असर पड़ रहा है। ऐसी तमाम शक्तियां लगातार पंजाब

में बढ़ रही हैं। अभी पंजाब में जो घटना हुई, उस घटना में सिक्खों ने कहा हम हिन्दुओं से अलग नहीं होंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। जो पोजिटिव फैक्टर वहां है, आतंकवाद तो है वहां लेकिन वह पोजिटिव नहीं है, नेगेटिव फैक्टर है। पोजिटिव फैक्टर यह है कि पंजाब के लोग भारी तादाद में अभी भी आतंकवाद को पसन्द नहीं करते हैं, उसका मुकाबला करने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। आप उसका इस्तेमाल न करके वहां इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल न करके आप वहां फौज भेजना चाहते हैं। पंजाब के लोगों को फौज से डरा कर वहां की समस्या का समाधान नहीं कर सकेंगे। मैं नहीं समझता हूं कि आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। इसलिए आप रास्ता बदलिए, सही रास्ते पर आइए और तब समाधान निकलेगा और निश्चित तौर पर निकलेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो. नरायण चन्द्र पराशर।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : चेयरमेन साहब, इधर भी नजरे इनायत कीजिए। दो मिनट दे दीजिए।

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : मैं बहुत अच्छी बात कहूंगा। कोई भी ऐसी बात नहीं होगी, जो आप के खिलाफ हो।

सभापति महोदय : आप अपनी पार्टी से कहिए कि वह आपका नाम भेजे।

श्री राजकुमार राय : आप भी हमारी पार्टी से हैं।

सभापति महोदय : कुर्सी पर बैठा हूं, तो नहीं हूं।

श्री राज कुमार राय : आपका दिल हमारे साथ है। दो मिनट दे दीजिए। नजरे-इनायत होगी।

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

प्रो. नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर): सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा सभा में प्रस्तुत पंजाब बजट का समर्थन करता हूं। जो विभिन्न प्रावधान किये गये हैं वह काफी प्रोत्साहन देने वाले हैं और इससे पंजाब में आर्थिक जीवन में सहायता देने की केन्द्रीय सरकार की वचन बद्धता का पता चलता है। केन्द्र सरकार ने पंजाब को निर्धारित प्रक्रिया से बढ़कर वित्तीय सहायता तथा समर्थन दिया है।

वर्ष 1988-89 की वार्षिक योजना के लिए 700 करोड़ रुपये रखे गये हैं यद्यपि केन्द्रीय सहमता का हिस्सा केवल 41.50 करोड़ रुपये था फिर भी केन्द्र सरकार ने निर्धारित प्रक्रिया से बढ़कर राज्य को विशेष सहायता के रूप में 650 करोड़ रुपये दिये हैं। पंजाब राज्य को सहायता देने और पंजाब में आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की भारत सरकार की वचनबद्धता की एक झलक मात्र है।

राज्य को आमतौर पर 41.50 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं और राज्य को दी गई विशेष सहायता 650 करोड़ रुपये है जो इसके दस गुना से अधिक है। यह राशि दी गई है और हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि पंजाब को इसकी आवश्यकता है।

मैं केवल यह बताना चाहूंगा कि पंजाब ने देश का ध्यान आकर्षित किया है। क्या ही अच्छा होता यदि वहां पंजाब में विधान सभा होती और पर 10 दिन तक चर्चा की जाती। हम अब अधिक से अधिक दो या तीन घंटों में यह चर्चा समाप्त कर देंगे इस प्रकार लोकतन्त्र निम्नतम स्तर तक लोगों को लाभ मिलता है। वर्तमान स्थितियों में वहां विधान सभा के लिए कार्य करना संभव नहीं है, इसलिए संसद पंजाब के प्रति अपने कर्तव्य करने के लिए बाध्य है।

क्योंकि मेरा राज्य पंजाब के बहुत अधिक निकट है, अत: अधिकतर समस्याएं एक जैसी हैं और मैंने पंजाब के माननीय राज्यपाल को कतिपय विशेष कार्य करने के लिए लिखा था। हिमाचल के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पहले पंजाब के हिस्से थे। कई सम्यक सड़कें हैं जिन्हें पूरा करने या बनाने की आवश्यकता है और इस कार्य के लिए तो पंजाब राज्य पर निर्भर है। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब सरकार का प्रशासन इन हिस्सों की उपेक्षा कर रहा है, जबकि पुल हिमाचल की तरफ पुल भी बन गये है पंजाब वालों ने इनकी उपेक्षा की है। मैं विशेष रूप से एक मार्ग का उल्लेख करना चाहूँगा जो पंजाब से हिमाचल को जाता है वास्तव में होशियारपुर से अना जो एक समय पंजाब का हिस्सा था। हिमाचल की तरफ की सभी सड़कें पक्की है और सभी पुल पूरे तैयार है अगर आप पंजाब की तरफ जाओ, यहां तक कि सीमा पर देखें तो आपको मालूम होगा कि यह पंजाब हैं, क्योंकि वहां न तो कोई पुल है और न ही कोई पक्की सड़क है। इसलिए हम उन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना चाहते हैं जो हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्र में है क्योंकि हिमाचल और पंजाब एक दूसरे के काफी निकट है और वे आर्थिक उन्नति में एक दूसरे के भागीदार हैं। हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों की उपेक्षा पंजाब के विकास के लिए अच्छी बात नहीं होगी।

मैं निवेदन करूंगा कि पंजाब के पहाड़ी जिलों या पहाड़ी खण्डों—जैसा कि अब केन्द्र सरकार ने फार्मूला अपनाया है कि 500 मीटर ऊंचे क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्रों के रूप गिना जायेगा—धारकालम खंड और जहांपुर तहसील के हिस्से और कड़ी क्षेत्र का हिस्सा होशियार पुर से रोपण

जिले आदि के समूचे क्षेत्र उन्हें उस कार्यक्रम के अधीन तथा लाभी जानी चाहिए और उन क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए। यह उनकी गलती नहीं है कि वे हिमाचल में नहीं है लेकिन ऐसे कई दूसरे क्षेत्र भी हैं। जब महाराष्ट्र में आपने कुछ खंडों को पहाड़ी खंडों के रुप में चुना है, जब मध्यप्रदेश में कुछ ब्लाकों को पहाड़ी खंडों के रुप में मान्यता दी है तो आपने पंजाब के साथ लगने वाले हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती पहाड़ी खंडों के साथ न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं ? उन लोगों की एक आम शिकायत है कि उनकी आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मैं अध्यापकों के लिए अच्छे व्यवहार का निवेदक करुंगा। यद्यपि बजट में एक अच्छी व्यवस्था की गई है, 18 करोड़ रुपये किये गये रहे। लगभग 11 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिये गये हैं मैंने सदन को दिये गये विभिन्न आंकड़े देखे हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि पंजाब एक समय शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख राज्य था और हमें गर्व है कि उत्तर भारत में होशियारपुर जिले में हरियाना नाम गांव में महिलाओं की शिक्षा के लिए पहली स्कूल खोला गया था। शिक्षा के क्षेत्र में होशियारपुर प्रमुख जिलों में से एक था। अतः मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि गैर-सरकारी स्कूलों और गैर-सरकारी कालेजों को बड़े पैमाने पर सरकार से सहायता की आवश्यकता है और विद्यार्थियों को खराब स्थिति के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रही है इसलिए विद्यार्थियों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि पंजाब में कानून व व्यवस्था की समस्या है। कुछ विश्वविद्यालयों और कुछ कालेजों को बार-बार बन्द करना पड़ रहा है। मैं अनुरोध करता है कि शीघ्र ही विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किये जाने चाहिए जिससे कि शिक्षा संस्थाओं को इस स्थिति का सामना न करना पड़े और शिक्षा का क्षेत्र इस विक्षुब्ध स्थिति का शिकार न बने।

इसी प्रकार मैं बैंकों और चलती गाड़ियों में पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध करने का निवेदन करता हूं। प्रायः यह कहा जाता रहा है कि आतंकवादियों ने बैंकों पर आक्रमण किया विशेष रूप से तलवारा में सबसे बड़ी डकैती हुई। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के पांच व्यक्तियों को मारा गया कुछ रेलगाड़ियां अभी भी नहीं चलाई गई हैं क्योंकि पंजाब सरकार पर्याप्त सुरक्षा देने में असमर्थ है। मैं केन्द्रीय सरकार से आवश्यक सहायता देने की प्रार्थना करता हूँ यह सहायता पुलिस सहायता, अर्ध सैनिक बलों की सहायता हो सकती है, जिससे कि पंजाब में सामान्य जीवन अस्त व्यस्त राष्ट्र की दृढ़ धारणा से यह सिद्ध हो जायेगा कि लोगों का सामान्य जीवन उग्रवादियों के क्रियाकलापों के बावजूद भी फला फूला है।

अगर हम राष्ट्र को यह दिखाने में समर्थ है कि राष्ट्र पंजाब के प्रति उदार है और यह पंजाब की समस्याओं पर ध्यान दे सकता है, तो लोग खुश होंगे इस विक्षुब्ध स्थिति के बावजूद पंजाब ने केन्द्रीय पूल को धान और गेहूं काफी मात्रा में दिया है और पंजाब प्रमुख राज्यों में से एक है। पंजाबी किसान, पंजाबी व्यापारी और पंजाबी उद्योगपति पीछे नहीं है, वे हतोत्साहित नहीं है और उनका हौसला बुलन्द है। अतः पंजाब का हौसला बनाए रखने के लिए वित्तीय कठिनाई नहीं लानी चाहिए।

इसलिए मैं पंजाब के राज्यपाल और सलाहकारों से विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग से, निवेदन करता हूँ कि किरातपुर रेलवे स्टेशन को पक्की सड़कों से राज्य राजे मार्ग से जोड़ने और दावत माजरी, रोपड़ और नांगल बांध को हिमाचल से जोड़ने वाले समाज मार्गों के बनाने का निवेदन

करता हूँ। मेरे द्वारा कई पत्र भेज जाने के बावजूद इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। किरातपुर रेलवे स्टेशन एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है और यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों के लिए एक पर्यटक केन्द्र है। इसलिए मैं किरातपुर रेलवे स्टेशन को राज्य मार्ग की पक्की सड़कों से जोड़ने का निवेदन करता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले और पंजाब के रोपड़ जिले की कुछ सड़कें, जहां एक किलो मीटर सड़क हिमाचल में और पंजाब मे दूसरी किलोमीटर है, को राज्य राजमार्ग से जोड़ा जाना चाहिए यह पंजाब सरकार और हिमाचल सरकार दोनों की जिम्मेदारी इसलिए, इन (मामूली) छोटे-छोटे कामों पर शीघ्र ही ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं अपने सहयोगियों श्रीमती सुखबन्स कौर, डा. जी.एस. ढिल्लों और श्री आर.एल. भाटिया का समर्थन करती हूं। पंजाब में उद्योगों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहायता देने का निवेदन करता हूँ।

आप पंजाब में अधिक पूंजी लगाइये जिससे राष्ट्र मजबूत बनेगा।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : सर, पंजाब बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए माननीय सदस्यों ने अपने अपने तौर पर पंजाब को वित्तीय सहायता देने की बात कही। इस बजट में 245 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है और इस घाटे को पूरा करने के लिए यह ठीक है कि टैक्स नहीं लगाया गया है लेकिन इस बजट से बहुत से ऐसे खर्चों में और वित्तीय व्यय में जो कि पंजाब की प्रगति के लिए पहले से निश्चित किए गए थे, कमी करनी होगी।

अभी ट्रिब्यून अखबार ने लिखा है कि सब से बड़ी चिंता की बात यह है कि इससे पुलिस सुरक्षा व्यवस्था, इर्रीगेशन डवलपमेंट और खास कर बिजली के लिए जो साधन रखे गए थे उनमें कमी करनी होगी। अभी श्री गुरुदयाल सिंह ढिल्लो जी ने कहा और 21 तारीख के अखबार में भी निकला है कि उसने कहा है कि पंजाब के साथ वितकर हुआ है। 850 करोड़ रुपए जो एनुअल लान के थे, उनमें से 650 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन बाद में आया कि शायद 750 करोड़ है, तो इस तरह से इसमें भी 100 करोड़ रुपया कम किया गया है। इस कमी का सीधा असर रोपड़ थर्मल पावर प्लांट और थीन डैम पर पड़ेगा।

सभापति महोदय, कल हमने पंजाब पर चर्चा करते समय अपनी पार्टी का व्यू प्वाइंट बता दिया था, आज मैं इस बजट के संबन्ध में यही कहना चाहता हूं कि पंजाब में बेरोजगारी की पोजीशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अभी पंजाब सरकार की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल 10267 एप्लीकेशन सैल्फ एंप्लायमेंट के तौर पर कर्जे के लिए बैंकों में आई, इसमें से आप देखिए कि कितने लोगों की अर्जियां मंजूर की गई। पैसा अभी नहीं दिया है, पैसा तो शायद दो साल में भी नहीं मिलेगा, लेकिन उस 10267 में से 1300 केस बैंकों ने मंजूर किए, मनी अभी डिस-पर्स नहीं हुई है। इससे आप वहां की बेरोजगारी की पोजीशन का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह से अभी गवर्नर साहब ने एम. पीज को बताया कि पंजाब के 118 डेवलपमेंट ब्लाक्स में से 74 ब्लाक्स डार्क एरियाज हैं, वहां पानी 20-20 फुट नीचे चला गया है। इसके लिए क्या कोई व्यवस्था सोची जा रही है।

अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान के तहत 169 जिलों को लिया जाएगा, जिन पर अधिक पैसा खर्च करने के लिए कहा गया है। अजीत अखबार ने इस पर लिखा है और हमारे श्री पराशर जी ने भी ठीक कहा है कि जो प्रदेश केन्द्रीय भण्डार में 90 प्रतिशत योगदान देता है, तो इसी तरह से उसको मदद भी अधिक ही दी जानी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया है। इस तरह से पंजाब के किसानों को डिसकरेज नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब में जमीन कम होती जा रही है। पंजाब एक स्ट्रेटजिक बार्डर स्टेट है और वहां पर फौजी छावनियां है, जो कि एक ऐसी स्टेट में होनी ही चाहिए। फीरोजपुर में फौजी छावनी थी, अब भटिंडा में नई छावनी बनी हैं। इसी तरह से एक नहर हरियाणा को गई है, एक नहर राजस्थान को गई है, इनमें भी बहुत जमीन खप गई है। अरबन एस्टेट बनाने के लिए भी काफी जमीन खींची जा रही है। इस तरह से जमीन की काफी कमी होती जा रही है। लैण्ड इवीजियन पालिसी किसान को लूटने वाली पालिसी है, किसान को बरबाद करने वाली पालिसी है। कौड़ियों के भाव किसान की जमीन ली जाती है और अशरफियों के भाव उस जमीन को दिया जाता है, दूसरी एजेंसीज इससे बहुत फायदा उठा रही है। इस स्थिति को भी देखने की आवश्यकता है।

इंडस्ट्रीज की क्या पोजीशन है, अभी पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट से भी इसका पता चलता है। अभी हमारी बहन श्रीमती सुखबंस कौर जो भी इस बारे में कह रही थीं कि 66 ब्लाक्स ऐसे हैं जिनको हम नो इंडस्ट्री ब्लाक्स कह सकते हैं और जैसा कि उन्होने जिक्र किया कि पंजाब में देश का 3 प्रतिशत खेती का एरिया है। हम देश की सेवा करने का गौरव रखते हैं और सत्तर परसेंट अनाज दे रहे हैं। लेकिन सेन्टर से पंजाब को क्या जा रहा है। सभापति जी, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सेन्टर इन्वेस्टमेंट जो तीन परसेंट है और खेती से हम सत्तर परसेंट दे रहे हैं।

सेन्ट्रल इन्वेस्टमेंट इन्डस्ट्री वगैरह में 1978-79 में 2.20 परसेंट था जो आज कम होकर 1.5 परसेंट रह गया। मैंने पहले भी कहा कि पजाब के मसले में इमोशनल और रिलीजियस कंसीडरेशन भी है। पंजाब के लोगों को यह पक्के तौर पर यकीन हो गया है कि केन्द्र से हमें इन्साफ नहीं मिलेगा। बेरोजगारी की भी बहुत बड़ी समस्या है जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर सेन्ट्रल इन्वेस्टमेंट इतनी नीचे चली जायेगी तो आने वाले दस वर्षों में जीरो परसेंट रह जायेगी और बेरोजगारी का मामला हल नहीं होगा। राज्यपाल ने जो रिपोर्ट दी है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। एक्सीलरेटेड रुलर वाटर सप्लाई प्रोग्राम का मैं जिक्र करता हूं। पंजाब में पानी नीचे बहुत खराब है। हर जगह वाटर सप्लाई का सिस्टम चाहिए। लोगों के दांत और लग्स खराब हो रहे हैं तथा बीमारियां बढ़ रही हैं। इस प्रोग्राम के तहत जो मैंने जिक्र किया है उसमें क्या दिया गया है, बिहार को 2930 लाख- यू. पी. को 4615 लाख और पंजाब को सिर्फ 514 ·····(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : पंजाब की जनसंख्या की स्थिति क्या है ?

एक माननीय सदस्य : क्षेत्र के बारे में क्या हुआ ?

प्रो. एन. जी. रंगा : मेरे विचार से उत्तर प्रदेश सबसे अधिक अविकसित राज्य है ।

[हिंदी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : यू. पी. में कुदरती पानी बहुत अच्छा है । ठीक है, रंगा जी ने अपने शुभ विचार दे दिए हैं । एक बहुत ही गंभीर मामला आपके सामने रखना चाहता हूं । बजट प्रपोजल्स में पंजाब असेम्बली के जो खर्चे हैं उनको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ला दिया गया है । यह बहुत गंभीर बात है । लेजिस्लेचर, ज्युडिशियरी और एक्जीयुटिव, तीनों की इंडीपेंडेंट पोजीशन है । हरियाणा की डिमाण्ड्स मेरे सामने हैं, ये नम्बर-एक पर है और पंजाब की 1986-87 में डिमाण्ड्स नम्बर-एक पर थी लेकिन आज एक्जीक्युटिव में डाल दिया गया है । क्या लेजिस्लेचर को पंजाब के राज्यपाल के दिल में यही इज्जत है । क्या लेजिस्लेचर को इतना छोटा समझा जाता है । पंजाब के स्पीकर साहब ने हमें चिट्ठी लिखी है । उनकी तरफ से यह मैं नोटिस में लाया हूं । सरकार को तुरन्त ही इसको ठीक करना चाहिए । बात खत्म करने से पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं । मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा :

[अनुवाद]

थीन बांध परियोजना के पूरा होने से की नवीनतम स्थिति क्या है ?

[हिन्दी]

हमें यह बताया गया है कि हमारी 13 परसेंट पर-ऐनम बिजली की खपत की मांग बढ़ रही है । सेंट्रल सेक्टर इंवेस्टमेंट में क्यों कम हो रही है, इसके क्या कारण हैं ? आप क्यों डाउन कर रहे हैं ? बारिश और ओलों की बजह से खासकर संगरूर जिले में मलेर कोटला, महलां कला, बरनाला तहसीलों में फसल बर्बाद हो गई है । हमारे यहां कहावत है कि चेतर के महीने ओला पड़ जाये तो कहते हैं किसान पर बिजली गिर गई । बारिश और ओलों से बड़ा नुकसान हुआ है । इसके लिए केन्द्र से क्या कोई मदद दी जा रही है ? न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए पंजाब भी की एप्लीकेशन है, और जगह सेंक्शन किया जा रहा है मगर एक बहाना बनाकर कि पंजाब बोर्डर के पास है इस लिए यहां न्यूक्लियर पावर प्लांट को नहीं लगाया जा सकता ।

[अनुवाद]

प्रो. एन. जी. रंगा : यह एक सीमावर्ती राज्य है । हमारे यहां परमाणु ऊर्जा केन्द्र नहीं होना चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : पैकेज प्लान की बात करते हैं, कान थक गए सुनते सुनते, गवर्नर साहब की यह बात । क्या कोई पैकेज प्लान है पंजाब के विकास के लिए या बात ही कर रहे हैं । पिछले आठ महीनों में यही कहा जा रहा है । पैरा मिलिट्री फोर्सेज पर पंजाब नेशनल प्राब्लम है जो पंजाब में पैरा मिलिट्री फोर्स गई है आज चार सौ कम्पनीज होंगी उन पर एक अरब बीस करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं क्या सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल प्राब्लम मानकर उसमें हिस्सा दे रही है, देने

के को तैयार है ? या परमामेंट रिफुजल है। आठवीं योजना में 330 करोड़ रुपये की वृद्धि की जाये सातवीं योजना के मुकाबले में, क्या आप कर रहे हैं ? वहां पर बसों और बिजली के दाम बढ़ायेंगे क्या यह सही है ? आपसी मुस्कराहट भी अच्छी है, लेकिन इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। कुछ दीजिए। वहां विकास के लिए क्या कर रहे हैं ? जैसा कि पराशर जी ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूं कि क्या कण्डी एरिया जो पंजाब में है उसको हिली एरिया मानने की कोई योजना है ? इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैट्रो कैमिकल्स जैसा बहन सुखबंस कौर ने कहा इलैक्ट्रोनिकस्विच, वीडियों कैसेट्स कारखाने की मंजूरी देने का क्या कोई इरादा हैं ? दोराहा थर्मल पावर प्लांट, शाहपुरा कंडी - 2 पावर प्लांट के लिए, घूरी थर्मल पावर प्लांट की अर्जियां आपके पास हैं क्या इन पर विचार करके इनमें से किसी एक को ही सही, लेकिन क्या वह देंगे ? पंजाब के लिए जो बजट है उसमें कुछ नहीं रखा गया है पंजाब के लिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री शमिन्दर सिंह (फरीदकोट) : माननीय सभापति जी, अभी मेरे से पहले सरकार की ओर से ढिल्लों साहब, भाटियां जी और बहन जी ने पंजाब के बजट पर बोला और कहा कि हम लोग कल की ही बात कर रहे हैं। कल भी पंजाब की बात थी और आज भी पजाब की बात हैं। यह जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। कल भी पंजाब को बहाना बनाकर एक पालिसी के तहत जो कांग्रेस (आई) ने बहुत पहले से तय कर रखा था कि यह काम किया जाये। आज जो कागजों का पुलिन्दा माननीय मन्त्री जी ने पेश किया उसमें भी पंजाब के लिए कुछ नहीं दिया गया, सबसे कम दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आज इस सदन में हम जिस विषय पर बहस कर रहे हैं वास्तव में इस बजट पर पंजाब विधान सभा में बहस होनी चाहिए थी। हमारी बहन कह रही थीं कि पंजाब में जनता ने हमें 73 परसेंट वोट दिए लेकिन फिर भी आप पंजाब में अपनी असैम्बली नहीं रख सके, मैं बहन जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब तक तक केन्द्र में झूठमूठ या स्टन्टबाजी के आधार पर चलने वाली पार्टी सत्ता में है, जैसा आजकल खूब चल रहा है, उसके रहते कहीं कुछ सम्भव नहीं है, पंजाब की बात छोड़ दिजिए। लोगों से झूठे बहकावे करके इन्होंने वोट लिए और आज सत्ता में बैठे हैं। जब तक यह सरकार केन्द्र में रहेगी, किसी भी सूबे या स्टेट में चाहे वह कैसी भी स्टेट का डेवलपमेंट करने वाली सरकार हो, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, टिक नहीं सकती भले ही वह हरियाणा की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो या आन्ध्र प्रदेश की हो। लोग इनमें भुलेखे में आकर इन्हें वोट डाल देते हैं और जब बाद में उन्हें समझ आती है तो पछताते हैं। बंगाल और हरियाणा के उदाहरण आप देख लीजिए लोगों ने इन्हें डिस्कार्ड कर दिया। फिर ये स्टेटों में अपने गवर्नरों के माध्यम से अपना रुल उस स्टेट में कायम कर देते हैं, जैसा अभी पंजाब में किया गया।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप सत्ता में रहना चाहते हैं तो सत्ता में रहो मगर कल जो कुछ हुआ, उससे आपकी नियत का पता चलता है। आपकी नियत साफ नहीं है। आप एक साल नहीं दो साल और आगे तक गवर्नर रुल पंजाब में बढ़ाने के लिए यहां बिल लाये। उससे आपकी नियत का साफ पता चलता है। वैसे यहां पंजाब के बारे में बड़े-बड़े ऐलान किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं परन्तु उनसे निकलता कुछ नहीं। मैं इस हाउस में खासकर पंजाब के तमाम एम. पीज. साहबान का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैं पिछले डेढ़-दो साल से लगातार सुनता आ रहा हूं कि पंजाब में पैप्सी प्लांट लगाया जाएगा जो पंजाब के किसानों के लिए बड़ा वरदान सिद्ध होगा। परन्तु ऐसा लगता है कि जैसे डबल कोला प्लांट मंजूरी मिलने के बाद किसी

दूसरे प्रान्त में चला गया, शायद आप पंजाब के किसानों को कुछ नहीं देना चाहते क्यों कि पैप्सी प्लांट से पंजाब के किसानों का हित होने वाला है। यदि नहीं तो उसकी आज तक मन्जूरी क्यों नहीं दी गई। आज तक पंजाब के किसानों को उसके लाभ से क्यों वंचित रखा जा रहा है। ठीक है, आपने कपूरथला में एक फैक्ट्री की स्वीकृति दी, हम उसके लिए धन्यवादी हैं परन्तु माननीय मन्त्री जी एक फैक्टरी से ही पंजाब का कुछ बनने वाला नहीं हैं। हम जानते हैं आन्ध्र प्रदेश में जब से दूसरी पार्टी की सरकार आई है, आपने वहां कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया, वैसे ही बंगाल से भी मुंह मोड़ लिया है और अब पंजाब से भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। (घण्टी) सभापति जी, मैं पंजाब के सम्बन्ध में बातें कह रहा हूं आप घण्टी मत बजाइये। मैं अपनी बात कह कर ही रहूंगा।

सभापति महोदय : जल्दी कीजिए आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री शमिन्दर सिंह : पंजाब की बात हम नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा। सब लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी, अब हमें भी मौका मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : आपको काफी समय दिया जा चुका है, निश्चित समय के अनुसार ही आपको समय मिलना है। आप ही पंजाब के अकेले नुमाइन्दे नहीं हैं, और बहुत से लोग भी यहां हैं जो पंजाब का रिप्रेजैन्ट करते हैं।

श्री शमिन्दर सिंह : ये लोग पंजाब से 6 आदमी आये हैं, जब कि हम 7 हैं।

सभापति महोदय : हर चीज के लिए टाइम निश्चित है। कायदे के अनुसार आपका टाइम्म जो खत्म हो चुका है, अब आप दो मिनट में खत्म कीजिए।

श्री शमिन्दर सिंह . यहां सर अभी चर्चा चली की पंजाब का बजट 750 करोड़ रुपये का है, सम्भवतः रामूवालिया जी गलत कह रहे थे, वह 700 करोड़ रुपये का है। हम चाहते हैं कि इसे और बढ़ाया जाये। अभी डा. ढिल्लों ने बताया था कि पंजाब में पूरे भारतवर्ष की 23 परसेंट काटन पैदा होती है, मगर कपड़ा मात्र साढ़े तीन परसेंट बनता है। मेरी डिमाण्ड है कि कपड़े की मिलें पंजाब में लगनी चाहिए और जितनी भी एग्रो इंडस्ट्रीज हैं एग्रीकल्चर से संबंधित कोई इंडस्ट्री पंजाब को देनी चाहिये। आपको तो मालूम ही है कि इन उद्योगों को चलाने के लिए वाटर और पावर की आवश्यकता पड़ती है। पानी के सम्बन्ध में तो हमारा झगड़ा राजस्थान और हरियाणा से चल रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप थीन डैम को स्पेशल प्रोजेक्ट बना कर यहां से स्पेशल 500-700 करोड़ रुपया भेजें ताकि तीनों राज्यों के बीच में पानी के सम्बन्ध में जो झगड़ा चल रहा है, वह सुलझ जाये और पानी की समस्या का समाधान हो सके।

एक सबसे बड़ी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि वाटर-कोर्स को पक्का बनाया जाये। पिछले दिनों इससे विश्व बैंक ने अपना मुंह फेर लिया था। अतः वहां के लाईनिंग डिपार्टमेंट को भारतीय बैंकों के माध्यम से सहायता दें।

दिल्ली में स्टेट कारपोरेशन है। उसका एक विंग पंजाब को दिया जाये इससे वहां पर जो चीजें पैदा होती हैं, उनको एक्सपोर्ट करने में बढ़ावा मिलेगा। गवर्नमेंट आफ इंडिया को चाहिए कि वह पंजाब राज्य को एल. टी. सी. का एक डिविजन जल्दी से दे।

सभापति महोदय, मुझे 2-4 बातें और कहनी थी, लेकिन आप तो बहुत जल्दी कर रहे हैं। इस कारण मैं अपनी बात समाप्त कर आपको धन्यवाद देता हूं।

चौधरी सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : सभापति महोदय, ढिल्लों साहब और भाटिया साहब ने पंजाब बजट के सम्बन्ध में जो भी बातें कही हैं, उनका मैं समर्थन करता हूँ। मैंने अपने विरोधी दल से भाइयों के भी भाषण सुने। इन्होंने पंजाब के सबध में जो अच्छी बातें कही हैं उनका तो मैं समर्थन करता हूँ और इसके लिए उनकी तारीफ भी करता हूँ। मेरे ख्याल से श्रीमती सुखबन्त सिंह बहिन जी यहाँ हाऊस में आठ साल में दूसरी बार बोली हैं। दूसरी दफा ही इन्होंने भी बहुत अच्छा भाषण दिया है।

मैं अनइम्पलायमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इस बेरोजगारी की समस्या ने बहुत भीषण रुप धारण कर लिया है। आपने आजादी के इतने सालों के बाद भी बैंक रिफार्म नहीं किया है। अगर इसको सच्चे दिल से किया होता तो यह बेरोजगारी की समस्या हल हो गई होती और ये उग्रवादी पैदा नहीं होते। हमारे देश देश में जो बड़े जमींदार हैं। उनके सामने तो रोटी की कोई समस्या नहीं है। लेकिन छोटे जमींदारों को भर-पेट खाना भी नहीं मिल पाता है।

आज पंजाब में कुछ मुट्ठी भर लोग ही खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। वह उनकी मांग बिल्कुल गलत है। इसको हमारे देश का कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं करेगा।

आज बहुत से उद्योगों पर हमारी सरकार का कब्जा है। हमारी सरकार ने बहुत से उद्योग पंजाब में खोले हैं। हमें ऐसे और बहुत से कदम उठाने चाहियें जिससे कि पंजाब का विकास हो। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं।

मेरे एक भाई का नाम पूरन सिंह था वह पाकिस्तान में रहता था और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वह कहते थे और 80 फीसदी लोग कहते थे कि हमें इन्दिरा हैं मिलाओ, हमें पण्डित जवाहर लाल नेहरू से मिलाओ वह लोग इनको बोलने नहीं देते थे, वहां कोई बोल नहीं सकता। पंजाब में लोग बोल तो सकते हैं, रुल होता है सब कुछ हो सकता है, वहां बुरा हाल है इसलिए जहां तक इनकी हिमाण्ड है, मैं समझता हूं कि यह डिमाण्ड हमारी होनी चाहिए, हमारी 25 करोड़ की आबादी है। आजादी को इतना अर्सा हो गया है लेकिन हमें कोई जगह नहीं मिलती है फिर भी हम हिन्दुस्तान के साथ है, हिन्दुस्तान में मरेंगे, हिन्दुस्तान में रहेंगे। हरिजनों का नारा क्या है, न जमीन, न आसमान, न जमीन, न मकान, भारत माता जिन्दाबाद। दुनिया में जो आदमी कब्जा जायेगा, वह मरेगा।

[अनुवाद]

विस्तार जीवन है। प्यार ही विस्तार है। स्वार्थ संतुलन है। प्यार ही जीवन का एक मात्र विषय है।

[हिन्दी]

जो कब्जा जमाना चाहता है, जो पाकिस्तान खालिस्तान बनाना चाहता है वह मरेगा। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम लोग चुप करके बैठे हुए हैं और इसलिए बैठे हैं क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति हरिजन बनेगा। देवी लाल कहता है कि जाट बनेगा, मैं कहता हूं कैसे बनेगा, सिख तो जाटों को भी नहीं छोड़ते, वह हरद्वारी

लाल देवी लाल के पीछे पड़ा हुआ है वह कहता है कि जाट बनेगा। महात्मा गांधी हरिजन को राष्ट्रपति पद पर रखना चाहते थे। फ्रांस ने जो आजादी ली थी वह किस तरह से ली थी सब जानते हैं, वह अब तक फ्रांस वालों ने भी कभी इस तरह नहीं किया लेकिन वे अब तक पे कर रहे हैं। इसी तरह जो कब्जा जमायेगा, वह ठीक नहीं होगा। महात्मा गांधी ने कहा है कि :

[अनुवाद]

जो प्यार करता है, वह जीवित रहता है और जो स्वार्थी है वह मरता है इसलिए प्यार के लिए प्यार कीजिए क्योंकि यही जीवन का नियम है।

[हिन्दी]

मैं यह कहूंगा कि हिन्दुस्तान में जब तक मन्दिर, मस्जिद गुरुद्वारे मौजूद हैं तब तक आराम नहीं आ सकता, यहां मजहबू का एक्सप्लायटेशन होता रहेगा।

[अनुवाद]

सभी मन्दिर भगवान के घर नहीं है वे शैतानों के घर हैं।

[हिन्दी]

इससे क्या होगा, लम्बी लम्बी चर्चाएं करने की कोई बात नहीं है, सीधी-सीधी बात कहनी चाहिए और जो भी आदमी है उसकी बात करनी चाहिए, हम जो गरीब आदमी हैं यह कांग्रेस के साथ क्यों हैं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं. आप सारे लोग बाहर से आये हुए हैं जो हिन्दू, सिख, मुसलमान हैं, सब बाहर से आये हैं :

रे आबरु दे गंगा, वह दिन है याद तुझको,
उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा।" (डा. इकबाल)

[अनुवाद]

आप भगवान को कहां ढूंढते हैं, क्या गरीब दयनीय और पददलित लोग भगवान नहीं हैं ? पहले उनकी पूजा कीजिए।

[हिन्दी]

एक बात बताता हूं जो सोसायटी में सबसे कम लेता और ज्यादा वापस करता है सबसे आगे रहता है।

[अनुवाद]

मैं ऐसे भगवान या धर्म में विश्वास नहीं करता जो विधवा की आंखों से आंसू नहीं पोंछ सकते और अनाथ के मुंह में रोटी का टुकड़ा नहीं डाल सकते।

[हिन्दी]

मैं आपको बता दूं कि हमको कब्जा ले लेना है आपसे भी और इनसे भी ले लेता है। यह

लड़ाई इसलिए है कि हजम नहीं हो रहा है, पंजाब में क्या है कि जिनको खाने को मिलता है तो जब खाने को मिले तो लोग शरारत करते हैं

गरीब लोग जो हैं वे शरारतें नहीं करते हैं और उनको खाने को भी नहीं मिलता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति गरीब हरिजन बनेगा। मेरा इस देश के लीडरों से कहना है कि छोटे किसान, छोटे मजदूर, छोटे बनिया—इन सब लोगों की मदद की जानी चाहिए तभी इस मुल्क में सोशलिज्म आयेगा। मैं आपको बताता हूं कि मेरे घर पर तीन फलश सिस्टम हैं लेकिन उसको बनाने वाले जो मजदूर थे वे टट्टी करने के लिए 7-7 आदमी कतार में खड़े रहते हैं जब कि हमारे यहां उसका पूरा कोई टट्टी करने वाला नहीं है इस्तेमाल नहीं होता है। क्या इस तरह से सोशलिज्म आयेगा ? इस तरह के सोशलिज्म से ही टेरोरिज्म बढ़ता है। जो लोग गरीब हैं उनकी हमें ज्यादा मदद करनी चाहिए, उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। और यह जो टेरोरिज्म है इसका असर भी ज्यादातर गरीब आदमियों पर ही पड़ता है। बड़े बड़े आदमियों का कोई नुकसान नहीं होता है। गरीब लोग जो हैं वही नुकसान उठाते हैं टेरोरिज्म से, वह चाहे कहीं भी होता हो।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह चीज जो है यह तब तक हल होने वाली नहीं है जब तक कि आप लैंड रिफार्म्स नहीं करेंगे। लोग तरह-तरह की मांगें रखते हैं, कहते हैं कि हमें यह चाहिए और वह चाहिए। लेकिन वैसा तो इन लोगों को भी मिलना चाहिए। कोई भी चीज है, जैसे पानी है, वह राजस्थान को भी मिलना चाहिए। पानी सारे देश का है, जहां भी उस की जरुरत है, सब जगह मिलना चाहिए। क्या आपमें नेशनेलिटी नहीं है। मैं समझता हूं, जिसके अन्दर नेशनल फीलिंग नहीं है, यह लीडर नहीं है। गरीब आदमी मर रहे हैं, जब मैं भगवान दास रोड़ पर जाता हूं देखता हूं, देखता हूँ, लोग नालियों में टट्टियां कर रहे होते हैं। मैं हैरान हूं सोच कर कि यह कैसा सोशलिज्म है। जब तक आप लैंड रिफार्मस नहीं करेंगे, हिन्दुस्तान एग्रीकल्चरल देश है इन्डस्ट्रियल और लैंड रिफानर्स हो जाते तो टैरोरिज्म नहीं होता। जैसे कि हरिजनों की है ···(व्यवधान)··· इसलिए आप लैंड रिफार्म्स कर दीजिए। मैं समझता हूं, उसके बाद ज्यादा मांगे भी नहीं उठेंगी। इसके साथ जहां पर चीज की जरुरत है, वह मिलनी चाहिए। जहां पर पानी की जरुरत है, जहां पर मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

चौधरी सुन्दर सिंह : वे अगर यह समझते हैं कि खुदा के भेजे हुए हैं, तो फिर इन खुदा के बन्दों के साथ अच्छा सलूक क्यों नहीं करते हैं।

आप नान-वायोलेंस की बात करते हैं ; मैं कहता हूं, जहां पर वायोलेंस होगी, आप जो भी चाहें कर लें, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ···(व्यवधान)·· सारे अकालियों ने पीली पगड़ियां बांध ली है। सरदार गुरुदयाल सिंह ढिल्लों की ही सफेद पगड़ी रह गई है। बाकी सभी ने पीली पगड़ियां बांधी हैं। चाहे कांग्रेसी हो या गैर कांग्रेसी हो।

मैं जात का हरिजन हूं। हमारे जो भाई हैं, उनके बारे में अपोजीशन वाले जाकर कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने हरिजनों को सिर पर चढ़ा रखा है और जब हमारी सरकार होगी तो हम इनकी जगह पर इन को रखेंगे और इनका रिजर्वेशन खत्म हो जायेगा। इस तरह की बातें करते हैं।

सभापति महोदय : आप अब समाप्त कीजिए।

चौधरी सुन्दर सिंह : इन्हीं शब्दों के साथ जो बजट पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

5.00 म. प.

श्री मो. महफूज अली खां (एटा) : सभापति महोदय, पंजाब का बजट इस हाउस में पेश किया गया, जबकि यह बजट को विधान सभा में पेश होना था। यह वहां के लोगों की बदकिस्मती है कि उन लोगों को मौका नहीं दिया गया।

सभापति महोदय : महफूज जी आप पांच मिनट में समाप्त कीजिएगा।

श्री मो. महफूज अली खां : मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, वैसे भी हमारे साथ बेइन्साफी होती है, हम नेशनकल पार्टी के लोग हैं, लेकिन आप हमको टाइम देते हैं, यह आपकी इनायत है।

मैं पंजाब के बजट के सिलसिले में कह रहा था कि यह बजट पंजाब की विधान सभा में पेश होना चाहिए था, लेकिन यह बदकिस्मती है कि उन लोगों को मौका नहीं दिया गया और आज यहां पर पेश हो रहा है। आज वजह क्या है, यह टेरेरिज्म क्यों पैदा हो रहा है? यह पंजाब वह पंजाब है, जहां की जमीन जरखेज, जहां का आदमी बहादुर, जहां इन्डस्ट्रीज की खान है, यह वह पंजाब है। लेकिन इस पंजाब को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है। कोई भी सरकार इस सिलसिले में कदम नहीं उठा रही। उसकी वजह एक ही है, चूंकि बरनाला सरकार पंजाब में बनी थी, कांग्रेस वहां पर हार गई, इसलिए वह बदले लिए जा रहे हैं। मैं पूछता हूं -- टेरेरिज्म क्यों पैदा हुआ इसकी क्या, वजह है? वहां पर 99 प्रतिशत काश्तकारों के लड़के टेरेरिस्ट हैं। इसकी वजह है—बेरोजगारी, वहां पर रोजगार नहीं है। जब वहां रोजगार नहीं है, तो वे क्या करेंगे असला उठायेंगे और यह इसीलिए सब कुछ हो रहा है, जिसको सरकार कंट्रोल नहीं कर सकी। सरकार वहां टोटली फेल हो चुकी है। सिर्फ पंजाब में ही नहीं, असम में भी फेल, लंका में भी फेल और पंजाब में भी फेल। हर जगह फेल हो चुकी है। कहने के लिए आप हाउस में कुछ भी कहें, लेकिन क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है। इस हाउस में तो आप की मेजोरिटी है। आप जो चाहें, तो कह सकते आप बाहर सुनिए, वहां हैं। कल क्या हुआ था, आप इमरजेंसी का कानून लाए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास और कानून नहीं थे, क्या पुलिस नही थी, लेकिन आप टेरेरिज्म खत्म नहीं कर पाए। रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि आज पांच मरे और सात मरे। मगर अफसोस वह तो पास हो गया, लेकिन अब उसके नतायज आपके सामने आयेंगे ···(व्यवधान) ·· मैं अब ज्यादा क्या कहूं, लोग बीच में बोल जाते हैं, तो वह मूजबून खत्म हो जाता है। इसलिए मैं यही कहूंगा, इस बजट पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मैं बजट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। पंजाब के लोग, हमारे भाई शमिन्दर सिंह, हमारे बुजुर्ग, जो सदन से जा रहे हैं, पुराने एक्स-एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये पंजाब के बारे में ज्यादा बेहतर जानते होंगे। उन्होंने जो कुछ टिप्पणी की होगी, वह ठीक की होगी। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मैं यही बताना चाहता हूं कि पंजाब की हालत क्या है और देश कहां जा रहा है। वह हमारे मुल्क का हिस्सा कहां जा रहा है। सरकार टोटली फेल हो चुकी है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो वहां पर बेरोजगारी है, उसको दूर करने के लिए आप वहां मुलाजमत दीजिए। फैक्ट्रियां कायम कीजिए। तरक्की के लिए आप थियम-डेम और

रोपड़-थर्मल बनाया जाए। यदि उसमें ज्यादा रुपए की आवश्यकता है, तो दिए जायें, जिससे लोगों के लिए बिजली और पानी का इन्तजाम हो सके। एस वाई एल केनाल को बनाना बहुत ही जरुरी है, क्योंकि राजस्थान और पंजाब को इससे पानी मिलेगा। इस पर खास तौर पर तव्वजह दी जानी चाहिए। दूसरे वहां ला एंड आर्डर तो है ही नहीं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि वहां राकेट का इस्तेमाल किया गया। और वह भी रूस का राकेट जिस को आप अपना दोस्त बताते हैं। यह राकेट कहां से आया। आज उस मुल्क में राकेट का इस्तेमाल हो रहा है, तो इस मुल्क का क्या होना है। हम लोग शान्ति के कायल हैं और पण्डित जी हमेशा कहते थे, शान्ति, शान्ति। यह क्या हो रहा है। अब शान्ति खत्म हो गई है। राकेट का इस्तेमाल पंजाब में हुआ। इस मसले का हल हो सकता है लेकिन आप चाहते नहीं हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, जिसका हल नहीं हो सकता। हम सब लोग मिल-बैठ कर इस मसले को हल कर सकते हैं और इसका हल निकाल सकते हैं, पंजाब का हल निकल सकता है और न निकलने की कोई वजह नहीं है। वहां कोई मसला इस किस्म का नहीं है कि वहां पर सिख और हिन्दू अलहदा हों। हम सब भाई भाई हैं। इसका हल मैं आप को बताता हूं। हल यह है कि वे सारी पोलीटीकल पार्टीज, जिनको बन्द किया था जोधपुर में, जो बादल ग्रुप है या दूसरे ग्रुप हैं, उन सबको शामिल करें और बैठ कर बात करें। तो इसका हल निकल सकता है। मैं आप से यह दरख्वास्त करूंगा कि इस का हल आप को जरूर निकालना चाहिए और मैंने जो सजेशचन्स दिये हैं उन पर आप विचार करें। बजट के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, बजट बिल्कुल अच्छा होगा और सब बातें ठीक होंगी लेकिन पंजाब में जो ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम है, उस सिलसिले में मैं कह रहा हूं :

न समझोगे तो मिट जाओगे, ए हिन्दुस्तां वालों,
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी, दास्तानों में ।।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : चेयरमैन साहब, जहां तक पंजाब का जो बजट पेश हुआ है, मैं उस की तफसील के बारे में नहीं जाना चाहूंगा ताहम उसके लिए मेरी हिमायत हासिल है।

5.07 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं यह बताना चाहूंगा कि मुल्क ने जो तरक्की की है और हिन्दुस्तान का जो तजुर्बा रहा है, पिछले 40 वर्षों का और हम जो सारी दुनिया में एक ताकत बन कर उभरे हैं और तीसरी दुनिया में हमारा एक मकान है और एक मर्तबा है, वह इसलिए है कि हमारे मुल्क में जम्हूरियत है और वह बड़ी पायदार है जबकि हमसाया मुल्कों में फौजी शासन बैठा दिये गये हैं और इस से वहांकी तरक्की रुक गई है। यह बहुत दुःख की बात है कि पंजाब में दो साल के लिए फिर इमर्जेंसी नाफिज करनी पड़ी और जब तक पंजाब का मामला हल नहीं होगा, जब तक वहां शांति कायम नहीं होती, जब तक वहां अमनो-अमान कायम नहीं होता, मैं समझता हूं कि पंजाब की बिगड़ती स्थिति पूरे मुल्क के लिए खतरा-ए-बावस है और मैं समझता हूं कि चाहे कितनी रकूमात मरकजी सरकार

पंजाब पर खर्च करे, जब तक वहां ला एण्ड आर्डर ठीक नहीं होता, जब तक वहां अमनो-अमान नहीं होता, यह पैसा दरिया-बुर्द करने के बराबर होगा और इस से कोई खास फायदा नहीं होगा। मैं ईमानदारी से यह बताना चाहूंगा और मरकजी सरकार से यह कहना चाहूंगा कि मुल्क की इस वक्त की सबसे बडी जरूरत पंजाब के मसले को हल करने की है। मुझे ऐसा लग रहा रहा है कि मरकजी सरकार पंजाब के मसले के बारे में अपनी पालिसी में कई बार अदला-बदली करती रही है और कर रही है और एक कान्क्रीट रास्ता नहीं अपना सकी है। मसलन मैं बताना चाहूंगा कि पंजाब के मौजूदा मसले को हल करने के लिए जब पंजाब एकोर्ड हुआ और पंजाब अकोर्ड के तहत अकाली दल और मरकजी सरकार के बीच जो फैसला जात हुए, तो उस मामले को क्यों रोक दिया गया। आज भी पंजाब के वे जख्म ताजा हैं। चंडीगढ़ का मसला आप हल नहीं कर पाए हैं। हरियाणा को आप दूसरी राजधानी नहीं दे पाए हैं और उस मामले को आप ऐसे ही छोड़ते जा रहे हैं। जहां वह पहले था वहां अभी भी है और उस को हल नहीं कर पाए हैं। पंजाब एकोर्ड को जब तक पर्मानेन्टली ईमानदारी और खलूस के साथ इम्पलीमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक मौजूदा मसले को हल नहीं कर पाएगें। आतंकवादी वहां पर मौजूद हैं और इन्साफपसन्द बेगुनाह लोगों की जानें ले रहे हैं लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि पंजाब की बड़ी अवसीरियत अगर आज केन्द्र से नाराज न होती, तो उनके दिल इस मामले में आतंकवादियों के खिलाफ होते और फिर वहां आतंकवाद चल नहीं सकता था। देखना यह है कि पंजाब की बड़ी आबादी आज आतंकवाद के मामले में खामोश क्यों है क्यों है ? यह बात सही है कि कल तक आतंकवाद का जोर सिर्फ टाऊंस और शहरों में चल रहा था लेकिन आज वह रूरल एरियाज में भी जा रहा है इससे रूरल एरियाज में तबाही मच रही है।

मैं आपसे बताना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार को इस मामले पर कोई हल निकालना ही पड़ेगा। मैं समझता हूं कि पंजाब के लोगों ने, चाहे वे मुसलमान हों, चाहे हिन्दु हो, चाहे सिख हों, जबर्दस्त कुर्बानियां दी हैं; वे बड़े ही खुद्दार लोग हैं और उनकी खुद्दारी को हम नजरमन्दाज नहीं कर सकते। इस प्रेजीडेंट रूल में हमको पंजाब का कोई हल निकालना पड़ेगा। खुद सरकार की तरफ से यह बात आ गयी है कि वह पंजाब के मसले को हल करना चाहती है। खुद हमारी केन्द्रीय सरकार ने यह कहा है कि विदीन कांस्टीच्युशन आफ इंडिया कोई रास्ता हम खोजने के लिए तैयार है।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी ताकतवर जमात है। वह केन्द्रीय सरकार में शासन कर रही है। पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी शासन चला रही है और मुल्क के बहुत से सूबों में भी उसकी हुकुमत है। लेकिन कांग्रेस को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि वह एक कंक्रीट सजेशन ले कर पूरे देश के सामने न आ सके। उसे बताना चाहिए कि इसका क्या हल हो सकता है; आप पंजाब के मसले का कांस्टीच्युशन के अन्दर कैसे हल करना चाहेंगे। यह तजवीज आपकी तरफ से और दूसरी पार्टियों की तरफ से भी आनी चाहिए।

मैं बड़े दुःख से कहूंगा कि हमने पिछले पांच-छः सालों में इस मामले को बहुत बिगाड़ दिया है। मैं हमझता हूं कि हमारी रीजनल पार्टीज, चाहे उनके खिलाफ कोई ऐसी बात कहे, वे बहुत मोडरेट पार्टीज है और मोडरेट रही हैं। अपनी-अपनी रियासत के अन्दर उनका एक मुकाम रहा है और लोगों का उन पार्टीज के अन्दर एक विश्वास रहा है। पंजाब में अकाली दल का एक हिस्टोरिकल रोल रहा है और वहां कांग्रेस की किसी ने मुखालिफत की है तो वह अकाली दल ने की है। पंजाब में अकाली दल का अपना एक रोल रहा है जिसको हम नजरअन्दाज नहीं कर

सकते। बड़े दुःख की बात है कि कभी आप बरनाला को एन्करेज कर के वजीरेआला बनाते हैं और बरनाला की आप तारफ भी करते हैं। उसके बाद आप बरनाला की हुकूमत को खत्म कर के बादल को तैयार करते हैं और यह तैयारी करते हैं कि बादल साहब को लायेंगे और बादल साहब के बारे में भी वह कहेंगे कि वे मोडरेट हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पंजाब की स्थिति इस हद तक बिगड़ गयी है कि हमने वहां मॉडरेट फोर्सिज को बहुत हद तक कमजोर कर दिया है। आज उनकी जुरंत आतंकवादियों के मुकाबले में नहीं हो रही है कि वे खड़े हो जाएं। मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में अकाली दल की कमजोरी हम सब की कमजोरी है। आप सही जानिये कि रीजनल पार्टी अकाली दल या बादल और बरनाला कमजोर होते हैं तो हम सब कमजोर हो जाते हैं। क्यों कि अकाली दल का पंजाब में एक रोल रहा है।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी इसमें इस लिए दिलचस्पी है कि मेरी रियासत जम्मू-कश्मीर रियासत की जिंदगी और पंजाब की जिंदगी एक दूसरे से वास्ता है। अगर आज पंजाब की तिजारत, टूरिज्म, इम्पोर्ट,-एक्सपोर्ट, तरक्की को नुकसान पहुंचता है और पंजाब मुल्क के मेनस्ट्रीम से कट जाता है तो उसका असर जम्मू-कश्मीर पर भी पड़ेगा। इस लिए हमारी भावना है कि आप पंजाब के मसले को हल करें। तमाम पोलिटिकल पार्टीज इस मसले को डिस्कस करें और मिल कर एक रास्ता निकालें, एक नेशनल कांसेस तैयार करें।

मैं आपको एक वारनिंग देता हूं कि इस मुल्क में कुछ फिरकापरस्त पार्टियां भी हैं जो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ भड़काती है। खास तौर पर मैं बाल ठाकरे के स्टेटमेंट के बारे में कहना चाहता हूं जो कि एक खतरनाक चीज है। मैं आप साहेबान को खबरदार करना चाहता हूं कि बाल ठाकरे ने जो महाराष्ट्र के अन्दर धमकी दी है कि वे बम्बई में एक कम्युनिटी का सोशल बायकाट करेंगे, एक कम्युनिटी को डराया-धमकाया जा रहा है। वह इस तरह के वाक्यात का पूरे मुल्क पर असर पड़ेगा और यह पूरे मुल्क के लिए बड़ा खतरनाक होगा। हम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट हैं और मरकजी सरकार का यह काम है कि इस तरह की जो फोर्सिज सिर उठाएं उनका सिर कुचल दिया जाए। इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता। मैं आपको फिर वार्निंग देता हूं कि आप ऐसे लोगों को सिर न उठाने दें।

[شری عبدالرشید کابلی (سری نگر): چیئرمین صاحب جہاں تک پنجاب کا جو بجٹ پیش ہوا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہونگا تاہم اس کے لئے میری حمایت حاصل ہے۔

[اپادھیکش مہودے پیٹھاسین ہوئے۔]

میں یہ بتانا چاہونگا کہ ملک نے جو ترقی کی ہے اور ہندوستان کا جو تجربہ رہا ہے پچھلے چالیس برسوں کا اور ہم جو ساری دنیا میں ایک طاقت بنکر ابھرے ہیں اور تیسری دنیا میں ہمارا ایک مکان ہے اور ایک مرتبہ ہے وہ اسلئے ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے اور وہ بڑی پائیدار ہے جبکہ ہمسایہ ملکوں میں فوجی شاسن بیٹھا دئے گئے ہیں اور اس سے وہاں کی ترقی رک گئی ہے۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ

پنجاب میں دو سال کے لئے پھر ایمرجنسی نافذ کرنی پڑی اور جب تک پنجاب کا معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک وہاں شانتی قائم نہیں ہوتی جب تک وہاں امن وامان قائم نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی بگڑتی استھتی پورے ملک کے لئے خطرے کا باعث ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کتنی رقومات مرکزی سرکار پنجاب پر خرچ کرے جب تک وہاں لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہوتا جب تک وہاں امن وامان قائم نہیں ہوتا یہ پیسہ دریا

برد کرنے کے برابر ہوگا اور اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ میں ایمانداری سے یہ بتانا چاہونگا اور مرکزی سرکار سے یہ کہنا چاہونگا کہ ملک کی اسوقت سب سے بڑی ضرورت پنجاب کے مسئلے کو حل کرنے کی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مرکزی سرکار پنجاب کے مسئلے کے بارے میں اپنی پالیسی میں کئی بار ادلا بدلی کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے اور ایک کنکریٹ راستہ نہیں اپنا سکی ہے۔ مثلاً میں بتانا چاہوں گا کہ پنجاب کے موجودہ مسئلے کو حل کرنے کے لئے جب پنجاب ایکارڈ ہوا اور پنجاب ایکارڈ کے تحت اکالی دل اور مرکزی سرکار کے بیچ جو فیصلہ جات ہوتے تو اس معاملے کو کیوں روک دیا گیا۔ آج بھی پنجاب کے وہ زخم تازہ ہیں۔ چنڈی گڑھ کا مسئلہ آپ حل نہیں کر پاتے ہیں۔ ہریانہ کو آپ دوسری راجدھانی نہیں دے پائے ہیں اور اس معاملے کو آپ ایسے ہی چھوڑتے جا رہے ہیں جہاں وہ پہلے تھا وہاں ابھی بھی ہے اور اسکو حل نہیں کر پاتے ہیں۔ پنجاب ایکارڈ کو جب تک پرمانینٹلی ایمانداری اور خلوص کے ساتھ امپلی مینٹ نہیں کیا جائیگا تب تک موجودہ مسئلے کو حل نہیں کر پائیں گے۔ آتنک وادی وہاں پر موجود ہیں اور انہتا پسند بے گناہ لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہونگا کہ پنجاب کی بڑی اکثریت اگر آج کیندر سے ناراض نہ ہوتی تو ان کے دل اس معاملے میں آتنک وادیوں کے خلاف ہوتے اور پھر وہاں آتنک واد چل نہیں سکتا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کی بڑی آبادی آج آتنک واد کے معاملے میں خاموش کیوں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ کل تک آتنک واد کا زور صرف ٹاؤنس اور شہروں میں چل رہا تھا، لیکن آج وہ رورل ایریاز میں بھی جا رہا ہے اور اس سے رورل ایریاز میں تباہی مچ رہی ہے۔

میں آپ سے بتانا چاہونگا کہ کیندریہ سرکار کو اس مسئلے پر کوئی حل نکالنا ہی پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے لوگوں نے چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے ہندو چاہے سکھ ہوں زبردست قربانیاں دی ہیں۔ وہ بڑے ہی خوددار لوگ ہیں اور انکی خودداری کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس پریذیڈینٹ رول میں ہم کو پنجاب کا کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ خود سرکار کی طرف سے یہ بات آگئی ہے کہ وہ پنجاب کے مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے۔ خود ہماری کیندریہ سرکار نے یہ کہا ہے کہ ودان کانسٹی ٹیوشن آف انڈیا کوئی راستہ ہم کھوجنے کے لئے تیار ہیں۔

میں آپکو بتانا چاہونگا کہ کانگریس پارٹی ایک بڑی طاقتور جماعت ہے۔ وہ کیندریہ سرکار میں شاسن کر رہی ہے۔ پورے ملک میں کانگریس پارٹی شاسن چلا رہی ہے اور ملک کے بہت سے صوبوں میں بھی اس کی حکومت ہے۔ لیکن کانگریس کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیئے کہ وہ ایک کنکریٹ سجیشن لیکر پورے دیش کے سامنے نہ آسکے۔ ایسے بتانا چاہیئے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ آپ پنجاب کے مسئلے کا کانسٹی ٹیوشن کے اندر کیسے حل کرنا چاہیں گے۔ یہ تجویز آپ کی طرف سے اور دوسری پارٹیوں کی طرف سے بھی آنی چاہیئے۔

میں بڑے دکھ سے کہوں گا کہ ہم نے پچھلے پانچ چھ سالوں میں اس معاملے کو بہت بگاڑ دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ریجنل پارٹنر چاہے ان کے خلاف کوئی ایسی بات کہے وہ بہت ماڈریٹ پارٹنر ہیں اور ماڈریٹ رہے ہیں۔ اپنی اپنی ریاست کے اندر ان کا ایک مقام رہا ہے اور لوگوں کا ان پارٹنر کے اندر ایک وشواس رہا ہے۔

پنجاب میں اکالی دل کا ایک ہیسٹاریکل رول رہا ہے اور وہاں کانگریس کی کسی نے مخالفت کی ہے تو وہ اکالی دل نے کی ہے۔ پنجاب میں اکالی دل کا اپنا ایک رول رہا ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ کبھی آپ برنالہ کو انچارج کر کے وزیر اعلیٰ بناتے ہیں اور برنالہ کی آپ تعریف بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ برنالہ کی حکومت کو ختم کر کے بادل کو تیار کرتے ہیں اور یہ تیاری کرتے ہیں کہ بادل صاحب کو لائیں گے اور بادل صاحب کے بارے میں بھی یہ کہیں گے کہ وہ ماڈریٹ ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پنجاب کی استھتی اس حد تک بگڑ گئی ہے کہ ہم نے وہاں ماڈریٹ فورسیز کو بہت حد تک کمزور کر دیا ہے۔ آج ان کی جرأت آتنک وادیوں کے مقابلے میں نہیں ہو رہی ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی استھتی میں اکالی دل کی کمزوری ہم سب کی کمزوری ہے۔ آپ صحیح جانیے کہ نیشنل پارٹی اکالی دل یا بادل اور برنالہ کمزور ہوتے ہیں تو ہم سب کمزور ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اکالی دل کا پنجاب میں ایک رول رہا ہے۔

میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میری اسمیں اس لئے دلچسپی ہے کہ میری ریاست جموں کشمیر ریاست کی زندگی اور پنجاب کی زندگی ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ اگر آج پنجاب کی تجارت ٹورزم امپورٹ ایکسپورٹ ترقی کو نقصان پہونچتا ہے اور پنجاب ملک کے مین اسٹریم سے کٹ جاتا ہے تو اس کا اثر جموں کشمیر پر بھی پڑیگا۔ اس لئے ہماری بھاؤنا ہے کہ آپ پنجاب کے مسئلے کو حل کریں۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس مسئلے کو ڈسکس کریں اور ملکر ایک راستہ نکالیں۔ ایک نیشنل کانسینسس تیار کریں۔

میں آپکو ایک وارننگ دیتا ہوں کہ اس ملک میں کچھ فرقہ پرست پارٹیاں بھی ہیں جو ایک کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی کے خلاف بھڑکاتی ہے۔ خاص طور پر میں بال ٹھاکرے کے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں جو کہ ایک خطرناک چیز ہے۔ میں آپ صاحبان کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ بال ٹھاکرے نے جو مہاراشٹر کے اندر دھمکی دی ہے کہ وہ بمبئی میں ایک کمیونٹی کا سوشل بائیکاٹ کریں گے ایک کمیونٹی کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ اس طرح کے واقعات کا پورے ملک پر اثر پڑیگا اور یہ پورے ملک کے لئے بڑا خطرناک ہوگا۔ ہم ڈیموکریٹک سوشلسٹ سیکولر اسٹیٹ ہیں اور مرکزی سرکار کا یہ کام ہے کہ وہ اس طرح کی جو فورسیز سر اٹھائیں ان کا سر کچل دیا جائے۔ اس معاملے میں کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپکو پھر وارننگ دیتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کو سر نہ اٹھانے دیں۔]

[अनुवाद]

श्री मेवा सिंह गिल (लुधियाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पंजाब के बजट संबंधी प्रस्तावों पर बोलने का अवसर दिया। मेरे साथी श्री आर. एल. भाटिया, श्री जी. एस. ढिल्लों और अन्यों ने कतिपय आंकड़े दिए हैं। उन्होंने कतिपय प्रस्ताव और मांगें भी रखी है। मैं ये आंकड़े और अन्य प्रस्ताव केवल इन्हें दोहराने के तौर पर ही दूंगा जो कि आमतौर पर मैं नहीं करता हूं। परन्तु मैं महसूस करता हूँ कि मुझे अध्यक्ष पीठ के जरिए वह दयनीय स्थिति राष्ट्र के ध्यान में लानी चाहिए जिससे हम गुजर रहे हैं।

पंजाब राज्य खुशहाली और समृद्धि की भूमि थी। यह अशांति, उपद्रव और दुख की भूमि में बदल गई है। इस भूमि में नये वित्त वर्ष के समय अर्थात बैसाखी के दिन किसान, किसान के बेटे, श्रमिक, खेतिहरों और दुकानदारों सहित प्रकृति की हर रचना झूमा करती थी। वे नगाड़े की धुन पर भांगड़ा करते थे। अब उनसे मृत्यु के समय नृत्य करवाया जाता है। इस त्रासदी से हम गुजर रहे हैं। विश्व, और विशेष रूप से शेष भारत के लोग सोच रहे हैं कि पंजाब के किसान राष्ट्र के भूख से पीड़ित लोगों और देश के सुरक्षित भण्डारों के लिए खाद्यान्न का उत्पादन करने में व्यस्त हैं। परन्तु

वास्तव में जहां कहीं भी वे अपने खेतों में अपने बेटों और सन्तानों के शवों के चारों ओर घूमते हैं तो वे अपने दिलों में महसूस करते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, ओठों से आह निकलती है। और छाती में पीडा होने लगती है कि वे आसुओं की बुआई कर रहे हैं, आंसुओं को उगा रहे हैं और वे निकट भविष्य में दुख और दर्द के अलावा कुछ भी नहीं बोयेंगे। केवल अंधकार उनके सामने है।

अत: मैं हाथ जोड़कर इस राष्ट्र से अपील करूंगा कि वह चुप न बैठें। इसका समाधान करें और इस रक्तरंजित नाटक को और अधिक न होने दें। पंजाब को लहुलुहान हाथों और केन्द्र सरकार के अक्षम साहबों से भी मुक्ति दिलाये। ऐसा केवल राष्ट्र ही कर सकता है। लोगों को एक तरफ तो ए. के.-47 बन्दूकों का सामना करना पड़ता है और दूसरी ओर पुलिस राज की मूकी बन्दूकें उन पर तनी हुई हैं. मेरा आज कहना है कि यह वास्तव में एक दुखद स्थिति है। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार काफी जोरों पर है। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कभी-कभी कुछ घटनायें हो जाती हैं। यदि यूं कहें कि कोई हत्या हो जाती है। तो कागजों में यह दर्शाया जाता है-कि तीन व्यक्तियों ने हत्या कर दी है। लेकिन तहकीकात के लिए तीन नहीं बल्कि 30 से 50 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें पूछ-ताछ केन्द्रों में रख लिया जाता है। उन्हें जांच मशीन से होकर गुजारा जाता है। उन्हें एक ही चीज के लिए धमकाया जाता है अर्थात भ्रष्ट अधिकारी उनके गरीब मां बाप से धन एठना चाहते हैं। वे क्या करें ? वे अपने घरों की वस्तुएं बेच देते हैं। वे उन्हें बचाने के लिए अपनी स्त्रीयों और बच्चों के गहने बेच देते हैं। वे प्रत्येक मामले में 10000 से 50000 रुपये तक की राशि को देकर ही स्वयं को बचा पाते है क्योंकि उनकी जान को खतरा है क्योंकि लोगों को बताया जाता है कि उन्होंने कई व्यक्तियों का सफाया कर दिया है। लोग जानते हैं कि दोषी व्यक्ति पुलिस के चुंगुल से भाग जाते हैं। वे कभी वापस नहीं आते। उनके शव कभी भी उनके मां बाप को नहीं दिये जाते हैं। वे जानते हैं कि मृत्यु के भय के कारण वहां भ्रष्टाचार काफी जोरों पर है लोगों को इस स्थिति से बचाने के लिए कुछ कदम उठाये जाने चाहिए।

मुझे आज एक पत्र प्राप्त हुआ है यहां न केवल भ्राष्टाचार ही है बल्कि कांड भी होते हैं। पंजाब के दो उपक्रम अर्थात फटिलाइजरस एलकलाइन लिमिटेड, नंगल और नेशनल फटिलाइजर्स लिमिटेड। कुछ वर्षों पहले वे घाटे में चल रहे थे अब पिछले वर्ष से वे लाभ कमा रहे हैं जब वे घाटे में चल रहे थे तो पंजाब सरकार इसे किसी गैर-सरकारी उद्यमी को बेच देना चाहती थी। लेकिन उस समय भी आगे नहीं आया। जब घाटा होना बन्द हो गया और लाभ होना शुरू हुआ तो कुछ व्यक्ति इसे खरीदने की युक्ति कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि राज्यपाल के आशीर्वाद से और राज बंगलों में बैठे हुए कुछ व्यक्तियों, के आशीर्वाद से, जो कि राजनीतिज्ञ हैं ये सौदेबाजी जल्दी ही पूरा कर ली जायेगी। ऐसे कांड चल रहे हैं।, मुझे अन्य पत्र एक भूतपूर्व संसद सदस्य से प्राप्त हुआ है। उन्होंने फरीद कोट की स्थिति के बारे में एक पत्र राज्यपाल को लिखा है। इसकी प्रतिलिपि मेरे पास है जिसमें उन्होंने स्थिति का वर्णन किया है, पुलिस के प्रमुख एस. एच. ओं. से कैसे धन एकत्र करते हैं और एस. एच. ओ. संदेहास्पद व्यक्ति से कैसे धन एकत्र करते हैं-और इस प्रकार पंजाब में कैसी स्थिति चल रही है। यह वास्तव में दुखद है।

जहां तक पंजाब राज्य के लिए बजट का संबंध है पिछले वर्ष के बजट में 38 करोड़ रुपये फालतू थे। अब उसे घाटे के बजट मे परिवर्तित कर दिया गया है और अन्तत: हमें पिछले वर्ष 233 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इस समय लगभग 239 रुपये का घाटा दिखाया गया है। मुझे डर है कि घाटा 300 करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकता है। कारण यह है कि पुलिस व्यय जो कि पिछले

वर्ष बजट में दिखाया गया है, 70 करोड रुपये था जबकि वास्तव में अनुमानित बजट में यह 114 करोड़ रु. था। अब यह 86 करोड रुपये दिखाया गया है और मेरे पास यह विश्वास करने की वजह है कि यह इस वर्ष 150 करोड़ रुपये हो जायेगा। अर्थात् प्रत्येक घन्टे राज्य द्वारा पुलिसपर 4 लाख रुपये खर्च किये जाते है। यह एक दुखद स्थिति है और जैसे कि मेरे मित्र ने पहले ही कहा है केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और अर्ध सैनिक बलों पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य द्वारा राज्य के साथ इन खर्चों को वहन करने के लिए नहीं कहा जा रहा। हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, हमारे अस्पतालों में आवश्यक दवाये नहीं हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में, मैं तो कहूंगा कि इसका श्रेय उन कुछ योजना करने वालों श्री खन्ना, श्री बालकृष्णन, श्री गुप्ता, श्री भोपाली श्री राजिन्दर सिंह, श्री मनोहर सिंह गिल को जाता है। जो यहां बैठे हैं और ये लोग हैं जो पंजाब की टूटी सड़कों पर जर्जर मशीन चला रहे हैं। वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि यह मशीन पंजाब में चलती रहे।

केन्द्र सरकार को कम से कम 1200 करोड़ रुपये की सहायता लेकर आगे आना चाहिए और जैसाकि कहा गया है वहां परियोजनाओं में विद्युत की कमी है और ऐसे कतिपय क्षेत्र हैं। जिन्हें दुर्भाग्य से अन्धकार पूर्ण क्षेत्र घोषित किया गया है। यह इस वजह से हुआ क्योंकि जल स्तर नीचे चला गया है लेकिन किसान और वहां के लोग वहां से जल खींचने के लिए डीजल इंजनों का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले वर्ष देश के लिए इन फसलों को उगाने और इस देश के लोगों के लिए उन्होंने अपनी जेबों से 53 करोड़ रुपये खर्च किए। परन्तु उन्हें सहायता नहीं दी जा रही है। इस बार पुनः यहां डीजल इंजन कार्य कर रहे हैं। हमारे यहां विद्युत की कमी है। यदि आप पंजाब की सारे देश में खाद्यान्न उत्पादन के लिए, अन्न भंडार के लिए वास्तव में सराहना करते हैं तो मैं उपाध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि केन्द्र सरकार को तत्काल राहत देने के लिए कहा जाये, जैसे कि पीछे खेतीहरों और कृषकों का 17 रुपये प्रति क्विन्टल का बोनस दिया गया था। इस समय भी उन्हें बोनस दिया जाना चाहिए। मुझे पता चला है कि बोनस देने की बजाय इस मांग को दबाया जा रहा है। पिछली बार 35 मिलियन टन की मांग की गई थी इस समय केन्द्रीय सांख्यिकीविदों ने 55 मिलियन टन की मांग पेश की है और वे कहते हैं कि केवल तभी वे बोनस देंगे। यह ठीक नहीं है। खेतीहरों और किसानों को बढ़ावा देना चाहिए।

जहां तक बजट का संबंध है, हम सब पंजाब की विशेष परिस्थितियों के बारे में जानते हैं। केन्द्र सरकार को पंजाब की सहायता करनी चाहिए और केन्द्री पुल से कुछ राशि, कुछ धन प्रदान करना चाहिए ताकि पंजाब में चल रही स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर बोलने से पहले श्री रामूवालिया द्वारा राज्य विधान मंडल की मांगों को मिलाने से संबंधित एक मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

राज्य विधानमंडल में पेश किए गए बजट के प्रारूप को युक्तिसंगत बनाने के लिए 1986-87 में भागों की कुल संख्या 41 को 1987-88 में घटा कर 29 कर दिया गया 1986 के नियमों की अनुसूची में दर्शाये गये प्रत्येक विभाग के लिए एक, सिवाय विधि और विधायी कार्य विभाग जो

बजटीय उद्देश्य के लिए गृह तथा न्याय विभाग का एक भाग है)। इसी युक्ति संगतिकरण के परिणामस्वरुप निम्नलिखित मांगों/विनियोग को अर्थात राज्य विधान मण्डल, कर्मचारी, राज्यपाल मंत्रिपरिषद सचिवालय के कर्मचारी, घरेलू सामान तथा भत्ते जो पहले पृथक थे, प्रत्येक के लिए अलग-अलग उन्हें 'सामान्य प्रशासन' शर्षक के अन्तर्गत एक ही मांग मे रखा गया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा गत वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट में तत्कालीन सरकार ने किया था और इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। इस मुद्दे पर एक बार फिर राज्य सरकार अर्थात पंजाब में आने वाली चुनी हुई सरकार को विचार करना है कि क्या इसे पृथक कर देना चाहिए क्योंकि यह उन द्वारा किया गया था। हमने तो सिर्फ उसका अनुसरण किया है। इस लिए हमारे कहने पर इन सब मांगों को मिलाकर एक मांग करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

माननीय सदस्यों द्वारा बहुत से मुद्दे बनाए गए हैं। पंजाब के विद्यमान आम हालात तथा स्थिति पर भी प्रकाश डाला गला है तथा चर्चा हुई है। लेकिन विकास संबंधी परियोजनाओं के बारे में थीन बांध की प्रगति के बारे में एक मुख्य प्रश्न उठाया गया है। मैं प्रारम्भ में इस रणजीत सागर बांध के बारे में स्थिति स्पष्ट करूंगा। इस पर रात-दिन पूरी तेजी से काम किया जा रहा है। इसके लिए पर्याप्त राशि दी जा रही है और मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि धन के अभाव के कारण काम में रुकावट नहीं आने दी जायेगी। यह बांध 1992-93 तक पूरा कर दिया जाएगा।

बहुत से माननीय सदस्यों ने अन्य मुद्दा पंजाब में बिजली की कमी पर उठाया है। जहां तक रोपड़ ताप बिजली परियोजना-चरण दो का संबंध है तो इसे निर्धारित समय से पहले चालू किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसके चालू हो जाने के बाद पंजाब मे बिजली की स्थिति कुछ हद तक सुधर जाएगी।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मांग में भी वृद्धि हो रही है।

श्री बी. के. गढ़वी : निःसन्देह ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये परियोजनाएं राज्य में गड़बड़ी होते हुए भी इससे प्रभावित नहीं हैं और हम पूरी तेजी मे कार्य कर रहे हैं तथा इन्हें पूरा कर लिया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा है कि रोपड़ ताप विद्युत परियोजना चरण-दो को निर्धारित समय से पूर्व पूरा कर लिया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण बात है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि निर्माणाधीन बड़ी परियोजनाओं और मध्यम दर्जे की सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं में से कोई भी अशांति से प्रभावित नहीं हुई हैं तथा उन पर पूरी तेजी से कार्य चल रहा है।

चर्चा प्रारम्भ करते हुए श्री तुलसी राम ने एक मुद्दा उन लोगों के बारे में उठाया था जो अपनी सम्पत्ति खो चुके हैं तथा जो आतंकवादियों द्वारा मार दिये गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें मुआवजा नहीं दिया। मुझे वाकई बहुत खेद है कि इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। महोदय जहां तक पंजाब मे आतंकवादियों के शिकार हुए लोगों को मुआवजा देने का बंधंध है, मृत्यु हो जाने के मामले में मृत व्यक्ति के निकट संबंधी को 20,000 रुपये अनुग्रह अनुदान के रूप में दिये जा रहे हैं। विधवा को तीन वर्ष या उस समय तक 250 रुपए प्रति मास दिए जाते है जब तक कि उसके किसी एक बच्चे को श्रेणी तीन या श्रेणी चार की सरकारी नौकरी नहीं दे दी जाती। एक विधवा को निम्न आवास ग्रुप का एक माकान निःशुल्क दिया जाता है। जिसका वतमान मूल्य 30,000 रुपये

है। फिर आप बढ़ाने की योजना के रूप में हम 25 हजार रुपये का ऋण भी देते हैं। जिसमें 5000 रुपए राज-सहायता के रूप में होते हैं। जख्मी होने के कारण स्थाई रूप से विकलांग होने वालों को भी मृत्यु हो जाने के मामले में दी जाने जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अन्य प्रकार के घायलों के लिए लिए, 5000 रुपए गंभीर रूप से घायलों के ईलाज के लिए तथा कम घायलों के ईलाज के लिए 2000 रुपए दिए जाते हैं। और आवश्यक मामलों में राज्य सरकार 5000 रुपए से अधिक के चिकित्सा खर्चों की भी अदायगी कर सकती है। महोदय, सम्पत्ति को नुकसान पहुँचने के मामले में नष्ट हुई सम्पत्ति के आधार पर 50,000 रुपए तक राशि दी जाती है लेकिन यदि उस सम्पत्ति का बीमा करवा रखा हो तो इसमें से बीमे से प्राप्त होने वाली राशि काट ली जाती है।

महोदय, 1987-88 के संशोधित अनुमानों में उपद्रवों और हिंसा के शिकार व्यक्तियों को राहत देने के लिए 3.51 करोड़ रुपये की राशि रखी हुई है। महोदय, इस प्रकार यह कहना आधार-हीन तथा सत्य से परे है कि आतंकवादियों के शिकार हुए लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

इन गड़बड़ियों के बावजूद पंजाब राज्य ने वास्तव में प्रशंसनीय कार्य किए हैं। पंजाब राज्य के किसान और कृषक समुदाय बधाई के योग्य हैं। निःसन्देह उन्होंने खाद्यान्नों के राष्ट्रीय कोष में बहुत अधिक योगदान किया है। इसके लिए उन्हें उत्साहित किया जा रहा है।

जहां जन योजना परिव्यय का संबंध है तो यह कहा गया था कि यह एक सौ करोड़ रुपये कम है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि तह ठीक नहीं है। योजना परिव्यय के संशोधित अनुमानों में में 1987-88 के लिए 650 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है जो गत वर्ष के योजना परिव्यय की राशि 575 करोड़ रुपए से 13 प्रतिशत अधिक है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि पिछले वर्षों के परिव्यय की तुलना में योजना परिव्यय में कमी आई है। निःसन्देह 50 करोड़ रुपए के विशेष के बाजारी ऋण के रूप में सम्मिलित 91.52 करोड़ रुपए के बाजारी ऋणों की गणना करने के बाद राज्य संसाधनों में गैर योजना क्षेत्र की ओर से 287.83 करोड़ रुपए का अन्तर है। लेकिन इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि इस अन्तर की पूर्ति हेतु वर्ष 1987-88 के लिए संशोधित अनुमानों में 54.50 करोड़ रुपए के की सामान्य केन्द्रीय सहायता तथा 1650 करोड़ रुपये विशेष अवधि के ऋणों का प्रावधान है।

महोदय, मैं समझता हूं कि वहां के वर्तमान हालत को देखते हुए पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे भारत सरकार 650 करोड़ रुपए की विशेष सहायता दे रही है। आंकड़ों और धन-राशि के रूप में कोई वचन दिए बगैर मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि चाहे यह विकास संबंधी कार्य हो या प्रशासकीय कार्य हो, धनराशि के अभाव के कारण पंजाब को कोई हानि नहीं होगी।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : आण्विक संयंत्र तथा गैस पर आधारित संयंत्रों का क्या रहा ?

श्री बी. के गढ़वी : इस बारे में भी बता रहा हूं।

पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा गड़बड़ पर काफी कुछ कहा गया है। सभा इस मुद्दे पर पिछले तीन दिन से चर्चा कर रही है तथा इस पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। भारत सरकार तथा सारा देश चिंतित है तथा हम बहुत अधिक चिंतित

हैं। इस समस्या का समाधान ढूंढना है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मामला बहुत ही जटिल है तथा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। केवल इन उपायों के कारण ही, राष्ट्रपति शासन से पहले की स्थिति और बाद की स्थिति की तुलना करने पर आप इस तथ्य की प्रशंसा करेंगे कि स्थिति में सुधार हुआ है हालांकि सामान्य स्थिति पूर्णतः वापस नहीं आई है, अपराध अभी भी हो रहे हैं। कुछ उल्लेखनीय बातें हमारे सम्मुख आई हैं और मैं उन्हें संक्षेप में बताता हूं। उदाहरणतः राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद सामाजिक सुधार थोपने वाले स्थानीय लड़कों के गैंग की गतिविधियों को रोका गया और शराब की दुकानें, मांस की दुकानें, नाई की दुकानें आदि सामान्य रुप से फिर कार्य करने लगी। इस अवधि में देशद्रोही गतिविधियों, अस्त्रों की छीना झपटी तथा डकैतियों में भी काफी कमी आई आई है। आतंकवादियों के मनोबल को बढ़ाने वाले तथा उन्हें सामाजिक सम्मान दिलाने वाले वाले 'तोगियों' और 'ढाडियों' और राजनैतिक वक्ताओं की गतिविधिटों मे कमी दिखाई दी। बाबा जोगिन्दर सिंह की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखा गया। 'अमृत प्रचार' यथा शहीद समागम' कार्यक्रमों मे काफी हद तक कमी आई। पंथिक कमेटी तथा खालिस्तान कमांडो फोर्स आदि अन्य उग्रवादी संगठनों द्वारा धमकी भरे वक्तव्यों का महत्व खत्म हो गया है। ये सभी बातें तथा आतंकवादियों द्वारा सिखों के मारने से स्थिति इस हद तक बदल गई है कि सिखों के एक वर्ग ने कम मात्रा में होते हुए भी आतंकवादियों का विरोध करने का निर्णय कर लिया तथा हिन्दू भी हत्याओं के होते हुए भी पंजाब में अथवा अपने गांवों में ही रहने को तैयार हैं।

इस सबसे प्रतीत होता है कि धीरे-धीरे विश्वास का एक वातावरण बन रहा है। आज हमें पंजाब में मुख्य रुप मे तथा मौलिक रुप से इसी बात की आवश्यकता है कि लोगों के दिलों तथा दिमाग में विश्वास की एक भावना होनी चाहिए ताकि वे ऐसा महसूस कर सकें कि सरकार की सहायता तथा समर्थन के साथ तथा इसके साथ ही अपने स्वयं की शक्ति के साथ वे चुनौती का सामना कर सकते है तथा वे अपने घरों में अपने परिवार के समीप बैठ सकते है।

डा. दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण-मध्य) : ऐसा किस प्रकार किया जाना है ?

श्री बी. के. गढ़वी : यह धीरे-धीरे किया जा रहा है। मैं यही कह रहा हूं। जैसा कि डा. ढिल्लों ने सही कहा है कि आप दूर बैठे रहते हैं तथा वस्तुस्थिति के बारे में बगैर अधिक जाने ही बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्हीं प्रयासों के कारण आज पंजाब में स्कूल, विश्वविद्यालय तथा कालेज सामान्य रुप से कार्य कर रहे है तथा परीक्षाएं भी हो रही हैं।

श्री दत्ता सामंत : फिर यह आपात स्थिति क्यों ?

श्री बी के: गढ़वी : जहां तक आपात स्थिति जैसे उपाय का संबंध है पहले ही कल इसका औचित्य तथा कारण बताए गए थे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम, देश तथा पंजाब के लोग चाहते हैं कि आतंकवादियों की समाज विरोधी तथा आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए सभी क्षेत्रों मे कारगर उपाय होने चाहिए। सभी शस्त्रों को एकत्र करने की आवश्यकता है और यह एक महत्वपूर्ण उपाय है।

जैसाकि श्री भाटिया ने उचित ही कहा है कि पुलिस बलों की तुलना में आतंकवादियों के पास बेहतर शस्त्र हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस के वितरण में भी वृद्धि की गई है तथा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पुलिस के लिए आधुनिक शस्त्र आयात किए जा रहे हैं तथा

इनका स्वदेवी उत्पादन भी किया जा रहा है । इस मुद्दे पर मैं शस्त्रों की किस्म और उनकी संख्या मूल्य आदि पर प्रकाश नहीं डालना चाहता हूं । अतः उस मोर्चे पर सरकार इस सत्य के प्रति पूर्णतः सचेत है कि इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए पुलिस को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने हैं । इस पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है । इस कार्य में प्रगति हो रही है ।

श्रीमती कौर ने जिस प्रमुख मुद्दे का उल्लेख किया है उसमें भूमि को कृषि योग्य बनाने की बात कही हैं मैं उन्हें सुचित करना चाहूंगा कि क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए एक लाख बीस हजार टन से भी अधिक 'जिप्सम' बांटा गया था । और लगभग 20,000 हेक्टेयर भू-क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया गया है । यह कार्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन किया जा रहा है जिसमें भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए 'जिप्सम' की 75 प्रतिशत लागत सरकार द्वारा राज सहायता के रूप में दी जा रही है । 1971 से हम 'कल्लर' भूमि अर्थात् क्षारीय भूमि की 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि कृषि योग्य बना सके है किन्तु अभी भी पंजाब में चार से पांच लाख हेक्टेयर और भूमि को कृषि योग्य बनाए जाने की आश्यकता है । प्रयत्न जारी हैं । इसके लिए धन का आबंटन किया जाता है और सरकार इस की ओर ध्यान दे रही है ।

कुछ मुद्दे परमाणु बिजलीघर, गैस पर आधारित बिजली घर, केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं और अन्य बातों के बारे में उठाये गये थे । मैं इन मुद्दों को निश्चित ही संबद्ध मंत्रालयों को उनके द्वारा कार्यवाही किये जाने के लिए अग्रावित कर दूंगा । जहां तक केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं का संबंध है, श्री ढिल्लों ने कहा था कि कपूरथला कोच फैक्ट्री के लिए ही 200 करोड़ रुपए चाहिए । जहां तक पंजाब के लिए समग्र धन और जन शक्ति वितरित करने का प्रश्न है, वह राशि 1986-87 के लिए 641.02 करोड़ रुपए थी । आपने जितनी राशि बताई हैं, यह उससे कहीं ज्यादा है ।

डा. जी. एस. ढिल्लों . देश में अन्य भागों के मुकाबले में यह कुछ भी नहीं है ।

श्री बी. के. गढ़वी : वस्तुतः जब इतने वरिष्ठ सदस्य और एक जिम्मेदार सदस्य द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि इसकी अलग से और स्थानीय रूप से तुलना करना सही नहीं होगा ।

जहां तक कि पंजाब के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा-जहां तक उसकी सिंचाई सुविधाओं का संबंध है पंजाब से बाहर की परियोजनाओं से भी कभी कभी पंजाब को लाभ मिलता है । यह कच्चे माल की उपलब्धता तथा अन्य अनेक वस्तुओं की उपलब्धता पर निर्भर होता है । यदि देश के किसी भाग में लोहा उपलब्ध न हो तो वहां इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं किए जा सकते हैं । जिस क्षेत्र में कोयला बिल्कुल उपलब्ध नहीं होगा वहां कोयया खानें नहीं हो सकती है । अतः इस तरह की तुलना करना एक आदर्श दृष्टि कोण नहीं है ।

श्रीराम प्यारे पनिका (राबर्टस गंज) : देश के अनेक देश, जसे जापान और दक्षिण कोरिया जहां लोह अयस्क की कोई खानें नहीं है, वे हकसे बेहतर प्रगति कर रहे रहे हैं ।

श्री बी. के. गढ़वी : हम जहां भी खनिज सम्पत्ति या अन्य प्रकार की सम्पत्ति मिलती है जिसका पता लगाया जा सकता है अथवा जिनका दोहन किया जा सकता है, वहां पर तत्काल ही नई परियोजना शुरू की जानी चाहिए । विगत समय में वे परियोजनायें विगत में शीघ्र ही शुरू हो

सकती थी। अब हम इन परियोजनाओं को अन्य स्थानों पर शुरू कर सकते हैं क्योंकि हमने इनके आधारभूत ढांचे तैयार कर लिए हैं और हमने स्थान भी निर्धारित कर दिए हैं जहां जो कुछ शुरू होना था कुल मिलाकर वह वहां शुरु हो गया है। इसी प्रकार अब हम अन्य क्षेत्रों को भी देख सकते हैं। यही कारण है कि हमने हाल ही में पंजाब में कोच फैक्ट्री स्थापित की है। इससे पहले कोच फैक्ट्री मद्रास के अलावा कहीं नहीं थी।

डा. जी. एस. ढिल्लों : श्री गढ़वी, काश मैं मंत्री न होता तो मैं आपको और भी तथ्यों की जानकारी दे सकता था क्यों कि मुझे पता है कि अन्दर क्या हो रहा है। किन्तु मैं गोपदीयता रखने के लिए बाद्धय हूं।

श्री बी. के. गढ़वी : आपके समान ही मैं भी गोपनीय रखने को बाद्धय हूँ। मैं आपसे यह कह सकता हूं कि यद्यपि बिजली उपलब्ध है किन्तु मेरा निवेदन है कि बिजली के मामले में सरकार ने सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की है और 650 करोड़ रुपए के वार्षिक योजना परिव्यय में से 352.47 करोड़ रुपए विद्युत क्षेत्र के लिए नियत किये गए जोकि 54.22 प्रतिशत बैठता है।

जहां छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिजली की क्षमता 788 मैगावाट बढ़ाई गई थी, वहीं सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिजली की क्षमता 768 मैगावाट और बढ़ाने का प्रस्ताव है जिसमें से 134 मैगावाट बिजली आनन्दपुरसाहिब पन-बिजली परियोजना द्वारा उत्पन्न की जाएगी जोकि 1985-86 मे चालू हो चुकी है, 162 मैगावाट मुकेरियन पन-बिजली परियोजना से, 420 मैगावाट रोपड़ तापीय परियोजना द्वितीय चरण से, 45 मैगागाट ऊपर बारी दोआब नहर परियोजना द्वितीय चरण से और सात मैगावाट सूक्ष्म पद-बिजली योजनाओं से तैयार की जाएगी, जो पूरी हो चुकी हैं तथा चालू हो चुकी है। राहती और यही सूक्ष्म पन-बिजली योजनाओं तथा धारीवाल सूक्ष्म पन-बिजली याजना के लिए भी कार्य शुरू किया गया है। पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के अपने बिजली घरों में जहां 1984-85 में 39040 लाख यूनिट बिजली तैयार होती थी वहां वह 1985-86 में बढ़कर 57760 लाख यूनिट हो गई थी और वर्ष 1986-87 के दौरान वह 67640 लाख यूनिट तक पहुँच गई है।

अत: इसके आंकड़े ये हैं। वास्तव में और अधिक बिजली की आवश्यकता है। मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं इससे इनकार नही करता। किन्तु इसके साथ ही, बिजली उत्पादन की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है तथा व्यवधानों के बावजूद विद्युत क्षेत्र का कार्य निष्पादन भी पर्याप्त प्रशंसनीय और अच्छा रहा है।

मैं अन्य मुद्दों के बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है और मेरे पास इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं। किन्तु जहां तक अन्य मुद्दों का संबंध है, सबसे पहले मैं श्री भाटिया द्वारा उठाए गए मुद्दे को लूंगा। उनका एक मुद्दा बासमती चावल के निर्यात और उस पर लगाई गई लेवी के बारे में था। इस संबंध में मैं निश्चित ही कृषि मंत्रालय का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करूंगा और मैं इसके बारे में पंजाब सरकार को भी सूचित करूंगा। वास्तव में पंजाब सरकार को सूचित किया जा रहा है। मैं आज पंजाब सरकार की ओर से ही बोल रहा हूं। मैं कृषि मन्त्रालय को सूचित कर दूंगा और उनसे अनुरोध करुंगा कि वे अपनी नीति के अनुरुप उस दिशा में समुचित कदम उठायें।

उद्योगों के बारे में कहा गया है कि उद्योगों को नुकसान हो रहा है। वास्तव में 1986-87 में

औद्योगिक विकास केवल 3.3 प्रतिशत (तुरन्त प्राक्कलन के आधार पर) रहा है जब कि आठवें दशक में यह विकास लगभग 9 प्रतिशत था। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। वर्ष 1987-88 के दौरान गत वर्ष की तुलना में केन्द्र और राज्य वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋणों की स्वीकृति तथा ऋणों का वितरण दुगना से भी अधिक रहा है। नए लघु औद्योगिक यूनिटों के पंजीकरण की दर से भी शत-प्रतिशत की वृद्धि हो गई है।

अत: इस नई रुपरेखा के बारे में भी मैं यह कहना चाहूँगा कि राज्य में औद्योगिक विकास की स्थिति के बारे में, सदस्यों ने चाहे जैसी भी दयनीय दशा दर्शायी हैं, औद्योगिक विकास, विशेषकर लघु क्षेत्र में औद्योगिक विकास गत वर्ष की तुलना में शत-प्रतिशत बढ़ गया है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : यदि शत-प्रतिशत विकास हुआ है तो क्या आपने पंजाब को कोयला, इस्पात और लोह-पिण्डों के रुप में शत प्रतिशत अधिक आदान दिये हैं।

श्री बी. के. नड्डी : इस समय मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यदि आप चाहे तो मैं उन्हें एकत्र करके आपको दे सकता हूं।

राष्ट्रपति शासनलागू किए जाने के बाद 618.72 लाख रुपए की धनराशि से 8273 लघु और ग्रामीण उद्योग यूनिट स्थापित किए जा चुके हैं जिससे 23,115 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। 25.96 करोड़ रुपए की धनराशि से बड़े और मध्ययम क्षेत्र में 11 यूनिट स्थापित किए गए हैं जिससे 1518 व्यक्तियों को रोजगार का अवसर मिला है और इस अवधि के दौरान उनसे उत्पादन आरम्भ हो गया है। इसके अलावा, 12.80 करोड़ रुपयों का निवेश करके 6 यूनिटों में पर्याप्त विकास कार्यक्रम चलाये गए हैं जिससे 1439 व्यक्तियों को रोजगार मिला है।

जहां तक एन. आर. ई. पी., आर. एल. ई. पी., आई. आर. डी. पी. और टी. आर. वाई. एस. ई एम. के अधीन रोजगार के अवसर पैदा करने वाले कार्यक्रमों का संबंध है, उनके अधीन रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा किए हैं। मैं सम्मानीय सभा को बताना चाहता हूँ कि जहां तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का संबंध है हमारा लक्ष्य 17.65 लाख श्रम दिवस का था और 15 मार्च, 1988 तक हमारी उपलब्धि 17.02 लाख श्रम की रही। जहां तक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारटी कार्यक्रम का संबंध है हमारा लक्ष्य 19.57 लाख श्रम दिवस था और फरवरी, 1988 तक उपलब्धि 18.37 लाख श्रम दिवस रही। जहां तक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रत का संबंध है, हमारा लक्ष्य फरवरी, 1988 तक 0.64 लाख लाभ ग्रहियों को लाभ पहुंचाने का था और हमारी उपलब्धि 0.62 लाख रही है। जहां तक ग्रामीण युवा स्व: रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम का संबंध है, हमारा लक्ष्य 6020 लोगों को स्वरोजगार प्रदान करना था और फरवरी, 1988 तक 5162 लोगों के लिए स्व रोजगार की व्यवस्था कर पाए। इसलिए यह आशा है कि अशांत स्थितियों के बावजूद भी इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा क्योंकि हम लक्ष्यों के करीब पहुंच गए हैं।

जहां तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ जिलों के बारे में मानदण्ड का संबंध है वह पहले था। सरकार अब एक नई नीति और एक नए मानदण्ड पर विचार कर रही है और इसीलिए भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों की घोषणा जिलों के आकार पर न करके अन्य मानदंडों के आधार पर करना चाहती है। लेकिन पूरे देश के लिए नए मानदण्ड पर अभी विचार किया जा रहा है और इसकी

घोषणा बाद में की जाएगी। और तभी आपको पता चलेगा कि इससे पंजाब को भी कितना लाभ हो रहा है।

अधिक समय लिए बिना मैं कहना चाहता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए औद्योगिक क्षेत्र, कृषि, क्षेत्र विद्युत उत्पादन निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उनके निर्धारित समय पर शुरू होने संबंधी आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पंजाब की समस्या एक जटिल समस्या है पर जैसे जीवन चलता रहता है लोगों के काम भी जारी रहते हैं। और लोगों में फिर से विश्वास पैदा किया जा रहा है और हमें विश्वास है कि नए उपायों से हम लोगों में फिर से पूरी तरह से विश्वास लौटा पाएंगे।

शुरू में सदस्यों ने कहा था कि इस बजट को पंजाब विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हम किसी भी राज्य के बजट को संसद में प्रस्तुत करना नहीं चाहते और न हो ऐसा करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन पंजाब और तमिलनाडु की तरह अगर बाध्यता है तो हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। राष्ट्रपति शासन इसी सदन की स्वीकृति से लागू किया गया था इसलिए अगर हम यह कहते हैं कि बजट को प्रस्तुत करने का हमारा नैतिक अधिकार नहीं है, तो इसका अर्थ है कि हमें संसदीय प्रक्रिया और व्यवस्था की ठीक तरह से जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति शासन लागू है इसलिए सारे सदन का यह संयुक्त उत्तरदायित्व बनता है कि पंजाब के प्रशासन को चलाया जाए और इसलिए हमने आपसे स्वीकृति मांगी है और इसलिये मैं आशा करता हूं कि भविष्य में जो दल सत्ता में आएंगे वे सबक लेंगे और अपने आपको मजबूत बनाएंगे और दूसरों को संदेश देंगे क्योंकि वे दल जो सत्ता में आए, उन्हें कुछ भी नाम दीजिए, बाद में आपकी खींचातानी और अन्य बातों में सत्ता को बनाए नहीं रख सके। (व्यवधान) हमने एक साथ सब चीज को एकत्र करना है और इस तरह नहीं दत्ता साहब हमें सबकी शक्ति का जुटाना है। हमें उसे पृथक-पृथक नहीं करना है जैसा कि आप कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि इस चर्चा में भाग लेने वाले संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को कुल मिलाकर मैंने जवाब दे दिया है। उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। सदस्यों द्वारा अलग-अलग तौर पर उठाए गये मुद्दों पर कार्यवाही करने के लिये उन्हें आगे कार्यवाही के लिये भेज दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं पंजाब राज्य के वर्ष 1988-89 के बजट के संबंध में लेखानुदानों की मांगें मतदान हेतु रखता हूं :—

प्रश्न यह है :—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 29 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिये या सम्बन्ध में कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी सम्बन्धी राशियों से अनाधिक सम्बन्धित राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं पंजाब राज्य के वर्ष 1987-88 के बजट के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें मतदान के रखता हूं :—

प्रश्न यह है :—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।

मांग संख्या 1 से 4, 6, 8, 10, 12 से 18, 20 से 26 28 और 29।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.55 म. प.

पंजाब विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1988*

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1988-89 के एक भाग की सेवाओं के लिये पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1988-89 के एक भाग की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी. के. गढ़वी : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित @ करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1988-89 के एक भाग की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

---

* दिनांक 24.3.88 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

@ राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर स्थापित प्रस्तुत।

"कि वित्तीय वर्ष 1988-89 के एक भाग की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री वी. के. गढ़वी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पंजाब विनियोग विधेयक 1988*

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी. के. गढ़वी) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1987-88 की सेवाओं के लिये पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1987-88 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय

---

* दिनांक 24.?.88 के राजपत्र असाधारण भाग II खण्ड 2 में प्रकाशित।

और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी. के. गढ़वी : मैं विधेयक पुरस्थापित* करता हूं :—

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1987-88 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1987-88 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंड वार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड I अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

6.00 म. प.

श्री वी. के. गढ़वी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

विधेयक स्वीकृत हुआ।

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरस्थापित।

6.02 ब. प.

तमिलनाडु बजट आदि के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम तमिलनाडु राज्य के वर्ष 1988-89 के बजट सम्बन्धी अनुदानों की मांगों और वर्ष 1987-88 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर आम चर्चा तथा उस पर मतदान आरम्भ करें।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : हम इसे कल शुरू करेंगे। अब 6 बज गए हैं।

(व्यवधान)

श्री पी कुलन्दईवेलू (गोबि चेट्टिपालयम) : कल हम भोजनावकाश नहीं करेंगे और इसे समाप्त कर देंगे।

(व्यवधान)

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : वास्तव में, हम माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझते हैं लेकिन यह वित्त विधेयक है और यह राज्य सभा भी जाएगी।

(व्यवधान)

श्री पी. कुलन्दई वेलू : राज्य सभा की 30 तारीख तक बैठक होगी।

श्री बी. के. गढ़वी. : 30 मार्च से पहले संबंधित राज्यों को इसे अधिसूचित करना होगा और उन्हें धनराशि निकालनी होगी।

(व्यवधान)

श्री पी. कुलन्दई वेलू : पंजाब बजट के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया था लेकिन हमने इसके लिए चार घंटे का समय लगा दिया।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : मैं समझता था कि इसके लिए चर्चा शुरू हो चुकी है लेकिन क्योंकि इस पर चर्चा अभी शुरू नहीं हुई है इस लिए हम इसे कल ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसे हम कल लेंगे।

6.04 ब. प.

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 25 मार्च, 1988/5 चैत्र, 1910 (शक) के 11 बजे ब. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472, एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली-110006.